राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 15

रविवार,

22 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

माननीय अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल को जन्म दिन की बधाई एवं उनका आभार

(माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष को जन्म दिन की बधाइयां)

श्री अध्यक्ष: यह बधाई का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो आपकी तरफ से भोजन हो।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जन्म दिन की बधाई देता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, आज आपका जन्म दिन है, आपको बहुत-बहुत बधाई। परम पिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें और आप हाउस को उस हिसाब से चलाते रहें।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री।

रविवार के दिन प्रथम बार विधान सभा के सत्र संचालन की परस्पर बधाई

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आज राजस्थान विधान सभा के गरिमापूर्ण इतिहास के अन्दर एक नया अध्याय जुड़ा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है, राजस्थान विधान सभा बनने के बाद, मैंने सारी कार्यवाही को देखा है, जब रविवार के दिन विधान सभा का संचालन हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि रविवार के दिन विधान सभा के संचालन से क्या फर्क पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि इस बात के पीछे संदेश क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में यह जन चर्चा है कि चाहे पक्ष हो, या प्रतिपक्ष हो, यह विधान सभा जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सबसे पहले उस कार्य को करना अपना कर्तव्य समझती है। यह पहला अवसर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने कृपा की, सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने स्वीकृति जाहिर की और पूरे राजस्थान में किसान पर जो कहर टूटा प्रकृति का, उस सबसे रूबरू होने के लिए आपने सब जन-प्रतिनिधियों को जाने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई अवसर ऐसे आते हैं जब विधान सभा के इतिहास में, दस्तावेज में एक नई चीज चली जाती है। यह सिर्फ आपके नेतृत्व में एक नया संदेश गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 अगस्त, 1972 एक वह दिन था जब, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य तो शायद सदन के सदस्य रहे होंगे, आजादी की रजत जयन्ती पर सिर्फ एक मिनट के लिए रात को 11 बजे विधान सभा आहुत की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अवसर वह भी था 31 मार्च, 2010 को जब यही विधान सभा रात को तीन बजकर चालीस मिनट पर स्थगित हुई थी, जब पूरे राजस्थान में पेयजल, अकाल और बिजली पर चर्चा चली थी।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा, और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, आज जीवन के 81 वर्ष आपने पूरे किये हैं, इन 81 वर्षों में अधिकांश वर्ष वे रहे हैं जिनका एक-एक वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। आपके शानदार नेतृत्व में और आपका संसदीय ज्ञान जितना है और जिस प्रकार से अपने जीवन को संघर्ष से आपने प्रारम्भ किया, वह हमें प्रेरणा देता रहेगा। आप दीर्घायु हों और आपकी कृपा मेरे पर व्यक्तिश: और सारे सदन पर बनी रहे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) आप बोलेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बोलें। आप खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष: यह लीजिए, बैठ जाता हूं, अब बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गणगौर का त्यौंहार भी है और आपका जन्म दिन भी है, ऐतिहासिक दिन है। आपको बहुत-बहुत बधाई जन्म दिन की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज एक बहुत बड़े विशाल हृदय का परिचय देते हुए, प्रतिपक्ष के प्रति उन्होंने आज प्रथम बार, पुन: सम्बोधित करके आदर सम्मान दिया। इसलिए मैं आपके मार्फत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरी कंजूसी को देखते हुए, हमारे दल के मुख्य सचेतक श्री कालू लालजी गुर्जर ने लड्डू मंगवाये हैं अपनी तरफ से और वे मेरे कक्ष में रखे जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपना मीठा मुंह करने के लिए पधारें, जब भी जाएं। मेरी कंजूसी को देखते हुए उन्होंने मंगवाये हैं, तो कृपा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अशोक चांदना, सदस्य, की ओर से बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा का भुगतान नहीं करने से किसानों के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में। विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या, की ओर से जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के ग्राम रिवाली में रात 12 बजे 10-12 डकैतों द्वारा मय हथियार के लूटपाट करने की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला रावत को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से कृषकों को डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से बीकानेर की गंगाशहर क्षेत्र की डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम दूबली में अवैध रूप से संचालित स्टोर को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से मेड़ता के स्नातक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में आई टी आई संस्थान खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री झाबर सिंह खर्रा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना लोहावट में दर्ज एफ आई आर 178/14 में दोषी अपराधियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की 158 ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में राजस्व रिकार्ड में हुई भारी त्रुटियों के सम्बन्ध में।

(8) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से झोटवाड़ा क्षेत्र में स्थित सिटी डिस्पेंसरी को 30 बेड-युक्त सैटेलाइट स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से पाली जिले की तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था जलदाय विभाग के अधीन करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, निवाई के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाने तथा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(11) डा. प्रेमचन्द बैरवा, सदस्य की ओर से दूदू एवं फागी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण गुर्जर, सदस्य की ओर से नसीराबाद में नवनिर्मित महाविद्यालय को शीघ्र संचालित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 22 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 30 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री फूलसिंह मीणा, यू आई टी पेरिफेरी एरिया व यू आई टी की बनी कालोनियों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में;

(2) श्रीमती शिमला बावरी, तृतीय श्रेणी पंजाबी विषय अध्यापकों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में;

(3) श्री रामलाल शर्मा, जयपुर जिला एवं चौमूं विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में डेयरी दूध संकलन केन्द्रों पर बी एम सी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में; एवं

(4) श्री नवनीत लाल, ग्राम पंचायत रोहनिया, पंचायत समिति पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ स्थित बूढन नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत ।

(अनुपस्थित)

श्री संजीव कुमार

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कृषकों को डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान राशि में वृद्धि

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 तक कृषि विभाग द्वारा कृषकों को 20 लाख लीटर क्षमता की पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर 3.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान राशि 3.00 लाख रुपये से घटाकर 2.09 लाख रुपये कर दी गई है। एक तरफ निर्माण सामग्री महंगी होती जा रही है, जिसके कारण डिग्गियों की लागत बढ़ रही है तथा दूसरी तरफ अनुदान कम कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों के लिए डिग्गी निर्माण अधिक महंगा हो गया है व लघु/सीमान्त/एस सी/एस टी वर्ग के कृषक डिग्गी निर्माण में पूर्णतया अक्षम हो गये हैं। इनके साथ ही बड़े कृषकों का रुझान भी कम हो गया है। इसके विपरीत, गत वर्षों में

(श्री संजीव कुमार)

पर्याप्त अनुदान होने के कारण प्रति वर्ष सभी वर्गों के सैकड़ों कृषक डिग्गी निर्माण कर सिंचाई जल का सदुपयोग करते थे।

महोदय, पर्याप्त अनुदान के अभाव में इस वर्ष डिग्गी निर्माण करने वाले कृषकों की संख्या नगण्य है। सिंचाई जल के अधिकतम सदुपयोग हेतु कृषकों के लिए डिग्गी निर्माण एक महत्वपूर्ण साधन है। गत वर्षों में बड़ी मुश्किल से कृषकों का रुझान डिग्गी निर्माण की ओर बढ़ा था। अनुदान कम किये जाने के कारण कृषक डिग्गी सिंचाई से विमुख होकर परम्परागत क्यारी विधि से सिंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई जल की बरबादी होगी, बुवाई क्षेत्रफल घटेगा एवं कृषि पैदावार में कमी आएगी।

अत: निवेदन है कि डिग्गी निर्माण की अनुदान राशि को बढ़ाकर किसानों को राहत पहुंचाने की कृपा करें जिससे किसानों का डिग्गी निर्माण की तरफ रुझान बढ़ने से पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सके।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर गोपाल जोशी।

बीकानेर क्षेत्र में गंगाशहर की डिस्पेंसरी का सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नयन

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपको जन्म दिन की बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत बीकानेर क्षेत्र में गंगाशहर क्षेत्र की डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा देने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र में गंगाशहर में एक डिस्पेंसरी है जिसमें निरन्तर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीकानेर पी बी एम अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों को गंगाशहर से पी बी एम अस्पताल जाने में अधिक समय लगता है। इस डिस्पेंसरी के अन्तर्गत गंगाशहर, भीनाशहर, किशमीदेसर, सुजानदेसर, गोपेश्वर बस्ती, आदि अनेक गांव व मोहल्ले आते हैं। आपातकालीन स्थिति में वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

आपके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र को अच्छा पैकेज देने एवं बीकानेर क्षेत्र की एक आवश्यक मांग को देखते हुए, बीकानेर के स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र को सही दिशा देने के उद्देश्य से हमने निरन्तर चार वर्षों से इसकी मांग की है, पर किन्हीं कारणों से गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा नहीं मिल सका है।

(श्री गोपाल कृष्ण)

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि बीकानेर व आसपास की जनता की भावना को देखते हुए इसी बजट सत्र में गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा देने की कृपा करेंगे तो बीकानेर की जनता आपका हार्दिक आभार और आपके शासनकाल को हमेशा के लिए याद रखेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू धानका।

दूबली ग्राम (बस्सी) के स्टोन क्रैशर के अवैध संचालन पर कार्यवाही

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम दूबली तहसील बस्सी में अवैध स्टोन क्रैशर का संचालन रोकने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम दूबली में काफी लम्बे समय से विशाल स्टोन क्रैशर अवैध रूप से चल रहा है। इस क्रैशर में आये-दिन दिल दहलाने वाली ब्लास्टिंग होती रहती है। ब्लास्टिंग की आवाज इतनी भयंकर होती है कि इससे गांव वालों में भय व्याप्त है। वे न तो दिन में चैन से, आराम से रह पाते हैं और न ही रात को चैन से सो पाते हैं। इस ब्लास्टिंग से आये-दिन जानवर मरते रहते हैं। इससे परेशान होकर आये-दिन गांव वालों ने थाने में कई बार शिकायतें भी की हैं और दो-तीन बार मुकदमे भी दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन एफ आई आर दर्ज नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब दिनांक 16.3.2015 को इस ब्लास्टिंग से श्री बाबूलाल शर्मा की एक भेड़ मर गई और दो बकरियों की टांगें टूट गईं। इसी तरह, कामदार माली की एक भेड़ मर गई। इससे नाराज होकर गांव वालों ने रास्ता जाम कर दिया। तब पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज किया। गांव वालों ने इसकी शिकायत तूंगा के एस एच ओ से की लेकिन लगता है कि विशाल स्टोन क्रैशर के मालिक के दबाव में, या उनकी पहुंच के कारण मामला बार-बार रफा-दफा कर दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एस एच ओ से शिकायत करने पर उलटा वह कहता है कि मरने दो, आपका मुआवजा मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आये-दिन होने वाली ब्लास्टिंग को बंद करायें और गांव वालों के हित में विशाल स्टोन क्रैशर को बंद कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

(अनुपस्थित)

श्री झाबर सिंह खर्रा।

(अनुपस्थित)

श्री जयराम जाटव।

अलवर ग्रामीण की ढाणियों का राजस्व ग्राम में अंकन

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में 158 ऐसी ढाणियां हैं जिनकी जनसंख्या 200 से 1,000 के समकक्ष है। ऐसी ढाणियों के नाम ग्राम पंचायतवार व पंचायत समितिवार अंकित कर जिला कलेक्ट्रेट, अलवर को भिजवाये गये थे।

ऐसी ढाणियां जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 से 2011 तक 500 से 1,000 के बीच है, उन ढाणियों को प्रशासनिक तौर पर तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कमेटी गठित कर हलका पटवारी के द्वारा रिपोर्ट मंगवाकर राजस्व गांव घोषित करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार से सूचनार्थ अनुमति लेकर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार राजस्व गांव अंकित कराये जाते हैं। क्षेत्र में 158 ढाणियां हैं जिनकी जनसंख्या 500 से 1,000 के बीच में है। अगर वे राजस्व गांव में होते तो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का विकास कार्य का लाभ मिलता, जो नहीं मिल पाया है। मैंने 15 जून, 2014 को जिला कलक्टर, अलवर को ढाणियों के नाम उनकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व तहसील अंकित कर दे दिये थे, परन्तु मुझे आज तक उक्त ढाणियों की सूचनार्थ रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अत: उक्त ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने हेतु जिला कलक्टर, अलवर को राज्य सरकार निर्देशित करे एवं उक्त ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने की कार्रवाई कर जिला कलक्टर, अलवर मुझे उस कार्रवाई की एक प्रतिलिपि दिलवाकर अवगत करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री नरपत सिंह राजवी। आप बोलेंगे, नरपत सिंहजी?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पांच मिनट में। अभी जस्ट पहुंचा हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा अच्छा, आपका बाद में ले लेते हैं।

श्री मदन राठौड़।

तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था का जलदाय विभाग द्वारा संचालन

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि राजस्थान के लगभग सभी स्थानीय निकायों की पेयजल व्यवस्था सरकार के जलदाय विभाग के अधीन है, लेकिन पाली जिले की तखतगढ़ नगरपालिका एक अपवाद है, जहां की पेयजल व्यवस्था जलदाय विभाग नहीं करता है। तखतगढ़ नगर की पेयजल व्यवस्था नगरपालिका को ही करनी पड़ रही है। यह वहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार है। नगरपालिका के पास न तो इंजीनियर्स हैं, न ही पूरे संसाधन हैं। यहां तक कि पानी के कुओं पर जो बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल की राशि का भुगतान भी सही समय पर नहीं हो पाता है। इसके कारण विद्युत विभाग वहां के विद्युत कनेक्शन भी काट देता है। अनेक बार तो विद्युत विभाग से वहां के जन-प्रतिनिधियों द्वारा निवेदन करके, या आगामी तारीख के चैक देकर भी, पुन: विद्युत कनेक्शन करवाये गये और जनता को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है।

जनता तो पानी के बिल की राशि जमा करवाती है, लेकिन जनता को समय पर पानी नहीं मिल पाता है। यही नहीं, वहां की जनता को आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है। सरकार तखतगढ़ का तालाब तो जवाई बांध के पानी से भरवाती है और तालाब के पास खुदे कुओं पर मोटरें लगवाकर वहां की नगरपालिका टंकियों में पानी चढ़ाकर जनता को पिलाती है। आश्चर्य तो यह है कि जवाई बांध का शुद्ध पानी, पाइपलाइन से तखतगढ़ के तालाब में डालते हैं और तालाब के पास खुदे कुएं से फ्लोराइड मिल जाता है और फ्लोराइडयुक्त पानी जनता को पिलाया जाता है।

वहां के जन-प्रतिनिधियों ने एवं जनता ने भी मांग की है कि वहां की पेयजल व्यवस्था जलदाय विभाग को अपने अधीन लेनी चाहिये। अत: सरकार यथाशीघ्र तखतगढ़ नगरपालिका की पेयजल व्यवस्था को अपने हाथ में ले और वहां की जनता को शुद्ध पेयजल समय पर उपलब्ध करवाये।

(श्री मदन राठौड़)

यह सही है कि राजस्थान की तत्कालीन भाजपा सरकार ने वर्ष 2003 से 2008 के कार्यकाल में तखतगढ़ नगरपालिका की पेयजल व्यवस्था सरकार के जलदाय विभाग को अपने अधीन लेने के निर्देश जारी किये थे, लेकिन सरकार बदलते ही निर्देश बदलकर तखतगढ़ की जनता के साथ धोखा किया गया और पेयजल व्यवस्था पुन: नगरपालिका को ही सौंप दी।

अत: अब निवेदन है कि तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में लेकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

निवाई के राजकीय महाविद्यालय में भवन निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण व रिक्त पदों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक 1457 दिनांक 4.3.2015 द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु कस्बा निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक में स्थित खसरा नम्बर 3503/4 में से 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबंटित की गई है। भवन निर्माण हेतु दिनांक 5 सितम्बर, 2014 को तीन करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है, किन्तु अभी तक भी इस महाविद्यालय के भवन का निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

उक्त महाविद्यालय वर्तमान में जिस भवन में चल रहा है, वह काफी पुराना व जर्जर है, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त भवन शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कतई उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के साथ स्टाफ को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में व्याख्याता (समाजशास्त्र) कार्यालय अधीक्षक, दो कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर के सभी पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तीन पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। इसके कारण महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(श्री हीरालाल)

अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क कर उक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में जो रिक्त पद हैं, उन्हें भी तत्काल भरा जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेम चन्द बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री नरपत सिंह राजवी। यह जो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िये। व्यवस्था अपनी यह है कि इसको पढ़ा जाए।

झोटवाड़ा (जयपुर) स्थित सिटी डिस्पेंसरी की सैटेलाइट स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पढ़ ही रहा हूं। व्यवस्था आपकी बनाये रखूंगा।

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान झोटवाड़ा क्षेत्र में स्थित सिटी डिस्पेंसरी को 30 बेडयुक्त सैटेलाइट स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की ओर आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि झोटवाड़ा क्षेत्र की लगभग पांच लाख जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने बाबत घोषणा करेंगे। इस बाबत मेरे द्वारा उस क्षेत्र की परिस्थिति से आपको तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं माननीय चिकित्सा मंत्री को भी पूर्व में पत्र द्वारा अवगत करा चुका हूं।

साथ ही बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007-08 में मुख्य सचिव स्तर की बैठक में कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई, जिसके फलस्वरूप 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं। झोटवाड़ा की सिटी डिस्पेंसरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्र.सं. 21 पर निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कांवटिया चिकित्सालय को दर्शाया गया, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है, जो 5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके उपरांत भी झोटवाड़ा सिटी डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

अत्यन्त खेद के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए भी अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्रमोन्नयन की बजटीय घोषणा आदेश की पालना नहीं की गयी है, जो कि खेदजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जाने बिना ही निर्णय लिया गया है जो सही नहीं है। यह निर्णय बिजनेस रूल्स की अवहेलना कर मंत्री स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सैटेलाइट हास्पिटल, बनीपार्क तथा कांवटिया अस्पताल की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर से अधिक नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि झोटवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा तो की गई, किन्तु क्रियान्वित नहीं की गई है।

यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी, श्री देवपुरा ने पंचायत समिति कार्यालय पर आधारशिला रखी, जिसका शिलालेख आज भी मौजूद है। पंचायत समिति, झोटवाड़ा के कार्यालय हेतु गोकुलपुरा में भूमि आबंटन होकर निर्माण भी पूर्ण हो चुका है।

आशा है, आप अनुपूरक मांग के समय घोषणा करेंगे। यही नहीं, इस घोषणा से शहरी क्षेत्र झोटवाड़ा एवं नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 5-6 लाख निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उक्त क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी। बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला। आपका नाम पुकारा, तब आप नहीं थीं, लेकिन अब आप दो-तीन मिनट अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल दीजिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बहरोड़ में डकैतों की लूटपाट व अलवर में धरनारत वकीलों पर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्यवाही

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, कार्य संचालन नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव मैंने लगाया था। वैसे इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है लेकिन आये-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं कि घर में रात के 10-11 बजे हथियारलैस लुटेरे घुस जाते हैं, परिवार को बंधक बना लेते हैं; उनकी आवाज सुनकर जब अड़ौस-पड़ौस वाले पुलिस में फोन कर देते हैं, सूचना कर देते हैं, वहां से 5-6 किलोमीटर दूर ही पुलिस थाना है, पर दो घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। तो मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि क्या यह पुलिस की निष्क्रियता नहीं है कि इतनी देर बाद जाए? उसके बाद भी वह गाड़ी हार्न बजाते हुए जाती है जिससे लुटेरे भाग जाएं। तो क्या यह यह नहीं दर्शाता कि यह पुलिस की शह है?

अलवर में जो वकीलों का धरना चल रहा है बहरोड़ तहसील में, वह एक महीने से चल रहा है, मंत्री महोदय से आकर भी डेलीगेशन मिला था और उसके बाद में वहां पर लाठी चार्ज होता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह अराजकता दर्शाता है।

श्री अध्यक्ष: पटरी से मत उतरिये आप। आपने जो सब्जेक्ट दिया है, उस पर बोलिये। खतम कीजिये, तीन मिनट हो गये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, मैंने यह लिखा है इसमें, दोनों चीजें लिखी हुई हैं और मैं पटरी से कभी नहीं उतरती। स्लिप कभी नहीं हुए। स्लिप आप हो सकते हों, हम नहीं होंगे। मैंने जो लिखा है उसमें एक वर्ड का भी फर्क नहीं होगा। इसके अलावा, वह तो 295 में होता है जिसमें लिखा हुआ बोलते हैं, पर इसमें आप बोल सकते हो।

गृह मंत्रीजी से पूछना चाहेंगे कि यह पुलिस की जो हठधर्मिता है, क्या आप पुलिस प्रशासन को निर्देश नहीं दे सकते, क्या आप उनको आदेश नहीं दे सकते हैं कि जनता की मांग पहले हो? जनता की सेवा के लिए पुलिस प्रशासन बनाया गया है, उसकी रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन बनाया गया है लेकिन उस पर कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन क्या काम करता है कि जो आदमी मोटरसाइकिल लेकर खेत पर शाम को काम करने के लिए जाता है, उसको पकड़ लेता है; जो ट्रैक्टर से अपनी फसल भरकर ला रहा है, उसको पकड़ लेता है। तो क्या ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है?

मंत्री महोदय वैसे तो कहते हैं कि बिलकुल ईमानदारी से, सच्चाई से करते हैं तो, साहब, इसकी भी जांच सच्चाई से करवाई जाए, चोरी की भी। इसके अलावा, यह वकीलों पर लाठी चार्ज क्यों करवाया गया, इसकी भी जांच करवायी जानी चाहिए। जो निर्दोषों को पकड़ कर शाम को ले जाते हैं; जो भी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जा रहा है, उसको पकड़कर चालान कर दिया जाता है जबकि उसके पास सारे कागज मौजूद हैं। तो ऐसी अव्यवस्था क्यों हो रही है? क्यों पुलिस प्रशासन लूज है? जब कोई दहेज हत्या का मामला हो गया, बलात्कार का हो गया, वह जांच कराने जाएंगे तो उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। मंत्री महोदय बता दें कि एक भी थाने पर कौन से दहेज के मामले का निस्तारण हुआ है? पिछले दिनों एक डेलीगेशन मैंने भी मिलवाया था जिसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पक्ष में आ चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगी कि मंत्री महोदय पुलिस प्रशासन को क्यों इतनी निष्क्रियता दे रहे हैं? धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं। नहीं, बिलकुल नहीं। ऐसे नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना मेरे यहां पर भी है, उसी दिन की घटना है। आधा मिनट दे दें कृपा करके, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना फिर। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, घटना 18 और 19 की रात्रि को जो लूट हुई थी, उसको लेकर थी लेकिन आपने बोलते-बोलते पूरा का पूरा अलवर ही रख दिया। अब इतनी तैयारी तो मैं करके नहीं आया हूं लेकिन फिर भी मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस ढंग से उस घर में नकाबपोश घुसे और जिस ढंग से उन्होंने सारे घर वालों को फायरिंग के आधार पर, भय के आधार पर काबू में किया और जितना भी उनके पास सोना, नकद पैसे लेकर, निश्चित रूप से भागे। जब ओमप्रकाश बचाने के लिए आया तो उसको भी एक गोली मारी। यह घटना हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। घटना की जानकारी जैसे यहां हुई, सेम ऐसा का ऐसा ही आपने देखा होगा कि भरतपुर के हलैना में भी इसी प्रकार की घटना हुई है। हमारी टीम लगी हुई है और इसको ढूंढ कर निकालेंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं।

पर यह बात सच है कि यह जो वकीलों का प्रदर्शन बहरोड़ में लम्बे समय से चल रहा था, वह जिस बात को लेकर चला, उस विषय की डिटेल में जाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनकी मांग यह थी कि वहां का जो सी.आई. है उसको हटाया जाए। जिस दिन यहां डेलीगेशन मुझे तीन तारीख को मिला, मैंने उसी दिन उसको वहां से हटा दिया, लेकिन जिद यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

थी कि आर्डर कर दें। मैंने उनको यह कहा था कि मैं आज ही इसको हटाकर जांच करा रहा हूं; अगर यह दोषी पाया जाएगा तो सज़ा भी दूंगा और हटाना भी तय है, लेकिन अगर यह निर्दोष पाया जाय तो मैं वापस वहीं लगाऊंगा। यह भी मैंने वकीलों को उनके सामने ही कहा था। मैंने कहा आपकी बात को। मैंने उस दिन उनको वहां से हटा दिया, लेकिन फिर भी वे इस बात पर अड़े रहे कि इसका ट्रांसफर आर्डर ही निकालो।

तो इसके कारण से थोड़ा विलम्ब होकर, जिस दिन का यह लाठी चार्ज का मामला है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने सम्भागीय आयुक्त को जांच दे दी है। मैं स्वयं इस बात को देख रहा हूं कि वास्तव में वहां वकीलों पर लाठी चार्ज करने की परिस्थितियां थीं, या नहीं थीं, और अगर वे कारण नहीं थे और उसके बाद भी जैसा लाठी चार्ज, वे कह रहे हैं, पुलिस की तरफ से कहते हैं, हमने कोई लाठी चार्ज नहीं किया; लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वे मौके पर मौजूद थे, उनका कहना था कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी के लिए मुख्य मंत्री के पास जब डेलीगेशन एम एल एज का गया तो उन्होंने सम्भागीय आयुक्त को जांच दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे एस पी हो, या कोई भी हो, अगर उसने अवहेलना की है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी; जांच से होगी, बिना जांच के नहीं।

लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इस एस पी के जाने के बाद, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हों कि आपके यहां क्राइम में काफी कमी आयी है। इस बात को मैं नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े इस बात को बता रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं उसको बचाना चाह रहा हूं, पर यह सही है कि उस आदमी ने जाने के बाद...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उसके जाने के बाद क्राइम बढ़ा है। 7 दिन में दो-दो मर्डर हो गये। अगर मर्डर का रिकार्ड उठाकर देखें तो अब ज्यादा हुआ है। लूट की घटनाएं भी अब ज्यादा हुई हैं, रिकार्ड देखो तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब मैं सीधा ही रिकार्ड रखता हूं आपके सामने। 2013 में जो हत्या की घटनाएं 115 हुईं, 2014 में 104 हुईं। हत्या का प्रयास 2013 में 85, उसकी जगह 64 हुए। बलात्कार की घटनाएं जो 2013 में 316 हुईं, वे 2014 में 299 हुईं। अपहरण में 363 हुईं, उसकी जगह अबकी बार 2014 में 10 बढ़ी हैं, 373 हुईं। (व्यवधान) एक सेकंड। मैंने अपने आप कोई आंकड़े तैयार नहीं किये। ये आंकड़े रिकार्ड से हैं और वह रिकार्ड की क्राइम रिपोर्ट आप स्वयं चाहो तो देख सकते हो, मंगा सकते हो, उसका आप विश्लेषण कर सकते हो।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

13 प्रतिशत 2013 की तुलना में 2014 में मुकदमे...(व्यवधान) इसी तरह आप देखोगे 2014 का, जो हमारा ही समय था, जनवरी और फरवरी दो महीने में जितने अपराध हुए, उतने इस 2015 में...; हत्या पहले हुई थीं, हमारे टाइम पर 19 हुई थीं, अभी केवल 14 हैं। हत्या का प्रयास पहले 6 था, उसकी जगह अबकी बार 9 है। बलात्कार पहले, हमारा ही टाइम था वह, 58 थी, अब घटकर 46 हुए। अपहरण दोनों बराबर हैं, 52 पहले भी थे, 52 आज भी हैं। डकैती कोई भी नहीं। लूट पहले 13 हुईं, अब 12 हैं। नकबजनी पहले 75 थीं, उसकी जगह इन दो महीने में केवल 30 हैं। चोरी की वारदातें 789 थीं, अभी केवल 464 हैं। अन्य सारे मिलाकर, जो पिछले दो महीने में, हमारे ही कार्यकाल में जनवरी व फरवरी 2014 में, 2,664 अपराध दर्ज हुए थे, अभी केवल 1,713 अपराध दर्ज हुए। अपराध घटे हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध घटने या न घटने के कारण से उसको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वह बहुत अच्छा काम रहा है, या नहीं कर रहा है। अगर उसने, वास्तव में, इस लाठी चार्ज में कहीं भी गलती हुई है तो मुख्य मंत्रीजी ने चलाकर ही सम्भागीय आयुक्त को जांच दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहकर यह नहीं कहना चाहता कि जो काम किया है, अच्छा काम किया। अपराध घटा है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो घटना, वकीलों पर जिस प्रकार के लाठी चार्ज की बात आयी है, उसके लिए पहले से ही, बिना आपके यहां प्रश्न उठाये, हमने जांच के आदेश दे दिये हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगर एस पी भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पर्ची के द्वारा। बैठिये। बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहती हूं, एक महीने से जो जांच हो रही है तो वह आज तक ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। पर्याप्त जवाब आ गया। पर्याप्त आ गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो वकीलों ने कहा, तो एक महीने से क्या उसकी जांच ही नहीं करायी? आये-दिन धमकी मिल रही है, फोन पर धमकी मिल रही है, डाक्टर को धमकी मिली है अलवर में। इनके यहां लूटपाट हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। विराजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर के वकीलों पर लाठी चार्ज करने वाले...(व्यवधान) वहां दो एफ आई आर दर्ज की हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह बात सही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आपस में बहस नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे मिनट का समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द मीणा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, वकीलों पर जो लाठी चार्ज हुआ है, कल की डेट में दो एफ आई आर दर्ज की हैं।

श्री अध्यक्ष: जांच हो गई ना। जांच हो जाएगी सब। विराजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उस पर माननीय गृह मंत्रीजी यह तो आदेश कर दें, उन पर कोई कार्यवाही नहीं करें, तब तक, जांच के दौरान।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं कर सकते। विराजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अगर वकीलों को उठाकर बंद कर देंगे, वहां तनाव हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री फूलचन्द मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, फिर फूलसिंह मीणा।

श्री अध्यक्ष: फूलसिंह मीणा। एक फूलचन्दजी गुर्जर पहले यहां विधायक थे, मुझे बार-बार उनकी याद आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चंद और सिंह में बहुत फर्क है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

उदयपुर ग्रामीण व आसपास की बस्तियों में पानी की समस्या

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची

(श्री फूलसिंह मीणा)

के माध्यम से बोलने का मौका मिला। मैंने पेरिफेरी एरिये के पानी के बारे में बोलने का रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने हमारे पेरिफेरी एरिये में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। इससे पहले हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी थीं और हमारी यू आई टी के चेयरमैन शिवकिशोर सनाढ्य साहब थे, उन्होंने दो टंकियों का बजट आबंटित किया था, एक प्रताप नगर और एक पुरोहितों की मांदड़ी में। हमारी जलदाय मंत्री भी, जब ये सांसद थीं, इन्होंने भी उन टंकियों के बारे में सिफारिश की थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरुणजी, आपस में चर्चा नहीं करें। (व्यवधान) अरुण चतुर्वेदीजी, यह ठीक नहीं है। आप इधर देखिए। आपस में चर्चा नहीं, माननीय विधायक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैंने बताया कि अभी जो मंत्री महोदया हैं, वे पहले सांसद थीं उस टाइम पर, इन्होंने दो टंकियों का आबंटन किया था। शिवकिशोर सनाढ्य साहब हमारे चेयरमैन थे। उन टंकियों के 96-96 लाख रुपये मंजूर हुए थे। बदकिस्मती से हमारी सरकार चली गयी और कांग्रेस सरकार आते ही पहले उन टंकियों की फाइलों का, कौन से अटाले में जमा की, उसका पता नहीं लगा।

यू आई टी कालोनियों में जो पहले पाइपलाइन बिछी हुई थीं, वे सीमेंट की पाइपलाइनें बिछी हुई थीं। सीमेंट के पाइप, चाहे वे वृक्षों की जड़ों से, या भारी गाड़ियों से, टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनमें पाइपलाइन डाले बिना प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। इसलिए वह पाइपलाइन डालने की भी मंजूरी होनी चाहिए।

साथ ही, पी एच ई डी के अन्दर इतना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये आपसी चर्चा नहीं करें। कृपया आपसी चर्चा नहीं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी एच ई डी के अन्दर अधिकारियों की इतनी लापरवाही है कि चाहे यू आई टी के पैसे हों, चाहे नगर निगम के पैसे हों, पैसे उनके खाते में डाल देते हैं, उसके बाद में भी पाइप आने में और काम चालू करने में एक-एक वर्ष बीत जाता है। इसलिए उनके पी एच ई डी के अधिकारियों को भी बताना चाहिए कि समय पर काम चालू हो। जनता को जवाब देना पड़ता है।

(श्री फूलसिंह मीणा)

साथ ही, कानपुर पंचायत से हमारे शहर को पानी पिलाने के लिए 9 बोर खोद गये हैं और वे कानपुर से होते हुए आ रहे हैं। फिर भी हमारा कानपुर प्यासा है। मैं मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि उस पाइपलाइन से हमारी कानपुर पंचायत को पानी बराबर मिले। साथ ही, वर्षों से बनी हुई टंकी जर्जर हालत में है। वह कभी भी नीचे आ सकती है। अधिकारियों से उसकी जांच करवाकर, चाहे रिपेयर हो, या दूसरा निर्माण कराना पड़े, करना चाहिए।

साथ ही, रामपुरा चौराहे के अन्दर अभी पी एच ई डी से पानी के लिए पाइपलाइन की जो कार्यवाही चल रही है, कुछ लाइनें बाकी हैं। तो उसमें भी पूरी लाइनें बिछवाने की कृपा करावें।

साथ ही, जो लीकेज हो जाता है, उसको ठीक करवाने में एक-एक महीना लग जाता है। कहते हैं, हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं। ठेके पर देते हैं, तो ठेके के मजदूर आते हैं, या नहीं आते हैं। जनता दुःखी होती है। एक बार पाइप फूट जाता है तो प्रेशर बिलकुल डाउन हो जाता है, पूरी की पूरी कालोनियां उससे प्रभावित होती हैं।

साथ ही, जो जमे हुए अधिकारी हैं, जब तक इनको इधर-उधर नहीं करेंगे, तब तक हमारे काम में प्रोग्रेस नहीं होगी।

साथ ही, एक हेल्पर की बात बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रमेश नागदा, फिटर प्रथम, ग्रामीण, गिर्वा में लगा हुआ था। वह ठेका भी लेता था किसी के माध्यम से और वह नौकरी भी करता था। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में कर रखा था। उसकी हमने डिजायर बनाकर उसका ट्रांसफर करवाया। वहां से हमने ट्रांसफर डायरेक्ट करवाया था। उसने यहां अधिकारियों से मिलीभगत करके यहां एप्लिकेशन लगाई। यहां अधिकारियों ने उसके अन्दर फेरबदल किया कि स्वेच्छा से ट्रांसफर हुआ। वह स्वेच्छा का नहीं था। फिर भी उसको स्वेच्छा का देकर उसको, आज भी हमारे डिपार्टमेंट के अन्दर वह बैठा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि ऐसे हेल्पर्स को, वह ए ईएन, जे ईएन का काम करता है, मैं यह नहीं कहता हूं जिले के बाहर करो, मगर ऐसे जमे हुए अधिकारियों को जब तक चेंज नहीं करेंगे, तब तक उनको काम करने की सुध नहीं बैठेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में भारी परेशानी है। अभी यू आई टी द्वारा मेगा

(श्री फूलसिंह मीणा)

आवास बेडवास योजना में लगभग 1,700 फ्लैट बन रहे हैं जिनमें सात-आठ हजार के करीब पब्लिक रहेगी। इस योजना का गत वर्ष में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भूमि पूजन किया है, जल्दी ही वह पूरी होगी, मगर इसकी अभी तक कोई पानी की योजना नहीं बनी है।

यही नहीं, हमारे वहां पर जो बरसों से बसी हुई कालोनियां हैं, जैसे दाऊजी की बावड़ी, सौभाग्य नगर, नाकोड़ा नगर-प्रथम, नाकोड़ा नगर-द्वितीय, नाकोड़ा नगर-तृतीय में पूर्व में रहने वाली जनता अभी से 300 से 500 रुपये में पानी का टैंकर डलवाकर अपना पानी का गुजारा कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस-बारह साल से ये कालोनियां बसी हुई हैं मगर इनके अन्दर आज दिन तक कोई योजना नहीं बनी है और यू आई टी की कन्वर्टेड कालोनियां हैं।

मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चाहे वह यू आई टी पैसे दे और चाहे अपने डिपार्टमेंट से दें, इस जनता को जब तक पानी नहीं मिलेगा तो वह जनता हमारे को वहां एरिया में जाने नहीं देगी। मुझे विश्वास है कि माननीया मंत्रीजी इसी बजट में इसकी सारी योजना बनाकर हमारी इस भोली-भाली गरीब जनता को पानी की व्यवस्था कराएंगी।

मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगी? श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर अपनी कही है, क्योंकि मैं उदयपुर से वाकिफ हूं, वहां पर नगर परिषद की चेयरमैन रही हूं, वहां की सांसद रही हूं, इसलिए यह जो इनकी बात इन्होंने कही है, वह बात तो सही है कि कालोनीज तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और पेयजल की सुविधा, सड़क की सुविधा, ये सारा जो काम हम लोगों को करना होता है उसमें कहीं कमी रहती है। लेकिन हम लोगों को इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आज शहर जो बसे हुए हैं और शहर के जो पेरिफेरी एरियाज जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं; कई प्राइवेट कालोनाइजर्स बढ़ा रहे हैं, सिर्फ 90-ए करवा लिया, 90-बी करवा लिया, कालोनीज बन गईं, परमिशन मिल गई, मकान बन गये; उसका कोई असेसमेंट नहीं है कि कितनी उसमें पानी की जरूरत होगी, कितने बड़े टैंक्स की जरूरत होगी, क्या उसकी पानी की आवश्यकता वहां के क्षेत्र के लोगों की होगी, कितनी बसावट वहां पर होगी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसके बारे में कोई असेसमेंट नहीं होता है। सिर्फ उनको यहां परमिशन हो जाती है और कालोनाइजर्स जो हैं अपनी कालोनीज काट लेते हैं।

जब कालोनाइजर्स कालोनी काटते हैं तो उसका एक डवलपमेंट चार्ज वे देते हैं सम्बन्धित डिपार्टमेंट को, चाहे वह जे डी ए हो, चाहे वे यू आई टीज हों। इनको ये डवलपमेंट चार्जेज देते हैं। जो डवलपमेंट चार्जेज दिया जाता है, उन डवलपमेंट चार्जेज में भी पेयजल को लेकर जो डवलपमेंट चार्जेज है, वह कहीं-कहीं तो होता ही नहीं है। बहुत सारी यू आई टीज में मैंने निकलवाया, तो वहां पर है भी नहीं, और कहीं है तो वह इतना है कि मात्र समझो, सात या आठ रुपया पर-स्क्वायर फीट, दस रुपया पर-स्क्वायर फीट, अपने लेवल के ऊपर उन्होंने निकाल रखा है। तो यह जो है वह इतना कम है जिससे कि आप पेयजल सुविधा दे ही नहीं सकते। वह डवलपमेंट चार्जेज जो लिया जाता है, वह एक डवलपमेंट का एक सांकेतिक कहना है कि बस, वह ले लिया हमने डवलपमेंट चार्जेज और उनको कालोनी की परमिशन हो जाती है, कालोनी में वे प्लाट्स काट देते हैं। प्लाट्स काटने के बाद जब लोग वहां आकर रहना शुरू कर देते हैं, तो जब रहना शुरू करते हैं तब उनकी सारी आवश्यकताएं, चाहे वह सड़क हो, चाहे गार्डन हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, इन सारी चीजों की प्राब्लम्स उनको क्रीएट होती हैं। उस समय हम लोग उनको देने में असमर्थ इसलिए होते हैं कि वह पैसा क्योंकि जमा नहीं है। यू आई टीज को जो डिपोजिट वर्क में पैसा देना है, यू आई टी भी उसके लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि वह कालोनी उन्होंने खुद ने नहीं काटी है। अब जहां यू आई टीज स्वयं कालोनीज काट रही हैं, जो यू आई टी खुद आक्शन कर रही हैं, उसका भी असेसमेंट यू आई टी करती नहीं है कि हमें पेयजल के लिए क्या करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात है, यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इससे बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य अफेक्ट होते हैं और बहुत सारी डिमाण्ड्स हमारे पास आती हैं।

हाउसिंग बोर्ड को अगर हम लोग लेते हैं तो हाउसिंग बोर्ड के अन्दर जब हाउसिंग बोर्ड का कोई एक प्लाट लिया जाता है, उस प्लाट में वे कहते हैं कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन होना है, इतने हमारे फ्लैट्स यहां हाउसिंग बोर्ड के बनेंगे, इस तरीके का विस्तार होगा। तो उसके लिए वे सारी चीजों को असेस करते हैं। वे पी एच ई डी को लिखकर के भेजते हैं कि हमारा यह इतना स्क्वायर फीट एरिया है जो हाउसिंग बोर्ड का है, यहां पर इतने हमारे फ्लैट्स

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बनेंगे, इतनी यहां आबादी होगी, उसके हिसाब से आप असेसमेंट करके दीजिए। पी एच ई डी उनको असेस करके देती है कि इतनी हमारी उसके अन्दर रिक्वायरमेंट होगी, यह टंकी बनेगी, यह पाइपलाइन का खर्चा आएगा। सब कुछ हम लोग एक एस्टिमेट बनाकर देते हैं। हाउसिंग बोर्ड उस एस्टिमेट के अनुसार पैसा जमा कराती है पी एच ई डी में और पी एच ई डी हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज के अन्दर पेयजल की सुविधा करती है। लेकिन यू आई टीज और जे डी ए जो हैं, वे अपने लेवल के ऊपर अपनी परमिशन दे देते हैं, कालोनीज बना लेते हैं। उसका कोई असेसमेंट पेयजल के बारे में वे पी एच ई डी से नहीं लेते हैं कि इस पर कितना खर्चा आएगा और इसके लिए हमें कितना पैसा पी एच ई डी को जमा कराना है।

ऐसी सारी स्थिति के अन्दर, अभी जो हमारी स्थिति है, यू आई टी उदयपुर को अगर हम लें, तो यू आई टी उदयपुर काफी काम सक्षम है और उन्होंने समय-समय पर डिपोजिट वर्क में काफी काम भी करवाये हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे प्रतापनगर के अन्दर, हमारी यू आई टी कालोनीज के अन्दर पेयजल की जो भी टंकियों के पैसे जमा हुए हैं, अगर उनके काम नहीं हुए हैं तो तुरन्त उनके काम करवा दिये जाएंगे।

इसके अलावा जितना भी डिपाजिट वर्क के अन्दर आया है, यह मैं मानती हूं कि पिछले एक साल से डिपोजिट वर्क में जो पैसा दिया गया है यू आई टी या नगर निगम के द्वारा पी एच ई डी को, हाल ही में, अभी एक महीने पहले मैंने मीटिंग करके और उस सारे काम को एक्सपीडाइट करवाया है और उसको तुरन्त गति देने के लिए कोशिश की है। अभी एल सी बी वहां पर जारी हो चुकी है पाइप्स की और तुरन्त उस काम को जो काम डिपोजिट वर्क में पी एच ई डी को दिया हुआ है नगर निगम या यू आई टी ने, उसको तुरन्त करवाने की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा, जो कालोनीज यू आई टी की हैं, जो प्राइवेट कालोनीज हैं, उनके बारे में भी कुछ न कुछ स्कीम यू आई टी को बनानी पड़ेगी। वह एस्टिमेट हमसे ले लें, हम एस्टिमेट्स देने को तैयार हैं। डिपोजिट वर्क के अन्दर ही ये सारे कार्य करवाये जा सकते हैं। माननीय अध्यक्षजी, यही मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

तृतीय श्रेणी पंजाबी विषय अध्यापकों के परीक्षा परिणाम की घोषणा

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् के माध्यम से तृतीय भाषा पंजाबी के अध्यापकों की भर्ती के लिए जिला परिषद् गंगानगर व हनुमानगढ़ द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें गंगानगर जिले में 136 व हनुमानगढ़ जिले में 85 पद पंजाबी विषय के अध्यापकों के लिए 2 जून, 2012 को परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें गंगानगर जिले में 1,231 व हनुमानगढ़ जिले में 486 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी विषय तृतीय भाषा के रूप में केवल गंगानगर व हनुमानगढ़ के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और इसी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं द्वारा रोजगार पाने के लिए आवेदन किया गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा परीक्षा रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसका आधार उन्होंने यह बताया कि 60 प्रश्नों में से 56 प्रश्न एक ही गाइड से आये हैं और मामला उच्च न्यायालय में चला गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में 9 नवम्बर, 2013 को फैसला किया गया कि सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त परीक्षा रिजल्ट जारी करे, परन्तु तत्कालीन सरकार द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाबी विषय के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए सरकार को कई बार ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को यथाशीघ्र परीक्षा रिजल्ट जारी करने के आदेश फरमावें, ताकि लगभग तीन वर्ष से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और यथाशीघ्र नियुक्ति मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने तृतीय श्रेणी भर्ती 2012 पंजाबी विषय के बारे में जिक्र किया है, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि गंगानगर में 113 पद और हनुमानगढ़ में 85 पदों के लिए

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विज्ञप्ति जारी की गई थी। परन्तु इसके अन्दर कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गये और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गये। सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी विचाराधीन है और उसमें स्टेटस-को का आर्डर चल रहा है। ज्यों ही स्टेटस-को का आर्डर, या कोई न कोई एस एल पी का निर्णय आएगा, निर्णय के बाद उसका परिणाम जारी किया जाएगा और परिणाम जारी करके इनको नियुक्तियां दी जाएंगी। जब तक एस एल पी का निर्णय नहीं आएगा, तब तक नियुक्तियां देना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं क्षेत्र में डेयरी दूध संकलन केन्द्रों पर बल्क मिल्क कूलर (बी एम सी) की व्यवस्था

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा दूध और सब्जी का उत्पादन होता है और एक दिन के अन्दर चौमूं विधान सभा क्षेत्र में 2 लाख 70 हजार लीटर दूध मात्र जयपुर डेयरी के अन्दर इकट्ठा करके और बेचा जाता है। उसके अलावा, विभिन्न एजेंसियां, चाहे रिलायंस की हो, चाहे अन्य दूध इकट्ठा करने वाली एजेंसी हों, उनके माध्यम से भी दूध का कलेक्शन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डेयरी सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है उस डेयरी के अन्दर दूध को ठंडा करने के लिए एक मशीन बी एम सी की उपलब्ध करायी जाती है लेकिन उस बी एम सी उपलब्ध कराने का कोई क्राइटेरिया इन्होंने तय नहीं कर रखा है। उस क्राइटेरिया के तहत इन्होंने यह भी तय नहीं कर रखा कि सबसे ज्यादा दुग्ध जहां इकट्ठा होता है, जिस डेयरी के ऊपर, वहां हम बी एम सी उपलब्ध करायेंगे। इन्होंने यह भी क्राइटेरिया तय नहीं कर रखा कि जिसके अन्दर भवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां हम बी एम सी उपलब्ध करायेंगे और यह क्राइटेरिया भी नहीं है कि जिस डेयरी में सबसे अधिक फंड है, उसके अन्दर हम बी एम सी उपलब्ध करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध का कलेक्शन किया जाता है, वहां

(श्री रामलाल शर्मा)

पर आज वे डेयरियां बी एम सी की सुविधा से वंचित हैं और कई ऐसी बी एम सी हैं, जहां पर दूध का कलेक्शन सबसे कम है, उसके बावजूद भी वहां बी एम सी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पूरे जयपुर जिले में एक मापदंड ऐसा तय करें जिसके तहत ये तीनों-चारों चीजें आप देख लें, जहां पर सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है; या कलेक्शन होता है, वहां पर आप बी एम सी की सुविधाएं उपलब्ध करायें; या उस जगह जहां पर डेयरी का जो लेन-देन है, सबसे अधिक है उस जगह आप बी एम सी को उपलब्ध कराने का काम करें, या एक क्राइटेरिया तय करने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग सौ डेयरियां हैं और सौ डेयरियों में मात्र 17-18 डेयरियों में बी एम सी की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले समय में, गर्मी की ऋतु आ रही है और ग्रीष्म ऋतु में दूध का सबसे अधिक नुकसान किसान को होता है, वह दूध फट जाता है। इसलिए अधिक से अधिक डेयरियों के अन्दर बी एम सी उपलब्ध करायें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा और मंत्री महोदय से निवेदन भी करूंगा कि आप कब तक उन डेयरियों के ऊपर बी एम सी की सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड कर रहे हैं क्या आप? माननीय मंत्री महोदय, सैनी साहब।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार ध्यान आकर्षित किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बल्क मिल्क कूलर, जयपुर में कुल पंजीकृत सोसाइटीज 1,682 हैं और चौमूं क्षेत्र में लगभग 200 सोसाइटीज दुग्ध उत्पादक पंजीकृत हैं। पूरे जयपुर डेयरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 300 बल्क मिल्क कूलर अभी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से चौमूं में दूध का उत्पादन अधिक होता है और अभी वर्तमान में वहां पर लगभग पचास बल्क मिल्क कूलर डेयरी के द्वारा स्वीकृत किये हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि बल्क मिल्क कूलर आबंटन करने की एक प्रक्रिया है, उसके नार्म्स बने हुए हैं ओर नार्म्स में एक जोन स्तर पर कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

रिकमंडेशन के आधार पर, फिर वहां का संचालक मंडल, इनकी अभिशंसा के बाद में ऐसे स्थानों पर ऐसी डेयरियों पर जहां पर दूध संकलन की मात्रा अधिक हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, भवन, आदि उनके पास उपलब्ध हों, समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और टैंकर जाने के लिए आवागमन के साधन हों, इन नार्म्स को ध्यान में रखते हुए नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत, या क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, इन तीनों सेन्ट्रल स्पोंसर्ड योजनाओं के अन्तर्गत बी एम सी लगाने के प्रोविजंस हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नेशनल डेयरी प्लांट प्रोजेक्ट में अनुदान मिलने के पश्चात, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, चौमूं क्षेत्र में जो निर्धारित मापदंड और पात्रता रखने वाली डेयरीज हैं, उनका परीक्षण करवाएंगे और जहां आवश्यकता होगी, उन पर लगाने के लिए निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि निर्धारित मापदंड प्राप्त नहीं होने पर भी कई जगह बी एम सी लगी हैं, इस सारे प्रकरण की मैं जांच कराऊंगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा; यदि निर्धारित मापदंड को छोड़ कर, पक्षपातपूर्ण कहीं भी बी एम सी इन्होंने लगायी है, तो उस पर मैं कार्यवाही भी कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल नीनामा।

पीपलखूंट पंचायत समिति (घाटोल) में बूढ़न नदी पर पुल का निर्माण

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपकी अनुमति से एक ऐसे क्षेत्र की जानकारी देना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो जन साधारण की पीड़ा के लिए यह देश की आजादी हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने लड़ी थी। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र घाटोल से आता हूं, वहां प्रतापगढ़ जिले की 18 ग्राम पंचायतें आती हैं और इसकी ग्राम पंचायत रोहणिया है जिसमें पांच गांव हैं, उन पांचों गांवों की जनसंख्या 4,539 है और वहां पर आवागमन बिलकुल रुका हुआ है। कारण कि मध्य प्रदेश से बहकर आने वाले बूढ़न नाम की नदी है, वह नदी ग्राम पंचायत रोहणिया को, पंचायत समिति पीपलखूंट और जिला प्रतापगढ़ से बिलकुल अलग करती है। बरसात के समय में रोहणिया ग्राम पंचायत की जनता, पंचायत समिति पीपलखूंट में आवागमन में वह एक अड़चन बनी हुई है। इसका यही मूल

(श्री नवनीत लाल)

कारण है कि वहां पर पेयजल की समस्या है। न तो वहां कोई अधिकारी पहुंचता है। विद्युत का अभाव है। माही डैम का बैकवाटर उस ग्राम पंचायत के गांवों में चौतरफ़ा भरा हुआ है, लेकिन विद्युत के अभाव में वहां का किसान पानी को देखता है लेकिन अपने खेत में पानी नहीं पिला सकता। अत: मेरा आग्रह है कि वहां विद्युत की व्यवस्था करायी जाए, ताकि सही ढंग से वहां का किसान खेती कर सके।

दूसरा यह है कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन सड़क के अभाव में, इस बूढन नदी पर पुल के अभाव में, शिक्षा से सम्बन्धित कोई अधिकारी, विकास अधिकारी या ऐसा अन्य कोई अधिकारी वहां जाने में असमर्थ है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए घोड़ीतेजपुर, यानी बांसवाड़ा जिले में

(12.00 बजे)

चक्कर काट कर, 20 किलोमीटर की दूरी का दौरा करके व्यक्ति रोहनिया में पहुंचता है। ऐसी स्थिति है। अत: मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह है कि उसका सर्वे करवाया जाकर बूढन नदी पर रोहनिया और पृथ्वीपुरा गांव के बीच में एक पुल का निर्माण कराया जाये ताकि रोहनिया गांव की जनता को वहां पंचायत समिति में आवागमन की व्यवस्था सही ढंग से हो सके। ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, अभी वर्तमान में जो पंचायत समिति का मुखिया है सरपंच, वह सरपंच पक्ष-विपक्ष के नाते उस गांव की सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने उस रोहनिया गांव का सर्वे किया, सभी व्यक्तियों से जानकारी ली, प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों से भी जानकारी ली तो वहां सरपंच इतना भेदभाव करता है। फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं; न विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, न सरपंच या पंचायत समिति के सचिव की कोई मोहर लगी हुई है। इस प्रकार फर्जीवाड़ा करके वहां राशन की सामग्री, शक्कर, गेहूं,,काले बाजार से बिकवा दी जाता हैं।

अत: मेरा आग्रह है कि मध्य प्रदेश से आने वाली बूढन नदी पर पुल का निर्माण कराया जाकर रोहनिया की ग्राम पंचायत की जनता को पीपलखूंट पंचायत समिति में आवागमन का रास्ता सही कराया जाये। यह मेरा आग्रह है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस ओर मुझे आश्वासन दें कि कब तक इस पर विचार होगा। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस ग्राम पंचायत रोहनिया की चर्चा की है, यह बात सही है कि पहले यह गांव बांसवाड़ा जिले में आता था और अब वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में आता है और इनकी पंचायत समिति पीपलखूंट भी प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। यह नदी क्रोस करके इस गांव के निवासियों को, लगभग चार गांव इस पंचायत में आते हैं, उन सभी को इधर आना पड़ता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 41 किलोमीटर का चक्कर लगाकर, यानी 20 किलो मीटर का इनका एक्स्ट्रा चक्कर हो जाता है। टोटल 41 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अपनी पंचायत समिति में पहुंचते हैं।

माननीय सदस्य ने पहले भी सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम में यह समस्या रखी थी। उस समय हमने इसका एस्टिमेट भी बनवाया था। लगभग साढ़े पांच करोड रुपये की लागत से यह पुल अनुमानत: बनेगा। टी ए डी डिपार्टमेंट ने भी इसको देखा लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल को टर्नडाउन कर दिया।

अब इस पर विचार करेंगे, इनकी समस्या जेन्यूइन है। इस पर विचार करके, जब भी धन की उपलब्धता होगी, इसका निर्माण करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जगदीश नारायण।

याचिका

जगतसर उर्फ रिक्शया ग्राम (जमवारामगढ़) में नलकूप मय उच्च जलाशय टंकी की स्थापना

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं,

(श्री जगदीश नारायण)

आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्राम जगतसर उर्फ रिक्शया, ग्राम पंचायत फूटोलाव, तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर) में नलकूप मय उच्च जलाशय पानी की टंकी के निर्माण कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी।

सीकर शहर में सीवरेज एवं ड्रेनेज का निर्माण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सीकर शहर में सीवरेज एवं ड्रेनेज के निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में स्वीकृत सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण किया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकृत सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

राजकीय महाविद्यालय, कोटा में भूगर्भ शास्त्र विषय खोला जाना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय महाविद्यालय, कोटा में भूगर्भ शास्त्र विषय खुलवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बानसूर, जिला-अलवर में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल।

निवाई शहर में सदर थाना व चौकियां खोली जाना

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निवाई शहर में सदर थाना व चौकियां खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

(अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री गोतम कुमार।

डूगला उपखण्ड (चित्तौड़गढ़) में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपखण्ड डूगला (जिला चित्तौड़गढ़) पर 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

झालामण्ड (जोधपुर) में सैटेलाइट हास्पिटल खोला जाना

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जोधपुर स्थित झालामण्ड के आस-पास विशाल कालोनियों के स्थापित होने के बावजूद भी कोई सैटेलाइट अस्पताल नहीं होने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 । श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 । श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अतिरेक मांगें वर्ष 2010-2011 एवं अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-2015 पर मतदान एवं पारण। यह मुखबंद के आधार पर किया जायेगा।

मुखबंद

अतिरेक मांगों (वर्ष 2010-11) का पारण

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 2,15,69,325/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पच्चीस) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27–पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,69,53,452/- (पन्द्रह करोड़ उनहत्तर लाख तिरपन हजार चार सौ बावन) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,10,903/- (एक करोड़ नब्बे लाख दस हजार नौ सौ तीन) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,398/- (एक लाख तीन हजार तीन सौ अठानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2014-15) का पारण

मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,97,92,000/- (दो करोड़ सतानवे लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3–सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3– सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4–जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4– जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,52,97,000/- (छह करोड़ बावन लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6– न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,06,80,000/- (नौ करोड़ छह लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,41,46,000/- (दो करोड़ इक्तालीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8–राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,41,07,000/- (छह करोड़ इकतालीस लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9–वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,91,84,91,000/- (एक अरब इक्यानवे करोड़ चौरासी लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12–अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 – अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,12,66,000/- (तिहत्तर करोड़ बारह लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,99,03,000/- (एक अरब अठावन करोड़ निन्यानवे लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15–पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15–पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,58,11,12,000/- (आठ अरब अठावन करोड़ ग्यारह लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16–पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,18,22,15,000/- (तीन अरब अठारह करोड़ बाइस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17–कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,00,70,000/- (तेइस करोड़ सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,71,38,000/- (सात करोड़ इकहत्तर लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,05,98,000/- (आठ करोड़ पांच लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,51,94,000/- (पचहत्तर करोड़ इक्यावन लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,00,00,000/- (तीन अरब) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/- (पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 27–पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,96,73,89,000/- (तीन अरब छियानवे करोड़ तिहत्तर लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,51,94,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,25,54,86,000/- (चार अरब पच्चीस करोड़ चौवन लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,22,57,000/- (बयालीस करोड़ बाइस लाख सतावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,36,77,45,000/- (दो अरब छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,72,97,35,000/- (दो अरब बहत्तर करोड़ सतानवे लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,92,93,000/- (सतावन करोड़ बानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,97,16,000/- (एक अरब तिरपन करोड़ सतानवे लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,000/- (बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,30,000/- (पैंतीस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,96,66,000/- (छह करोड़ छियानवे लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,03,01,000/- (अट्ठाइस करोड़ तीन लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,56,000/- (नौ लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,84,77,000/- (सतासी करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,36,57,76,000/- (तीन अरब छत्तीस करोड़ सतावन लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कोई रह तो नहीं गई। आपने चैक कर लिया ना सारा। ठीक-ठीक। पूछ लें, कोई गलती हो गई हो तो सुधार लें। कोई कागज चूक गया हो, कहीं चिपका रह गया हो। कागजों की प्रवृति है। (व्यवधान)

विधायी कार्य। राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 . श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब इसको विचारार्थ लिए जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक,2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलने का सवाल ही नहीं है। संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार।

खंड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

अब आपका दूसरा है- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव कीजिए।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार।

खंड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत पारित करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलने वाला नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

अब आज की द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजपाल सिंह शेखावत प्रस्ताव करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह एक और रह गया, साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौनसा रह गया?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो रखने थे न?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह ही तो है। यह तो मांग का है।

श्री अध्यक्ष: मांग का है अब तो। विनियोग विधेयक तो पारित हो गये। अब इनकी आज की वह चलेगी कार्यवाही।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,71,53,22,000/- (सैंतीस अरब इकहत्तर करोड़ तिरेपन लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

दूसरा भी कर दूं, साहब?

श्री अध्यक्ष: हां, दूसरा भी कर दो आप।

मांग संख्या 20–आवास की प्रस्तुति

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 – आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,56,43,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ छप्पन लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 20 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक परनामी आज की बहस को प्रारम्भ करेंगे। श्री अशोक परनामी।

(अनुपस्थित)

श्री जोगाराम पटेल।

मांग संख्या-29 व 20 पर विचार

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में, या यूं कहूं कि इस पवित्र सदन में सबसे पहले मैं उस परम पिता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आज नव-रात्रि के दिनों में, आपके इस जन्म दिन के शुभ अवसर पर, रविवार को यह कार्यवाही चल रही है और मेरी शुभ-कामनाएं लेने के साथ ही आप...(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): शुभ-कामना ले लो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(12.35 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: Please carry on.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत-बहुत आपको शुभ-कामनाएं। बाबा रामदेव आपको सौ साल की उम्र करें। एक साल में आपके दिन हों हजारों साल।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उम्र मत कहो, कितनी करें, वह कहो। उम्र की बात मत करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास एवं मांग संख्या 20 – आवास के सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, अन्य मांगों के साथ ही साथ, सभी मांगों का अपना-अपना महत्व है परन्तु आज वाली जो मांगें हैं, उनका विशेष महत्व है। किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का विकास जितना ग्रामीण क्षेत्र का होना आवश्यक है, उतना ही शहरी क्षेत्र का भी होना बहुत आवश्यक है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम अगर नजर डालें तो हमारा राजस्थान एक विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। अनेक प्रकार की बोलियां, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रदेश में हैं। जयपुर जैसा इंटरनेशनल शहर भी है, तो राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी का शहर भी है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में और जिन आर्थिक विशेष परिस्थितियों में दिसम्बर, 2013 को राजस्थान का यह प्रशासनिक ढांचा, राजस्थान की सरकार का वित्तीय प्रबंधन जो पिछली सरकार का रहा, उन हालात में मिला। राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्री ने जिस प्रचंड बहुमत के साथ जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, उसको ध्यान में रखते हुए हम सबने परम-आदरणीया राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में...; राजस्थान की जनता ने जिस सद्‌भावना से विकास के संकल्प को, 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को ध्यान में रखते हुए न केवल प्रचंड बहुमत दिया, बल्कि यह आशीर्वाद भी दिया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे वित्तीय कु-प्रबंधन हो, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो, समग्र विकास नहीं हो, उन सब बातों के आधार पर उनको सेवा का मौका नहीं दिया और उन्हें नकार दिया।

अनेक बार इस विधान सभा में चाहे राजस्थान की विधान सभा के चुनाव हों, चाहे लोक सभा के चुनाव हों, चाहे नगरपालिकाओं या पंचायतों के चुनाव हो, इनकी बातें हो चुकी हैं, उन सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना जरूर है कि राजस्थान की वर्तमान मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने कुल 15 महीनों में राजस्थान के समग्र विकास की दृष्टि से सार्थक प्रयास प्रारम्भ किये हैं और धीरे-धीरे उनका असर भी आने लगा है। जिस जिम्मेदारी से जनादेश मिला था, उस जिम्मेदारी को पूरी गम्भीरता से लेते हुए जनता की बढ़ी हुई आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य प्रारम्भ किये हैं। विकास के ठोस प्रबन्ध हो, विकास समग्र जनता का हो और जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा, 'सबका साथ, सबका विकास' को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने एवं प्रदेश के समग्र विकास के संकल्पों को पूरा करने के लिये पूरे मनोयोग से हमारे मंत्रिमण्डल के सभी वरिष्ठ लोग, साथी लोग माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में जुटे हुए हैं।

आप याद करें, एक काल खण्ड आया राजस्थान की सरकार का 2009 से 2013 के बीच का, उस काल खण्ड में कैसा वित्तीय कुप्रबन्धन रहा, या वित्तीय प्रबन्धन रहा, किन-किन योजनाओं का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन धरातल पर कैसे हुए, यह सभी आपके सामने है। बजट भाषण के दौरान, महामहिम गवर्नर

(श्री जोगाराम पटेल)

के अभिभाषण के दौरान ये सारे तथ्य आपके सामने आ चुके हैं। मैं उन सबको नहीं दोहराऊंगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, जिस गम्भीर वित्तीय स्थिति के तहत राजस्थान का मौजूदा प्रशासन मिला, राजस्थान में मौजूदा सत्ता मिली, उस सब में यह आज की जो मांगें हैं, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 20 सबसे महत्वपूर्ण हैं और मैं परमपिता परमेश्वर से यह भी आराधना करूंगा कि माननीय वसुन्धराजी को और हमारे मंत्रीजी को वह शक्ति दें कि पूर्व के रहे अकुशल वित्तीय प्रबन्धन से निकालकर, राजस्थान की जनता की अपेक्षा के अनुसार राजस्थान की आम अवाम की अपेक्षा के अनुसार पुन: कुशल वित्तीय प्रबन्धन कर एक ऐसा आयाम कायम करे, विकास के ऐसे आयाम कायम करें और हमारी कोई भी नगरपालिका हो, चाहे हमारा आवासन मण्डल हो, चाहे हमारा कोई नगर निकाय हो, नगर परिषद हो, नगरपालिका हो, नगर निगम हो, या और कोई भी प्राधिकरण हो, उन सब में वित्तीय कुशल प्रबन्धन के साथ उनका विकास हो।

माननीय सभापति महोदय, विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह एक दिन में या दो दिन में होने वाला नहीं है। अनेक प्रयास करने के उपरान्त, निरन्तर कार्य करने के उपरान्त, निरन्तर प्रक्रिया के तहत यह पूर्ण होने वाला है। माननीय वसुन्धराजी ने प्रारम्भ में यह कहा था और उन्होंने सेवा का मौका प्राप्त होते ही एक विजन 2022 दिया था। विजन 2022 था, उसमें पहला उनका जो मोटो है और जो बेसेज है उनका, A healthy, educated, gender sensitive, prosperous and smiling Rajasthan with well developed economic infrastructure की कल्पना के साथ उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया है। हम सबका दायित्व है कि हम इस परिकल्पना के साथ 'A healthy, educated, gender sensitive, prosperous and smiling Rajasthan with well developed economic infrastructure.' के साथ हम आगे बढ़ें और इसी भावना के साथ राजस्थान की सरकार कार्य कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अनेक नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं। जहां जयपुर का नगर निगम है, वहां जोधपुर का भी नगर निगम है और वर्तमान में आप देखेंगे तो प्रदेश के 184 स्थानीय निकायों में से 182 के मास्टर प्लान करीब-करीब बनकर तैयार हो गये हैं और अनुमोदित भी हो गये हैं। इतना ही नहीं, एक लम्बे समय से, मैं जब से जयपुर आने लगा हूं, पृथ्वीराज नगर योजना का किसी न किसी रूप में कोई न कोई विवाद यहां उठता रहता था; कभी पक्ष की ओर से, कभी

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रतिपक्ष की ओर से इस पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में वाद और विवाद होते रहते थे, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे मंत्रीजी को कि इतने वर्षों से विचाराधीन विवाद वाली स्कीम को बहुत सरलता से सबको साथ लेकर, सबकी मंशा अनुसार, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इस पृथ्वीराज नगर योजना का सम्पूर्ण विकास करने के सम्बन्ध में इसका सरलीकरण किया, इसका निपटारा किया और जनता की अपेक्षा, जिनके पट्टे देने हैं, चाहे और उनकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए मैं मेरी ओर से आभार भी व्यक्त करूंगा मंत्रीजी का कि इस पृथ्वीराज नगर योजना में वे पूरी रुचि ले रहे हैं।

दूसरा बहुत बड़ा विषय था जयपुर की रिंग रोड का भी और इस जयपुर की रिंग रोड का विषय भी लम्बे समय से विचाराधीन था। यह वर्तमान में इंटरनेशनल सिटी बनने जा रही है। दिल्ली से नजदीक है। अनेक तरह के, ट्यूरिज्म के पाइंट को लेकर पिंक सिटी के नाम को लेकर और अन्य तरह से जो देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, उस दृष्टि से लेकर, अन्य देशी और विदेशी जो राजनयिक आते हैं, उस दृष्टि से लेकर यह बहुत आवश्यक था। दिनों-दिन जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। इन सबको ध्यान में रखकर जयपुर की रिंग रोड का विषय भी आदरणीय मंत्रीजी ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसको निपटाया। इसीलिये मैं आभार व्यक्त करूंगा और परमपिता परमेश्वर से आराधना करूंगा कि आपको वे शक्ति दें कि आप इस रिंग रोड की योजना को समयबद्धता के साथ, जनता की अपेक्षा के अनुसार, निश्चित समयावधि के अन्दर पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के पूर्व में भी अनेक बार चुनाव हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, यह लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन दृढ संकल्प जहां होता है, वहीं कार्य होता है और दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, चाहे वह अध्यक्ष है, वह सभापति है, उनके चुनाव करवाये। जनता ने इसमें पूरा साथ दिया। नगरपालिकाओं के चुनाव में दो-तिहाई बहुमत देकर के जता दिया कि इनकी योजनाएं, इनकी मन:स्थिति, इनकी भावनाएं शुद्ध हैं, सार्थक हैं, विकास के विजन के साथ हैं। इसीलिए इस मामले में भी पहली बार जो पूर्व में चुनाव होते थे, उसी तरह चुनाव कराने का निर्णय लिया।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शहरी विकास को लेकर अनेक तरह की

(श्री जोगाराम पटेल)

योजनाएं प्रारम्भ कीं, जिनका उल्लेख हमारे बजट भाषण में भी आया है, महामहिम के अभिभाषण में भी आया है, उन सबको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं पुन: विशेष रूप से आपसे निवेदन करूंगा जोधपुर नगर निगम और जोधपुर जे डी ए के बारे में। राजस्थान का सबसे द्वितीय बड़ा शहर है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, सामरिक दृष्टि से भी उसका एक अलग अस्तित्व और महत्व है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्डर लगता है तो वह जोधपुर में लगता है। सन् 1965 का ले लें, सन् 1970 का ले लें और भी ले लें वह युद्ध भी झेल चुका है, बम भी सबसे अधिक उसी ने देखे हैं। अगर पोकरण का धमाका भी हुआ है, तो वह भी जोधपुर के क्षेत्र में ही हुआ है। इसीलिए जोधपुर का अपना एक अलग महत्व है। मैं इतना भी निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान के अनेक प्रदेशों में विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर और अधिकतम संख्या में विदेशी पर्यटक जोधपुर होते हुए जैसलमेर भी जाते हैं। इस दृष्टि से उसका अलग महत्व है।

वर्तमान में जोधपुर में एयर-कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उसके विकास में एक बहुत भारी बाधा बनी हुई है। आप याद करें, अभी वर्तमान में जैसलमेर-बाड़मेर में सबसे अधिक अगर कहीं मिलता है, वह जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमारा जिप्सम है, हमारा कोयला है, वह सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में मिलता है। उसकी वजह से अनेक कम्पनियों के बड़े-बड़े आफिसर, देशी और विदेशी अनेक तरह के आफिसर्स और लोग, रिसर्च करने वाले लोग, अनेक तरह की सम्भावनाओं को तलाशते हुए कम्पनियों के लोग रोज आते हैं, लेकिन एयर-कनेक्टिविटी नहीं होने से उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, ट्यूरिज्म, जो हिन्दुस्तान का एक आय का बढ़िया स्रोत है और राजस्थान की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वह ट्यूरिज्म भी एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से, जोधपुर-जैसलमेर और उस एरिये से वंचित रह जाते हैं।

अभी जो जोधपुर का एयरपोर्ट है, वह मात्र 12 एकड़ में बना हुआ है और 12 एकड़ में बनने के बावजूद भी वहां सिर्फ 3 विमानों की पार्किंग हो सकती है और 150 यात्री ही रह सकते हैं। पिछले लम्बे समय से इस एयरपोर्ट के विस्तार का विषय चल रहा है। मैं कह सकता हूं इस विधान सभा के पवित्र सदन में कि हमारे जोधपुर के जाये-जन्मे, उसी एयरपोर्ट के पढ़े, वही रहे, बचपन

(श्री जोगाराम पटेल)

से खेलकर बड़े होने के बावजूद भी, हमारे पूर्व के सदन के नेता, पूर्व मुख्य मंत्री, इस विस्तार को लेकर गम्भीरता से कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया और कोई भी कार्य नहीं कर पाये। अगर वे गम्भीरता से प्रयास करते और ले सकते थे, तो उनकी चाहे प्रदेश में है, चाहे केन्द्र में, सरकार उनकी थी; इस जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर वे कार्य कर सकते थे, यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी मंशा में था कि नहीं था, लेकिन ग्राउण्ड पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज भी जोधपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं होने से, उसका विस्तार नहीं होने से, सबसे ज्यादा अगर कोई भयंकर ट्यूरिज्म को लोस हो रहा है, राजस्थान को लोस हो रहा है, तो वह एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 37 एकड़ जमीन की दरकार है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस ओर थोड़ा विशेष ध्यान देवें। 37 एकड़ जमीन, जो बार-बार विवाद चल रहा है, अब जमीन की उपलब्धता का विवाद नहीं है, सिर्फ जमीन की प्राइस को लेकर के विवाद है। एक तरफ जमीन की रिजर्व प्राइस मांगी जा रही है और दूसरी तरफ जमीन की रिजर्व प्राइस नहीं देने के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। इस विवाद को अगर आप निपटा दें और 37 एकड़ जमीन अगर जोधपुर सिविल एयरपोर्ट को मिल जावे, तो वहां पर 15-20 साल तक चलने वाली जो एयर कनेक्टिविटी है, उसका आराम से विस्तार हो जाएगा और सुविधा मिल जाएगी। यह 37 एकड़ जमीन उसके पास ही उपलब्ध है, अगर वह मिल जाती है, तब वहां 15 विमान आराम से खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं और कम से कम, एट लीस्ट 500 से 700 जो यात्री गण हैं उनको भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसलिए मेरा सबसे पहले निवेदन, माननीय मंत्रीजी, आपसे है कि जोधपुर के लिए इस एयर कनेक्टिविटी को आप प्राथमिकता से लें। इसको प्राथमिकता से लेंगे तो राजस्थान को फायदा होगा, और राजस्थान को फायदा होगा तो भारत को फायदा होगा।

जैसा अभी मैंने आपको बताया, उसके अलावा इसका महत्व यह भी है, चूंकि वह राजस्थान की न्यायिक राजधानी है, जोधपुर के माननीय न्यायाधीश, चाहे अपेक्स कोर्ट में हों या राजस्थान हाई कोर्ट में हों, जोधपुर के जाये-जनमे एक साथ चार न्यायाधीश भी अपेक्स कोर्ट में रहे हैं और अगर वे दिल्ली में रहते हैं तो जोधपुर आना पड़ता है, दूसरे अनेक ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनमें भी अनेक हमारे न्यायाधीशगण भी आते हैं और वे जब-जब भी आते हैं,

(श्री जोगाराम पटेल)

तब-तब एक बात का ओळमा देकर जरूर जाते हैं कि हमको एयर कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इसलिए आने में बहुत समय बरबाद होता है। मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि इस बारे में आप गम्भीरता से विचार करें; विचार करने के उपरान्त जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को अगर आप सुधार देंगे तो जोधपुर की जनता आपको हमेशा धन्यवाद ही नहीं देगी लेकिन साथ-ही-साथ आपकी आभारी भी रहेगी क्योंकि जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी से ही हमारे जोधपुर की जिसको लाइफलाइन कहते हैं, वह लाइफलाइन जुड़ी हुई है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, 37 एकड़ जमीन तैयार है, पेमेंट करवाना, पेमेंट करवाने के बाद, बाकी सारा प्लान तैयार है। पहला मेरा निवेदन यह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से दूसरा निवेदन भी करना चाहूंगा।

श्री सभापति: जल्दी करें आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जल्दी ही करूंगा।

जोधपुर का जोधपुर विकास प्राधिकरण है, उसकी स्थिति को भी बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। इस सदन में मैंने अनेक बार आपसे निवेदन भी किया और आप पूरी तरह से वाकिफ भी हैं और इस सम्बन्ध में गम्भीर भी हैं लेकिन फिर भी अभी यथोचित परिणाम नहीं मिले हैं। जोधपुर का जो जे.डी.ए. है, जिस भावना से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 31 अगस्त, 2008 को इस जे.डी.ए. की स्थापना की थी, और उनकी यह भावना थी कि जोधपुर का ऐसा डवलपमेंट हो, जोधपुर का एक ऐसा विकास हो, जोधपुर का हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, विदेश के परिप्रेक्ष्य में, देश और प्रदेश में एक ऐसा महत्व कायम हो, और समग्र डवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की गयी थी, परन्तु जिस भावना से इसकी स्थापना की, उसका कोई प्रतिफल अभी जोधपुर को नहीं मिला है।

इतना ही नहीं, जाते-जाते जोधपुर विकास प्राधिकरण का एक्ट भी बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गयीं लेकिन उसके बावजूद भी जोधपुर का जो मास्टर प्लान बनना था, वह मास्टर प्लान नहीं बन पाया। आज दिन तक मास्टर प्लान को लेकर के अनेक तरह की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं हुईं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश हुए, अनेक जन-प्रतिनिधियों ने दरख्वास्तें दीं, रिप्रजेंटेशन दिये, पर्सनल मिलकर के रिक्वैस्ट की, उसके बावजूद भी मास्टर प्लान प्रिपेयर होकर आपके मार्फत, आपके विभाग

(श्री जोगाराम पटेल)

द्वारा अनुमोदित नहीं होने की वजह से विकास के सारे के सारे कार्य रुके हुए हैं और इसकी डेट जो दी गयी है, वह डेट भी निकल चुकी है। मुझे यह भी पता चला है कि आपने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये हैं लेकिन उन सबके बावजूद भी आज भी जोधपुर का मास्टर प्लान बनकर तैयार नहीं हुआ है। बिना मास्टर प्लान बने जो योजनाएं होती हैं, आप वाकिफ हैं कि वे योजनाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं। इसमें 235 गांव सम्मिलित थे, उन गांवों का डवलपमेंट कैसे होगा? यह भी एक बहुत विचित्र स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखें कि जोधपुर जे.डी.ए. का सबसे अधिक क्षेत्र जो होता है, वह मेरा लूणी विधान सभा क्षेत्र है और लूणी विधान सभा क्षेत्र की जितनी जमीन थी, वह पूरी की पूरी जमीन जे.डी.ए. के अन्दर आ गयी है। जे.डी.ए. के अन्दर आने से अब न तो ग्राम पंचायतें उसका विकास कर सकती हैं और न ग्राम पंचायतों के पास कोई पावर ही रहे हैं। उसके बावजूद भी जे.डी.ए. द्वारा समय पर कार्य नहीं करने के कारण हमारा पूरा विकास रुका हुआ है। आप देखें कि 6,346 बीघा जमीन आगोर की, 8,694 जमीन गोचर की, 4,228 जमीन ओरण की, 1,396 बीघा जमीन नाड़ी की और 757 बीघा तालाब की, यह लूणी तहसील की सारी की सारी जमीन है, इस विधान सभा क्षेत्र की, वह जे.डी.ए. में आ गयी। इसी तरह बिलाड़ा तहसील की भी, मैं अलग-अलग गिनाऊं, तो करीब दो-तीन हजार बीघा जमीन जे.डी.ए. में समाहित हो गयी। इसके बदले जे.डी.ए. ने चाहे विधान सभा क्षेत्र लूणी हो, चाहे भोपालगढ़ हो, चाहे ओसियां हो और चाहे जोधपुर की तीनों विधान सभा क्षेत्र, उनको भी नहीं मिला। आज की तारीख में अगर शहर में जाते हैं तो देखते हैं, जैसे इस सदन में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी पीड़ा रखी कि जोधपुर को कुछ नहीं मिला; जोधपुर की सड़कों को देख लें, जोधपुर की सीवरेज लाइन को देख लें, जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को देख लें, इसके बावजूद भी नहीं मिला।

इसीलिए मेरा पहला निवेदन आपसे है कि जोधपुर की जो अनुमानित आय थी, वह घट कर के बहुत कम रह गयी, 6 परसेंट रह गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बीस मिनट होने जा रहे हैं। प्लीज।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पांच मिनट में पूरा करूंगा। पहला ओपनिंग है, पांच मिनट में।

(श्री जोगाराम पटेल)

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि आप कोई ऐसा स्पेशल पैकेज दें। एक बार आप हिम्मत करके एक इतिहास कायम करें, जोधपुर के डवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। आप यह कहेंगे कि अपने रिसोर्सेज से इन्कम करो, अपनी प्रोपर्टी को बेच कर इन्कम करो, और तरीके से इन्कम करो, लेकिन अभी सम्भावनाएं नहीं हैं। अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और देश-विदेश के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से प्रोपर्टीज के भाव देखते हैं, उसका कोई वाजिब मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से यह अखबारों में आया हुआ है, आप सभी वाकिफ हैं, 1,540 का घोटाला है, 1,540 करोड़ का घाटा है, वह पूरा नहीं हो सकता, जब तक राजस्थान की सरकार कोई न कोई ऐसा स्पेशल पैकेज देकर के उन स्वायत्तशासी संस्थाओं को चाहे जोधपुर नगर निगम है, चाहे जोधपुर विकास प्राधिकरण है, जब तक आप इनको नहीं उबारेंगे तब तक यह नहीं उबर पायेंगे। इसलिए पहला मेरा आपसे निवेदन है कि जे.डी.ए. की जो आर्थिक हालत है, वह इतनी खराब हो चुकी है कि बिना आपकी सहायता के उसका सुधरना सम्भव ही नहीं है।

अभी आपने विधान सभा के मार्फत हमारे पास जो आंकड़े भेजे हैं, उनको भी आप देख लें, तो उसकी कोई आमदनी रही ही नहीं है और जब उसकी आमदनी रही नहीं है तो ऐसी स्थिति में जोधपुर विकास प्राधिकरण एक दिन बंद होने की स्थिति में आ गया है। ऐसी स्थिति में सारे के सारे विकास के कार्य रुक गये हैं। क्योंकि जमीन जा रही थी, वह सारी की सारी पंचायतों के पास नहीं रही, पंचायतों के पास कोई पावर नहीं रहे, पंचायतें विकास का कोई काम कर नहीं सकतीं। हर काम के लिए जे.डी.ए. की परमिशन जरूरी है। जमीन जहां भी डवलपमेंट करें, वह जे.डी.ए. के लिए करानी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, पांच-छह साल से 15 जी.एस.एस. निर्माण का कार्य इसीलिए रुका हुआ है कि जे.डी.ए. उनको अलाट नहीं कर रही। कोई न कोई बहाना बना कर इधर से उधर टाल देते हैं। कई स्कूलों के पट्टे इसीलिए नहीं उठ रहे हैं कि जे.डी.ए. उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। कई सड़कें इसलिए रुकी हुई हैं कि जे.डी.ए. उसमें अड़ंगा लगा देता है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप गम्भीरता से लें, मेरी तो प्रार्थना भी है कि एक बार आप जोधपुर पधारें, हमारे साथ बैठें, जे.डी.ए. की वास्तविक स्थिति के साथ ही साथ उसके प्रशासनिक ढांचे को भी देखें। अगर आप उसको देखेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर पायेंगे कि वर्तमान में उसकी

(श्री जोगाराम पटेल)

यह स्थिति हो रखी है। इसलिए मेरा आपसे पहला निवेदन था कि इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप कोई न कोई पहल करें और पहल करने के उपरान्त इसको, निगम को सुधारें।

दूसरा मेरा निवेदन था कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,540 करोड़ के घोटाले ही नहीं हुए, आप देखेंगे कि जब चुनाव उनके सिर पर आ गये थे तो खाली एक विधान सभा क्षेत्र में, और वह विधान सभा क्षेत्र, आप परिचित हैं किसका हो सकता है, एक विधान सभा क्षेत्र में 576 करोड़ के कार्य स्वीकृत कर दिये। न तो वे सम्भव थे एक साल में पूरे होने, या छह महीने में पूरे होने, फिर भी जे.डी.ए. का और घाटा करने के लिए 576 करोड़ के कार्य ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो मिनट।

श्री सभापति: Please be brief.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 576 करोड़ के कार्य पूरे के पूरे एक साथ स्वीकृत कर दिये, जिसकी वजह से जे.डी.ए. को घाटा होता-होता और घाटा ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साहब, आज बोलने वाले बहुत कम हैं। वे तो पहले ही निकल गये हैं।

श्री सभापति: ना, ना, ऐसा ना करिये। अब आप बैठें कृपया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो मिनट में पूरी कर रहा हूं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जे.डी.ए. की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में जो अनेक अधूरे कार्य करवाये। ऐसे कार्य करवाये जिनका कोई ठिकाना नहीं। मैंने

(13.00 बजे)

आपको अनेक बार लिखित में भी निवेदन किया है और यह कहा भी है, जैसे पूर्व जोन में 456 लाख के 56 कार्य, पश्चिमी जोन के 83 कार्य, उत्तर जोन में 959 के 11 कार्य, दक्षिणी जोन में 940 के 17 कार्य, ये जो कार्य बता दिये, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। टोटल 22 करोड़, 79 लाख 500 के कार्य बता दिये लेकिन धरातल पर वह कार्य नहीं हैं। ए सी बी की जांच चल रही है, जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि करीब

(श्री जोगाराम पटेल)

साल भर निकलने को आ गया है। ए सी बी की कोई जांच नहीं हो रही है, इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है। जो ए सी बी की जांच पैडिंग है, उसमें आप शीघ्रता करावें और दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करें। 1540 करोड़ का घोटाला कम नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है।

माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कार्य पूर्ण, कार्य अंडर प्रोसेस, ऐसे बता दिये, धरातल पर कुछ भी नहीं है। उसकी जांच भी कराना आवश्यक है। उसकी जांच कराने के साथ ही साथ...

श्री सभापति: धन्यवाद। थैंक यू।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लास्ट एक मिनट।

श्री सभापति: आप एक, दो, तीन, माननीय सदस्य, इनफ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरे दो-तीन सुझाव हैं। माननीय सभापति महोदय, आज तो ऐतिहासिक दिन है।

श्री सभापति: आप बड़े अनुभवी हैं। आप अपने बोलने का इतिहास ना बनाएं। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सेकण्ड। एक मिनट और लूंगा। मेरे दो-तीन सुझाव हैं जेडीए के सम्बन्ध में। पहला मेरा वित्तीय सुधार का; स्पेशल पैकेज के साथ ही, जे डी ए में वैकेंसी बहुत हैं। कृपया मेरा निवेदन है, स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि जे डी ए में जो वैकेंसी हैं, उनको फुलफिल करें। ए सी बी की जांच चल रही है उसकी तुरन्त पालना करावें। ऐसे जो फर्जीवाड़े हुए, उसकी तुरन्त जांच करावें। साथ ही साथ निगम की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैंने निवेदन किया था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, इनफ, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उसको भी ठीक करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय परनामीजी, आप उपस्थित नहीं ...(व्यवधान) प्लीज, नो। नो, एनफ प्लीज। (व्यवधान) प्लीज बी सीटेड ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आधा सेकण्ड। (व्यवधान) आधा सेकण्ड। (व्यवधान) मैं कन्क्लूड कर लूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: नो, आपने बहुत समय बढ़वा लिया। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं एक लाइन में कन्क्लूड कर दूं, एक लाइन में। (व्यवधान)

श्री सभापति: परनामीजी, आपका नाम पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे उस वक्त। आप अभी बोलना चाहेंगे? आप अभी बोलना चाहेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सम्राट अशोक के नाम से जो उद्यान है, जो विश्व विख्यात है। उसकी स्थिति भी बड़ी खराब है। (व्यवधान) उसको भी ठीक करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक लाइन में पूरा कर दूं मैं, एक लाइन में। ओनली वन लाइन। उसकी स्थिति भी ठीक करें और आवासन मंडल की स्थिति भी बहुत खराब है। रोडें टूटी हुई हैं लाइटें नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन का कल अखबारों में जोर-जोर से आया कि कंस्ट्रक्शन इतना घटिया किस्म का हुआ है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है।

इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन सब बातों पर विचार करें। अनेक बिन्दु और हैं, जिन पर आप पधारेंगे तो आपसे निवेदन करेंगे। एक बार आप जोधपुर में मेहरबानी कर दें, इतिहास याद करेगा।

श्री सभापति: आप मिलकर इतिहास बना लीजिएगा। अब आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पुरानी मेहरबानी रही है शेखावतों की। आप अब की मेहरबानी कर दें तो सभी आपको याद रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय परनामीजी, आप बोल लें। उसके बाद राजवी जी बोलेंगे। आप बोलें पहले।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मेरा नम्बर निकल गया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की अनुदान की मांगों पर अपना पक्ष रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ये सभी आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं। उसी प्रकार से, किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का जब तक नगरीय विकास नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश, वह शहर अग्रणी शहरों या प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकेगा। किसी भी प्रदेश को और शहर को आगे बढ़ाने में यह विभाग अहम भूमिका रखता है।

(श्री अशोक परनामी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत वायदे किये थे। उन वायदों में उन्होंने 5 वर्षों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेंस के अन्तर्गत कुल 12 परियोजनाएं हाथ में ली थीं, परन्तु बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में, उस कांग्रेस के कार्यकाल में 12 परियोजनाओं में से केवल 5 परियोजनाएं धरातल पर आ सकीं।

इसके साथ ही, शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं देने के लिए जितनी भी योजनाएं लायी गयीं, मैं उनमें से एक योजना के बारे में बताना चाहूंगा। इस योजना के अन्तर्गत 11,151 मकानों को बनाने की बात थी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक भी मंत्री नहीं है सदन में।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री राजपाल सिंहजी हैं। प्रभारी मंत्री राजपाल सिंहजी हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्रभारी मंत्री एक बैठा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): श्रवणजी, इतने मंत्री बैठे हैं, आपको नजर ही नहीं आते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, आप बिराजें। मिस्टर भडाना, बात न करें आपस में। प्रभारी मंत्री मौजूद हैं। प्लीज, Carry on.

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत 11,151 मकान गरीबों के लिए बनाने थे परन्तु केवल मात्र 1,082 मकान पिछले 5 वर्षों में बन पाये। बाकी मकान कहीं धरातल पर नहीं पहुंचे। इसके साथ-साथ राजीव आवास योजनान्तर्गत 18 शहरों को चयनित किया गया था, परन्तु 18 शहरों में से 1 भी शहर में इस राजीव आवास योजनान्तर्गत काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यदि यह काम धरातल पर आ जाता तो जो हम एक सपना देखते हैं कि स्लम-फ्री सिटी हम राजस्थान प्रदेश में बना पाएंगे, उसको हम पूरा कर पाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2011-12 में 26 आर ओ बी ब्रिजों का निर्माण रेल मंत्रालय के बजट में दिया गया था, परन्तु केवल मात्र 12 आर ओ बी का निर्माण किया गया, 14 ठंडे

(श्री अशोक परनामी)

बस्ते में रह गये। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 2012-13 में रेल विभाग द्वारा स्वीकृत 10 आर ओ बी में से केवल मात्र 5 पर कार्य प्रारम्भ हुआ। 5 पर तो कार्य भी प्रारम्भ नहीं हो पाया। इस कारण जितना कार्य राजस्थान प्रदेश में इस विभाग के माध्यम से होना चाहिए था, वह कांग्रेस के राज में नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुंधराजी को जिन्होंने इस नगरीय आवास एवं नगरीय विकास के लिए 2015-16 में 5,223.55 करोड़ की स्वीकृति दी। इस स्वीकृति में जो उन्होंने मद दिये, मैं समझता हूं कि मैं आपके सामने यह पूरा पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि इस वर्ष निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में नगरीय विकास होगा। राजस्थान आवासन मंडल के लिए 400 करोड़ स्वीकृत किये गये। जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए 520, अन्य स्थानीय निकायों की जिनकी कि वित्तीय स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है, उनके लिए भी 1,881 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। बाह्य सहायता राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु 405 करोड़ का प्रावधान किया गया। पुलिस आवास के लिए हुडको की किश्त 106.59 करोड़ का प्रावधान किया गया। कच्ची बस्ती मुक्त भारत का निर्माण हो, राजीव आवास योजना के लिए 260 करोड़ रुपयों का प्रावधान इस वाले बजट में किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी मेरे बजट भाषण में कहा था कि...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बजट पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें अब आप।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मांग पर चर्चा है। बजट नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आप थोड़ा सुनने का माद्दा तो रखो। (व्यवधान) सारी बातें अभी सामने आएंगी, आप चिंता नहीं करो।

माननीय सभापति महोदय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इस प्रकार जितना भी राजस्थान प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम अपन कर सकते हैं, इस

(श्री अशोक परनामी)

बजट में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने किया। निश्चित रूप से जो आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने देखा है इस बजट के माध्यम से, राजस्थान प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान मास्टर ड्रेनेज प्लान की तरफ दिलाना चाहूंगा। मैं जब महापौर था तो हमने जयपुर शहर के लिए एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया था। जिसमें 652 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान हो गई थी। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लिया गया था। मैं फिर कहूंगा कि हमने जयपुर में मेट्रो का विरोध नहीं किया, हम भी जयपुर शहर में मेट्रो को लाना चाहते थे पर जयपुर शहर का विकास अवरुद्ध करके हम जयपुर मेट्रो को नहीं लाना चाहते थे; कांग्रेस की हठधर्मी से मेट्रो तो जयपुर में आई परन्तु जो आधारभूत सुविधा थी, जो मास्टर ड्रेनेज प्लान था 652 करोड़ रुपये का, वह कांग्रेस की सरकार ने इसको ठण्डे बस्ते में बन्द कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यदि ये 652 करोड़ रुपये इस जयपुर शहर में इस प्रोजेक्ट में खर्च हो जाते तो आज जो जयपुर शहर में कालोनी के अन्दर से गन्दे और खुले नाले बह रहे हैं, चाहे वह नागतलाई का नाला हो, चाहे सी-स्कीम का नाला हो, चाहे वह जवाहर नगर के अन्दर नाला हो, चाहे वह जल महल के उधर से निकलता हुआ नाला हो, ये सभी कवर करने की बात थी इस प्रोजेक्ट के अन्दर। इसके साथ ही चारदीवारी के अन्दर जो सीवरेज लाइन है जो इतनी पुरानी हो चुकी है, आये दिन वहां पर समस्याएं खड़ी होती है, इवन पूरी की पूरी सीवरेज लाइन बदलने का काम भी इस प्रोजेक्ट में लिया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया और यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और आज जयपुर शहर की जनता इसके लिए काफी परेशानी का अनुभव कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के मास्टर ड्रेनेज प्लान का आप एक्जीक्यूशन करें और जयपुर शहर की जनता को इस बात का लाभ दें।

माननीय सभापति महोदय, आज कच्ची बस्ती की समस्या पूरे राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में है। हर वर्ष बजट आता है, हमेशा इस बात को इंगित किया जाता है कि हम स्लम फ्री प्रदेश बनाना चाहते हैं, स्लम-फ्री पूरा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, परन्तु इसकी गहराई में जाना पड़ेगा माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पानी अपनी जगह स्वयं बनाता है उसको कोई रोक

(श्री अशोक परनामी)

नहीं सकता; रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको चाहिए। सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है, हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदीजी ने हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी ने राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ यह वादा किया कि सबको छत मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कच्ची बस्ती का निर्माण ही क्यों हो, इसके पीछे भी आपको जाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, सबको छत चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करें कि कच्ची बस्ती बने ही नहीं। कच्ची बस्ती बनने से पहले सरकार के पास इतनी सुविधा होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को छत दें। माननीय सभापति महोदय, हम पहले कच्ची बस्ती बनने देते हैं, उसके बाद कच्ची बस्ती को हटाकर उनको स्थापित करते हैं। यह काम भी करते हैं। यदि यह काम सरकार पहले ही कर ले तो मैं समझता हूं कि यह कच्ची बस्ती की बहुत बड़ी समस्या है, वह हमारे समक्ष नहीं आएगी।

आज गरीब व्यक्ति यहां पर आता है रोजगार लेने के लिए, चाहे वह रिक्शा चलाये, चाहे वह फैक्टरियों में काम करे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी इस बात के लिए सम्पर्क करें और रीको इण्डस्ट्रियल एरिया जहां-जहां पर भी इंडस्ट्री डवलप करें, वहां पर इस बात का प्रावधान करें कि उस इंडस्ट्री में जितने भी काम करने वाले लेबर हैं, उनके रहने की समुचित व्यवस्था भी उसी जगह आप करेंगे तो, मैं समझता हूं, इससे आपको काफी समस्या से छुटकारा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ कच्ची बस्तियां आती हैं; एक खड्डा बस्ती भी आती है जिस पर हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस खड्डा बस्ती को कहीं और स्थापित करें।

इसके साथ-साथ जो जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, वह वन विभाग की जमीन पर बसी हुई है। आज जितनी भी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, हम उनको हटा नहीं सकते, उनको दूसरी जगह स्थापित करना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिसको आप वन विभाग की जमीन कहते हैं, वह आज वन विभाग की जमीन नहीं रही, वह आवासीय भूमि बन चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वन विभाग से भी चर्चा करें, केन्द्र से भी चर्चा करें

(श्री अशोक परनामी)

और जहां-जहां पर भी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, उनको वहीं पर बसाने का आप काम करें। मैं मेरी जवाहर नगर कच्ची बस्ती के लिए निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर हम सड़क को भी चौड़ी करना चाहते हैं, उस ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस जवाहर नगर कच्ची बस्ती को जहां पर बसी हुई है, उसको यदि आप पीछे बसा देंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा; वहां से आप जो तीन सौ फीट की सड़क निकाल कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वह भी कर लेंगे, और वहां की समस्या का समाधान भी हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमेशा मास्टर प्लान बनते हैं, मास्टर प्लान में सेक्टर प्लान भी बनते हैं। जब तक हम उसका लैण्ड यूज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक वह मास्टर प्लान किसी काम का नहीं है। बन्द एयर कंडिशंड कमरों में बैठकर कोई मास्टर प्लान नहीं बनता। धरातल पर जाकर ही मास्टर प्लान बनता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मास्टर प्लान बने, वह वहां के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बने। वहां पर पूरी बस्ती बस गयी और आप उसको इकोलोजिकल जोन में दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करें जिससे कि मास्टर प्लान भी आपका सार्थक हो।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी शहर की सुन्दरता के लिए, किसी भी कालोनी की सुन्दरता के लिए, वहां के जो पार्क हैं वे बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। पार्कों का सही निर्माण हो, पार्कों का सही संधारण हो। इस विषय में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्कों का सही संधारण हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर पार्क की कोई न कोई विकास समिति बने और जो उस कालोनी को इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं हम उन विकास समितियों को दे दें ताकि वे उसका मेंटीनेंस कर सकें? जो सरकार प्रति वर्ष मेंटीनेंस का पैसा खर्च करती है, यदि उतना पैसा हम विकास समितियों को दे देंगे तो मैं समझता हूं कि जो पार्क आज बहुत ही खस्ता हाल में हैं, उन पार्कों की अच्छी स्थिति हो जाएगी। सुबह-शाम वहां उस कालोनी के लोग घूमने जाते हैं, वहां पर बैठकर बातचीत करते हैं, उनको एक अच्छा वातावरण आप दे पाएंगे। मैं समझता हूं कि पार्कों के संधारण के लिए अपने को कोई न कोई स्कीम बनानी चाहिए।

(श्री अशोक परनामी)

माननीय सभापति महोदय, हेरिटेज का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी को, उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक जितना भी हेरिटेज था उसको संरक्षित करने का काम किया। चाहे वह आमेर का किला हो, चाहे वह जन्तर-मन्तर हो, चाहे वह जयपुर शहर के परकोटे हों, उन सभी के ऊपर उन्होंने मरम्मत का काम किया, उनको अच्छी स्थिति में लाने का काम किया। आज भी हमारी कई हेरिटेज ऐसी हैं, जैसे बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों का संधारण हो जाए आपके माध्यम से तो मैं समझता हूं कि हैरीटेज संरक्षण का काम भी होगा।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, आपसे, मैं जब महापौर था तो जयपुर शहर के हेरीटेज संरक्षण के लिए 28 करोड़ रुपया जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत आया था। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार आई तो उस 28 करोड़ रुपये को सड़कों के निर्माण पर खर्च कर दिया। यदि वह सड़कों के निर्माण पर खर्च नहीं होता तो निश्चित रूप से जो हमारा जयपुर शहर का हेरिटेज है, उसको सही करने में काम में ले पाते।

सभापति महोदय, हर वर्ष, हर बजट में हम वृक्षारोपण का काम लेते हैं। कितने पेड़ लगाते हैं? करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है। उसमें से कितने पेड़ पनपते हैं, उसका यदि आप रेश्यो निकालेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। मैं इसमें सुझाव भी देना चाहूंगा, और मैंने यह प्रयास भी किया था, जो वृक्षारोपण है इसको यदि विकास समितियों के माध्यम से किया जाय तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर घर के बाहर कम से कम एक पेड़ लगे। उस पेड़ को उपलब्ध कराना, उसका ट्री गार्ड उपलब्ध कराना और एक कार्यक्रम आयोजित करके, जिसके घर के बाहर आप वृक्ष लगा रहे हो, उसको भी इसमें सम्मिलित करना; इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि उस परिवार के बड़े मुखिया के नाम से उस पौधे का नाम आप रख देंगे तो मैं समझता हूं कि पौधा तो आप लगाएंगे, लेकिन उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी वह मकान वाला करेगा क्योंकि उसका उससे अटैचमेंट हो जाएगा, उसका उससे जुड़ाव पैदा हो जाएगा और जो यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसको अपन साकार कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं जब मेयर था तो मैं यू एस ए गया था, वहां सिस्टर सिटी है Fremont सिटी है, मैंने वहां पर देखा, सड़कें बिलकुल साफ-सुथरी और चलने लायक हैं। एक भी गाड़ी मुझे सड़क पर खड़ी हुई नहीं मिली।

(श्री अशोक परनामी)
मैंने वहां के मेयर से बात की। मैंने कहा, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी, आपके यहां पूरी सड़क पर कहीं भी कोई व्हिकल, कोई कार, कोई गाड़ी खड़ी नहीं दिखी। उनका एक जवाब था कि सड़क हमने आवागमन के लिए बनायी है, गाड़ियां खड़ी करने के लिए हमने सड़क नहीं बनायी। गाड़ियों को खड़ा करने के लिए हमने पार्किंग स्लाट डवलप किये हैं। आज हमारी सड़कों का क्या हाल है? 50 परसेंट सड़कें तो गाड़ियों की पार्किग से सटी रहती हैं। 50 परसेंट में आवागमन रहता है। यदि इन सारी गाड़ियों को एक व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के अन्दर खड़ा कर दें तो मैं समझता हूं, जो ट्रैफिक कंट्रोल हमारा नहीं हो पा रहा है वह ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर निगम के माध्यम से, जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज जगह-जगह पार्किंग स्लाट डवलप करें। आजकल तो मेकेनिकल पार्किंग जगह-जगह आ गयी, थोड़े स्थान पर अच्छी पार्किंग आप डवलप कर सकते हैं। मैं समझता हूं, ट्रैफिक की जो समस्या है वह समस्या भी दूर हो जाएगी।

सड़कों का क्या हाल है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रोड लाइट का क्या हाल है, मुझे यह भी बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं, जिसके तहत किसी भी इलाके में यदि रोड टूटती है, कहीं गड्ढा पड़ता है तो इमिडिएट उसकी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। इसी प्रकार, कहीं रोड लाइट बंद है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाय, इस प्रकार की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूं, वह व्यवस्था आपने बना ली तो निश्चित रूप से जिन गलियों में अंधेरा रहता है वहां अंधेरा नहीं रहेगा। मैं जब महापौर था, तब मैंने यह व्यवस्था चालू की थी। एक-एक वार्ड में वाकी-टाकी देकर पूरा भ्रमण होता था। जहां की जो भी रोड लाइट खराब होती थी, उस वाकी-टाकी के माध्यम से कंसर्निंग अधिकारी को सूचना दी जाती थी, इमिडिएट वह दुरुस्त की जाती थी। इस व्यवस्था को यदि आप पुन: चालू करेंगे तो मैं समझता हूं, काफी अच्छा होगा।

सभापति महोदय, आज यह जनरल बात है, आज हम जयपुर शहर में कहीं भी चले जायं तो 99 परसेंट जो कंस्ट्रक्शन है वह अनआथोराइज्ड मिलेगा। किन्हीं के नक्शे पास हैं, तो किन्हीं के नक्शे पास नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हम इसका सरलीकरण क्यों नहीं करना चाहते? आम आदमी कानून नहीं तोड़ना

(श्री अशोक परनामी)

चाहता, परन्तु हमारे द्वारा मजबूर किया जाता है क्योंकि समय पर उसके नक्शे पास नहीं होते। डीम्ड परमिशन हम देते हैं, वह मान्य नहीं होती। एक तरफ तो हम डीम्ड परमिशन देना चाहते हैं दूसरी तरफ हम नक्शों को पास करने का सरलीकरण नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो नक्शे पास होते हैं, मैं उस कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूं; इसमें भी गणित का ही काम आता है, 2 प्लस 2 चार ही होते हैं, उसमें 5 नहीं हो सकते। फिर दूसरे स्टेट आनलाइन नक्शे पास कर रहे हैं तो हमारा प्रदेश आनलाइन नक्शे क्यों नहीं पास कर सकता? इस दिशा में भी यदि हम बढ़ेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, तो मैं समझता हूं, लोगों को जो इस बात की परेशानी है कि उनके नक्शे पास नहीं होते, समय से नहीं होते, तो उस समस्या का भी निदान होगा और आमजन को नियमों के तहत काम करने की एक प्रेरणा आपके माध्यम से मिलेगी।

सभापति महोदय, जयपुर शहर में रिक्शे चल रहे हैं, जयपुर शहर में पान के कियोस्क हैं, जयपुर शहर में जगह-जगह डेयरियां लगी हुई हैं, इनका नियमितीकरण का प्रावधान तो है परन्तु 10-10 साल से इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। वे पीछे घूमते हैं, हमारा नियमितीकरण करें, परन्तु कोई न कोई नियम ऐसा आ जाता है जिसके तहत हम उनका नियमितीकरण नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्शों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह पहले भी बात आयी है। इसके साथ-साथ, जितनी भी डेयरियां लगी हुई हैं, आपके द्वारा लगायी गयी हैं, यदि कोई अनआथोराइज्ड हैं तो उनको हटा दीजिए आप, परन्तु उनका हर वर्ष, या तीन साल में, जो भी आप नियम बनाएं, उनका प्रोपर नियमितीकरण करके आप उनको पूरी सुविधा प्रदान करें।

सभापति महोदय, यह सच है कि आज हमारे निगमों की, आज हमारे जितने भी बोर्ड हैं, उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण जो विकास के काम होने चाहिए वे विकास के काम पूरे नहीं हो पाते। चाहे सफाई की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे पार्कों के संधारण की बात हो, चाहे सीवरेज लाइन की बात हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जयपुर के महापौर रहे, आपका कोई एक ऐसा भी काम है जिसके लिए लोग आपको याद करते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अभी आ रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे मित्र को इस बात की जानकारी नहीं कि जब मैं महापौर था, उस समय जयपुर शहर विश्व के 9 सुंदर शहरों में शुमार हुआ था। जब मैं महापौर था...(व्यवधान) बात तो सुन लो आप। बात तो सुन लो पूरी।

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। बैठिये आप। माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान) व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप तो सुंदर थे, लेकिन शहर सुंदर था क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सुंदर थे, बाल उड़ गये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आपसे नम्बर लेने की मुझे जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, जब मैं महापौर था तो वर्ल्ड मेयर कांटेस्ट हुआ था। उस समय पूरे भारतवर्ष से दो मेयर एलिजेबल हुए थे, एक जयपुर का, जो मैं स्वयं था, और दूसरा बैंगलौर का। उस समय नम्बर एक तो नहीं आया था, पर नम्बर सात पर आया था।

सभापति महोदय, आज वित्तीय स्थिति निगमों की हो, बोर्डों की हो तो वह अच्छी नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम यू.डी. टैक्स आनलाइन जमा का कर दें तो मैं समझता हूं कि आपको उसमें काफी कलेक्शन मिलेगा। सोसाइटियों के द्वारा स्कीमें काट दी गई, आज तक ऐसी कितनी ही सोसाइटियां पड़ी हैं जिनका अभी तक आपने नियमितीकरण नहीं किया। आज हम उनको वहां से हटा नहीं सकते, उनको बेदखल नहीं कर सकते, तो नियमन में ऐसा सरलीकरण करना चाहिए जिससे उनका नियमितीकरण भी हो जाए और निगम, बोर्ड की आय भी बढ़ जाए।

यह दिल्ली में भी बात बहुत उठी थी कि आवासीय कालोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब पिछली बार आदरणीया वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं, तब भी इस पर काम किया गया था, इसमें प्रयास भी किया गया था, काफी कुछ नियम भी बना दिये गये थे। यदि आप उस फाइल को पुन: एक बार देख

(श्री अशोक परनामी)

लेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि जितनी भी रेजिडेंशल इलाके में कामर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिनका आपने मास्टर प्लान में लैण्ड यूज व्यावसायिक कर दिया है तो कम से कम उनका नियमितीकरण करके उनका भी भला करेंगे और साथ-साथ इतनी रेवेन्यू आपको मिल जाएगी कि निगम और बोर्ड यह नहीं कहेगा कि हमारे पास पैसे की कमी है, और वह पैसा जनता के विकास में लग पाएगा।

सभापति महोदय, एक यह लैण्ड बैंक, जयपुर विकास प्राधिकरण कहता है कि हमने बना रखा है, निगम कहता है कि हमने बना रखा है। पूरे राजस्थान प्रदेश में सरकारी जमीनें हैं, उनका एक लैण्ड बैंक प्रोपर बनना चाहिए और खाली लैण्ड बैंक किताबों के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। जितनी भी आपकी सरकारी भूमि है, जो आपकी सरकारी भूमि है, उस पर बाउण्डरी वाल बनाकर आपका वहां पर बोर्ड लगना चाहिए, जिससे कि उस पर कोई अतिक्रमण नहीं हो। यदि आक्शन करके उसमें पैसा भी आपको मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परन्तु ऐसा क्या कारण है कि उन जमीनों को हम सम्भाल कर नहीं रखते, उनकी देखरेख नहीं करते और उन पर कब्जे हो जाते हैं? फिर वे कब्जे हम हटा नहीं सकते और उसका नुकसान सरकार को होता है।

सभापति महोदय, यह 20 दिसम्बर, 2009 का है, 'अरबों की सरकारी जमीन बंधक'। सभापति महोदय, यह अख़बार में छपा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अख़बार को हाउस में उद्धृत नहीं किया जा सकता, उसका एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता।

श्री सभापति: आप विराजें, डोटासराजी। अख़बार को पढ़ नहीं रहे हैं, अख़बार को उद्धृत कर रहे हैं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आप मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद आपको लगे कि मैं खाली अख़बार के माध्यम से बोल रहा हूं, तो आप बोलना।

सभापति महोदय, मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न भी इस मुद्दे पर लगाया गया था और उसका मेरे पास जवाब आया है। उसमें जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह लबलबी की कोठी में मेन दिल्ली हाइवे पर 5 बीघा जमीन है, वह जयपुर विकास प्राधिकरण की है। मेरे द्वारा

(श्री अशोक परनामी)

उनसे निवेदन किया गया कि इस पर कम से कम आप बाउण्डरी वाल बना लें। उन्होंने मुझे लिखा कि 10x10 पर अतिक्रमण है। सभापति महोदय, 10x10 कितना होता है, 100 गज भी नहीं होता, खाली उस पर इतना अतिक्रमण है। मैंने कहा कि उसको छोड़ दो, पर बाकी पर तो बाउण्डरी वाल बनाकर अरबों की जमीन अपने हाथ में रखो। सभापति महोदय, अब थोड़ी-सी हलचल पैदा हुई है जब हमारी सरकार आई है, परन्तु पांच वर्षों तक उस पर कोई काम नहीं किया गया, कोई बाउण्डरी वाल नहीं बनाई गई। आज वही जयपुर विकास प्राधिकरण कह रहा है कि वहां पर कब्जे हो गये। हम तो पांच साल से आपको कह रहे हैं कि वहां पर कब्जे हो जाएंगे, अरबों रुपये की जमीन है उसको सम्भालो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शहरों का सुधार करने के लिए ही तो आपको दिया है। करो आप सुधार।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आप खड़े होकर बोल लो। सुधार ही तो रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। let him continue. (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सुधार में और अच्छा सुधार हो, तो अच्छी बात है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो तब मालूम होगा जब पांच साल बाद बाजार में आओगे कि आपने क्या-क्या कारनामे किये हैं। डेढ़ साल में तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने और केवल बात-बात ही की है। गांवों में जाओगे, तब पत्थर मारेंगे लोग।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप शांत रहें जरा। पार्टी के वरिष्ठ मेम्बर बोल रहे हैं। (व्यवधान) देखिये, आप विराज जाइये। आपस में व्यवधान करेंगे तो और ज्यादा व्यवधान पैदा होगा। इसलिए उनको बोलने दीजिये आप।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): सभापति महोदय, इन दोनों के सीट बेल्ट लगवा दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समय सीमा तो हो, साहब। एक घंटा हो गया।

श्री सभापति: उनके दल का समय काफी है। वो बोल रहे हैं, क्योंकि

(श्री सभापति)

आज बहुत दिन बाद पहली दफे बोल रहे हैं और एक राजनीतिक दल के, सत्ताधारी दल के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए मैंने समय दिया है। वे खुद समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफी है। Let him continue.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे बोलें लेकिन माननीय सदस्य के पसीना आ गया, इसलिए कह रहा हूं।

श्री सभापति: आप उनके पसीने की चिंता न करें, आप विराजें। (व्यवधान) प्लीज। मीणाजी, माननीय सदस्य, प्लीज बैठें आप। मैंने कह दिया न कि आप ही की पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप स्वयं व्यवधान डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, आप बहुत बोलते हैं, आप मंत्री होकर विराजते हैं, विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर में नागतलाई का भट्टा है, वह भी अरबों रुपये की जमीन है, उस पर भी कब्जे हो जाएंगे यदि आपने उसको नहीं सम्भाला तो। इस प्रकार से अपन रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और रेवेन्यू बढ़ाकर हम विकास के काम करवा सकते हैं।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो जयपुर शहर के विकास में एक चार चांद लगने वाला प्रोजेक्ट था, वह था रिंग रोड। उस रिंग रोड को पिछले पांच वर्षों में बिलकुल बंद रखा। आज यदि वह रिंग रोड बनकर तैयार हो जाता तो आज जयपुर शहर में ट्रेफिक का केओस हो रहा है, वह कियोस्क नहीं होता। उस रिंग रोड को आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने पुन: शुरू किया, इसके लिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं फिर मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम समुचित विकास चाहते हैं तो जब तक आप विकास समितियों को विकास में भागीदार नहीं बनाएंगे, तो सही विकास आप नहीं कर पाएंगे। जन-प्रतिनिधि अपने स्तर पर विकास के काम करता है, परन्तु जो विकास समितियां बनी हैं वह भी भागीदार बन जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि विकास भी अच्छा होगा और मजबूत विकास होगा। सभापति महोदय, यह मेरा एक्सपीरियंस है। एक स्कीम आई थी 70 परसेंट और 30 परसेंट की। ऐसी कालोनियां जो हमारे नियमितीकरण में नहीं आती थीं, वहां के लिए जे.डी.ए. मना करता था कि सीवरेज लाइन नहीं डालेंगे, परन्तु मुख्य मंत्री आदरणीया

(श्री अशोक परनामी)
वसुंधराजी ने उस समय एक स्कीम दी थी कि 70 प्रतिशत निगम देगा और 30 प्रतिशत वहां के लोग देंगे, और वहां सीवरेज लाइन का काम मैंने उस समय काफी किया था। मैं आपको खाली बताना चाहूंगा कि जहां पर सीवरेज लाइन का काम चालू हो जाता था तो विकास समिति के लोग जब सुबह अपने काम पर जाते थे तो वे काम को देखकर जाते थे कि यह काम किस प्रकार से हो रहा है, प्रोपर सीमेंट मिला रहे हैं या नहीं, बजरी कितनी डाल रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं और जब वापस आते थे तब भी आकर उसको पूरा देखते थे कि आज कितना काम हुआ है।

तो जब विकास समितियां इसमें शामिल हो जायेंगी तो आपके डवलपमेंट में गुणवत्ता भी आयेगी, पैसों का सदुपयोग भी होगा। परन्तु विकास समितियों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। मैंने उस समय शुरू किया था, विकास समितियों का निगम के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन किया था। यदि विकास समितियों को आप इसमें सहभागी बना लेंगे तो मैं समझता हूं, विकास की डोर और आगे बढ़ेगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा...

श्री सभापति: आप तो लिखकर भिजवा दीजिये। आप क्या सुझाव रख रहे हैं यहां पर। आप तो लिखकर भिजवा दीजिये, हो जायेगा आपका सारा काम। आप तो लिखकर भेज दीजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ऐसा है, लिखकर भिजवाऊंगा तो फिर इधर-उधर हो जायेगा। यहां बोलूंगा तो सब लिखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ढाई साल बाद में अदला-बदली कर देंगे।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जामडोली इलाका आता है, इस समय जितना भी ट्रैफिक बढ़ रहा है टनल बनने से और अपनी तरफ से रोड बनने से, वहां पर आवासीय कालोनीज निरन्तर बन रही हैं। वहां पर सीवरेज लाइन नहीं है, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर सड़कों की कमी है। पालड़ी मीणा भी बोल देता हूं, या बोल देता हूं कि आगरा रोड साइड में नीचे की जो कालोनीज हैं, चाहे वह पालड़ी मीणा हो, चाहे वह केशव विद्यापीठ जामडोली हो, उस इलाके में समुचित विकास हो जाये,

(श्री अशोक परनामी)

उसका आपके माध्यम से यदि एक प्लान बन जाये तो मैं समझता हूं, वहां पर करीबन 60,000 से 70,000 लोग निवास कर रहे हैं और यह आगे और बढ़ने वाला है; वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं है, वहां पर पार्कों का विस्तार नहीं है, वहां पर स्ट्रीट लाइट प्रोपर नहीं है, वहां पर सीवरेज लाइन नहीं है, नालियों का निर्माण नहीं है, ये सभी काम यदि पूरे प्लान बनाकर आप कर देंगे तो मैं समझता हूं, इसमें मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी आप काम कर सकेंगे। बाकी तो मैं लिखकर दे देता हूं, मेन मैंने बोल दिया।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय,

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज तो बड़े-बड़े नाम हैं।

श्री सभापति: नाम ही ऐसे आये हैं तो मैं क्या करूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज नगर का विकास होकर रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, आपने जिन कालोनीज का नाम लिया विकास के लिए, क्या उस समय आप महापौर थे? जिन कालोनीज का नाम आप दे रहे हो ना कि इन कालोनीज में सड़क हो जाये, नाली हो जाये, उस समय वहां पर लोग बसे नहीं थे क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नई कालोनीज, ज्यादातर झुंझुनूं से आने वाले लोगों ने किया है। चिंता मत करो।

माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, बहुत सुन्दर नाम है और सुन्दर ही हमारे मंत्री हैं।

श्री सभापति: आप भी कम नहीं हैं। आप भी कम नहीं हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हम सुन्दर करने में लगे हुए हैं। थोड़ा-सा घिस्सा लगेगा तो आपको भी पता लगेगा, सभापति महोदय।

एक्सपांशन के कारण टाउन प्लानिंग आवश्यक है। मैं एक-एक छोटी-छोटी बातों पर नहीं, नीतिगत बातों पर बात करना चाहूंगा। जे डी ए हो या उस समय की यू आई टीज हों, उन्होंने प्रोपर प्लानिंग नहीं की। टाउन प्लानिंग प्रोपर हुई नहीं और नहीं होने के कारण डिजास्टर्स एक्सपांशन हुआ है। जयपुर का भट्टा बैठाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो जयपुर का टाउन प्लानिंग पार्ट का है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जयपुर में आगे एक्सपांशन हो रहा है, नई-नई कालोनीज बस रही हैं। 1982 में इसी विधान सभा सत्र के दौरान, 1981 में, एग्रीमेंट को सोसाइटीज के लिए अलाऊ किया था। ज्यादातर आबाद जयपुर है, वह उन सोसाइटीज की देन है लेकिन उस सोसाइटीज में 30 फीट की सड़क पर आप यह कर सकते हैं, 40 फीट की सड़क पर यह कर सकते हैं। कचरा कहां इकट्ठा होगा, यह किसी ने नहीं सोचा। आने वाले समय पर सब-स्टेशन बनेगा, क्योंकि एक्सपांशन के साथ में पावर कंजम्प्शन भी बढ़ेगा, नहीं सोचा। वहां पर दुकानें, शोपिंग काम्प्लेक्सेज भी चाहिये, वह भी नहीं सोचा। दुकान हाथ की हाथ, आगे दुकान पीछे मकान। कामन, मिक्स्ड यूज कांसेप्ट राजस्थान के किसी भी शहर में बेसिकली अलाउड ही नहीं था। अब बाहर देखेंगे तो mixes are allowed लेकिन सड़क पर नहीं। आप विद्याधर नगर जाकर देखें, it is very well planned. उसमें जिन्होंने भी प्लान किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम जयपुर का एक कोना तो उन्होंने पुराने हिसाब से, एक हेरिटेज की तरह से डवलप होगा।

आज भी खसरा में, मास्टर प्लान हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, डिप्टी चीफ व्हिप बैठे हैं, उन्होंने जो एप्रूव किया, उसको री-ओपन करने की आवश्यकता है। साल भर पहले भी मुख्य मंत्रीजी के साथ में बैठक हुई थी। अनप्लान्ड अगर अलाऊ कर दिया तो आगे जयपुर का भट्टा बैठ जायेगा। आगे वर्ल्ड क्लास सिटी कोई भी सरकार बनाना चाहे, नहीं बना पायेगी।

ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको ओवरहैड टैंक्स तो चाहिये। आज नहीं तो कल उनको पानी पिलाने के लिए, जनता को, ओवरहैड टैंक्स और ग्राउण्ड वाटर रिजरवायर चाहिये। बनेगा कहां पर? 30 फीट की गली में, सड़क पर तो नहीं बन सकता और ज्यादातर उसी को पब्लिक यूटिलिटी मान लेते हैं। Why can’t it be 50% construction, जैसे कि दूसरी जगह हो रहा है? अनप्लान्ड डवलपमेंट में जब तक अंकुश नहीं लगेगा, इसमें परेशानी खड़ी होती जायेगी।

सीवरेज सिस्टम कहां से निकलेगा? अभी शहर की जैसी भी टोपोग्राफी अलाऊ करती है, वाटर फ्लो उसी तरफ जायेगा और डाउनस्ट्रीम में जाकर उसका आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। सभापति महोदय, आज भी आप पता कर लें, जितना मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन यहां पर आ रहा है, उसमें से 20 प्रतिशत वेस्टेज मान लेते हैं कि वह बीच में लीकेज में जा रहा है; शेष पानी तो सीवरेज में ही जा रहा है। जब सीवरेज में जा रहा है तो वह ट्रीट

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कितना हो पा रहा है? अभी तक हमने इतनी कैपेसिटी डवलप नहीं की। बीच-बीच में मिसिंग लिंक्स हैं। मेन फीडर लाइन है, वह अगर बीच में कहीं से मिस कर रही है, 100 फीट भी कर गई, तो पीछे जितनी भी कालोनीज हैं, जितना भी एरिया उससे कनेक्टेड है, वह सम्भव नहीं है, वह पासिबल नहीं है। पानी कहां से आगे जायेगा? आज जेटिंग मशीन से पानी से करके उसको आगे करते हैं, बीच में रुका हुआ है। रोज मेरे ख्याल से 20-30 कम्प्लेंट्स तो इस तरह की आती होंगी।

अभी तक तो जे डी ए और नगर निगम में हैंडिंग-ओवर और टेकिंग-ओवर पेपर चल रहा है। टैस्ट नहीं किया, वहां पर पानी अटका हुआ है। जे डी ए भी मानता है कि हमारा काम तो नहीं है। हो गया कम्प्लीट, हैण्डओवर हमने कर दी। नगर निगम कहता है कि हमने टेक-ओवर ही नहीं किया। तो कोई तो उसमें धणी-धोरी होगा।

सभापति महोदय, ये मंत्री यही हैं, दोनों विभाग उनके नीचे हैं। He is in-charge and he should take care of the system, ऐसा डवलप करें कि किसी यूनिट को कम्प्लीट करने के बाद में उसको करें।

एक और विशेषता मैंने यहां पर देखी, यहां चुनाव अब दूसरा लड़ा है, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिये, वहां घर के आगे तक बाक्स बनता है, वह ठेकेदार कुछ पैसे लेकर घर का कनेक्शन लाइन कम्प्लीट होने से पहले ही लगा देगा। आफिशल कनेक्शन अगर आप सूची देखें तो जयपुर में बहुत कम हैं। फिर इतना पानी कहां से जा रहा है? कैम्प्स लगाये जाने चाहिये और आफिशल कनेक्शन रिलीज करने चाहिये।

पार्क्स के बारे में, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अकेले जयपुर में पिछली सत्ता के दौरान एक वर्ष में चार करोड़ रुपये चौकीदारों के नाम से नगर निगम के अधिकारियों ने उठाये हैं और एक भी चौकीदार नहीं है। ऐसे पब्लिक मनी का वेस्टेज कब तक होने दिया जायेगा? वह पार्क्स पर जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वह समितियों को दे दीजिये और समिति उनकी देखभाल करेगी, तो किसी को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर वे खुद भी साफ नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से समिति वाले उनको चेंज भी कर देंगे, कालोनी वाले चेंज कर देंगे। यही स्थितियां सामुदायिक केन्द्रों की हैं।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ही के मित्र

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पहले यू डी एच मंत्री थे, मैंने उनको लिखा है कि ये सार्वजनिक सम्पत्तियां हैं, इनको कम से कम आप समितियों को हैण्डओवर करें ताकि अच्छी तरह से संचालित हों। और दूसरी जगह जहां संचालित हो रही हैं, वहां जाकर देख लें, बहुत अच्छी मेन्टेन्ड हैं। लान्स भी अच्छी तरह से लगे हुए है। विवाह के लिए जो चार्जेज लेते हैं, वह उनकी रेवेन्यू अर्निंग है इसलिए हम इनको नहीं देना चाहते। ऐसी सार्वजनिक असैट्स को रेवेन्यू अर्निंग अगर माना जायेगा तो शहर का कभी विकास नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

कोआर्डिनेशन नहीं है। सेन्ट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छी पार्किंग है लेकिन पीने का, पानी, जो बिल्डर है उसने अभी तक ट्यूबवेल्स से कर रखा है, या एमएलए लैड पर ट्यूबवेल चल रहे हैं। साढ़े आठ-आठ करोड़ में 1982 में आक्शन हुआ है। उनको पीने के पानी का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन न तो यू डी एच कुछ करता है और न पी एच ई डी उन पर कोई निर्णय करती है। कोआर्डिनेशन करके पीने के पानी की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्रीजी माने तो ठीक, नहीं तो रिट करके लाऊंगा, लेकिन इनको अधिकार मैं दिलवाऊंगा। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

एक सर्कुलर है, वह सर्कुलर जारी किया था तीन साल पहले कि जिसका सीवरेज ट्रीटमेंट, बहुमंजिला इमारत का खुद का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको पानी का कनेक्शन दे दिया जाए। भारत में किसी एक काम्पलेक्स में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्या? और फिर सीवरेज का सैस आप उसके पानी के कनेक्शन के साथ में लेंगे। किस बात का लेंगे? ये कान्ट्राडिक्टरी बातें एक ही सर्कुलर में आएं, अधिकारी तो देखें या नहीं देखें, कम से कम मंत्रीजी को तो देखना चाहिए।

कालोनीज का ट्रांसफर भी खूब हुआ, नगर निगम को सौंपी गईं। असेट क्रीएट करने के बाद में सौंपे तो समझ में आता है। उसमें पूरी सड़कें ही नहीं बनाई हैं, कई कालोनीज तो नियमन भी नहीं हुई हैं। पट्टा कौन देगा? नगर निगम देता है नजूल संपत्ति का पट्टा। उसके अधिनियम में अमेण्ड करेंगे तो उसके बाद में यह आ पाएगी। रोड्स नहीं बनें, जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो, और जो जे डी ए में एक बार निहित कर गईं, उनको बिना पूरा कम्प्लीट किये आगे ट्रांसफर करना यह जनता के साथ अन्याय है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापति महोदय, 1999 से पहले की कालोनीज भी ऐसी पड़ी हैं जिनका नियमन बाकी है। जिनका 90-ए या 90-बी दोनों में से एक चीज हो गई, फाइल गुम होती रहती है। फाइल गुम हो गई। डी सी के पास में फाइल नहीं मिलती। भ्रष्टाचार को रोकना है तो यह सिस्टम भी आनलाइन करना होगा तब जाकर यह व्यवस्था सुधरेगी। फाइल गुम हो गई और थोड़े दिन बाद में कहां से मिल जाती है? फाइल गुम हो गई तो डी सी उसकी एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं कराता? इसलिए नहीं करता है कि उसकी जानकारी में है कि फाइल कहां पड़ी है। उसके निकालने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होती है। ऐसी व्यवस्था आनलाइन कर देंगे तो, मेरे ख्याल से, यह सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी।

इसको रोकने के लिए मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सात एम एल एज को तो आप कर ही सकते हैं, आठवें आप स्वयं हैं, उनकी भागीदारी इसके अन्दर होगी बैठक में, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे। कोई भी अधिकारी उस चीज को तैयार होगा कि उन्होंने जो गलत किया, उसको क्वेश्चन कर लें। न तो पिछली सरकार के समय में बनाए एम एल एज को गैर-सरकारी मेम्बर और वर्तमान में भी साल भर हुआ अब तक किसी को नहीं बनाया है। हो सकता है मैम्बर्स ज्यादा हैं। क्योंकि जे डी ए का एरिया बहुत बड़ा है, तो आउटर एरिये की और इनर एरिये की, दो अलग-अलग बैठकें करके इस चीज का समाधान किया जा सकता है।

जे डी ए की स्वयं की स्कीम्स कैसी हैं ड्रिंकिंग वाटर की, चाहे वह माचेड़ा में हो, चाहे वह भडारणा में हो, वह वहां पर एक बार ट्रांसमाइग्रेट करानी थी पापुलेशन को, आपने आरम्भ कर दिया, सही बात है, लेकिन जे डी ए का अगर ट्यूबवेल सूख जाएगा वे दुबारा खोदने की स्थिति में नहीं हैं। आदेश कर देगा तो पब्लिक रुकवा देती है कि यहां पर ट्यूबवैल नहीं खुद सकता, डार्क जोन है। फिर पानी कहां से मिलेगा? भडारणा में पांच ट्यूबवेल खोदे हैं जिनमें से सिर्फ दो फंक्शनल हैं। उनमें तीन-तीन हार्स पावर की मोटर चलाई, अपनी स्कीम के मुकाबले काम आ गया। वह असैट क्रिएट करने के बाद में वे डेमेज हो जाएं, उससे जे डी ए को कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय, जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, हैण्डओवर करवाइए। इनवेंट्री बनवाकर उनको हैण्डओवर करवा दें तो कम से कम उस चीज का यूज तो हो जाएगा।

आर ओ बी का एक तो आप कल उद्घाटन करके आये थे, मंत्री

(श्री नरपत सिंह राजवी)

महोदय, और भाषण में जब हमने पूछ लिया कि यहां का कुछ करें, तो कह दिया, बिलकुल करेंगे, जमीन आप दिलवा दीजिए, जनता के सहयोग से मिल जाए। जनता के सहयोग से तो, सोसाइटीज का या कालोनीज का नक्शा पास होने का एक डंडा है ना, वह नहीं होता तो एक घर में भी घुसने की जगह नहीं मिलती। सड़क पर भी मकान बने हुए मिलते। वहां पर अगर सरकारी जमीन है 75 परसेंट और 17.2 मीटर का अभी जो फोर लेन बना है, उतने की जरूरत नहीं है। आप तो उससे आधा भी अगर कर देंगे तो काम चल जाएगा; आने वाले बीस साल तो चल जाएगा।

अभी आठ पुल सैंक्शन किये हैं, जगतपुरा है, चाहे वह टोंक रोड है, चाहे वह तीसरी जगह है, उनका आधार क्या है? आधार आने वाले बीस साल में कितना ट्रैफिक होगा, वह है। 300 फुट रोड जगतपुरा में बना रहे हैं। यह आधार, आज जो ट्रैफिक क्रंच यहां पर है, वह आधार होना चाहिए। ये जेडीए की दुनिया न्यारी है, इनका मेरे समझ में कम बैठा है। वर्तमान में जहां ट्रैफिक क्रंच है वह आने वाले बीस साल तक कहां तक पहुंचेगा, उसको सोचकर के प्लान करना चाहिए। अगर महाराजा मानसिंहजी के समय में यह एस एम एस के लिए इतनी जमीन नहीं देते तो यह इंस्टिट्यूशन इतना बड़ा हो जाता क्या? बीकानेर में पी बी एम के लिए 300 बीघा जमीन नहीं रखते तो इतना बड़ा पी बी एम हास्पिटल बन जाता क्या? एक्सपांशन तो पहले आप विजन से देखें। विजनरी गवर्नमेंट और विजनरी मिनिस्टर तो तभी होगा, जब आप आने वाले समय में यह करेंगे, नाट पास्ट। वह तो हो गया, उसमें तो कोशिश करेंगे, आगे वाला पहले कर दें।

अभी स्कीम्स काटी हैं, मेरे ख्याल से, दस साल पहले, आठ साल पहले, सात साल पहले, जगतपुरा, टाटियावास, राजावास के बीच में; फागी साइड में भी निकाली हैं। रोड्स बनाकर छोड़ दीं। पन्द्रह साल बाद में उन रोड्स का क्या होगा? लिटरली वे रोड्स बिटुमिन रोड्स लगती नहीं हैं। यह हालत है।

ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर छोड़ दिया सीकर रोड साइड में। वहां पर गलत अलाटमेंट हमारी पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी और मंत्रीगण कर गये। इन्क्वायरी करवा लीजिए। जो उसमें पात्र नहीं हैं, उनको हटा दीजिए, दूसरों को दे दीजिए। लेकिन कम से कम वह आप कर देंगे तो ट्रंकों का जो क्रंच है, जो सड़कों पर खड़े रहते हैं नेशनल हाइवे पर, कम से कम वह तो वहां से किनारे होगा। अभी तक उस पर भी काम नहीं हुआ है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अलाटमेंट से 30 परसेंट आबाद होने के बाद अगर ये स्कीम्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और पब्लिक की जो राशि है वह फिजूलखर्ची में नहीं जाएगी।

अब ये इल्लीगल और नियमन, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। जयपुर में कितने मकान हैं और कितने नक्शे पास हैं? आप परकोटे को छोड़ दीजिए। उसके बाद में कितने मकान हैं? कम से कम 70 परसेंट तो होने चाहिए।

300 स्क्वायर मीटर से कम प्लाट्स पर सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है; नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता निकाला एक ग्रीन फ़ाइल लगानी आवश्यक है। सेटबैक्स के अलावा क्या मतलब है? मेरी सीढ़ी चार इंच की मैं रखूंगा या छह इंच रखूंगा या सात इंच रखूंगा, टाउन प्लानर का क्या लेना देना है उस चीज से? मेरा टायलेट इतना स्क्वायर फीट का होगा मेरी आवश्यकता यह है। टाउन प्लानर कहता है, नहीं, आपको यह नहीं इतना करना पड़ेगा। क्यों, और क्या जरूरत है इसकी? टाउन प्लानर ने कह दिया और सरकार ने मान लिया कि 30 फीट पर भी बहुमंजिला इमारत हो जाएगी। दम होता अधिकारी कहता, नहीं, साहब, यह नहीं हो सकता; मेरे को आप ट्रांसफर कर दें; दूसरा आने वाला भी यही कहेगा आपको। तब जाकर के स्थितियां सुधरेगी।

अब तो नगर निगम ने एक सैस और लगा दिया; मेरे ख्याल से, तीन - चार साल पहले लेबर डिपार्टमेंट का सर्कूलर आया था, केन्द्र सरकार का एक अध्यादेश है, बिल है, उसमें 5,740 रुपये पर स्क्वायर मीटर कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन मानी है और वह लगेगा सब पर, चाहे वह जे डी ए खुद की सड़क बना रहा है, जिसमें लेबर का इन्वाल्वमेंट है, चाहे वह नगर निगम बना रहा है सिविल कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रकार का होगा, उसका सैस कटेगा 1 परसेंट। जे डी ए और नगर निगम खुद का बिल अगर पास करेंगे और जमा कराएंगे, तब पता लगेगा।

(14.00 बजे)

मैं तो कह सकता हूं कि मैं राजस्थान का पहला व्यक्ति हूं जिसने वह सैस भरा है लेकिन मैं रिट करके भी वापस लूंगा। यह भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। Rates have to be normal, rates have to be rational, जिस पर टैक्स देने वाला आराम से टैक्स दे दे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज रिटों पर जोर है, मंत्री जी पर विश्वास नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजें। मैं भी यही पूछने वाला था, आज रिटों की बड़ी चर्चा कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, गलत कर रहा हूं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप रिट्स की चर्चा बहुत कर रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 15740 किसने बताई, इंजीनियर्स ने। चालीस परसेंट तो इंजीनियर खा ही जाते हैं, उसका तो उन्होंने कट ही नहीं किया यहां पर। वह तो छोड़ देते। There has to be a rational. यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स इसीलिए बंद किया, यू.डी. टैक्स इसीलिए रिसीव नहीं हो रहा है जब ट्रांजेक्शन होता है, तब ये यू.डी. टैक्स होता है; अदरवाइज जरूरत नहीं है। जब नक्शा पास होगा, तब यू.डी. टैक्स भरेगा; अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं देता और इसीलिए नहीं देता है। आपको सोशियली इसको ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आराम से दे। आराम से देने के बाद में उसको लगे कि yes, it will be used properly. एक ब्लाइंड, ब्लैंकेट एक अधिकारी ने कर दिया, बिना चर्चा किये कर दिया। 15 हजार पर-स्कवायर मीटर कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन आती हो तो आपने भी मकान बनाया है छोटा-मोटा, तो आप खुद ही देख लें, उतनी कोस्ट आयी है क्या। नहीं आई है, तो देते हुए भी दर्द होता है। यह कोई बेइमानी से खींचा हुआ पैसा नहीं है। एक-एक पैसा उस गरीब का कमाया हुआ है, उसको दर्द होगा देते वक्त। उसको रेशनलाइज आपको करना चाहिए, उसके बाद में रिकवरी करनी चाहिए।

मैं तो एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में नगर निगम और जे डी ए में कितने नक्शे पास हुए, वह उठा कर देख लें। उसी से पता लग जाएगा कि किसलिए बंद हो गये।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री रमेश मीणा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, इनका कट मोशन दिया हुआ नहीं है। माननीय रमेश मीणाजी ने कोई कट मोशन नहीं दिया।

श्री सभापति: आप विराजिये। दल की तरफ से नाम आये हैं। आप विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): कौन से कट मोशन की बात कर रहे हो, माननीय सदस्य?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपका है ही नहीं।

श्री रमेश (सपोटरा): है। आपके पास नहीं आया होगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बोलने वाले हैं ही नहीं।

श्री सभापति: धर्मपालजी, कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, टाउनशिप पालिसी के तहत 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारों की योजना में पन्द्रह परसेंट ई डब्ल्यू एस और एल आई जी के भूखण्ड आरक्षित करने थे। जे डी ए के द्वारा आवेदन मांगे गये और रजिस्ट्रेशन के नाम पर दस से पन्द्रह हजार रुपये वसूल किये गये। बाद में जे डी ए द्वारा प्रशासनिक शुल्क के नाम पर उन दस से पन्द्रह हजार रुपयों को जब्त कर लिया गया। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि यह जयपुर विकास प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है तो इस तरह का जो इन्होंने गरीबों के साथ किया, वह उचित नहीं है। यदि कोई सफल आबंटी है तो उसमें समायोजन उस राशि का करना चाहिए था।

अभी कुछ आवासीय प्रोजेक्ट थे जो नक्शे में पूर्व में पास कर दिये, कुछ नाम भी हैं मेरे पास, मंगलम है, ए आर जी है, पैलेसिया है, और इसका मैटर शायद सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है; तो पहले पास कर दिये, बाद में रिजेक्ट कर दिये। तो नियमों के तहत यदि मौके पर कार्य नहीं हुआ तो सरकार जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है? मंत्रीजी इस बारे में स्पष्ट करें।

अभी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नयी आवासीय योजनाओं को लांच किया गया है, जबकि वर्ष 2000 से 2008 तक लांच की गई योजनाओं में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें मौके पर कोई विकास कार्य ही नहीं हुए हैं तथा विकास न होने की वजह से, इनमें कई योजनाओं में तो एक भी मकान नहीं बना है। नयी योजनाओं के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण पेयजल की क्या व्यवस्था करेगा? इसके लिए सरकार की भावी योजना क्या है? यदि वहां पर पानी नहीं होगा तो इतनी दूरी पर जाकर कौन रहेगा? एग्जाम्पल के

(श्री रमेश)

तौर पर बताना चाहता हूं कि जो आवासीय योजनाएं लांच हुई थीं 2000 से 2008 के बीच में, सालिगरामपुरा योजना, रोहिणी-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, पार्थनगर, अनुपम विहार, अभिनव विहार, निलयकुंज, इत्यादि जो योजनाएं हैं, इनमें एक भी मकान नहीं बना है। सरकार इनके लिए जो पेयजल की व्यवस्था है, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था है, उसके बारे में भी बताये और इतनी दूरी पर ये योजनाएं लांच की हैं, उनका उद्देश्य केवल आम जन को ठगना जैसा महसूस हो रहा है।

दूसरा जो बिन्दु है मेरा, अभी रिंग रोड में सरकार ने जो तत्परता दिखाई, वहां पर रहने वाले लोगों को तुरत-फुरत पुलिस के माध्यम से जो महीनों का काम था वह कुछ ही दिनों में कर डाला, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने उनको कार्य प्रारम्भ करने की तारीख अभी तक नहीं दी है। शहर में ट्रकों के द्वारा जो ट्रैफिक चल रहा है, उसकी वजह से आये दिन मौतें हो रही हैं और अभी मौके पर अलाइनमेंट के हिसाब से पूरा कब्जा भी नहीं है। राज्य सरकार ने जिस तेजी से कब्जा किया और लोगों को बेघर कर दिया और अभी अधिकांश लोगों को उनके निर्मित मकान, दुकान का मुआवजा भी नहीं मिला है; यदि सरकार द्वारा जिस तेजी से रिंग रोड पर से कब्जा हटाया गया, बेघर किया गया लोगों को, उसी तेजी से यदि शहर में जो एन्क्रोचमेंट हो रहा है, उसको हटाती तो हमें भी लगता कि यह सरकार समान भाव से काम कर रही है।

अभी जयपुर विकास प्राधिकरण में एक मैटर आया है कि अभी हाल ही में सर्वे के अनियमित भुगतान में करीब 6 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार क्या करने का विचार रखती है? इसमें कुछ कम्पनियों को अनियमित तरीके से हायर रेट पर, जबकि मार्केट रेट का कम्परीजन कराते उसकी वेल्यूएशन निकालते, तो इतना भुगतान नहीं करना पड़ता। तो यह 6 करोड़ का घोटाला है। मंत्रीजी इसकी जांच करवायें।

मेरा इसके साथ एक सुझाव भी है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में भू आबंटन जो आप करते हैं, उसमें पैसा जमा कराने की अवधि मात्र तीस दिन है। अब आजकल के समय में जमीन महंगी हो गई है एक छोटी-सी जमीन के लाखों रुपये जमा कराने होते हैं। तो इसमें आवासन मण्डल की तर्ज पर तीन महीने का समय किया जाना चाहिए।

(श्री रमेश)

जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों के हजारों की संख्या में आवेदन लम्बित है और इस अधिनियम की वर्णित समय-सीमा भी निकल चुकी है, मैं माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने समय-सीमा निकल जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

गरीबों के लिए ई डब्ल्यू एस, एल आइ जी के आवासों जो जेडीए के द्वारा आबंटित किये गये हैं उनकी किस्त अदायगी में मूल आबंटी समय पर पैसा नहीं जमा करा पाया इसलिए वो स्वत: निरस्त हो गये। अब इनको बहाल करने की क्षमता वो राज्य सरकार में निहित है। तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि इनको बहाल करने का अधिकार जेडीए को दिया जाए जिससे आम आदमी और गरीब को फायदा मिले।

एक बात जो कभी-कभी अटपटी लगती है कि जब कभी मास्टर प्लान की बात आती है, हम बात करते हैं मास्टर प्लान बनेगा 2025 से आगे, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सारी यूटिलिटीज का प्रयोग होगा, वहां किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, लेकिन जो मास्टर प्लान बनता है, अधिकारी बड़े-बड़े दावे करते हैं, जब लागू होता है तब उस समय उसमें हर स्टेज पर परिवर्तन करने की स्थिति या मजबूरी आ जाती है। तो ऐसा कौनसा, किस प्रकार का मास्टर प्लान बनाते हैं गैर-जिम्मेदाराना अधिकारी कि मास्टर प्लान बनता है उस समय बात कुछ और होती है और जब प्रैक्टिकली लागू होता है तब बात कुछ और होती है और समय पर जब हम भौतिक सत्यापन का काम करने के लिए जाते हैं तो वहां जो सड़क बनानी है वहां पर घनी बस्ती बसी हुई है और सालों से बसी हुई है? उस पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, आज के आधुनिक युग में इसमें यूटिलिटी के प्रोविजन्स और आने वाले समय में जनसंख्या के जो डाटा हैं, या जो वृद्धि होगी उन सभी को सम्मिलित करते हुए और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करें, और गैर-जिम्मेदाराना अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसमें कार्यवाही करें।

इसी प्रकार, जयपुर विकास प्राधिकरण में भूमि का कब्जा लेने के लिए आपने तीन सैल बना रखे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग भी है, जोन भी है, पुलिस का एन्फोर्समेंट भी है। ये तीनों मिलकर जे डी ए की भूमि पर जहां पर अतिक्रमण है, उसको हटा सकते हैं लेकिन हमारे ये तीनों सैल भू माफियाओं से, अतिक्रमियों से मिले हुए हैं और इसी मिलीभगत से हमारा सिस्टम फेल हो

(श्री रमेश)

गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन पर नियंत्रण, निगरानी की आवश्यकता है।

कभी-कभी जे डी ए में ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार अतिक्रमी नामांकरण हेतु अपना आवेदन लगा देता है और उसकी सूचना जे डी ए में भी जाती है लेकिन वहां पर जो अपने जे डी ए के अधिकारी, कर्मचारी हैं, वे समय पर नहीं जाते हैं, या मिल जाते हैं और वह अतिक्रमी भूमि जो निजी खातेदार है, उसके खाते में दर्ज हो जाती है। इस प्रकार की अगर जांच करायेंगे तो काफी मामले आपको आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि नगरीय विकास विभाग के पास निर्णय हेतु करीब 2,200 फाइलें पेंडिंग हैं। वे फाइलें क्यों नहीं निकाली जा रही हैं।

मेरे एक-दो सुझाव हैं। बहुमंजिला इमारतों में पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की कोई पालिसी नहीं है, वह बाद में आयेगी, लेकिन आज की तारीख में आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पेयजल व्यवस्था हो और इस वजह से जितनी भी ऊंची हाइट की इमारतें हैं वहां पर बोरिंग लगी हुई हैं। इस वजह से हमारा जल स्तर दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है।

जी-प्लस-टू के भवनों में फ्लैट बनाने की कोई निश्चित नियमावली नहीं है, उनमें भी भेदभाव पूर्ण नियम हैं जबकि राजस्थान आवासन मंडल में 30 फीट की चौड़ाई की सड़क पर जी-प्लस-थ्री फ्लैट बनाये जा रहे हैं और इनमें भिन्नता है। जी-प्लस-नाइन में कुछ बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और छोटे बिल्डर्स को रोकने का प्रयास किया गया है। इसमें भी एक समानता हो।

आवासन मंडल का मुख्य उद्देश्य था कि एक आम आदमी को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले मकान मिलें, तकनीकी रूप से वास्तु के हिसाब से एक अच्छा मकान मिले। गरीब लोगों के लिए आवासन मंडल बनाया गया। इसका एक अहम उद्देश्य था, इसका गठन भी इसीलिए हुआ लेकिन आज गरीब का मकान बनाने का जो सपना है वह एक तरह से धूमिल हो गया है क्योंकि अब आवासन मंडल का मकान निजी विकासकर्ताओं से भी महंगा है। इसकी तकनीकी और गुणवत्ता में भी बहुत खामियां हैं। इनका मकान बनाने का जो सिस्टम है, तय समय-सीमा में मकान नहीं दे पाते हैं और लम्बी अवधि होने के कारण उसका जो खर्चा है वह आबंटी पर ही लागू होता है। मैं कहना चाहूंगा

(श्री रमेश)

कि इस प्रकार की शिकायत यदि निजी विकासकर्ता के माध्यम से समय पर मकान नहीं दे तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार रहती है और जब आवासन मंडल समय पर काम नहीं करता है तो एक आम आदमी, गरीब आदमी कहां शिकायत करे? इसके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही होनी चाहिये।

आवासन मंडल का एक सिद्धांत है कि न-लाभ-न-हानि पर आवासन मंडल काम करेगा, लेकिन आवासन मंडल के पास आज 800 करोड़ की एफ डी आर कहां से आई? मंत्रीजी इसको भी स्पष्ट करना।

अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आवासन मंडल द्वारा उच्च आय वर्ग के महंगे फ्लैट का प्रोजेक्ट लांच किया गया था। उसमें कुछ विशेष लोगों तक ही सूचना पहुंच पाई थी। जब उसकी पोल खुली तो उसको निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार की जो कार्यवाही है, उसमें जिम्मेदारी अधिकारी हैं। जनता तक मेसेज नहीं पहुंचा, ओपन नहीं हुआ, इतने महंगे फ्लैट थे अच्छी दर के। वह तो चलो आपने निरस्त कर दिया, लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

एक मेरा सुझाव है कि मंडल आबंटी को जमा कराने में, पजेशन देने में यदि आवासन मंडल देरी करता है तो 6 परसेंट का ब्याज देता है और जब किसी कारण आबंटी से देरी हो जाये तो आवासन मंडल 18 परसेंट का ब्याज लेता है। यह सरासर अन्याय है। इस सिस्टम में भी आप सुधार करें। सामने वाले को आप 6 परसेंट दे रहे हो और उससे ले रहे हो 18 परसेंट। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, इसको कम किया जाना चाहिये।

चौमूं में आवासीय योजना हेतु जमीन की अवाप्ति की गई थी। उसमें अवार्ड भी आपने जारी कर दिया लेकिन आज तक उस जमीन पर भौतिक कब्जा नहीं लिया और यह सब कार्यक्रम हुआ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से। आवासन मंडल का जो अभी प्रतिवेदन दिया है, उसमें बताया गया है कि जमीन न होने के कारण चौमूं शहर में योजना नहीं ला सके। जबकि कागजों में इसका भौतिक कब्जा ले लिया गया है और मुआवजा राशि कोर्ट में जमा है, जबकि फिजिकली वहां पर कब्जा नहीं है। इसके लिये हमारे जो पूर्व कमिश्नर थे नीरज के. पवन, उन्होंने प्रयास भी किये लेकिन उसमें यहां पर कुछ उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों की भूमि है, इसलिए उस पर अतिक्रमण बना हुआ है। सरकार इसमें भी सख्त कार्यवाही करके इस जमीन पर कब्जा ले।

आवासन मंडल में द्वारकापुरी योजना को लगभग 2004 में लांच किया

(श्री रमेश)

गया था। इसमें तकनीकी योजना के माध्यम से 1,200 फ्लैट का निर्माण होना था। इस योजना में जो आवेदन पुस्तिका थी, उसमें इसकी कीमत ढाई लाख रुपये के करीब रखी गई थी और कमजोर और निम्न वर्ग के लोगों को ये फ्लैट उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन आज तक योजना निर्माणाधीन है। सरकार बताये कि कितने दिनों में ये फ्लैट पूर्ण हो जायेंगे, कितने का इन्होंने पजेशन दे दिया है और कितने फ्लेट बनायेंगे? जो इनमें निर्माण हो रहा है, वह बड़ा घटिया किस्म का है। ठेकेदार को लगातार बराबर पेमेंट क्यों किया जा रहा है? सरकार इस कम्पनी पर, इस फर्म पर विशेष मेहरबान है। इसकी भी जांच करवायें, नहीं तो हम समझेंगे, माननीय मंत्री महोदय, हमारी बात सुन लें, आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है।

आप एक अच्छे मंत्री हैं, समय निकल जायेगा, आप रजनीगन्धा पान मसाला खाते रह जाओगे। ऊपर वाले ने आपको समय दिया है, मंत्री बनाया है, आपके सिस्टम में करप्शन है उसको मिटाने का प्रयास करें और गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए सरकार योजनाएं लाती है, बात करती है, उन लोगों को लाभ दिलवायें, गरीब को मदद करें। आपके विभाग में सबसे ज्यादा, चाहे जे डी ए की बात करें, चाहे आवासन मंडल की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, लोग आज जयपुर को नगर निगम नहीं कहते हैं, जयपुर नरक निगम कहते हैं। इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है।

यहां जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, पिछली बार एम एल ए को प्लिंथ लेवल के जो प्लाट दिये गये, उसका ही मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। उसमें पहले 32 लाख 99 हजार की रेट तय की। फिर कुछ दिनों बाद उसकी लम-सम में 36 लाख रुपये रेट तय कर दी। पहली बात तो जो प्लिंथ लेवल के प्लाट हैं उनको मैं देख कर आया। उसमें इतने सरचार्ज लगाये। मौके पर जाकर देखा तो उसका कितना घटिया किस्म का कंस्ट्रक्शन है। उसमें मिट्टी भरी हुई है और उसके पैसे हमारे माननीय सदस्यों से वसूल किये जा रहे हैं। और वह 36 लाख रुपये में दिया। अगर आपको माननीय सदस्यों को आगे देना है, पिछला तो दे दिया, उनको ऐसी जगह दें जहां वे पांच साल में कम से कम मकान तो बना लें। वहां 10 साल में भी मकान नहीं बना सकता, तो सरकार को मकान या फ्लैट देने से क्या फायदा? हमारे माननीय सदस्य इतनी दूरी पर रह ही नहीं सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे जन-प्रतिनिधियों के लिए जो भी आपकी योजना हो, एक अच्छी जगह पर दिये जायें। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...(व्यवधान) इसलिए उसमें सुधार होना चाहिये, क्वालिटी में सुधार होना चाहिये, हम भी उस पक्ष में हैं, लेकिन सच्चाई बोलो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, अभी कोटा बैराज में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया जायेगा, बजट में यह घोषणा की। यह घोषणा लायक चीज नहीं है। यू आई टी के माध्यम से यह पहले ही प्रपोज्ड है, प्लानिंग है कि 85 करोड़ का वहां पुल बनेगा। बिना बजट घोषणा के, हमारे माननीय विधायक जो कोटा उत्तर से आते हैं, उनको भी इसकी जानकारी है कि ऐसे तो करीब 6-7 सौ करोड़ के बिना बजट घोषणाओं के काम हो गये। यह तो वाहवाही लूटने का इस तरह का कार्यक्रम ठीक नहीं लगता।

वर्ष 2014-15 में...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बजट में ही दिया है उसका प्रावधान।

श्री रमेश (सपोटरा): यू आई टी से है, माननीय सदस्य। हमें जानकारी है, उसकी प्लानिंग में यह कोई छोटे-मोटे 85 करोड़, यह तो आपको ही पता है, कोटा शहर में हजारों करोड़ के काम यू आई टी के माध्यम से होते हैं। बजट घोषणा में वाहवाही लेने का सरकार का एक कार्यक्रम था।

वर्ष 2015 में शेष पांच शहरों में लोसल, कैथून, पीलीबंगा, भीलवाड़ा और करौली के मास्टर प्लान लागू किये जाएंगे, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें लागू हो गये? यह पिछले बजट की घोषणा है। इस पर क्या क्रियान्विति हुई है, क्या डिप्लायमेंट हुआ है, इसमें बताएं।

हमारे माननीय सदस्यों ने एक बात कही थी...

श्री सभापति: आप कितनी देर में खतम करेंगे माननीय सदस्य?

श्री रमेश (सपोटरा): ज्यादा नहीं है। दो-तीन मिनट का है, थोडा-सा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने 6 महीने के लिए, जितने भी कांग्रेस सरकार के समय जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी धांधली हुई है, उनकी समीक्षा की जाएगी, और उसमें वाह वाही लूटने के लिए अखबारों में भी खबर छपी थी। हमारे हाउसिंग बोर्ड के चैयरमेन के माध्यम से, कितने मकान पुनर्जीवित किये, काफी घोटाला किया। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना

(श्री रमेश)

चाहूंगा कि दोषी अधिकारी, कर्मचारी, या जो भी जन-प्रतिनिधि था, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? और नहीं की तो क्यों नहीं? सिर्फ वाहवाही लूटने और अख़बार में देने के लिए यह कोतक प्रयास किया गया है, वह ठीक नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य कोई है ही नहीं आपके पीछे, सुनने के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा): मुझे मंत्रियों को सुनाना है, सरकार को सुनाना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आठ करोड़ जनता हमारे पीछे है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पीछे लगने के बाद कहां पहुंचा दिया, यह तो देख लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कुछ बिन्दुओं पर कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो यह करेंगे; राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में जल, मल निस्तारण हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। तो मंत्रीजी मैं 5-7 पाइंट, वैसे तो पाइंट बहुत हैं, बिल्डिंग बाइलाज बनाये जाएंगे; शहरों में वर्टिकल डवलपमेंट, ऊंची इमारतें बनाने की बात कही थी; राज्य में पर्यटक आये, अधिक दिनों तक राज्य में रहें, इसके लिए भावी योजना बनाई जाएगी; राज्य में शहरी क्षेत्र में बड़े खेल मैदान विकसित किये जाएंगे; एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों के लिए यू आई टी का गठन किया जाएगा। शहरों में पशुपालक रहते हैं उनके लिए गोकुल गांव बनाये जाएंगे; समयबद्ध पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना; मकानों के आबंटन...वे कब तक होंगे?

यह पारदर्शी व्यवस्था की बात कही आपने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने एक अभी बजट में भी घोषणा की है, जनआवास योजना, कब तक लाई जाएगी? शहरों में सुलभ फ्री करने की योजना बनाई जाएगी...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): कमजोर और बी पी एल लोगों को आवासीय

(श्री रमेश)

सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट की उचित व्यवस्था की जाएगी। आपने अभी वाहवाही लूटी कि पृथ्वीराज नगर में हम दस हजार पट्टे देंगे, तो दस हजार पट्टे प्रतिवर्ष देंगे तो कितने सालों में पृथ्वीराज नगर, आस-पास और भी नगर हैं, उनमें आप कब तक पूर्ण कर पाएंगे?

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम है, चाहे जे डी ए का हो, चाहे नगर निगम का हो, शहर में, गली में चले जाएं, जयपुर के वर्ल्ड क्लास शहर की बात चल रही है, इन्होंने मेट्रो के लिए जिस सिस्टम को रोका, मेट्रो में कोई प्रयास नहीं किया। मेट्रो में भी छोटा-सा लम-सम दो-ढाई सौ करोड़ के आसपास का फर्स्ट फेज में और 270 के आसपास सेकंड फेज में पैसा दिया है। वह एक तरह से रोकने का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय हमारी सदन की नेता ने कहा था कि इससे हम 30 से 40 किलोमीटर की सड़कें गांवों में बनाते, न तो इन्होंने गांवों में सड़क बनाई और न जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास किया।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी की की मंशा है कि जयपुर जैसे शहरों में मेट्रो की स्थापना हो और मेट्रो चले। आज मेट्रो एक तरह से जंग खा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से जवाब चाहूंगा कि मेट्रो कब तक स्टार्ट हो जाएगी? कभी बात आती है, मार्च में करेंगे; कभी बात आती है, जून में करेंगे।

श्री सभापति: प्लीज, अब आप समाप्त कर दें।

श्री रमेश (सपोटरा): यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सुरेन्द्रजी पारीक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आज महापौरों का दिन है। इनके सदस्य मोहन लालजी गुप्ता साहब को भी बुलाने का कष्ट करें। अनुमति प्रदान करें। महापौरों का वर्णन, नम्बर वन ले जाएंगे परनामी साहब और गुप्ता साहब पिछड़ जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): बोलेंगे। अभी वे बोलेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): आप संतुष्ट हैं, हमारा कितना बढ़िया राज चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। श्रीमान जी, आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 29 और 20 पर....

श्री सभापति: Dr. Saheb, please bear with me.

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

जयपुर की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है तो कम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान के मुताबिक 2031 तक यह संख्या बढ़कर 81 लाख हो जाएगी। उसके हिसाब से इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट है, वह उस हिसाब से नहीं हो रहा है। सड़कों का विकास हो। फ्लाइओवर दो, तीन, चार बन जाने से जयपुर शहर का विकास नहीं होगा। जो पापुलेशन हो जाएगी, उसके हिसाब से चलने के लिए काफी दिक्कत आएगी। जे डी ए के सारे अधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं, माननीय मंत्रीजी भी यहां विराज रहे हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि उसके हिसाब से जयपुर में फ्लाइओवर का सर्वे कराकर, जितने फ्लाइओवर बनने हों, अंडरपास बनने हों, उन सबका प्लान बनाया जाए और प्लान बनाकर उनके विकास की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, जेडीए में तीन कमेटियां बनी हुई हैं, एल पी सी, बी पी सी और बी डब्ल्यू सी, इन सबका सम्बन्ध जनता से है। दुर्भाग्य यह है कि जन-प्रतिनिधियों की बिना भागीदारी के उन समितियों में बैठकर सारे प्लान बन जाते हैं। सड़कें कहां बननी हैं, किस तरह की सड़कें बननी चाहिए, वहां और किस चीज की जरूरत है, उस पर जब तक जन-प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं होगी और वहीं बैठकर उन पर अधिकारी ही सारा निर्णय कर लेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर के विकास में जो आवश्यकताएं हैं वे आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी।

इसके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण बातें जयपुर शहर के लिए हैं। जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना हुआ है, यह सीधा कमरों में बैठकर बनाया हुआ है। चारदीवारी का क्षेत्र, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसको देखें तो मास्टर प्लान में उसको आवासीय घोषित किया हुआ है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज पूरी चारदीवारी कामर्शियल बनी हुई है।

श्री सभापति: माननीय महिला सदस्य, कृपया बात ना करें। माननीय महिला सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आपस में बात ना करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आज तो महिलाओं का विशेष त्योहार है गणगौर का। ऐसे समय में भी ये

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

महिला सदस्य यहां सदन में विराजमान हैं तो आज तो इनको बातचीत करने की, अपनी बातचीत को आपस में शेयर करने की छूट तो दी जानी चाहिए, साहब।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय सभापति महोदय, इसका परिणाम यह हो रहा है कि चारदीवारी क्षेत्र में जो निर्माण हो रहा है, आज चारदीवारी क्षेत्र में हजारों की संख्या में दुकानें बनी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में कामर्शियल काम्प्लेक्स बन गए हैं, लेकिन मास्टर प्लान में आज भी वह क्षेत्र आवासीय दिखाया हुआ है। तो जो निर्माण वहां हो रहे हैं, वे अवैध रूप से हो रहे हैं, बेतरतीब हो रहे हैं। न तो उन भवनों में कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना ही और कोई सुविधाएं जो वहां होनी चाहिए, वे उपलब्ध हैं। सारे अधिकारियों की मिलीभगत से वहां सारे निर्माण हो जाते हैं। वहां जिस तरह से निर्माण होता है, अवैध होता है। जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो मास्टर प्लान जयपुर का बना हुआ है, उस पर एक बार पुनर्विचार हो। जयपुर शहर की वस्तुस्थिति आज की तारीख में जो है, उसको मद्देनजर रखते हुए, इन क्षेत्रों का वापस से सर्वे करके, जो स्थिति वहां होनी चाहिए, मास्टर प्लान में जो संशोधन होना चाहिए, वे संशोधन उसमें किया जाना चाहिए। इससे इनको रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और जो निर्माण वहां होंगे वह भी व्यवस्थित होंगे। आज वहां नक्शे पास करेंगे और प्लानिंग के हिसाब से वहां पार्किंग की जगह दी जाए। चारदीवारी में रहने वाले लोगों की तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहां से चलना और निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पार्किंग नहीं है । इतने बड़े-बड़े काम्प्लेक्स बन गये हैं उनकी सबकी पार्किंग सड़क पर बनी हुई है। जो लोग वहां रह रहे हैं, उनका जीवन बड़ा दूभर है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक तो मास्टर प्लान में, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, मास्टर प्लान पर एक बार दुबारा बैठकर इसमें विचार करें; विचार करके आवश्यकतानुसार संशोधन करें। संशोधन करके, जो स्थिति वहां की बनी हुई है उसके हिसाब से मास्टर प्लान में संशोधन करके, वहां के नक्शे पास करें। नक्शे पास करके, वहां जिस प्रकार का निर्माण होना चाहिए, उस निर्माण की व्यवस्था करवाएं। जो काम्प्लेक्सेज वहां बन गये हैं, उनके नियमितीकरण के लिए कार्यवाही भी होनी चाहिए। इससे आज जो नगर

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

निगम की, इनकी स्थिति बनी हुई है, वह भी सुधरेगी, आर्थिक स्थिति इनकी सुदृढ़ होगी और जो मकान बने हुए हैं, वे व्यवस्थित भी हो जाएंगे। जिन्होंने पार्किंग व्यवस्था नहीं की है, उन्हें पाबन्द किया जाए कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जे.डी.ए. और निगम द्वारा मकानों की परमिशन खूब दी जा रही है। कई जगह इन्होंने क्या किया, साहब, ग्राउण्ड फ्लोर में आपने स्टिल्ट पार्किंग दे दी। वहां पार्किंग तो होनी चाहिए, उनके होती है 50 गाड़ी, इन्होंने 10 गाड़ियों का करके हिसाब कर दिया। बाकी सारी पार्किंग सड़क पर आ जाती है। उससे सारी पार्किंग वाली व्यवस्था है, इसके लिये जे.डी.ए. कोई पार्किंग की या तो जगह तैयार करे कि यहां-यहां पार्किंग व्यवस्था होगी। आज शहर में जब चलते हैं तो सब जगह इतनी पार्किंग मिलती है, गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुई हैं और उससे ट्रैफिक जाम रहता है। इनको चाहिए कि यह पार्किंग वाली व्यवस्था जो है, इसको भी ये बहुत ढंग से देखें।

एक, जयपुर शहर में अभी इन्होंने रास्तों को सुदृढ़ करने के लिए, आवागमन सुगम करने के लिए, कई मन्दिरों को और कई सर्किल्स जो बने हुए थे, उनको भी वहां से हटाया है। इसके सम्बन्ध में अगर बैठ कर चर्चा हो जाती, इस पर भी जो निर्णय इन्होंने किया, वे मन्दिर तो सारे हटा दिये और बाकी जो और धार्मिक स्थल बने हुए थे, वे आज भी वहां ऐसी जगह बने हुए हैं, चाहे अजमेर रोड की वह ले लें। उसमें यह देखकर, यह भेदभाव की जो नीति, इसमें भेदभाव की कोई जरूरत नहीं है। अगर रास्ते में व्यवधान कोई भी है तो व्यवधान हटाना है। यह भी व्यवधान है और वह भी व्यवधान है। अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम जब जयपुर शहर में चलता है तो चांदपोल से चालू हो करके बड़ी चौपड़ पर वह रुक जाता है। उसके बाद इनको अतिक्रमण नजर नहीं आता। यह अतिक्रमण हटाने की जो व्यवस्था है, इसको पूर्ण रूप से व्यावहारिक बनाएं। वहां जैसे, जहां अतिक्रमण है, जिसको हटाना है, उसको ढंग से हटाया जाए। आज बड़ी चौपड़ से ले करके आप घाट गेट तक चले जाएं, मोती डूंगरी रोड चले जाएं, इतना अतिक्रमण मिलेगा आपको, लेकिन प्रशासन उसको देखने को तैयार नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार इस बात को ध्यान से देखें और देखकर इसका भी इंतजाम करवाएं।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि नक्शे पास करने वाली जो प्रक्रिया है, यह बड़ी अजीब है। आज कोई भी आदमी फाइल लगाता है, उसकी फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है, नक्शा पास होता नहीं है। अब किसी आदमी के बच्चे की शादी है तो वह मकान बनाने के लिए एक-दो महीने पहले नक्शा पेश कर देता है, वहां यह नक्शा पास होता नहीं है और वह मकान बनाना चालू कर देता है। अधिकारी या तो उससे पैसा लेकर बनवाते हैं, या फिर वह निर्माण अवैध होता है तो उसको तोड़ने पहुंच जाते हैं। इसकी बजाय, यह नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया है, इसका सरलीकरण होना चाहिए। एक नक्शा आपने पेश कर दिया, उसमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो निगम या डिपार्टमेंट, जो भी हो, वह उसमें जब संशोधन करना हो, महीने भर में वह उनको इंटिमेट करे, नहीं तो नक्शा पास मान लिया जाए, ताकि लोगों को इसमें असुविधा नहीं हो और नक्शे निरन्तर पास हों तथा भ्रष्टाचार भी कम हो।

दूसरा, एक कच्ची बस्तियों वाला मामला है, साहब। यह कच्ची बस्तियों के लिए रोज चर्चा होती है कि कच्ची बस्ती बस गई, इसको हटाकर स्लम-फ्री एरिया बनायेंगे। लेकिन कच्ची बस्ती बसती क्यों है? पहले इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से कच्ची बस्तियां बसती हैं। जब अतिक्रमण हो रहा हो, तो सम्बन्धित क्षेत्र का जो भी अधिकारी हो, इंस्पेक्टर है, कमिश्नर है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस एरिये में जो अतिक्रमण हुआ तो हुआ क्यों। आज अतिक्रमण कहीं भी हो जाता है, चाहे कच्ची बस्ती में हो, चाहे पक्की बस्ती में हो। वही अधिकारी जो निर्माण को करवाते हैं, कुछ दिन बाद वे ही उसको तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो जो कार्यवाही होती है, वह खाली मकान बनाने वाले के खिलाफ होती है। जो अधिकारी उस निर्माण कराने के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ भी अगर कार्यवाही कायम होगी, तो आइन्दा से इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी और अतिक्रमण करने का साहस भी नहीं होगा, न किसी अधिकारी की अतिक्रमण कराने की हिम्मत होगी।

तीसरा मेरा निवेदन यह था कि रोज, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया और सरकार ने भी कई आदेश निकाल दिये कि आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ने कई बार योजनाएं भी बना लीं। लेकिन डिपार्टमेंट की गाड़ी वहां पहुंचती है, उससे पहले उस अधिकारी, कर्मचारी से उनके पास इंफार्मेशन पहुंचती है कि गाड़ी पकड़ने आने वाली है। इसमें एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, कमिश्नर भी है, इंस्पेक्टर भी है, बाकी

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

लोग भी हैं। तो उन सब पर ही जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। जिस क्षेत्र का जो आदमी है, जो अधिकारी जहां लगा हुआ है, उस अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, अगर वे सड़क पर हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, तब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो सकती। खाली कागजों में चलती रहती है। रोज कर्मचारी वहां गाड़ी लेकर जाते हैं, गाड़ी खाली घूमती रहती है। वह गाड़ी चली जाती है तो जानवर घूमते रहते हैं। इस व्यवस्था को करने के लिए माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन डिपार्टमेंट्स को ताकीद करें कि इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करें। (व्यवधान)

दूसरा मेरा निवेदन एक यह था, साहब, यह जो जे.डी.ए. से सड़क बनाने का या निगम वाले सड़क बनाने का काम करते हैं, इन इंजीनियर्स को चाहिए कि जिस सड़क का निर्माण करें, उसके नीचे पहले ही, आज क्या होता है कि आज सड़क बनती है, कल उसे दूसरे डिपार्टमेंट वाले तोड़ने के लिए आ जाते हैं। आज वहां कभी आर.एस.ई.बी. वाले लाइन डालने आ जाते हैं, कभी टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले अपनी लाइन डालते हैं। तो सड़क का जब निर्माण हो, उसके साथ ही उसमें पाइप डाल दिये जाएं। उन पाइपों का चार्ज, जब भी एजेंसी का कारिन्दा वहां काम करने आये, उससे निगम या जे.डी.ए., जिसने भी वह सड़क बनाई है, जिसने भी वहां नीचे पाइप डाले हैं, वह चार्ज उनसे ले लें। तो जो सड़क आज बनी है, लाखों रुपये लगकर सड़क बनती है और दूसरे दिन वह टूटने लग जाती है। इसका कारण क्या है कि तालमेल नहीं है। इसके लिए को-आर्डिनेशन कमेटी ऐसी बने, या वह विभाग इसके लिए अपने आप उनमें पाइप डाल दें, जिन भी एजेंसियों को कोई काम हो, आज आर.एस.ई.बी. को कोई बिजली की केबल डालनी है तो जिस एजेंसी ने सड़क बनाई है, उससे वह बात कर ले और बात करके वह पाइप का चार्ज उनसे ले लें। आज टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले आते हैं, आज कोई रिलायंस वाले डालेंगे, आज कोई दूसरी एजेंसी डालेगी तो उन सबसे उनका चार्ज लेकर वह सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दें। तो इससे वह प्राब्लम भी ठीक हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): एक सैकण्ड। लास्ट, आखिरी सुझाव।

श्री सभापति: हां, प्लीज। हां, समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): तीसरा मेरा सुझाव यह था कि आज मेरी कांस्टिट्यूएंसी में कई जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके नीचे सीवर लाइन डली हुई नहीं है। तो जे.डी.ए. का, आज जैसे जयसिंहपुरा खोर में दो सड़कें मंजूर कीं, एक तो तिराहे से लेकर, जयसिंहपुरा खोर से वहां तक और एक नायला रोड पर, लेकिन उनके नीचे सीवर लाइन डली हुई नहीं है। साथ के साथ सीवर का भी प्रोजेक्ट उसमें आ जाए तो सीवर लाइन डल जाएगी। बाद में, वह सड़क लाखों रुपये लगाकर, करोड़ों रुपये लगाकर अपन बना रहे हैं, उसमें तोड़-फोड़ अपने को नहीं करनी पड़ेगी। वे सड़कें परमानेंट कई सालों तक लम्बी चलेंगी।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आज नगर पालिका, नगर परिषद के विषय की मांग पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों की सफाई व्यवस्था नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इसमें सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जो स्टेप उठाया है, वह सराहनीय कदम है कि शहर साफ-सुथरा रहना चाहिए। उसके लिए नगर पालिकाएं, जो अपना कार्य पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हैं, उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना बजट खर्च होने के बावजूद भी शहर साफ-सुथरे नहीं रह पा रहे हैं। जैसे पानी की लाइनें डालने वाले, सड़कें इतनी सुन्दर बनी हुई हैं, उनके बीच में खोद करके वे डाल देते हैं। तो उसमें भी फिर, वापस खोदने के बाद में, दो-दो साल तक उसको वापस पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं। उससे भी आने-जाने वालों को काफी असुविधाएं होती हैं।

शहर में जहां पर भी, किसी भी सिटी में रोड हमेशा चौड़े होने चाहिए। क्योंकि पहले साधन नहीं थे और अब हर घर के अन्दर साधन हैं, फोर-व्हीलर। तो उस वजह से रोड हमेशा चौड़े रहें।

अभी अतिक्रमण की बाढ़ आ रही है। नगर परिषदों के अन्दर आपका

(श्री शंकर सिंह)

स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ पूरा नहीं होगा तो नगर-परिषदें अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पा रही हैं। नगर पालिकाओं में नहीं हैं, नगरपरिषद में नहीं हैं। हमारी ब्यावर नगर परिषद में अभी परसों के दिन आपके पास में ही और आपके डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब के पास में गाड़ी लेकर गये। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया किशनगढ़ के पास में। उनकी हालत देखिए। सारे पेपरों में भी आया है और मैंने आपको भी दिया है। लेकिन अब आपके पास, साहब, स्टाफ है नहीं लगाने के लिए और सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है कि उसको वहां पर पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

अभी जिस प्रकार भू-रूपांतरण का मामला हो, नगर-परिषदों में हो, कमेटियों में, पहले स्थानीय विधायक उसके अन्दर सदस्य हुआ करते थे, लेकिन पिछली सरकार ने यह ऐसा कदम उठाया और किसी भी विधायक को उसमें सदस्य नहीं रखा है। तो इसके कारण से कई प्रकार के, जगह-जगह जो भ्रष्टाचार की बू आने की शिकायतें मिल रही हैं, उसके ऊपर लगाम लगे, और सम्बन्धित विधायकों को उसमें वापस सदस्य बनाया जाए।

शहरों को जो स्मार्ट सिटी के रूप में, नगर परिषद को आप अच्छा कार्य करने के लिए सचेत करोगे तो निश्चित तौर पर हर शहर स्मार्ट सिटी बन सकता है। अब स्मार्ट सिटी के लिए आपने जिन शहरों का चयन किया है, उसमें ब्यावर का नाम आपको लेना चाहिए और इसको भी स्मार्ट सिटी के रूप में आपको बनाना चाहिए। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर में राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक आर.यू.आई., एफ.डी.ओ. के द्वारा 283 करोड़ रुपये की घोषणा हुई थी बजट के अन्दर। उस घोषणा का क्या हुआ? अभी तक उस घोषणा के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। वहां से जो रिपोर्ट मंगवाई गयी है, उस रिपोर्ट में यह कहकर अधिकारियों ने इतिश्री कर ली कि साहब, पानी की उपलब्धता वहां पर पूरी नहीं होने के कारण इसको स्वीकृत नहीं किया गया। पानी की उपलब्धता, उसमें 135 एम.एल.डी. पानी होना चाहिए और 107 एम.एल.डी. पानी उन्होंने बता दिया। एल.पी.सी.डी. जो है, वह 107 उन्होंने बताया, जबकि 135 होना चाहिए। आज की तारीख में 150

(श्री शंकर सिंह)

एल.पी.सी.डी. पानी वहां पर उपलब्ध है। अभी वहां पर किस बात की कमी है? सिर्फ आपकी तरफ से हरी झंडी और यहां से स्वीकृति करने की देर है। आप एक मिनट में बोलोगे और यहां से हमारा काम हो जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, यह आपसे निवेदन है कि इस काम में जो पूर्व में हमारी सरकार नहीं थी, उस टाइम भी हम काफी बोलते थे और मांगते भी थे लेकिन कोई देने वाला भी नहीं था। 'अंधा बांटे रेवड़ी और घर-घर का ही खाए', ऐसी स्थिति थी। तो अभी आज तो हमारे चारों तरफ सब जगह पर आपका राज है और हमारे ही देने वाले और बांटने वाले भी हमारे ही हैं। तो इसलिए हमें भी उसके अन्दर दिया जाए। यह जो इन्होंने बजट के अन्दर घोषणा की थी ...(व्यवधान) क्या जी? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय सत्ता पक्ष के एक का भी नोट नहीं कर रहे हैं, केवल विपक्ष का नोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप स्थान ग्रहण करें, डोटासराजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप उलटा मत करो। वे सबका नोट करते हैं। पक्ष का और विपक्ष का, दोनों का नोट कर रहे हैं। यह आप अच्छी तरह से देखें। (व्यवधान) यह आप सही कह रहे हो कि ऐसे करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: चलिए, कृपया आप कंटिन्यू करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि निश्चित तौर पर यह जो ब्यावर शहर के लिए 283 करोड़ की जो योजना पास हुई थी और तत्कालीन सरकार ने उसको बजट में भी लेकर पास किया था, मेरा आपसे निवेदन है कि ब्यावर की जो सफाई व्यवस्था है वह इतनी चरमरा गयी है कि सीवरेज लाइन्स का पानी रोड के ऊपर चल रहा है और आम जनता जो निकलती है, अपन पैदल भी नहीं चल पाते हैं। इसलिए गंदे पानी को रोकने के लिए ब्यावर शहर के अन्दर, यह बड़ा शहर है, राजस्थान का आज 13वां नम्बर का बड़ा शहर है, रेवेन्यू की दृष्टि से भी हमें बहुत अच्छी आय वहां से मिल रही है, तो निश्चित तौर पर जो बजट पास किया गया है, उसको वहां पर रिलीज करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करेंगे, माननीय सदस्य?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): शुरू किया है।

श्री सभापति: आप समाप्त कर रहे हैं क्या?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दो बात और कहकर।

श्री सभापति: हां, प्लीज, आराम से। दो क्या, तीन कहिए आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): काम की चीजें मांग लेता हूं। ब्यावर में जिस प्रकार हमारा जो तालाब बना हुआ है, बिचड़ली तालाब, वह सुंदरता के लिए, ब्यावर की सुंदरता के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी यह सीवरेज की लाइनें नहीं निकलने की वजह से सोक-पिट टैंक के रूप हो गया है। सारा गंदा पानी उसके अन्दर शामिल होता है। न तो कोई उसमें घूमने-फिरने के लिए दे रहे हैं। घूमने-फिरने के काम में लिये जाने वाला वह बाग़ था, कम्पनी बाग़ के नाम से जाना जाता था और उस तालाब के पीछे, वह बिलकुल एकदम सोक-पिट टैंक के रूप में हो गया। तो यह सीवरेज के लिए जिस दिन पैसा यहां से पास होकर जाएगा, तो निश्चित तौर पर होगा।

मेरा एक और निवेदन है, मैं सारा ही बजट आपके यहां से नहीं ले जाने का कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई योजना आप लागू करें कि हम दस परसेंट वहां से सहभागिता के रूप से, हमारी वहां की जनता भी आपको उस पैसे के लिए, दस परसेंट पैसा हम जनता से करेंगे, नब्बे परसेंट आप यहां से करें, ऐसी कोई सहभागिता योजना भी शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उसका भी स्वागत करूंगा। ऐसा मेरा आपसे सुझाव के रूप में निवेदन है।

हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और हमारे प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्रजी मोदी ने पूरे राजस्थान को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ रखने का जो संकल्प लिया है, उसको और हमारी महारानी महोदया ने सबको साथ में लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का और आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजलजी। कृपया मेरी बात सुनें, समय का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मुझे आपको रोकना नहीं पड़े, आप समय की सीमा में अपनी बात कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आसन की बात का पूरा सम्मान होगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास तथा मांग संख्या 20 - आवास पर चर्चा हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण मांग पर, माननीय सभापति महोदय, चर्चा हो रही है। नगरीय विकास और आयोजना विभाग, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नगरीय विकास विभाग की रहती है और इस बजट में राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने भी ऐसी मंशा व्यक्त की है, 'शहरों की बढ़ती हुई आबादी को आवास उपलब्ध कराना एक ज्वलंत समस्या है और हम उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। पी.पी.पी. मोड पर जाने की भी इसमें बात कही है।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातों की तरफ आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अभी सदन में व्यापक चर्चा हुई है। प्रदेश के दो ऐसे बड़े शहर, जयपुर, जिसको विश्व के 10 नगरों में शुमार किया गया, इस कारण देश भर के लोगों का झुकाव बना; और दूसरा शहर कोटा, जो आज हिंदुस्तान में कोचिंग का हब बन गया और रोजाना वहां सड़क पर चलते-फिरते दो लाख बच्चों को देखा जा सकता है एक मोटे अनुमान के तहत आने वाले पांच साल में वहां तीन से पांच लाख बच्चों के कोचिंग प्राप्त करने की सम्भावना है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूं कि कोटा आने वाले समय में राजस्थान का कोचिंग ट्यूरिज्म का एक बड़ा हब बनने वाला है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन शहरों का विस्तार जो हुआ, ठोस टाउन प्लानिंग नीति के अभाव में अनियोजित तरीके से विकास हुआ। जो विकास अनियोजित तरीके से हो गया, वह सिलसिला आज अचानक प्रारम्भ नहीं हुआ, वह पिछले कई दशकों से लगातार चल रहा है। नगर विकास, आवास, इन विभागों के अलावा प्राइवेट खातेदारों ने, कालोनाइजर्स ने शहरों की आबादी के विस्तार से कालोनियां काट दीं। यह एक शहर की समस्या नहीं है, यह सारे राजस्थान की समस्या है। जो कालोनियां बस गयीं, उन कालोनियों को मानवीय सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें पट्टा देना, नाली, सड़क, आदि की समुचित सुविधा उपलब्ध कराना, यह राज्य सरकार का दायित्व है।

मैं आज मंत्रीजी का ध्यान एक विशेष सर्कुलर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने हर व्यक्ति का सपना होता है पट्टा, चाहे वह राज जाते समय, 2012 में 'प्रशासन-शहरों-के-संग' अभियान चलाकर लोगों को आकर्षित करने के लिए किया; हम पट्टे दे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रहे हैं। जब वे पट्टे दिये गये, तो सरकार ने 2012 में एक सर्कुलर जारी किया कि 17.6.1999 की पूर्व की जितनी आवासीय कालोनियां बसी हैं, उन तमाम कालोनियों को पट्टा दे दिया जाये और 17.6.1999 के सर्कुलर में, जिसमें 30-60 की सुविधाओं का प्रोविजन था, उस प्रोविजन को समाप्त कर दिया, इस आधार पर कि जो कालोनियां 20 साल से बस गयी हैं, 30 साल से बस गयी हैं, उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है। जब हम उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो पट्टे जैसे उसके हक-अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। जब पट्टा मिलेगा, तो डवलपमेंट और जरूरी चीजें वहां पर नगर निकाय और नगर विकास न्यास को करनी पड़ेगी। पट्टे ही बांटे। राजनीतिक लाभ लेने की मंशा थी, मिल नहीं पाया।

लेकिन अभी हाल ही में 18 नवम्बर, 2014 को एक पत्र जारी हुआ, इसने सारे राजस्थान में, माननीय मंत्री महोदय, एक कन्फ्यूजन जारी कर दिया। सामने नगर पालिकाओं के चुनाव हैं अगस्त में, अखबारों में समाचार छप गया, राज्य सरकार ने पट्टों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मुझे याद नहीं कि माननीय मंत्री महोदय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया, मंत्रिमण्डल में कोई इस प्रकार का फैसला हुआ। केवल एक भ्रान्तिवश राजस्थान में इस प्रकार की चर्चा हो गयी और समूचे राजस्थान में, जो पट्टा व्यक्ति का अधिकार है, उस पर प्रतिबन्ध लग गया।

गंगानगर के एक यू आई टी सेक्रेटरी ने शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर से पूछ लिया कि छूट की अवधि समाप्त होने के बाद क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना हुए बेचान अर्थात् 100 रुपये नान-जुडिशियल स्टाम्प पर हुए बेचान के आधार पर, बिना दस्तावेज पंजीकृत मुद्रांकित करवाये, पट्टा जारी किया जा सकता है? मना कर दिया। पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। फिर अगले पैरा में पूछते हैं कि क्या अब पंजीकृत दस्तावेजों में पट्टा जारी करने की राज्य सरकार की कोई कट-आफ-डेट आज भी नियत है? जवाब दे रहे हैं, अब पंजीकृत दस्तावेजों के सम्बन्ध में विभागीय आदेश 26.5.2000 के अनुसार कार्यवाही करें और यह 26.5.2000 कह रहा है, माननीय सभापति महोदय, यह 26.5.2000 का सर्कुलर है, यह साफ कह रहा है, जहां किसी खातेदार के मूल आबंटी सदस्य अथवा खातेदार के क्रेता द्वारा भूमि का हस्तानान्तरण जरिये इकरारनामा एक से अधिक बार किया जा चुका

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हो, तो इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भूखण्ड का जितनी बार भी हस्तानान्तरण होगा, उतनी ही बार प्रति-हस्तानान्तरण 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से हस्तानान्तरण राशि वसूल की जाएगी। इस सम्बन्ध में जन हित में यह निर्देश दिये जाते हैं कि नियमन तिथि से पूर्व कितनी भी बार हस्तानान्तरण हुआ हो, एक ही बार हस्तानान्तरण 10 रुपये प्रति वर्ग गज लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे। जब 10 रुपये वर्ग गज लिया जाकर नियमन की कार्यवाही, एक तरफ तो आप कह रहे हैं 26 मई, 2000 के सर्कुलर से काम करें और दूसरी तरफ पैरा नंबर 4 में आप लिख रहे हैं कि पंजीकृत दस्तावेजों के बिना आप पट्टा जारी नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1999 के पहले की जो बसी हुई कालोनियां थीं, पिछली सरकार ने अकेले कोटा में 400 कालोनियों का ले-आउट प्लान मंजूर कर दिया। आज उनके पंजीकृत दस्तावेज ढूंढने जाएंगे तो न खातेदार उनमें से आधे जिन्दा मिलेंगे और न बेचने वाले प्रोपर्टी डीलर किसी खातेदार को मिलेंगे और न खाताधारी के कोई रेवेन्यू के रिकार्ड आज मिलेंगे। आज उनकी सबकी 90-बी, 90-ए होकर वह यू आई टी के खाते में दर्ज की जा चुकी है।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, यह 26 मई, 2000 भी कह रहा है कि आप 10 परसेंट पेनल्टी लगा दें; आप 10 परसेंट की जगह 100 परसेंट पेनेल्टी लगा दें। लेकिन यह जो पट्टा देने का क्रम है, गरीब आदमी जो दो गज जमीन खरीदकर किसी प्राइवेट खातेदार से, प्राइवेट कालोनाइजर से अपना सिर ढकने के लिए छप्पर बनाने का सपना देखता है कि मेरे पास पट्टा होगा, मेरा निजी मकान होगा, निश्चित रूप से उस क्रम को अबाध रूप से जारी रखना चाहिये। ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं। इसी पैरे में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम 17 लाख आवास पी पी पी मोड पर बनायेंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार का इनके माध्यम से चल रहा है, 25 स्क्वायर मीटर पर गरीब व्यक्ति के लिए

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सुविधायुक्त आवास बनाना, अब यह चर्चा है कि 31 मार्च को यह समाप्त हो रहा है, जिसमें 80 परसेंट पैसा भारत सरकार का है, 10 परसेंट पैसा राजस्थान सरकार का है और 10 परसेंट पैसा स्थानीय निकाय का है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, अभी राजस्थान में कई ऐसी नगरपालिकाएं, जहां पर यह पैसा तो आ चुका है, रामगंजमण्डी ले लीजिये, अन्ता ले लीजिये, एक रुपये का भी उपयोग प्रारम्भ नहीं हुआ। एक तरफ हम पी पी पी मोड पर गरीबों के लिए आवास बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह पैसा लेप्स होने की स्थितियां बन रही हैं। निश्चित रूप से आज ही इस बारे में गम्भीरतापूर्वक चर्चा करके, कम से कम जब तक इसका एक साल का एक्सटेंशन नहीं होगा, तब तक इस पैसे का गरीबों के लिए सदुपयोग नहीं हो पायेगा। कम से कम 31 मार्च, 2015 तक इसका एक्सटेंशन होगा तो भारत सरकार के इस पैसे का सदुपयोग होगा और मुख्य मंत्रीजी ने जो भावना अपने बजट भाषण में व्यक्त की है कि हम गरीबों के लिए आवास देंगे, चाहे पी पी पी मोड पर जाना पड़े; 2022 तक 17 लाख आवासों की जरूरत पड़ेगी, वह मुख्य मंत्रीजी की भावना का सम्मान होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास किया जायेगा।

अभी हाल ही में, माननीय सभापति महोदय, विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कालोनाइजर्स ने कालोनियां डवलप कर दीं। वह पानी का सिस्टम हो गया सप्लाई का, लेकिन आज भी वे बोरिंग से पानी पी रहे हैं। ''मैं रिट के माध्यम से जाऊंगा और लोगों को पी एच ई डी की पाइपलाइन से पानी सप्लाई कराऊंगा।'' मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भी एक समस्या है; मैं रिट में नहीं जाने वाला और रिट में जाने की जरूरत भी नहीं है। यू.आई.टी. ने एन.सी.आर. से 125 करोड़ रुपये का लोन लेकर 130 एम.एल.डी. का निर्माण किया। जैसे ही मैं एम.एल.ए. बना, मैंने दोनों मंत्रियों से आग्रह करके विभागीय स्तर पर बैठक कराकर कि यू.आई.टी. से यह स्कीम पी.एच.ई.डी. को हस्तानान्तरित हो जाये तो पी.एच.ई.डी. इस पर लोगों को, जितना पैसा खर्च हुआ, उसका उपयोग हो, वह कनेक्शन देना प्रारम्भ कर दे। आज 130 एम.एल.डी. पर 125 करोड़ रुपया खर्च हो गया। विभागों के हस्तानान्तरण के अभाव में दो बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग हो गयी, मिनिस्टर साहब से चर्चा हो गयी और हाल ही में मैंने दोनों मंत्रियों से इसी सदन के दौरान चर्चा की है, बीच में यह अड़ंगा आया था, इसमें

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पी.एच.ई.डी. ने यह आब्जेक्शन लगाया कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट यू.आई.टी. जारी करे। अभी दोनों विभागों की 29.3.2015 को बैठक जारी होने के बाद नगर विकास न्यास कोटा ने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया।

इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस स्कीम को इमिजिएट पी.एच.ई.डी. को ट्रांसफर करें। इस स्कीम के बनने के बाद जो लाखों लोग हैं कोटा शहर के, जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चम्बल का पानी, किनारे पर बैठे हैं, प्यासे हैं, आज भी बोरिंग का पानी पी रहे हैं, उन्हें चम्बल की पाइपलाइन का पानी निश्चित रूप से मिले, यह मैं समझता हूं कि इसी बजट में अगर आप विभागीय स्तर पर बैठक करके, क्योंकि औपचारिकता पूरी हो चुकी है, करेंगे, तो निश्चित रूप से कोटा के साथ न्याय होगा।

एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से। रिंग रोड के बारे में चर्चा की। माननीय सभापति महोदय, जे.डी.ए. जयपुर में रिंग रोड बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। मैंने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि कोटा भी तीव्र गति से बढ़ता हुआ शहर है और सौभाग्य से वह शहर के चारों तरफ एन.एच. 12 से एन.एच. 76 को जोड़ने वाला रोड और एन.एच. 76 से बारां को जोड़ने वाला रोड और हाल ही में भारत सरकार ने नोर्दन बाई-पास, जो गामच फाटक से लेकर, जो जालीपुरा में एन.एच. 76 से मिलता है; केवल आप नोर्दन बाई-पास एक्सटेंशन के नाम से 12 किलोमीटर के प्रस्ताव बल्लोभ से गामच फाटक के अगर भारत सरकार को भेज दें तो जे डी ए की तरह न तो यू आई टी का पैसा लगेगा, न निगम का पैसा लगेगा और कोटा शहर के फोर-लेन का एक ऐसा विस्तृत रिंग रोड बनेगा, जो सैकड़ों सालों तक कोटा की जनता आपको याद करेगी कि राजपाल सिंहजी जब स्वायत्त शासन मंत्री थे, उन्होंने यह गम्भीर पहल कर के...।

(15.00 बजे)

चूंकि नोर्थर्न बाइपास जो लगभग 178 करोड़ रुपये का है, अभी उसकी वर्किंग एजेंसी यू.आई.टी. है, एन.एच.ए.आई. ने उसको सैंक्शन किया है, उसी का एक्सटेंशन फेज गामच फाटक से बल्लोभ तक का करते हुए, अगर आप यह काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोटा की जनता आपको याद करेगी, आपका आभार व्यक्त करेगी।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने, मंत्री महोदय ने सात अजूबे बनाये थे इस उम्मीद के साथ कि यहां पर पूरे देश का पर्यटक खिंच कर चला आयेगा लेकिन वे सात अजूबे यू.आई.टी. के लिए सफेद हाथी बन गये। वहां न कोई पर्यटक आता है, न देखने के लिए ज्यादा लोग आते हैं लेकिन उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए, पैसा चाहे कांग्रेस ने खर्च किया हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार ने खर्च किया हो, पैसा इस राजस्थान की गरीब जनता का है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका लाभ निश्चित रूप से संस्थाओं को मिलना चाहिए। इसमें एक बात को ऐड करते हुए, माननीय मंत्री महोदय, अगर आप उस किशोर सागर के जल मंदिर को वहां की हेरिटेज प्रोपर्टी लक्की बुर्ज से रोप-वे के माध्यम से जोड़ दें, जिसकी डिमाण्ड है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन सात अजूबों का महत्व बढ़ेगा, उस किशोर सागर का महत्व बढ़ेगा और वह निश्चित रूप से राजस्थान का पहला रोप-वे होगा।

कल भी मैंने कहा था कि मोदीजी ने एक प्राकृतिक दीवार बना कर कृत्रिम झील बनायी है; अगर झीलों का दर्शन करना है तो बैराज से लेकर जवाहर सागर, जवाहर सागर से लेकर राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर से गांधी सागर; कोटा इस मामले में प्राकृतिक सम्पदा का धनी है। निश्चित रूप से अगर यह रोप-वे बनता है, आपको एन.एच.ए.आई. के एक्सटेंशन में, इस फेज का काम कराने में आपका पैसा नहीं जा रहा; रोप-वे बनाने के लिए यू.आई.टी. सक्षम है, 10-12 करोड़ रुपये अगर खर्च हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में मैं उम्मीद करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, चाहे यू.आई.टी. पर भार डाल कर करें, आज इसकी घोषणा करेंगे तो सारा कोटा शहर आपका स्वागत करेगा और कोटा में ट्यूरिज्म बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-दो छोटी-छोटी बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: समय का आप ध्यान रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 15 मिनट की ही तो बात है।

श्री सभापति: अब आपका एक मिनट बाकी रह गया। एक मिनट में आपको जो कहना है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इतनी तो आपकी कृपा है मेरे पर। बस एक-दो मिनट में।

श्री सभापति: I think, you will, आपने जो बात की है, अपनी बात पर कायम रहेंगे आप। आप कृपया एक मिनट में समाप्त करें। बहुत लम्बी लिस्ट है मेरे पास।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, बिलकुल। हां, एक-दो मिनट में।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्वायत्त शासन के पहले पैरा में 9 जून, 2014 को राष्ट्रपतिजी ने जो संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाषण दिया, उसको उद्धृत किया है स्वच्छता को लेकर और यह संकल्प पारित किया है कि हम 7 लाख 70 हजार से अधिक जल प्रवाहित शौचालय बनाएंगे। ओपन डेफेकेशन फ्री शहरों को बनाने का भी उन्होंने एक सपना देखा है। माननीय सभापति महोदय, केवल दो बात करूंगा। जो भारत सरकार के नोर्म्स हैं 15 हजार रुपया पर शौचालय, कोटा राकी इलाका है वहां टू पीस शौचालय नहीं बन सकते; अर्थर्न कम है, खास तौर से मेरा विधान सभा क्षेत्र और इसीलिए 15 हजार स्टेट और भारत सरकार के पैसे की बरबादी है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, हमने राजस्थान सरकार को प्रस्ताव दिया है पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. के आधार पर कि आप चाहे भारत सरकार से अपील करें, चाहे अपने आन फंड में से दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14,667 परिवार ऐसे हैं जहां आज भी शौचालय नहीं हैं और 9 हजार परिवार ऐसे हैं जो सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। हम उन 9 हजार परिवारों की बात नहीं करते जहां आपने सामुदायिक सुविधा सार्वजनिक शौचालय की उपलब्ध करवा दी, लेकिन 14,667 परिवारों को पक्का शौचालय उपलब्ध कराने के लिए 28,270 के हिसाब से 19 करोड़ 71 लाख रुपये जो अधिक लगेगा, पिछली सरकार जे.डी.ए. से कई सारा पैसा ट्रांसफर करके कोटा ले गयी थी, मैं उम्मीद करूंगा, यू.डी.एच. की किसी भी मद में से आप पैसा दें लेकिन कोटा शहर के साथ न्याय करें, तो हम स्वच्छता के पैरामीटर्स पर जाकर खरे उतरेंगे। सड़क की सफाई स्वच्छता नहीं, स्वच्छता वह है कि घर में भी नजर आवे। मेरा विधान सभा क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत अभागा और पिछड़ा हुआ है।

दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने एक भाषण में कहा है, मैंने अख़बार में पढ़ा है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम है इसकी ठीक प्लानिंग नहीं बनी। यह दुर्भाग्य है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से राजस्थान आप जैसे मंत्री से यही अपेक्षा करता है, वाटर ड्रेनेज और नाली के बारे में एक ठीक सिस्टम बने, इस बारे में गम्भीर एक्सरसाइज होनी चाहिए।

कोटा शहर तीन भागों में विभक्त है, एक नदी के पश्चिम में है, एक रेलवे के पार है और बीच में है। वहां पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसलिए नदी के पार के क्षेत्र में जहां एक लाख की आबादी बनती है, नाली से लेकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम तक को ठीक करके एक बूंद भी पानी गिरे तो बहकर सीधा चम्बल नदी में चला जाए। व्यापक सर्वे चल रहा है, एक 200 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनकर नगर निगम, कोटा में सब्मिट हो चुकी है और निश्चित रूप से कुछ समय बाद राजस्थान सरकार के पास आनी है। 80 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देगी और 10 प्रतिशत आप देंगे, 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय देगी। मैं समझता हूं कि जो सपना आपने देखा होगा, जिस आधार पर आज आपने बयान दिया है कि नाली की स्वच्छता और वाटर ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि पार्षद के काम के लिए कोई एम.एल.ए. और एम.पी. की तरफ उंगली उठा कर नहीं कहे, यह पानी भरा हुआ है, यह नाली सड़ रही है। निश्चित रूप से आप अपनी सोच के मुताबिक अपने एक्शन को भी साबित करेंगे।

मैं यह उम्मीद करता हूं कि आज जब आप इसका प्रति-उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं इस राजस्थान के हित में होंगी, स्वच्छता का वातावरण बनेगा, डवलपमेंट बनेगा और मेरी कांस्टिट्यूएंसी के साथ भी विकास के लिए न्याय होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। अब आप समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम नगरीय विकास और आयोजना की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने प्रदेश के काफी शहरों के मास्टर प्लान का काम किया, सफाई कर्मचारी जो शहर को साफ रख सकें उन सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का काम किया और काफी प्रोजेक्ट सीवरेज के शहरों में, 2,300 करोड़ रुपये के दर्जनों शहरों में, हमने सीवरेज लाने का काम किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो 2,300 करोड़ रुपये सीवरेज के प्रोजेक्ट थे, जो हमने स्वीकृत किये थे, जिसमें लक्ष्मणगढ़ भी एक है, नवलगढ़ भी है, काफी शहर हैं, आपने समीक्षा के नाम पर उनको सब को समाप्त करने का काम किया और केन्द्र सरकार से मिलने वाले 2,300 करोड़ रुपये लाने में आप नाकाम रहे हों। यह आपकी नगर के विकास की इस डेढ़ साल में पहली उपलब्धि है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो काम करना चाहिए था,वह तो कर नहीं रहे हो। राज्य सरकार जब आयी, सभापति महोदय, तो आनन-फानन में मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की कि शहरों की सफाई करेंगे और इसकी सफाई जयपुर से करेंगे और हुई भी लेकिन सफाई सड़कों की नहीं हुई, नालियों की नहीं हुई, गलियों की नहीं हुई, बल्कि हमारे नगर निगम के सी.ई.ओ. साहब ठेकेदारों की जेबों की सफाई करने लग गये। ये काम इन्होंने डेढ़ साल में करने का किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी की शह के बगैर कोई एक छोटा-मोटा अफसर कर नहीं सकता। आपको सफाई करनी है, आप सफाई सड़कों की कीजिए।

अभी हमारे माननीय सदस्य, परनामी साहब कह रहे थे कि आप रिंग रोड़ नहीं ला सके, ये नहीं कर सके, हमने रिंग रोड़ में, पता नहीं? क्या-क्या सफलता अर्जित कर ली। रिंग रोड में कर ली न सफलता? सभापति महोदय, 1,500 पुलिस वाले ले गये, उन गरीब किसानों के लाठियां बरसा कर उनको जेलों के अन्दर डाल दिया और उनकी जमीन छीनने का आपने काम किया। क्या यह आप नगर का विकास करना चाह रहे हो? इस तरह से किसान की जमीन पुलिस के बल पर, सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के आधार पर कर के आप कोई नगरों का विकास नहीं कर सकते हो।

आपने कहा, मोदीजी ने बड़े-बड़े वादे किये थे, हम अमेरिका के सहयोग से स्मार्ट सिटी बनायेंगे, जिसमें अजमेर का भी नाम आया था। सभापति महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी राज्य की सरकार ने, आपके प्रधान मंत्री मोदीजी ने, केन्द्र की सरकार ने, इस स्मार्ट सिटी के नाम से एक रुपया उस अजमेर को देने का काम नहीं किया है, बल्कि एक चिट्ठी आयी है केन्द्र से, शायद आपके भी नालेज में होगी कि आप अपना प्लान बनाइये और अपने बजट से इस अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाइये। मंत्रीजी, मोदीजी ने 80 करोड़ रुपये दिये थे, 80 शहरों को स्मार्ट सिटी बनायेंगे। एक करोड़ रुपया शहर में दो किलोमीटर में एक सड़क को बनाने में लग जाता है। एक करोड़ रुपया। आप एक करोड़ रुपये से एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। जोधपुर को दिला दें आपको एक करोड़ रुपया, बना दोगे क्या आप स्मार्ट सिटी? मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अशोकजी 5 बार एम.पी. रहे और 2 बार मुख्य मंत्री रहे और कुछ भी नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो नींद में भी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अशोकजी आते हैं। (व्यवधान) आपको तो नींद में भी याद आते हैं माननीय अशोकजी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वही भुगत रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अशोकजी राजस्थान के लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। (व्यवधान) उन्होंने काम किया था। गरीब के लिए काम किया, शहरों के लिए काम किया। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर को बरबाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान के लिए काम किया। (व्यवधान) आप क्या बात करोगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या मुकाबला करोगे आप और आपकी सरकार अशोकजी गहलोत का। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अशोकजी नींद में आते हैं, विधान सभा में नहीं आते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सरकार आई थी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट। यह दिल धड़का कैसा? जो धड़कन बढ़ी थी न, धड़का कैसा? यहां से वहां चले गये। इतना छोटा प्रतिपक्ष कभी आया है? अब उसके बाद भी खुश हो रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राठौड़ साहब को कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) दिल धड़का था, अब ठीक हुआ है और ठीक चलने दो इसको।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): डोटासराजी, एक परसेंट सत्य बोल देना। बाहर जाकर जवाब भी देना है। आप 99 परसेंट असत्य बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 परसेंट तो सत्य बोलना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आपके नगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निगम के सी ई ओ जेल में नहीं बैठे हैं क्या? आपके समय में सफाई करवायी थी ठेकेदारों की जेबों की (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्री भी तो जेल में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कई होकर के भी आये हैं। रहने दो। इस बात को यहीं खतम करो।

माननीय सभापति महोदय, आपने पिछले कार्यकाल में 90-ए, 90-बी में कितने घोटाले हुए इनके पिछले कार्यकाल की सरकार में, 2003-08, यह किसी प्रदेशवासी से छुपा हुआ नहीं है। अब भी वही काम करने जा रहे हो। नगरों का विकास करने की आपकी मंशा नहीं है। यह ठीक नहीं है। नक्शे पास हुए, किसी सक्षम अधिकारी ने किये और आप नक्शे निरस्त करने के नाम पर उनको धमका कर...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो मास्टर प्लान बनें, उनमें इतनी धांधली हुई है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर किसी ने नक्शा गलत पास किया है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जितने भी मास्टर प्लान बने उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह नगरों का विकास नहीं, अपना व्यक्तिगत विकास करने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह एक आदत बन गई है। या तो कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, तो माननीय सदस्य कहें, उनका अधिकार है। नक्शे पास किये; नक्शों में धमकाया; नक्शों में पैसे ले लिये। कम से कम आप सचेतक हो प्रतिपक्ष के, कुछ बात ऐसी रखो जो समझ में भी आये। आपके पास में कोई स्पेसिफिक प्रमाण हो। चार्जेज लगा रहे हैं। हिम्मत हो तो नोटिस देकर लगाओ ना चार्जेज। कौन मना करता है आपको?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी पहले सचेतक थे, पहले यहीं बैठते थे और पता नहीं, कितने आरोप लगाते थे। वे असत्य आरोप लगाते थे। मेरे सारे के सारे जो चार्जेज हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा है कि हम हमारी एस एल पी वापस लेते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप डूडी साहब से पूछ लो, कभी असत्य आरोप लगाये हों तो मैंने।

श्री सभापति: माननीय, आप भी विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डूडी साहब उस वक्त थे नहीं। तेरहवीं विधान सभा में मैं था ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा, डोटासराजी (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, शिक्षा मंत्रीजी (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं तो यह पूछना चाहूंगा कि होटल फैलामाउंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? (व्यवधान) वह भी जरा बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह पेट्रोल पम्प पर लिस्ट पड़ी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असली पता डूडी साहब को ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपके पेट्रोल पम्प पर सारी लिस्ट है। उसमें जो पिछले 12 महीने में हुआ है, वह सब कुछ लिखा हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): होटल फैरामाउंट का भी बताइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, वह गांव का भी विकास करे, शहर का भी विकास करे, शहर को साफ-सुथरा रखे। अगर शहर साफ-सुथरा रहेगा तो निश्चित रूप से पर्यटन में भी हमें आमदनी होगी, पर्यटक बाहर से आयेंगे। लेकिन जिस तरह से इस 2-3 महीने में स्वाइन फ्लू का प्रकोप रोकने में यह सरकार नाकाम रही है, पर्यटक तो नाम नहीं ले रहा है आने का। आप कहां स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी पी एल के लिए हमारी सरकार ने शहरों में बी पी एल आवास योजना चलाई थी; पहली किश्त दे दी, कहीं दूसरी किश्त दे दी। जहां पहली मिल गई, आपने दूसरी नहीं दी और जहां दूसरी किश्त देने के लिए आदमी यू सी तैयार करके खड़ा है, वह योजना ही निरस्त करने का काम किया। आप गरीब को छत देने की बात कर रहे हों, आपने तो गरीब की छत छीनने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या जयपुर में भी है, सीकर में भी है, सब जगह है। जे डी ए जयपुर में कालोनी काट देता है। डार्क जोन आ गया 1994 से और उसके बाद में जितनी भी कालोनियां अप्रूव्ड हुई हैं, उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं। डार्क जोन के कारण से न तो वह ट्यूबवेल खोद सकता है, न ही उसको आप पानी पहुंचा रहे हो। इधर जगतपुरा साइड में मेरे को कुछ लोग मिले थे, अरविन्द नगर और हरि नगर, दोनों में पानी टैंकरों से डलवाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है। यह जो स्थिति है, उस पर कौन काबू पायेगा?

किस तरह के नगर विकास की आप बात कर रहे हैं? पृथ्वीराज का हाल आपसे छिपा नहीं है। आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र का एरिया आता है। न हम ज्यादा प्रगति कर पाये और मैं समझता हूं कि आप भी नहीं कर पाओगे। अंधाधुंध मकान बन रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाकर के काम हो रहे हैं। उसको कोई रोकने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टाउन प्लानिंग है न, यह बड़ा ही फिट है। वह फिट इस संदर्भ में है कि आप वहां जाओगे, मेरा भी एक-दो दफे जाने का सौभाग्य से मौका पड़ा है, बिलकुल टूटी हुई कुर्सी, फाइलों पर गर्द, पहले सेटिंग करो, मीटिंग करो और फिर चीटिंग करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है टाउन प्लानिंग में। सेटिंग, मीटिंग और चीटिंग, चाहे राज हमारा रहा और चाहे राज आपका रहा हो। इस टाउन प्लानिंग में बगैर पैसे के एक भी काम नहीं होता है।

मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने पर्यटन इकाई नीति, 2007, मंत्री महोदय, बनाई थी। उसमें रिसोर्ट, वगैरह के लिए नियमों में रिलेक्सेशन दिये थे। उन रिलेक्सेशन के तहत सीकर यू आई टी ने पट्टा जारी कर दिया, आपकी पालिसी आज भी कंटिन्यू कर रही है और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसके बाद में जब नगर नियोजक के यहां टी एस बनकर के स्वीकृति के लिए आई तो यह कहकर के, क्योंकि वह सेटिंग, मीटिंग और चीटिंग नहीं हुई, इसलिए यह वापस एक चिट्ठी लिखकर के दे दिया कि राज्य सरकार से अनुमति ली जाये। इसमें एक परिपत्र आ गया 19.06.2013 का, जिसमें 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी को कि जब आपकी पालिसी में 6 हजार न्यूनतम है रिसोर्ट के लिए, तो आप 10 हजार का कैसे निकाल सकते हो और किस आधार पर टी एस रोक दी? न तो उसका पट्टा निरस्त हुआ, न उसको परमिशन मिली और न उसको टी एस जारी हुई। वह कहां जाये? उसकी जमीन भी एग्रीकल्चर की थी, आपने पट्टा देकर के उसको रिसोर्ट के लिए भू-परिवर्तन कर दिया और उसके बाद में आप परमिशन नहीं दे रहे हो। मेरा स्वयं का जाने का काम पड़ा और जब यह पता लग गया कि एम एल ए आया है किसी काम के लिए, तो दूसरे दिन बैक डेट में चिट्ठी दे दी कि आप सरकार के पास जाइये, क्योंकि उनको यह लग गया कि यह पैसे देने वाला नहीं है। आप कहोगे तो पर्टिकुलर केस की पूरी डिटेल लेकर के आया हूं, आपकी सेवा में पेश कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि नगर स्वच्छ रहे, सफाई हो, लेकिन सफाई कर्मचारियों के क्या हाल हैं? हमारी सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती किये थे। आपने आने के बाद मंत्री महोदय, कितने सफाई कर्मचारी भर्ती किये? उलटे जो सफाई कर्मचारी हैं, वे माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के घर पर चक्कर लगा रहे हैं। सफाई कर रहे हैं, या घर बैठे प्लेटें पकड़ा रहे हैं। नगर की सफाई में उनका कोई योगदान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यू आई टीज खोली थीं, सीकर का भी सौभाग्य था कि अशोकजी गहलोत साहब ने सीकर को यू आई टी दी, क्या हुआ इन यू आई टीज का? आज तक आपने डेढ़ साल में सेक्रेटरी नहीं लगाया। 4-4 क्षेत्राधिकार के परिवर्तन कर दिये। आपने क्या किया, हमारे सीकर में यू आई टी खुली। पहले तो कहा कि जो नगर परिषद की सीमा है, उसके अलावा जितना भी, चाहे नगरपालिका के नाम से नाम चढ़ गया हो, उसका, 90-ए, 90-बी हो गया हो, लेकिन वह यू आई टी काम करेगी। फिर दुबारा सर्कुलर गया कि नहीं, आप तो केवल एग्रीकल्चर की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बात करो। जो जमीन नगर परिषद के नाम चढ़ गयी, वह नगर परिषद देखेगा। यह यू आई टी और नगर परिषद, नगरपालिकाओं का जो गैप है, उसको भी, मैं समझता हूं, आप योग्य मंत्री हैं, अपनी बात बड़ी दबंगई से कहते भी हैं, अधिकारियों को भी धमकाते हैं; कोई गलत काम करता है और उसे आप धमकाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई मंत्री बढ़िया आया है जो काम करके दिखाएगा। इसलिए उनको सेक्रेटरी लगाने की जरूरत है, उनको आप काम दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, सीकर की यू आई टी में एक प्लान बनाया, भैंरूपुरा में जमीन पड़ी थी, जमीन के आवेदन मांगे गये, आवेदन मांगने के बाद में पैसा इकट्ठा कर लिया और वह जो नक्शा, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, न तो नक्शा पास कराया और वह सारा का सारा लिटिगेशन कोर्ट में पडा है और अगर कोई वापस पैसे लेना चाहता है। आज लगभग डेढ़ साल हो गये, कोई आवेदक वापस पैसा लेना चाहता है तो पांच सौ रुपये काटते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप समय का ध्यान रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एस सी, एस टी का खातेदार, अगर उसने अपनी खातेदारी जमीन में प्लाट काट दिये और प्लाट काटने के बाद 90 हो गया, 90 होने के बाद उस पर पट्टे मिल गए, दस परसेंट, पांच लोगों को, दस लोगों को, बीस लोगों को लेकिन यह हमारे समय में जो प्रशासन-शहरों-के-संग आया उसमें वापस एक सर्कुलर आया कि अगर आगे 1999 के बाद में एस सी, एस टी की जमीन पर प्लाट कटे हैं तो उसको पट्टा जारी नहीं किया जाए, भले ही पहले दस-बीस परसेंट के पट्टे जारी कर दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये अधिकारी गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताइए, जहां कालोनी बस गई, मकान बस गए, बीस परसेंट लोगों को पट्टे जारी हो गये, उसके बाद में वापस उन लोगों को पट्टे नहीं जारी करने का, रोक करके, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिए सीकर की यू आई टी में सेक्रेटरी दें; उनका जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम करें; जो राइडर लगाये हैं उनको हटाने का काम करें। और जो काम कर सकते हैं, आपको मौका मिला है, मैंने शहर में देखा है, एक-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दो कोई सर्किल हटाया, क्यों हटाया, नहीं हटाया, सही था या नहीं था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन आपकी इच्छाशक्ति को देखते हुए हमें लगता है कि कुछ आप करेंगे, लेकिन आपके पीछे भी कई लोग रिटों में जाने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखें। उनका भी एक-दो नोट करते जाएं, काम करें या नहीं करें लेकिन कम से कम नोट करते जाएं, जिससे उनको भी संतुष्टि हो जाए।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप शहरों के विकास में मेरे लक्ष्मणगढ़ की सीवरेज, जो डेढ़ साल से अटकी पड़ी है, आपके बस्ते में कहां है, निकालकर दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारे एरिया-वासियों को उम्मीद जगेगी। सीवरेज के साथ में ड्रेनेज की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार में शहरों के विकास की अच्छी योजनाएं बनी थीं, जो अच्छे प्रोजेक्ट आये थे, उनको समीक्षा के नाम पर रोकने का काम नहीं करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। नये प्रोजेक्ट लाएं, शहरों का विकास करें, गांवों का भी विकास करना चाहिए, लेकिन आपके जो जिम्मे है, आज हम शहर की चर्चा कर रहे हैं इसलिए इन चीजों को देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में कहना चाहूंगा कि इस टाउन प्लानिंग को सुधारना पड़ेगा, इसमें केवल मीटिंग, सेटिंग और चीटिंग होती है। उसको सुधार दोगे तो मैं आपको इसी सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, मैं पांच मिनट के लिए श्रीमती सोना देवी बहुत आग्रह कर रही हैं। आप बोले केवल पांच मिनट के लिए, मैं आपको टर्न काट कर दे रहा हूं। केवल पांच मिनट दूंगा। इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज सदन में जो ए सी इतना जोर का छोड़ रखा है, क्या यह विपक्ष को ठण्डा करने के लिए छोड़ रखा है? (व्यवधान) कृपया इसको थोड़ा कम करें, मेरे को ऐसा ए सी वैसी सूट नहीं करता।

श्री सभापति: एसी कम करा दीजिए। ठण्डा ज्यादा है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): ठण्डा नहीं है जी।

श्री सभापति: आप शुरू करें, आपका समय खराब हो रहा है। आप बोलें जल्दी से।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की मूल समस्या है कि आये दिन आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा समय-समय पर उनको पकड़ा भी जाता है लेकिन कुछ समय बाद ही पुन: उन्हें सड़कों पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आवारा पशुओं के कारण गन्दगी एवं वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। नागरिकों द्वारा समय-समय पर नगर-पालिका प्रशासन को शिकायतें भी की गईं परन्तु समस्या ज्यों-की-त्यों है। आवारा पशुओं में आने वाले गाय आदि पशुओं को गौशालाओं आदि में भी रखा जाता है पर गौशालाओं द्वारा चारे के अभाव में उन्हें पुन: शहर के आबादी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इन आवारा गायों को गौशाला के अन्दर कर दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, रायसिंहनगर क्षेत्र में शहर के अन्दर ढोली समाज के 5 हजार की जनसंख्या में लोग रहते हैं। वह जाति कई वर्षों से, 65-66 सालों से वे वहां रह रहे हैं रायसिंहनगर शहर के अन्दर और उनके लिए कोई भी स्थायी पट्टे नहीं हैं। वे पोस्ट आफिस की जगह पर निवास कर रहे हैं। उनको बार-बार समय-समय पर प्रशासन द्वारा कहा जाता है उठने के लिए, वहां पर। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि उन ढोली समाज के लोगों के रहने के लिए आवास के पट्टे जारी किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर की मूलभूत समस्या सड़क की है। पिछले विधान सभा सत्र में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ट्रिपल 'पी' मोड के द्वारा बस स्टैण्ड की व्यवस्था के लिए बजट भाषण में बताया, उनका धन्यवाद, लेकिन रायसिंहनगर क्षेत्र में माडल बस स्टैण्ड का क्या करेंगे, जब रायसिंहनगर क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बसों को, वाहनों को सड़क ही नहीं है। बेशक, एक सड़क है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि उस सड़क का निर्माण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में रायसिंहनगर में बने अण्डर-ब्रिज, जो कि नाम मात्र का बना है, इसके दोनों तरफ आने-जाने के, आवागमन

(श्रीमती सोनादेवी)

के रास्ते छोड़े जाने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश उस अण्डरब्रिज को नाम मात्र का अण्डरब्रिज ही बनाया गया है, वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है अण्डरब्रिज में। वर्षा के दौरान वहां इतना वर्षा का पानी आ जाता है कि आवागमन की गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इस अण्ड्रब्रिज का पुनरुद्धार किया जाए और इसके दोनों तरफ आवागमन को सुगम बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान रायसिंहनगर क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वहां गवर्नमेंट हास्पिटल नाम मात्र का बना हुआ है, जहां स्टाफ की कमी है।

श्री सभापति: यह चिकित्सा की मांग पर आप यह बोलिएगा, या किसी अन्य मौके पर बोलिएगा। (व्यवधान) बेनीवालजी, आप कृपया विराजें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, शहर के विकास में पानी, बिजली, हास्पिटल, सारा कुछ ही आता है। मेरा अनुरोध है कि उस हास्पिटल के अन्दर सोनोग्राफी मशीन, 35 साल से व्यवस्था की गई है, ताले में लाक लगी है। किस कारण से? वहां विशेषज्ञ नहीं होने के कारण वहां पर वह सोनोग्राफी मशीन लाक लगी हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लाक भी खुलवाएंगे और मेरा ध्यान भी आकर्षित हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, सोनादेवीजी। विट्ठल शंकरजी अवस्थी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): धन्यवाद।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, नगरीय विकास की मांगों पर बहस चल रही है।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखिये कृपया। साढ़े तीन बज रहे हैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): बहुत छोटा-सा, बहुत शोर्ट में बोलूंगा। मैं मेरे भीलवाड़ा शहर की ही बात रखना चाहता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सबसे पहले जो मेरे भीलवाड़ा शहर का मास्टर प्लान बना है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उस मास्टर

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

प्लान की जब रचना हुई उसके बाद उस रचना में ही इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि यू आई टी में बैठकर मास्टर प्लान नहीं बना, बल्कि डेयरी में बैठकर मास्टर प्लान बना था। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी। प्रभावशाली नेताओं ने भूमाफिया को इकट्ठा करके उस मास्टर प्लान की रचना की। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि उस मास्टर प्लान के बारे में जितनी शिकायतें मिली हैं, उन सभी शिकायतों का निस्तारण होने के बाद ही वह मास्टर प्लान लागू होगा तो भीलवाड़ा की जनता को राहत मिलेगी, अन्यथा केवल, और केवल, उस मास्टर प्लान से भूमाफिया को लाभ होगा। उस मास्टर प्लान में जहां ग्रीन बेल्ट थी, वहां आर जोन दिखा दिया गया और जहां आर जोन दिखाना चाहिए था, वहां ग्रीन बैल्ट दिखा दी। जिन भूमाफिया ने अपनी-अपनी जमीन खरीद रखी थी, वहां सारी योजनाएं लागू करा दी हैं। मैं एक बार पुन: मंत्री महोदय से मांग करूंगा, मैंने लिखकर भी दिया है और कई बार नगर से शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, उन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होने के बाद ही वह मास्टर प्लान लागू किया जाय, ऐसा मेरा निवेदन है।

भीलवाड़ा शहर लगभग चार लाख की आबादी का शहर है। उस शहर में आज तक सीवरेज प्लान लागू नहीं हुआ है। योजना बनकर मंत्रीजी के पास पड़ी है। मेरा निवेदन है कि वहां जो नालियां अभी गंदे पानी के निकास की बनी हुई हैं, वे इतनी बेतरतीब बनी हुई हैं कि पानी उनमें से बहकर निकलता ही नहीं है। रोज एक विधायक होने के नाते, पार्षद की नहीं सुनते और कुछ अधिकारी किसी की नहीं सुनते, तो विधायक को यह कहा जाता है कि हमारी नालियां साफ कराओ। मेरा निवेदन है कि जो सीवरेज प्लान बना हुआ है, भीलवाड़ा के सीवरेज प्लान का पैसा भी पास होकर पड़ा है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू करके भीलवाड़ा की जनता को राहत प्रदान की जाय।

(15.32 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

एक मेरा निवेदन है कि जिंदल कम्पनी वहां आयी हुई है, माइनिंग कम्पनी, जिंदल शा लिमिटेड, उसके और नगर परिषद के बीच में बैठकर हमने एक समझौता कराया था। गंदे पानी का ट्रीटमेंट करके उसका उपयोग जिंदल करेगा और उसकी एवज में जितने भी शहर में गार्डन हैं, जितनी भी नालियां हैं, जितने भी नाले हैं, उनकी साफ-सफाई, देखरेख, रखरखाव जिंदल करेगा। इसके अलावा, रेलवे ओवरब्रिज, जो साबू मार्ग पर बनाने का प्रस्ताव था वह जिंदल ने स्वीकार किया है, लिखित में उन्होंने

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

एग्रीमेंट करके सारी बातों को स्वीकृत किया है कि मैं बनाऊंगा। तीन-चार साल निकलने के बाद भी उस ओवरब्रिज पर एक ईंच भी काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि नगर परिषद से सारे कागजात मंगाकर उस ओवरब्रिज का निर्माण जिंदल के माध्यम से शुरू करवाया जाय।

भीलवाड़ा शहर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो योजना क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं और आधी आबादी के पास पट्टे हैं और आधी आबादी के पास पट्टे नहीं हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कई चिट्ठियां यू आई टी, भीलवाड़ा से यहां आ चुकी हैं, आज तक भी उनका निस्तारण नहीं हुआ और लोग-बाग़ परेशान हैं। जिनको पट्टे नहीं मिले हैं, उनके सारे काम अटके हुए हैं। उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए भी योजना क्षेत्र में भी पट्टे जारी करने का आदेश प्रदान करें।

मेरी यू आई टी भीलवाड़ा में सारे एक्स ईएन व ए ईएन के पद रिक्त हैं। उनके कारण से सारा विकास का काम अटका पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया उस स्टाफ की कमी की तत्काल प्रभाव से पूर्ति करें। वहां केवल एक्स ईएन व ए ईएन हैं, जबकि 6-6 पद रिक्त पड़े हैं। उनकी पूर्ति करके विकास के कार्यों को गति प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

नगर परिषद में भी कमिश्नर की पोस्ट कई वर्ष से रिक्त पड़ी है। उस पोस्ट को भी भरने का प्रयास करें।

हमारे भीलवाड़ा शहर में ठेले और थड़ियों को बार-बार हटाया जाता है। मेरा निवेदन है कि यू आई टी, भीलवाड़ा और नगर परिषद, भीलवाड़ा मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार करें जिसके माध्यम से ठेले व थड़ी वालों को, जो गरीब आदमी हैं, जिनको कमाई का एक ही जरिया रहता है, उनको हर बार ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है; तो जो भी प्लान बनाना हो पूरे शहर का एकमुश्त प्लान बनाकर, किस जगह ठेले वालों को खड़ा करना है, थड़ियां कहां लगेंगी, कहां बैठकर बेचने वाले, टोपले वाले लोग हैं वे कहां बैठकर बेचेंगे, उसका एक प्लान बनकर सुव्यवस्थित ढंग से हम उनको एक बार बसा देंगे तो उनका भी भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुधरेगी।

यू आई टी, भीलवाड़ा में कांग्रेस राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि जितना लैण्ड बैंक था, पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा लैण्ड बैंक के मामले में सबसे अमीर यू आई टी कहलाती थी, वह सारा लैण्ड बैंक समाप्त हो चुका है, सारा

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

लैण्ड बैंक भूमाफिया को अलाट कर चुके हैं। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, वहां मैंने लिखकर भी दिया, एक ए ए ओ ने इतना भ्रष्टाचार किया है, उसकी सारे प्रूफ सहित शिकायत की है, उसकी सम्पूर्ण जांच कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर अपनी बात आपके आदेश के मुताबिक रख रहा हूं। माननीय, राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर राजस्थान को सुनियोजित विकास देने के लिए लैण्ड पूलिंग स्कीम प्रारम्भ की जाय, ताकि राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है हर व्यक्ति को घर देने का, वह पूरा हो सके। इस स्कीम में लगभग 40 परसेंट एरिया पार्क और फैसिलिटीज के लिए नोटिफाइड होता है। नोटिफाई हो जाने के बाद जिस तरह से बेतरतीब तरीके से एग्रीकल्चर भूखण्ड कटता है और नोटिफाइड एरिया को बेच दिया जाता है, फैसिलिटीज को बेच दिया जाता है, अगर यह नोटिफाई हो जाएगा तो इसके विक्रय पर रोक लगेगी और सुनियोजित विकास आज की तारीख में जिस तरह से खराब हो रहा है, अनियोजित विकास हो रहा है, उस पर रोक लगेगी।

लगातार अवैध कालोनियों का जाल पूरे प्रदेश में फैल रहा है। इससे राजस्थान के आम आदमी के सामने यह समस्या है कि कैसे पानी मिले, कैसे रोडलाइट मिले, किस तरह से सड़क और नाली मिले, किस तरह पार्क मिले, किस तरह अस्पताल मिले, किस तरह स्कूल और दूसरी सुविधाएं मिलें। इन सब में जो खासतौर से देखने की स्थिति है, वह यह है कि निजी तौर पर खेतों में भूखण्ड काटने वाले इन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते।

मैं एक बात करना चाहता हूं, पिछले दिनों मास्टर प्लान, अलवर 2031 जारी हुआ। इस मास्टर प्लान को जिस तरह से बनाया गया, उस मास्टर प्लान के निर्माण के बाद अलवर के यू आई टी के सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज हुई, जो आज तक विचाराधीन है।

एक बहुत बड़ी बात की ओर, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी भी हमारे बीच बैठे हैं, अभी यू डी एच मिनिस्टर साहब तो कहीं चले गये हैं, आपका भी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2001 में 2011 के लिए जो मास्टर प्लान बना था; आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, अलवर में बहुत बड़ी घटना हुई है 2001 में 2011 के लिए जो मास्टर प्लान बन रहा था उस मास्टर प्लान में से नोटिफाइड डैम्स को साफ कर दिया गया। जो नोटिफाइड बांध हैं, 2001 से 2011 के मास्टर में उनको सुनियोजित तरीके से साफ कर दिया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर साफ कर दिया। उसके बाद उस बांध के क्षेत्र में गरीब लोगों ने भूखण्ड खरीद लिये। खातेदारी की भूमि थी, लोगों ने भूखण्ड बेच दिये। आज स्थिति यह है, जब 2011 के बाद 2031 का मास्टर प्लान बना तो उस बांध को वापस उस मास्टर प्लान में प्रकट कर दिया। उसके बाद अब यू आई टी के अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिकारी वहां डर दिखाते हैं, ''अब्दुल रहमान बनाम सरकार'' में जो रूलिंग है राजस्थान में, उसके तहत अब आपके मकानों को तोड़ा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग से, माननीय मंत्रीजी से यह मांग करना चाहता हूं कि किन अधिकारियों की अनदेखी के कारण से एक बांध मास्टर प्लान से गायब हुआ? और बांध गायब होने के बाद जिन लोगों ने 10 साल के अंतराल में भूखण्ड बेचे और खरीदे, क्या वे दोषी हैं? या जिन अधिकारी व कर्मचारियों की गलती से वह बांध गायब हुआ, उसमें खरीद-बिक्री हुई और उसके बाद निर्माण हुए, किन लोगों की लापरवाही से हुए? पटवारी से लेकर कलक्टर तक इसके लिए दोषी हैं। यू आई टी के सेक्रेटरी से लेकर टाउन प्लानिंग विभाग तक सारे लोग दोषी हैं। बांध का गायब हो जाना मास्टर प्लान से, कोई छोटी बात नहीं है। आज राजस्थान का उच्च न्यायालय हो, देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, अगर बांध गायब होने का किस्सा सामने आता है तो कोई भी बख्शने की स्थिति में नहीं होता।

ग्रीन बेल्ट और ओर्चाड के लिए जो आरक्षित भूमि थी, 2011 से 2031 के मास्टर प्लान से पैसे ले-लेकर कांग्रेस की सरकार के समय ग्रीन बेल्ट और ओर्चाड की भूमि को आवासीय के लिए, व्यावसायिक के लिए, जिस व्यक्ति ने जैसी भेंट चढ़ाई, उसके हिसाब से उपयोग को अनारक्षित करके बदल दिया गया। ग्रीन बैल्ट को बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के भ्रष्ट शासकों के आशीर्वाद के चलते राजस्थान में बैठे उन अधिकारियों ने, जिनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, आज ए.सी.बी. में भ्रष्टाचार के मुकदमों में वे लोग फंसे हुए हैं। उनकी जांच कराया

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

जाना भी इस सदन के माध्यम से अति आवश्यक है। उन लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपने आकाओं तक बड़ी राशि पहुंचाने का जो काम किया, निश्चित तौर पर वो अलवर का सत्यानाश करने का काम किया है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इस ग्रीन बैल्ट को आरक्षित किया जाता है। डेयरी, रोड चार्ट और ऐसी अनेक सुविधाओं का आरक्षण किया जाता है, लेकिन धड़ाधड़, जैसा मर्जी आए, जिस उपयोग के लिए चाहिए, आओ और बदलकर ले जाओ।

2001 से 2011 के बीच का जो मैंने कहा कि बांध गायब हुआ, उसमें सारी जमीन पर प्लाट बिके, बिकने के बाद उन पर कंस्ट्रक्शन हुए, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के पास जब नोटिस जाने लगे और मैंने जब उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो मकान बनाने के भी पैसे दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। आज पूरा यू.डी.एच. डिपार्टमेंट माननीय मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, सभी विभागीय अधिकारी मौजूद हैं तो इसको ध्यान में रखकर इसकी जांच कराई जाए। 2001 से 2011 के बीच में, माननीय मंत्रीजी, अलवर में मास्टर प्लान के नक्शे से एक बांध गायब हुआ है और 2011 में 2031 के मास्टर प्लान में प्रकट हो गया।

आखिर इस 10 साल के पीरियड में इस बांध के पेटे में जितनी भी भूमि थी, वह उसको बिना बांध की मानते हुए लोगों ने खरीद-बिक्री की। उस बांध का नाम है प्रेमरत्नाकर और इसका 133 बीघा रकबा है। इस सारे बांध में प्लाट कट गये, मकान बन गये। यू.आई.टी. के अधिकारियों ने पैसे लिये, स्थानीय निकाय के सब लोगों ने पैसे लिये, राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों ने पैसे लिये और आज उन लोगों के ऊपर अब्दुल रहमान बनाम सरकार की रूलिंग के तहत उन मकानों को तोड़ने की तलवार लटकी हुई है। मैं कहता हूं कि उनमें से कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, जिन्होंने उसमें प्लाट खरीदा। दोषी हैं तो स्थानीय निकायों के अधिकारी दोषी हैं, टाउन प्लान डिपार्टमेंट दोषी है, इसके अलावा राजस्व के अधिकारी लोग दोषी हैं। इसके अलावा अलवर के जिला कलक्टर तक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि यह बांध है। क्योंकि मेरी जैसी उम्र के लोगों ने उस बांध को भरे हुए देखा है लम्बे टाइम तक और उसको नक्शे से गायब कर देना, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज अलवर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

शहर, जो एन.सी.आर. में है, उसका कार्यालय जयपुर में है। एन.सी.आर. के छोटे-छोटे काम के लिए लोगों को जयपुर भागना पड़ता है। निश्चित तौर पर सामान्य आदमी एन.सी.आर. के नाम से ही घबराता है कि पता नहीं, क्या होगा; नेशनल कैपिटल रीजन, कैसा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र का दफ्तर होगा; उसमें घुसने में कैसी झिझक लगेगी। मेरी माननीय मंत्रीजी से मांग है कि एन.सी.आर. के दफ्तर को अलवर में ही खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो अनियोजित विकास जिस तरह से हो रहा है, पिछले 15 से 20 वर्ष हो गये पर अलवर में एक भी आवासीय कालोनी नगरीय निकाय विभाग, यू.आई.टी. और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नहीं लायी गयी। आम आदमी का परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, शादी-विवाह भी होते हैं, परिवार का विघटन भी होता है, तो भूखण्ड की आवश्यकता होती है। परिवार कहां जाएगा? परिणाम यह हुआ कि कृषि भूमि पर भूखण्ड बिके, बेतरतीब विकास हुआ, पानी के रास्ते बंद हुए। कोई नाला नहीं, किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं, लोगों ने जैसी मर्जी आई, वैसे रास्ते छोड़ दिये। रास्ते बंद हैं। आज जब हम नगरीय निकायों से बात करते हैं तो यू.आई.टी. ने 22 हजार पट्टे पिछले कांग्रेस के शासन में अलवर के लोगों को ऐसे कृषि भूखण्डों पर जारी कर दिए और उस सारे पैसे को उठाकर तत्कालीन नेताओं की इच्छा के अनुरूप सौन्दर्यीकरण के नाम पर खर्च कर दिया गया और उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। न सड़कें उपलब्ध कराई गईं, न नाली उपलब्ध कराई गई, न पेयजल उपलब्ध कराया गया और न रोड लाइट उपलब्ध कराई गई। आज स्थिति यह हो रही है कि अलवर शहर जो राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है लेकिन कच्ची बस्तियों जैसे शहर को लेकर हम लोग उस अपमान के दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं।

अभी मैंने माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से बात की। नगरीय विकास मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब एग्रीकल्चर के नाम पर जो कालोनी कटी थी, उसका नियमन हो गया तो वह अब एग्रीकल्चर नहीं बची। इसलिए उसको पेयजल उपलब्ध कराना नगरीय निकाय विभाग और पी.एच.ई.डी. की जिम्मेदारी है। लेकिन पी.एच.ई.डी. कहता है कि हम उसको एग्रीकल्चर मानते हैं, हम उसको पानी नहीं देंगे। जबकि जब आपने नियमन किया था तो आपने नियमन शुल्क के साथ विकास शुल्क भी उसका प्राप्त

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किया है। कोई योजना नहीं है आपके कि विकास शुल्क को पी.एच.ई.डी. को ट्रांसफर कर दिया जाए। लम्बे समय से कोई शुल्क आपका पी.एच.ई.डी. को ट्रांसफर नहीं हुआ है। परिणाम है कि वे लोग गांवों की तरह, पणिहारिनों की तरह, दो-दो, ढाई-ढाई किलोमीटर दूर से अलवर शहर की निवासी महिलाएं पानी लाने पर मजबूर हैं। मीठा पानी लाने की व्यवस्था नहीं है। आज हाथ के हैण्डपम्प चलने की शहरों में व्यवस्था नहीं; सिंगल फेज और थ्री फेज बोरिंग लोगों के व्यक्तिगत तौर पर खोदने पर राज्य सरकार की ओर से डार्क जोन होने के कारण से रोक है। पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था ऐसी नजर नहीं आती कि आम आदमी अपना गुजारा कैसे करे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 22 हजार भूखण्डों पर आवासीय पट्टे जारी कर दिये गये उन पर आप और पी.एच.ई.डी., दोनों तालमेल बिठाकर उस पैसे को वहां उनको ट्रांसफर करें, जो आपने पानी के नाम का लिया है। अगर जैसा पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी बता रहे हैं कि वह पैसा कम है, 15 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पानी का पैसा नियमन के साथ लिया जाता है विकास शुल्क, अगर वह कम है तो स्थानीय निकाय विभाग, यू.आई.टी., आपका नगरीय निकाय विभाग, यह यू.आई.टी. को निर्देशित करे कि उसमें जन-सहभागिता के आधार पर या तो योजना लायें, या यू.आई.टी. उसमें सहयोग करके क्षेत्र को पानी पिलाने का काम तो करे। शहर में जैसी स्थिति आज जो हो रही है, वह, माननीय मंत्रीजी, गांवों में भी नहीं है।

एक गम्भीर चिंता का विषय है। राजस्थान में पहले 90बी का कानून लागू था, आज 90ए का कानून लागू है, लेकिन यह कानून केवल बड़े लोगों तक रह गया। अगर कोई व्यक्ति जाता है कि मैं अपने खेत की 90ए कराना चाहता हूं, नियोजित विकास में भागीदार बनना चाहता हूं, तो आपके स्थानीय निकायों में, माननीय मंत्रीजी, मैं इस बात को आप पर नहीं कह रहा हूं, पूर्व की सरकार इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त करके चली गई कि आज कोई भी सामान्य किसान और सामान्य व्यक्ति अपने खेत की, अपने भूखण्ड की 90ए कराने की स्थिति में नहीं है। इसका परिणाम हो रहा है कि आदमी इन नियमों से, कानूनों से, लम्बी भागदौड़ से और 8-8, 10-10 जोड़े जूते बढ़िया कम्पनी के टूट जाने के कारण वह 90ए और 90बी नहीं करवाता और कृषि भूखण्ड बेचकर अपना पीछा छुड़ाता है।

मैं चाहता हूं, राजस्थान की सरकार चाहती है कि सुनियोजित विकास

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हो; हम चाहते हैं कि शहर जैसी सुविधाएं शहर को मिलें, तो इसके लिए प्रक्रिया को सरल किया जाए एकल खिड़की योजना लागू की जाए। आदमी आवेदन करे, उसके बाद दिवस निर्धारित किये जाएं कि इतने दिन में किसी भी व्यक्ति को उसकी योजना को पास करके दे दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पूरा भुगतान जमा कराने को तैयार है, जितना पैसा सरकारी आधार पर बनता है उतने पैसे देने को तैयार है और उसके बाद वह यह चाहता है कि मुझे आप इतने-इतने दिन के अन्दर इसका डवलपमेंट करके दे दें। जितने पैसे मैंने दिये हैं उनको लगाकर दे दें; इसके अतिरिक्त, मुझे पट्टा दे दें, तो मैं सुनियोजित विकास करके दे दूं।

राज्य सरकार की योजना बहुत अच्छी है, मंशा अच्छी है लेकिन नीचे जो मशीनरी जमी हुई है, स्थानीय निकायों में जो आज ट्रांसफर की पालिसी नहीं है, जिससे जो आदमी नौकरी पर लगता है, जिस दिन नौकरी पर लगता है, रिटायरमेंट तक उसके दर्शन वहीं होते हैं। रिटायरमेंट की पार्टी वहीं से लेकर जाता है। इसलिए एक ट्रांसफर पालिसी तय की जाए। तीन साल, पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल, बीस साल, कुछ भी तय की जाए कि इससे अधिकतम ठहराव किसी भी व्यक्ति का एक बार, दो बार, तीन बार में नहीं होगा। ऐसा भी नहीं हो कि एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, महीने-बीस दिन में किसी विधायक से, मंत्रीजी, जुगाड़ लगाया और वापस घूम-फिरकर वापस वहीं आ गये। जमा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलिये-बोलिये। दो मिनट और बोलिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह पूरे राजस्थान की बात है कि स्थानीय निकायों में आप ट्रांसफर की पालिसी लागू करिये। लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया, अपने घर की दुकान समझ ली, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी समझ ली। आप किसी भी स्थानीय निकाय को, नगर परिषदों को देखें, यू.आई.टीज. को देखें, प्राधिकरणों को देखें तो लम्बे-लम्बे 20-20, 30-30 साल से लोग वहीं जमे हुए नजर आते हैं।

90ए और 90बी का जहां तक मैंने आपसे कहा है कि सुनियोजित विकास हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज की आपकी मांग है, मांग संख्या 29-नगर आयोजना और प्रादेशिक है, इस प्रदेश का विकास और सुनियोजित विकास, यह तभी सम्भव है जब आपका चीफ टाउन प्लानर जिस तरह के

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उपयोग को सुनिश्चित कर रहा है, जिस तरह के उपयोग का आरक्षण कर रहा है, इस क्षेत्र का इस चीज के लिए उपयोग होगा। उसको तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब आपके स्थानीय निकाय इस बात का ध्यान रखें, आपका टाउन प्लान आफिस इस बात का ध्यान रखे कि जहां आवासीय के लिए उपयोग आरक्षित है, जहां व्यावसायिक के लिए आरक्षित है, जहां कामर्शियल, यूटिलिटीज के लिए है, जहां एजुकेशन के लिए है, जहां आपका स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए, जहां आपका चिकित्सा सुविधाओं के लिए, इसके अतिरिक्त दूसरा उपयोग उस क्षेत्र में नहीं होगा। अन्यथा जहां चिकित्सा क्षेत्र के लिए आपने आरक्षित कर रखा है वहां आवासीय भवन बन रहे हैं; जहां आवासीय के लिए आरक्षित कर रखा है वहां कोई चिकित्सा क्षेत्र खोल रहा है, कोई विद्यालय खोल रहा है। तो इससे आपका सुनियोजित विकास बाधित हो रहा है। फिर कल जब कोई आदमी अपनी 90ए, 90बी कराने जाता है तो सबसे पहले यू.आई.टी. और स्थानीय निकायों के अधिकारी मास्टर प्लान की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि मास्टर प्लान में जो आपकी भूमि है उसका आरक्षित उपयोग यह नहीं है जिसके लिए आप कराना चाहते हैं। इसको पहले सुनिश्चित किया जाए, बोर्ड लगाये जाएं। मेरा यह कहना है कि जिस उपयोग के लिए आपने जिस क्षेत्र को आरक्षित किया है, उस क्षेत्र में उस उपयोग के बोर्ड लगें कि इस क्षेत्र के लिए यहां खरीद और बिक्री की जाए; इसके अतिरिक्त किसी की भी की जाएगी तो उसका उपयोग परिवर्तन नहीं होगा।

मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि के नाम पर भूखण्डों का बेचान हो रहा है, कृषि भूखण्ड का बेचान आराम से नियमित तरीके से हो रहा है। कोई भी आदमी आता है, खेत का नक्शा बनवाता है, भूखण्ड बेचता है; रजिस्ट्री कराने जाता है, सब-रजिस्ट्रार आराम से रजिस्ट्री करता है, लेकिन इसके बाद जब वह तहसीलदार के पास जाता है कि मेरे इस भूखण्ड का आप नामान्तरकरण दर्ज कर दें, म्यूटेशन दर्ज कर दें, इंतकाल दर्ज कर दें, तो तहसीलदार कहता है कि मैं इसका इंतकाल दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि 1,000 गज से नीचे के भूखण्ड पर, 1,000 वर्ग गज से कम के भूखण्ड के नामान्तरकरण पर रोक है। ये दो तरह के नियम क्यों? उसके परिणाम क्या निकलते हैं, जिस व्यक्ति ने जमीन को बेचा है, जमीन उसी के नाम पड़ी रहती है। वह दुबारा से उस जमाबंदी को लेता है, दूसरे व्यक्ति को बेचता है। उसका

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

भी नामान्तरकरण दर्ज नहीं होता है। तीसरे को बेचता है, चौथे को बेचता है। अदालतों में मुकदमों की लाइन लग रही है। इस प्रक्रिया को भी सरल किया जाये, या उस व्यक्ति को बिना इंतकाल के, बिना म्यूटेशन के, बिना नामान्तरकरण के अपने भूखण्ड का आवासीय उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी जाये। अगर मान लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस तरह का राइडर लगा रखा है कि हम 1,000 गज से कम के भूखण्ड का कोई भी नामान्तरकरण दर्ज नहीं करेंगे तो इस राइडर को हटाया जाये। रजिस्ट्री लेकर व्यक्ति जाये। जबकि नियम तो यह है, जब रजिस्ट्री कराने कोई व्यक्ति जाता है, तीन प्रतियों में उसकी रजिस्ट्री पेश होती है। एक प्रति मूल खरीददार की, एक आफिस की और तीसरी प्रति तहसीलदार को जाती है, जिसके आधार पर उसका इंतकाल दर्ज होना चाहिये, चाहे वह एक गज जमीन खरीदे, चाहे 1,000 बीघा जमीन खरीदे।

प्रदेश की व्यवस्था में सुधार लाना अभी जरूरी है, क्योंकि लम्बे टाइम से यह सामने बैठे 21 लोग, 24 लोग हैं, इन्होंने जिस तरह से 60 साल में इस प्रदेश का सूपड़ा साफ करके रखा है कानून-व्यवस्था के हिसाब से, अभी तो उसको ठीक करने में लम्बा टाइम लगेगा। देख रहे हैं मेरे साथी गोविन्द सिंह जी। या तो कृषि भूखण्डों पर रोक लगे ताकि सुनियोजित विकास को रोका नहीं जाये या फिर इसके सुनियोजित विकास की दृष्टि से तुरन्त प्रभाव से उसका उपयोग परिवर्तन करके, नियमन करके और फिर उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत गम्भीर विषय पर आपका ध्यान दिला रहा हूं। राजस्थान का कृषि रकबा घट रहा है। अभी ओले पड़े, वर्षा आई। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश किया कि सारे विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जायें। हम भी अपने क्षेत्र में गये। हमारे क्षेत्र में कृषि नहीं है। किसके क्षेत्र में देखने जाते कि ओले पड़े कि नहीं पड़े? इसका कारण है, अनियोजित विकास ने पूरी जमीन को प्लाट काटकर बेच दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कृषि भूमि का रकबा घट रहा है। जितनी भी दो-दो, तीन-तीन उपज वाली भूमि है, उस पर भी लोग भूखण्ड काटकर बेच रहे हैं। फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा दिया जाये। बिजली भी बचेगी। आज हमारे 3.42 रुपये...

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण करें। अब स्थान ग्रहण करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा मात्र। बहुत देर से, पांच मिनट मात्र।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पांच मिनट तो नहीं। नहीं, नहीं। बहुत वक्ता बोलने वाले हैं। आप 17 मिनट बोल चुके हैं। 10 के बजाय 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं एक-दो चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, एक-दो चीज और ले लीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लम्बे समय से बहुत सारी आवासीय कालोनीज ऐसी हैं पूरे राजस्थान में जो 35 साल, 30 साल, 25 साल, 20 साल से विभिन्न धाराओं में अवाप्ति के अन्दर फंसाकर किसान को मरने के लिए छोड़ दिया है, राजस्थान की चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो। हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे इंटेलेक्चुअल नगरीय विकास मंत्री हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार ने अभी भूमि अवाप्ति कानून, जिसमें सलेक्ट कमेटी थी, मैं भी उसमें था। उसमें भी यह नियम लिया है। उसमें भी कानून बना है, पांच वर्ष तक अगर कोई भूमि अवाप्तिशुदा उपयोग में नहीं आती है तो उसको हम वापस करेंगे। तो यह नियम भी जो सेन्ट्रल एक्ट में है, जो मैंने अपनी बात रखी थी कि जिस भूमि का न मुआवजा दिया गया, न भूमि का कब्जा लिया गया, ऐसी भूमि को डीम्ड-लेप्स मानकर उस किसान को अपने विकास करने के लिए छोड़ दिया जाये। उसको कह दिया जाये कि अब तेरी भूमि है, अवाप्ति से मुक्त हो चुकी। न कब्जा लिया गया, न भुगतान दिया गया, तो डीम्ड-लैप्स की श्रेणी में मानी जाये। 20-20 साल कोर्ट के चक्कर लगाये, रेफरेंस में पड़ा रहे। इन सब चीजों की ओर भी...

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं एक मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बोलना चाहता हूं। आप एक मिनट तो दे दें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मुख्य मंत्री जन आवास योजना, ऐसी योजना है जिसमें कम से कम, अगर अब माननीय अध्यक्ष महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं अलवर शहर की बात करता हूं, कम से कम 20,000 मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में है, मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत कम से कम 20,000 मकान की आवश्यकता है ताकि आम गरीब व्यक्ति को अपने घर का सपना पूरा करने का, उसका सपना साकार हो सके। जरूरत तो कम से कम 40-50 हजार की है लेकिन प्राइमा फेसाई,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

प्राथमिक तौर पर कम से कम 20,000 मकान मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों के लिए चाहिये, जिनको राजस्थान की सरकार घर देकर, उनको छत देने का सपना रखती है। इसके लिए राजस्थान की सरकार के पास, अलवर के स्थानीय निकायों के पास अवाप्तिशुदा इतनी भूमि है कि वह उसको 25 प्रतिशत की सीमा में लेकर, या दूसरी नई अवाप्ति की योजना में लेकर, अगर विकास करेंगे तो अलवर का सुनियोजित विकास हो जायेगा।

बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल। विराजिये विराजिये। श्री विजय बंसल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मांग संख्या 29 और 20 के लिए कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज हाइवे नम्बर-11ए के ऊपर दौसा शहर बसता है और दौसा शहर ट्यूरिज्म के हिसाब से भी राजस्थान के गोल्डन ट्रेक पर है। जयपुर से केवल मात्र 50 किलोमीटर दूर है। हमारा दौसा जिला सन् 1991 में बना और 2010-11 के अन्दर नगर परिषद बनी। आज 24 साल हो गये लेकिन दौसा शहर जिला बनने के बावजूद आज कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जिला स्तर का है।

जैसी दौसा शहर की बसावट है, पांच शिवजी के नाम से, देवनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हालात ये हैं, आदरणीय मोदीजी, प्रधान मंत्रीजी ने गांवों के अन्दर भी यह दिया कि हर जगह शौचालय हो। दौसा शहर पूरा पहाड़ी क्षेत्र में है। बिलकुल शौचालय हैं लेकिन शौचालयों के हालात क्या हैं, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां सेफ्टी टैंक का पानी सोक पिट में नहीं जाता और पूरा का पूरा पानी नालियों के अन्दर बह रहा है। शौचालयों का क्या नतीजा निकल रहा है, पूरी नालियां आज गंदे पानी से पूरी सड़ रही है। हमारे हालात ये हैं कि जिस तरीके से चारों तरफ नई कालोनीज भी बस गईं। आज हाइवे बना और हाइवे भी इस तरीके से बन गया कि कम से कम 10-10 फीट ऊपर बन गया और पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया; पूरा का पूरा पानी, चाहे बरसाती हो, चाहे गंदी नालियों का हो, हालात ये हैं कि पूरे दौसा शहर के अन्दर फैल रहा है। एक साइड में दौसा शहर में कम से कम 25,000 छात्र तो बाहर से पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं, वहां अपनी ट्यूशन

(श्री शंकर लाल शर्मा)

ले रहे हैं और दूसरी साइड में सवा लाख से ऊपर दौसा शहर की आबादी हो चुकी है लेकिन व्यवस्था के नाम पर न नालियां हैं, न सड़क है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि जो सबसे बड़ी परेशानी थी पानी की, 27 मार्च तक ईसरदा से जो पानी आयेगा, उसका टेण्डर तक जारी हो जायेगा और दो साल में पानी आ जायेगा। हमारे यहां दौसा अस्पताल को भी 150 की जगह 250 बेडेड कर दिया गया। पूरी सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन किसी भी शहर को बसने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर चाहिये, तो वह है नगर नियोजन। हमारे मंत्री महोदय का आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद के लिए जरूरत है हमारे सीवरेज लाइन की, जिससे कम से कम सीवरेज लाइन बनकर, उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगे और जिस गंदगी में हम जी रहे हैं, उससे भी हमारे को छुटकारा मिल सके।

साथ ही, वहां पर नगर परिषद है। नगर परिषद के द्वारा भी नई कालोनीज, जैसे अयोध्या नगर, वृन्दावन विहार कालोनी, प्रेम नगर, गुमानपुरा कालोनी, जनता कालोनी, बजरंग नगर, शिवशक्ति नगर, प्रतीक विहार, निरंकारी कालोनी, अमन विहार, गंगा विहार, बहुत-सी कालोनीज नई बस गईं बिना प्लानिंग के। कहीं पर 10 फीट रोड है, कहीं पर 15 फीट रोड है। नाली है नहीं, सड़क है नहीं। केवल मात्र कीचड़ के अन्दर बसावट हो रही है।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन मंत्री महोदय से भी करना चाहूंगा कि जयपुर का लोड कम करें। केवल 50 किलोमीटर दूर दौसा है। अगर दौसा को आप नगर विकास के साथ-साथ हमारे यहां भी व्यवस्था कर देंगे तो आपके जयपुर का भार भी कम होगा। चारों तरफ से हमारा दौसा सड़क से जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ा हुआ है; पानी की व्यवस्था होने वाली है; अस्पताल की व्यवस्था हो गई, केवल मात्र आपके विकास की हमें जरूरत है। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम को सही करते हुए सीवर लाइन से जोड़ा जाये।

(16.00 बजे)

खास तौर से मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अभी शौचालयों का निर्माण चारों तरफ हो रहा है। हमारे यहां पर भी शौचालयों की जरूरत है। लेकिन नगर परिषद का हाल यह है कि काम तो कहां से करेगा, आज उसकी हालत यह है कि 80 लाख रुपया तो अभी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको देने के लिए भी नहीं है।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

आज हालात ये हैं कि हमारे इतने टाइम तक, आज तक, दौसा नगर परिषद को न आई एस डी पी, न यू आई डी एस एस एम टी, जे एन यू आर एम, किसी भी योजना के द्वारा एक रुपया नहीं मिला। अभी-अभी जो हमारी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति हुई है, 2014-15 के तेरहवें वित्त आयोग के द्वारा परिषद/पालिकाओं को देय जनरल बेसिक अनुदान की राशियां, यह द्वितीय किश्त के रूप में 8,397.80 लाख रुपये आबंटित किये। हमारा नगर परिषद है, दौसा जिला स्तर है और जिला होने के बावजूद हमारे कौनसी स्कीम के अन्दर कैसे आबंटित केवल 11.39 लाख! मैं किसी को यह तो नहीं कहना चाहता कि उनका छीन लूं, लेकिन एक साइड में सवाई माधोपुर को मिला है 42.33 लाख, गंगापुर सिटी को मिला है 1,653.22 लाख और दौसा को मिला है केवल मात्र 11.39 लाख। हमारे हालात ये हैं कि नगर परिषद में न जे सी बी मशीन है, न लोडर है, न डम्पर है और न कोई चल शौचालय है। आज हालात इस तरह के हैं और जो भी जयपुर से केवल मात्र 50 किलोमीटर दूर है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो दौसा क्षेत्र में पांच-पांच मंत्री रहे हैं एक साथ, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि दौसा की आज क्या हालत है। मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पानी की, अस्पताल की, हमारे जो सबसे बड़े संत थे उनका पैनोरमा बनाने की बजट में घोषणा की है। आज हमारे यहां जो पीजी कालेज हैं उसको भी दो भांगों में बांट दिया गया। आज कामर्स कालेज और साइंस कालेज अलग कर दिया, आर्टस अलग कर दिया। आज हमारे यहां गर्ल्स कालेज में राजस्थान की सबसे ज्यादा अगर कहीं लड़कियां पढ़ रही हैं तो दौसा गर्ल्स कालेज में हैं। उसके बावजूद दौसा की स्थिति आपके सामने मैंने प्रकट की है।

मैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे दौसा शहर को भी बहुत कुछ जरूरत है। इसके तहत, जैसे दौसा शहरी क्षेत्र में पानी की भूमिगत निकासी है, इसके साथ में विद्युतीकरण है। दौसा शहर में एक सबसे बड़ा रोड है जो सोमनाथ चौराहे से गांधी तिराहे होते हुए लालसोट रोड तक जाता है। आज हालत यह है कि उसके ऊपर लाइटें लगाने के लिए नगर परिषद के पास पैसा नहीं है। पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके तहत दौसा में भूमिगत निकासी के लिए हमारी नगर परिषद ने डिमाण्ड भी कर रखी

(श्री शंकर लाल शर्मा)

है जो 203 लाख की है; हमारे विद्युतीकरण के लिए भी 82.70 लाख की डिमाण्ड कर रखी है; सड़क, नालियों के लिए भी 10 करोड़ की हमने डिमाण्ड कर रखी है। हमारे सामुदायिक शौचालय, चाहे कलक्टर परिसर हो, चाहे बड़ा रोडवेज बस स्टैण्ड है, चारों तरफ की बसें वहां पर आकर रुकती हैं लेकिन आज हमारे पास वहां आधुनिक शौचालय भी नहीं हैं। उसके लिए भी और खास तौर पर, सबसे पहले, हमारे जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, जो 80 लाख रुपये की डिमाण्ड है। उनके लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी दौसा नगर परिषद को आपका आशीर्वाद मिल जाए। जिस तरीके से आपने गंगापुर को 1,653 लाख रुपया दिया है, अगर दौसा क्षेत्र में इसका दस परसेंट भी दे देंगे तब भी हमारा शायद बहुत कुछ भला हो सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दौसा शहर की बात मैंने की है, हमारे को सीवर प्लांट चाहिए, सीवर लाइन चाहिए और बिजली, पानी, सड़क, नालियों के लिए व्यवस्था चाहिए। आपके आदेश के बिना ही, मुझे मेरी जो बात कहनी थी वह मैं कह चुका हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती शिमला बावरी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या 20-आवास और मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के ऊपर आज यहां पर सदन में चर्चा हो रही है और धन्यवाद देती हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने बड़ी गम्भीर चिंताएं व्यक्त कीं और मुझे लगता है कि किसी भी शहर को अगर हमने सुन्दर नहीं बनाया, उस शहर को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाईं तो निश्चित है कि हम इस राजस्थान के विकास की बात नहीं कर सकते।

मैं भी सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगी और...

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा करेंगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र, कोटा शहर के अन्दर लगभग 30 वर्षों से तलवंडी के अन्दर मुझे लगता है, 30 साल

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

से ज्यादा समय से उड़िया बस्ती, तलवण्डी, कोटा में सैकड़ों परिवार कच्ची टापरियां बनाकर निवास कर रहे थे और वे लोग शहर की कालोनियों में साफ-सफाई और झाड़ू-पोंछा करके अपनी आजीविका चला रहे थे। मैं पिछली सरकार ने क्या किया, कितना बड़ा अन्याय उन गरीब व्यक्तियों के साथ किया, उसका आज खुलासा करना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस उड़िया बस्ती का पुनर्वास अजेय आहूजा नगर में कर दिया गया। पुनर्वास से पूर्व वर्ष 2004 में उड़िया बस्ती, तलवण्डी का सर्वे करवाया गया और जो सर्वे करवाया गया, इतने गलत तरीके से करवाया गया, जो हमारे नगर विकास न्यास के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा, मुझे लगता है, कहीं न कहीं मिलीभगत करके उन परिवारों को तलवण्डी उड़िया बस्ती में रहने के बाद भी उस सर्वे में शामिल नहीं किया गया। मैं पूरे प्रूफ के साथ आज यहां पर आई हूं। माननीय अध्यक्षजी, तलवण्डी उड़िया बस्ती के रहने वाले लोगों के पास तमाम सबूत होने के बावजूद उस सर्वे से, उन्हें वंचित रखा गया। आप चाहें तो वे सारे सबूत मैं टेबल कर सकती हूं।बाकायदा मैंने लिस्ट बनाई है। उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनका बीस साल पुराना राशन कार्ड है, वोटर आई डी है, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र है वह भी तहसील लाडपुरा का बना हुआ है, जिस पर उड़िया बस्ती तलवण्डी का दर्शाया होना पाया गया है। और तो और, कम से कम 100-150 परिवार उन 600 परिवारों में से बी पी एल कार्डधारक हैं। महोदय, ऐसे कई दस्तावेज होने के बावजूद भी उस नगर विकास न्यास ने भारी अनियमितता करते हुए कई परिवारों को आज फुटपाथ पर जीवनयापन करने के लिए मजबूर कर दिया और इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें नगर विकास न्यास कोटा ने सर्वे में शामिल किया परन्तु आज तक उन व्यक्तियों को मकान नहीं दिया। मुझे लगता है कि कई लोगों के पास तो नगर विकास न्यास का जो सर्वे अभियान 2004 था, उस सर्वे की रसीदें आज भी उन लोगों के पास रखी हुई हैं। ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उनका सर्वे हुआ था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास आबंटन कर जब इस बस्ती को अजेय आहूजा नगर में पुनर्स्थापित किया गया, तो एक ही परिवार के कई लोगों को अलग-अलग मकान दे दिये गये। उसमें पत्नी हैं, पति है, कई बेटी हैं और कई मां हैं। इस तरह से मकान उनको आबंटित कर दिये गये। मैं तो कहूंगी कि एक व्यक्ति को 17 मकान आबंटित किये गये। उनके परिवारजन को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

17 मकान। मैं आपको कुछ मकान नम्बर बताना चाहूंगी, मैं आज यहां पर सम्पूर्ण दस्तावेजों को साथ लेकर आई हूं, क्रम संख्या 3, 4, 24, 30, 34, 58, 60, 62, 123, 125, 129, 276, 250, 119, 128, 240, 47, 479, 480, 484, 494, 495, 499, 490, 491, 511, 515, 516, 517, 532, 533, 546, 547, 548, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 188, 179, 168 और 187 वाले आवास ज्यादातर एक ही परिवार को आबंटित किये गये हैं। इतना बड़ा गड़बड़-घोटाला यू आई टी, कोटा के द्वारा पिछले दो वर्ष पूर्व किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़िया बस्ती के अस्सी फीसदी लोग साक्षर नहीं हैं, वे पढ़ना-लिखना नहीं जानते, दिन भर झाड़ू-पोंछा करते हैं। उसके बावजूद जिस योजना के अन्तर्गत उनको विस्थापित किया गया, उसमें इतना धोखे में उनको रखा गया। उनको कुछ भी नहीं बताया गया। उनसे सारी बात छिपायी गयी और आवास बैंक के कर्जे पर दे दिये गये। तीन-चार लाख रुपये का कर्जा उन लोगों पर चढ़ा दिया गया। उन लोगों को जब नोटिस आने लगे कि आपको मकान खाली करना है, आप लोन की किश्त नहीं दे रहे, तब जाकर उन लोगों को पता लगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या एक गरीब व्यक्ति, एक बी पी एल व्यक्ति और जो झाड़ू-पोंछा से दो हजार कमा कर अपने परिवार को पाल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा रहा है, क्या वह व्यक्ति तीन-चार हजार रुपये महीने की किश्त दे सकता है? वह नहीं दे सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि अधिकांश लोग इसमें बी पी एल कार्ड धारी हैं। आप चाहें तो मैं उन बी पी एल की सारी रसीदें, उनके नम्बर, सब कुछ मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूं, मैं टेबल कर सकती हूं।

उन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे से अगर आप चाहते हों कि उन्हें न्याय मिले, तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेने के लिए साइन नहीं किया, फिर उनका लोन कैसे पास हो गया? आज भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, कम से कम सवा सौ के करीब व्यक्ति ऐसे होंगे जो रोज मेरे पास आते हैं, मेरी कांस्टिट्यूएंसी है, जिनका एक का भी लोन लेने के लिए बिलकुल साइन नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि अरबों रुपयों की जमीन से उन लोगों को उठाया गया और मैं तो यही कहूंगी कि अगर सरकार चाहे तो उन गरीबों के साथ न्याय करे, उनके सारे लोंस को माफ करे। जिन लोगों के साइन करवा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कर लोन दिया गया है और जिन अधिकारियों ने, जिनकी मिलीभगत से यह सब कुछ हुआ है, उन अधिकारियों को हम लोग सज़ा दें और अगर सख्त सज़ा आप उनको दोगे तो उन लोगों को लगेगा।

मैं इस बात को यहां पर इसलिए उठा रही हूं कि पूरे शहर में कोटा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार दो साल से वे लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी हमारे सांसद साहब के पास जाते हैं और कभी मेरे पास आते हैं। महिलाएं सवेरे आठ-आठ बजे आकर रात को बारह-बारह बजे तक हमारे घर पर धरना देकर बैठी रहती हैं, रोती रहती हैं। मैं कहूंगी, उनके आंसुओं की बद्दुआ उन अधिकारियों को और उन नेताओं, जिन्होंने भी आपसे पहले यह भ्रष्टाचार किया हो, उनको इतनी बद्दुआएं लगेंगी कि भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप उनके ऊपर दया-दृष्टि रखना चाहते हैं, उन गरीबों को कुछ न्याय देना चाहते हों तो ऐसे सभी जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएं। उन महिलाओं ने अभी एक-डेढ़ साल पूर्व भी एक प्रदर्शन किया और यू आई टी, कोटा के सामने केरोसीन अपने-आप के ऊपर छिड़क लिया। अधिकारियों ने उस महिला को बचाया। उसके साथ प्रदर्शन करने वाले लोग 6-6 महीनों तक जेल में रहकर आये। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की कारस्तानी हमारी चाहे यू आई टी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो इस तरह से नहीं करें।

दूसरा निवेदन आपसे करना चाहती हूं, मैं बिलकुल बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप लोग शहर को सुन्दर बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हों, आपकी इतनी कालोनियां बसी हुई है। यू आई टी भी कालोनियां बनाती है, हाउसिंग बोर्ड भी कालोनियां बनाता है, लेकिन उन कालोनियों में आज जो दुर्दशा हो रही है कोटा के अन्दर मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी गांव के अन्दर हम लोग चले जाएं तो वहां जाकर हमें लगेगा कि हम एक गांव में खड़े हैं, इतना साफ-सुथरा, इतनी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोटा शहर के जो हालात हैं, भाई प्रहलादजी गुंजल अभी बोल रहे थे। न कोई ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, न कोई लाइट की व्यवस्था, न कोई सड़कें।

किस तरह से यू आई टी ने, हाउसिंग बोर्ड ने कालोनियां बना दीं इवन एक व्यक्ति को तीन-तीन, चार-चार मकान। आप देखिये, मकान खाली पड़े हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इतने अवैध धन्धे हो रहे हैं, गांजे बिक रहे हैं। ऐसी हालत बनी हुई है। तो मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को ज्यादा प्लाट आबंटित किये हैं, उनके खाली प्लाटों को निरस्त किया जाए; जो मकान नहीं बना रहे हैं वर्षों से, उनको निरस्त किया जाए; और एक व्यक्ति को कोटा शहर में एक मकान देते हो तो दूसरा आबंटन उसको नहीं किया जाए। यह भी मैं आपसे मांग करना चाहूंगी।

दूसरा निवेदन और करना चाहूंगी, हम लोग चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लेकिन जो लगातार इतने मोबाइल टावर लगते जा रहे हैं कोटा में लगातार, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। नगर निगम उनको परमीशन दे देता है। जनता प्रदर्शन करती रहती है लेकिन उसके बावजूद भी, लगातार इतना विरोध करने के बाद भी, इतनी संख्या में मोबाइल टावर लगते जा रहे हैं। मुझे लगता है, यह जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक मोबाइल टावर जो लगा हुआ है, उसके आस-पास मैंने वहां जाकर देखा कि उसके आस-पास के जितने भी मकान हैं, बिलकुल नजदीक से लगे हुए पांच व्यक्तियों को कैंसर हो चुका है और लोगों को इतनी चिन्ता हो रही है जो मेरे यहां रंगबाड़ी विस्तार योजना में लगे हुए हैं, रंगबाड़ी योजना में और लग गये, कृष्णा नगर में लग गये। तो इस बात की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आवासीय योजना में कोटा शहर में जो मकान बने थे, अजय आहूजा नगर में भी, और भी पूरे कोटा शहर में बने, उनको पहली किश्त मिल गयी, दूसरी किश्त मिल गयी। तो तीसरी किश्त उनको आज तक क्यों नहीं अवेलेबल हुई? उन महिलाओं के मकान बिना छप्पर के हैं और दो-दो बारिश उन्होंने निकाल दीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी अध्यक्षजी के माध्यम से कि उन लोगों को हम तीसरी किश्त देंगे तो मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ न्याय होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि हाउसिंग बोर्ड और यू आई टी की जितनी भी कालोनीज हैं कोटा में, और मैं तो कहूंगी कोटा में ही क्या पूरे प्रदेश में, क्योंकि मेरे से पूर्व भी सभी सदस्यों ने इस बात को यहां पर रखा, उन सारी कॉलोनियों को अगर हम लोग हैंडओवर नगर निगम को कर देंगे तो मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिलेंगी1 वरना इस आपस की खींचतान में न उनको पानी मिलता न उनकी सड़कें बन पातीं और इतनी परेशानियां उनको देखने को मिलती हैं। पूरी कालोनियों में अंधेरा रहता है, लाइट्स ठीक नहीं हो पातीं। तो यह भी अगर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है, जनता के साथ अच्छा ...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। आपके पाइंट्स आ गये, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): लास्ट में एक पाइंट और बोलना चाहूंगी। लास्ट में एक पाइंट बोल कर मैं अपनी इच्छा से बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ये जो वर्षों से कालोनियां कोटा शहर में बसी हुई हैं, चाहे वन विभाग में हो, चाहे कृषि की खेती की जमीनें हों, इन सारी कालोनियों के ये हालात हैं कि चालीस-चालीस वर्ष बाद भी, अस्सी साल बाद भी, उनको आज तक पट्टा नहीं मिल पाया। तो कम से कम इन कालोनीज को कन्वर्ट करवाकर इनका भू-रूपान्तरण किया जाए, उन लोगों को पट्टे दिलाए जाएं, तो बहुत अच्छा काम होगा।

एक और बात, लास्ट में।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): लास्ट में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो कालोनियां हमारी बनी हुई हैं उन कालोनियों के अन्दर सड़कें और बिजली की तो मैं मानती हूं कि बहुत बड़ी परेशानी है लेकिन आपने अभी-अभी, मैं तो कहूंगी, पिछली सरकार ने किया, कोटा शहर में जेल को जो आपने जमीन आबंटित की है मुझे लगता है कि यू आई टी ने इतना तो देखा होगा कि वह जमीन किस किसान की है। जो किसान वहां पर अस्सी साल से खेती कर रहा है। मुझे लगता है कि बंधा धर्मपुरा गांव हमारा, वहां पर किसान खेती कर रहे हैं और उन किसानों का क्या उन्होंने नक्शा देखा, क्या नहीं देखा बिलकुल आनन-फानन में वो जेल की जमीन उन्हें आबंटित कर दी गई। आज जब भी अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों को बार-बार वे गांव वाले भगा देते हैं। वह नगर निगम की सीमा के अन्दर आता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन किसानों की जमीनों को हम लोग बचायें। वहां पर इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं, आपकी सरकारी जमीनें, उन्हीं के ऊपर अगर जेल की बिल्डिंग बनेगी तो मुझे लगता है कि उन किसानों को भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया। निर्दलीय।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद, अध्यक्षजी।

आज नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की मांग पर चर्चा हो रही

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। अभी पिछले कई सालों से जिस स्पीड से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस स्पीड से गांवों में किसानों को नुकसान हो रहा है, वे शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो शहरीकरण तो बढ़ना ही है। बात है व्यवस्था की। गैर-नियोजित ढंग से कालोनियां बस रही हैं, मकान बस रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। इसके लिए दोषी कौन है, सदन में यह चर्चा चल रही है, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सारी चीजों के लिए अगर मूल रूप से कोई दोषी है तो वह सिर्फ जो भी सरकार रही है, वह दोषी रही है। जो व्यक्ति गांव से शहर में आयेगा, वह कहीं न कहीं तो बसेगा। हमारे यहां स्थिति है कि 50-सौ साल इस विभाग को काम करते हुए हो गये, एक भी कालोनी नगर विकास विभाग नहीं बसा पाया। हमारे फतेहपुर क्षेत्र में रामगढ़ क्षेत्र में डेढ़ लाख के करीब शहर में आबादी रहती है, एक भी सरकारी कालोनी वहां अवेलेबल नहीं है और न ही कोई योजना है, न कोई प्रस्तावित है। आखिर लोग कैसे बसेंगे और कहां बसेंगे? कोई कानून-नियम इस तरह के नहीं हैं। चारों तरफ से उलझा रखा है। लोग पट्टे लेने को तैयार हैं।

मेरे सीकर शहर की हालत बताऊं, वहां इतना कंफ्यूजन है कि यू आई टी चल रही है, या नगर परिषद चल रही है, यही लोगों को पता नहीं। अभी पिछले दिनों 176 पट्टे यू आई टी ने दे दिये और अब वापस कह रहे हैं कि नगर परिषद पट्टे देगी। वे सारी फाइलें ट्रांसफर हो रही हैं। करीब 8 महीने हो गये लोगों के पैसे जमा कराये, आज तक उनको पट्टे नहीं मिले हैं। माननीय मंत्री जी से एक दिन चर्चा की, इनको ही पता नहीं क्या हो रहा है; बोले, यू आई टी कब से काम करने लग गई? यह जो स्थिति है, यह बडी तकलीफदेह है। आज भी करीब 40 लोंगों के 8 महीने से पैसे जमा कराये। वहां पडे हैं और जयपुर से मार्ग दर्शन मांगा हुआ है। मार्गदर्शन देने के लिए विभाग के पास समय नहीं है।

ये हालात आखिर क्रीएट कैसे हुए, इस पर जाना पड़ेगा और बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शहरीकरण तो बढेगा। अपनी प्लानिंग की हालत यह है कि यहां बैठकर बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर की तो क्या प्लानिंग करेंगे, विधान सभा के सामने जो दर्शकगण आते हैं, जो पत्रकारगण आते हैं, उनकी 20 गाडियों को खड़ी करने की पार्किंग नहीं है। विधान सभा जब आते हैं तो सड़क पर ही गाड़ियां लाइन में लगी रहती हैं। हम हमारे क्वार्टर पर या तो गाड़ी लेकर जा नहीं सकते और ले गये तो वापस नहीं निकाल सकते। यह

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

हालत तो अपने सदन के चारों तरफ की है। दूर गांवों में नगर निकाय में क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता। यह मंत्रीजी जो भी मांग करें, इनकी मांग पूरी कर दें; ये और पैसा मांगे, वह आप इनको दे दें, यह निवेदन है, लेकिन व्यवस्था जरूर करें।

हमारे नगरपालिका क्षेत्र फतेहपुर में जाओ तो यह समझ में नहीं आता कि नगरपालिका है, या नरक पालिका है। लोग सीवरेज मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे फतेहपुर में चल रही सीवरेज की योजना को वहां से ले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे शहर को खोद के रख दिया। एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें 200 मीटर भी आदमी सीधा चल सके। जानवर गिर रहे हैं; सड़कों में खड्डे खुले पड़े हैं; ढक्कन खुले पडे हैं; कोई टैस्टिंग वहां नहीं हो रही है। सीवरेज कम्पनी ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है और नगरपालिका भ्रष्टाचार करके उसके साथ हो रही है। कैसे उन लोगों के बिल पास हो रहे हैं, कैसे वे लोग करोड़ों रुपये उठा चुके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। साउथ में जो कम्पनी ब्लैकलिस्ट हो गई थी, उसको यहां ठेका दे दिया और वह बिलकुल मनमर्जी से बेधड़क होकर काम कर रही है। कम से कम सैंकडों बार आंदोलन हो चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि सीवरेज हो, लेकिन अच्छे तरीके से हो, तब कोई मतलब।

आज सीवरेज के लिए सड़क फोड दी, कल बी एस एन एल की लाइन के लिए सड़क फोड़ दी, परसों पानी की लाइन के लिए सड़क फोड़ दी, पल्ले रोज बिजली वालों ने फोड़ दी, फिर कोई ठेकेदार आयेगा, फोड़ देगा। आम जन की कमाई का गाढा पैसा 10-10 बार-बार उठ जाता है। हमारे नगरपालिका फतेहपुर में तो अभी 11 सडकें बनी हुई थीं, उनका पिछली 22 जनवरी को टेंडर निकाल दिया। 60 लाख रुपये की थी वे, जब शिकायतें हुईं तो उस टेंडर पर रोक लगी। ये जो हालात हैं, ये बहुत बुरे हैं।

निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है। गुणवत्ता की जो बात है, शहर में जो भी सड़कें बन रही हैं, एक बार भी वास्तविक रूप में वहां गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। पार्किंग के जो हालात हैं, जैसा मैंने अभी बताया, पूरे शहर में पार्किंग की एक जगह भी नहीं है। जहां एक लाख लोग रह रहे हैं, जिस देश में रोज डेढ लाख नये वाहन सड़क पर आ रहे हैं, वहां पार्किंग की व्यवस्था तो अपने को करनी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें सम्मिलित करके कि पानी की व्यवस्था कैसी रहेगी, बिजली की कैसी रहेगी, सीवरेज की कैसी रहेगी,

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

इन सब कामों को कम से कम एक साथ किया जाये। प्लानिंग हो तो ढंग से हो। इस तरह से जो प्लानिंग हो रही है, उसमें आम जन का पैसा भी खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है और काम भी नहीं हो रहा है।

अभी फतेहपुर, रामगढ़ नगर की हालत है, पूरा शहर खड्डे में बसा हुआ है। बहुत सुंदर-सुंदर हवेलियां हैं, पर्यटन मंत्रीजी भी कह रहे थे कि हवेलियों का संरक्षण करेंगे, लेकिन हालत यह है कि पर्यटक हवेली तक पहुंच ही नहीं पाता। शहर में इतना-इतना पानी भर जाता है, चार-चार फीट। विदेश लोग आते हैं, उनकी फोटो खींच कर फिर वहां तमाशा बनता है। अखबारों में फोटो आती हैं कि ये पर्यटक घूमने आये और इनके लिए यह व्यवस्था है। कम से कम 100 बार यह मांग उठ चुकी है, आंदोलन हो चुके हैं कि उस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था हो, लेकिन एक साधारण-सा जवाब, कि जब भी फाइनेंस की व्यवस्था होगी तो देखेंगे। अभी माननीय मंत्रीजी से चर्चा की थी कि इसकी कोई व्यवस्था हो तो पता लगा कि 2020 तक की सारी योजनाएं बन गई हैं, 2020 के बाद सोचा जायेगा। अब 2020 तक उस शहर का क्या होगा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ये जो भी मांग करें, बुद्धिजीवी मंत्री हैं, इनकी मांग पूरी कर दें, इनको जितना चाहे रुपये दे दें, लेकिन व्यवस्थाएं जरूर हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 व मांग संख्या 20 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को कि उन्होंने भरतपुर नगर परिषद को पिछले वर्ष ही भरतपुर नगर निगम में क्रमोन्नत किया। मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम बनने के पश्चात बहुत सारे नये पद सृजित हुए हैं लेकिन अभी तक सारे पद खाली पड़े हुए हैं। वहां अकाउंटेंट, ए ए ओ, एस ई, जो सारे पद खाली पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय से कि नगर निगम बनने के पश्चात इन सारे पदों को भरें जिससे कि जनता को राहत मिल सके।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जब नगर निगम बीकानेर, जोधपुर क्रमोन्नत हुए थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसी तरह से भरतपुर नगर निगम बना है लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे बीकानेर और जोधपुर को स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया गया था, भरतपुर नगर निगम को भी स्पेशल आर्थिक पैकेज दिलाकर भरतपुर के विकास में भागीदार बनें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर नगर परिषद अब नगर निगम में क्रमोन्नत हो चुकी है लेकिन पिछले चार-पांच साल से सफाई एवं लाइट ठेके में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जिसके लिए एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट तक को लिखा गया है, राज्य सरकार को भी लिखा गया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा, सफाई ठेके पर नेशनल हाइवे को भी बीट बनाकर जहां सफाई का कोई कारण नहीं होता, उसका भी फर्जी पेमेंट उठाया जाता है और 50 से ज्यादा सफाई कर्मी तो ऐसे हैं जो भरतपुर में रहते ही नहीं, उनके बैंक अकाउंट खुलवाकर फर्जी चैक देकर उनका पेमेंट उठवाया जाता है। इसी तरह, लाइट व्यवस्था में मय सामान के ठेके हुए हैं लेकिन न कोई रोड लाइट बदली जाती, न कहीं ट्यूब लाइट बदली जाती, न कोई सोडियम बदली जाती, महीने, दो-दो महीने तक लोग अंधेरे में रहते हैं लेकिन उनका पेमेंट उठता है। मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी भी पूरी जांच कराई जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आबादी के हिसाब से पैटर्न में जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिये, वे सफाईकर्मी अभी तक वहां नहीं हैं। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो उस भर्ती में हाई कास्ट के लोग भी काफी भर्ती हुए जोकि आज तक कोई भी सफाई का काम नहीं करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अब कभी जब यह भर्ती हो तो उसमें वाल्मीकि, मेहतरों को ही, क्योंकि सिर्फ वे ही इस सफाई काम को कर सकते हैं, उनकी ही भर्ती की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर शहर की सारी सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं। उसका मेन कारण है, आर यू आई डी पी द्वारा सीवरेज का काम चल रहा है, चम्बल परियोजना के पाइप डल रहे हैं, टेलीफोन की केबल डल रही है, लाइट की व्यवस्था के लिए वहां पोल गढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर अव्यवस्थित विकास हो तो वह विकास नहीं कहलाया जाता है। मैं जब नगर परिषद सभापति था, तब मैंने यह व्यवस्था की थी कि बगैर परमिशन के कोई

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

रोड- कटिंग नहीं होगी। परमिशन पर उनसे मांग लिया जाता है कि आप कितने दिन में इस कार्य को कर देंगे। सामूहिक मीटिंग करके, उनका टाइम फिक्स करके, पहले उनका काम होने के बाद वह रोड बने तो निश्चित रूप से सरकार को, नगर निगम को हानि नहीं हो और जनता को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, भरतपुर में विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार होने के नाते अनेक देशों से अनेक विदेशी लोग वहां आते हैं, लेकिन वहां के जो हालात देखते हैं, न तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है, जो बाजार हैं, न ही वहां कोई टायलेट की व्यवस्था है। और, तो और, नगर निगम और यू आई टी के पार्क हैं, एक बहुत बड़ा गांधी पार्क कहलाया जाता है,सब उजाड़ हुए पड़े हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भरपतुर सम्भाग मुख्यालय है, कम से कम इसके विकास के लिए इन पार्कों की, टायलेट की, इन सबकी व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात करें अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की, यू आई टी भरतपुर में बिना किसी प्लानिंग के भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, 5-5 साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा स्कीम नम्बर 13 का, आज से सात साल पहले स्कीम नम्बर 13 लागू हुई, भूमि अधिग्रहित कर ली गई, अवार्ड पारित कर दिए गए लेकिन आज वहां भूमाफियाओं द्वारा भवन निर्माण कर लिए गये हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, या तो उनको नियमित कर दिया जाए, या उन पर कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्कीम, योजना संख्या दो, सेक्टर तीन के खसरा नम्बर 711, 712, 713, चक नम्बर 2, शहर भरतपुर, 1996 में जब भरतपुर में 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चला था तो वहां से जिनकी दुकानें टूटी थीं, उनको बसाने के लिए अधिग्रहित की गई थी। आज बीस साल होने के पश्चात भी ना तो उन काश्तकारों का कोई चैक बना, तहसीलदार और उनके यहां भी कोई चैक यू आई टी ने नहीं बनवाये; ना ही उनको मुक्त किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि जहां 20-20 साल तक मुआवजा ही नहीं दिया गया ऐसी भूमियों को मुक्त करके काश्तकारों के हवाले किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात करें कन्वर्जन या आवासीय पट्टों की, भारी भ्रष्टाचार नगर विकास न्यास भरतपुर में हो रहा है। पट्टों के नाम पर अनेक अनियमितताएं बताकर उनको रिजेक्ट किया जाता है। सुविधा शुल्क के बाद ही उन पर काम होता है।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

जो कालोनियां नियमित हो चुकी हैं, आज तक अनेक बार कहने और चिट्ठी लिखने के पश्चात भी उन पर कोई नाली निर्माण नहीं हो रहा, न कोई सड़क निर्माण हो रहा। इस तरह का प्लान यू आई टी, भरतपुर द्वारा किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में एक गोकुल नगर कच्ची बस्ती है, आज से चार साल पहले यू आई टी द्वारा पास की गई थी कि इसको नियमित किया जाए और इनके पट्टे वितरित किये जाएं, लेकिन आज तक उसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच सका है, ना ही वह कार्यवाही की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर घना पक्षी विहार के पास भरतपुर के हार्ट में भरतपुर एम एस जे कालेज का बहुत बड़ा एक प्ले-ग्राउंड है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब वहां गई थीं, उन्होंने वह देखा था, तो उन्होंने कहा था, इसको एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उनकी घोषणा के अनुसार उस कालेज ग्राउंड को भरतपुर का खेलकूद का एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि भरतपुर सम्भाग बन चुका है, भरतपुर नगर निगम बन चुका है, तो भरतपुर यू आई टी को भी क्रमोन्नत करके भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाकर, भरतपुर के विकास में भागीदार बनकर, भरतपुर का समृद्ध विकास हो सके, इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

मैं एक बार पुन: धन्यवाद देता हुआ आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो कि बहुत सहज प्रवृति के हैं, इन मांगों को अवश्य पूरा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 और 20 में कटौती प्रस्ताव पर बोलने देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

साथ ही, पूर्व सरकार ने सम्पूर्ण विकास को रोक दिया था परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पेरिफेरी गांव में ना ही तो पट्टे दिये और ना ही आधारभूत सुविधा पर ध्यान दिया।

हमारी सरकार ने 2007-08 में भुवाणा से बलीचा बाइपास का फोर

(श्री फूलसिंह मीणा)

लेन के लिए काम चालू किया था, जिसको प्रताप नगर लाकर रोक दिया गया। उस रोड पर भारी ट्रैफिक होने से सैकड़ों एक्सिडेंट हुए। सैकड़ों परिवारों का घर उजड़ गया। किसी का बाप गया, तो किसी का बेटा गया; किसी की पत्नी गई, किसी की बेटी गई। इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। खेल गांव में हमारी सरकार ने काम चालू किया था, उसको भी अधूरा छोड़ दिया, उसमें भी कोई पैसे नहीं दिये और ना काम चालू किया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी राजे, उदयपुर आयीं और वहां की स्थिति को देखा। जो पुराना काम अधूरा था, उसके लिए 14 करोड़ रुपये इस बजट में रखें। इसलिए मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद देता हूं।

सूखा नाका पुलिया है जिसमें पूर्व में, बहन विधायक सज्जन देवी कटारा, उस पुलिया के ऊपर पानी भरा हुआ था, उस पर उदयसागर आता है, उन्होंने नाव में जाकर यह घोषणा की थी कि अब की बार इस पुलिया के ऊपर होकर गुजरेंगे, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर 10-15 गांव प्रभावित होते थे और उनको 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी जब उदयपुर आयी थीं तो उस पुलिया के लिए उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख रुपये मंजूर करके उस काम को भी चालू किया।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने आई आई एम को भी घोषणा करके छोड़ दिया था, मगर हमारी केन्द्र और राज्य सरकार आने के बाद में उसका भी काम चालू करवाया।

वर्तमान सरकार में यह फर्क है, पूर्व सरकार ने तालाब पेटे के अन्दर पट्टे दे दिये, मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा, पट्टे दे दिये और उन पट्टों के जरिये हमारे गरीब परिवारों ने लोन लिया, कहीं से उधार लिया, पट्टा लिया, उसका पैसा जमा करा दिया, मगर उन पट्टों की आज दिन तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। ना तो वहां मकान बना सकते हैं और ना ही यू आई टी द्वारा उनको दूसरी जगह पट्टे दिये जाते हैं। उनकी ऐसी स्थिति है। उस समय उन अधिकारियों ने कैसे- क्या किया, मुझे पता नहीं, मगर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ऐसे गरीब परिवारों को न्याय देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के पेरिफेरी गांवों में यू आई टी के द्वारा पट्टे दिलाने की मांग करते हुए मैंने एक प्रश्न लगाया था। यू आई टी के द्वारा पट्टे दिलाने की मांग का जवाब भी 13.3.2015 को आ गया। उस उत्तर से मैं सहमत नहीं हूं। अधिकारियों से पूछा

(श्री फूलसिंह मीणा)

कि यह उत्तर आपने मौका देखकर दिया, या कागज देखकर दिया? उसमें यह लिखा था मास्टर प्लान के अन्दर जो गांव आ रहे थे, उसमें मैंने पूछा था कि उदयपुर से 15-20 किलोमीटर गांव हैं उनको पेरिफेरी में ले लिया और जो यू आई टी के नजदीक हैं, उदयुपर के तीन किलोमीटर पास है, उन गांवों को नहीं लिया। उन अधिकारियों ने कहा था कि यह जवाब हमारा नहीं है। मास्टर प्लान बनाने वाले अधिकारी भी आज यहां बैठे हुए हैं। मेरे उस प्रश्न के उत्तर को भी कहीं चेंज किया है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। उसके बाद में मैंने अधिकारियों को कहा कि आप एक दफा मौका देखो, तो वास्तव में उन्होंने माना कि 20 किलोमीटर दूर वाले गांव को जोड़ा है। जैसे कि राजस्व गांव देवी माता आता है, वहां पर रोड भी बनाया, मगर आज विकास के लिये अगर रेती का ट्रैक्टर भर करके ले जाते हैं तो वह ट्रैक्टर भी वहां नहीं जा सकता। ऐसा देवी माता गांव को आज के सौ साल बाद में भी वहां पर विकास नहीं हो सकता, शहर का। जिस गांव को इन्होंने पेराफैरी में लिया और यू.आई.टी. के द्वारा कन्वर्ट, यानी कि एग्रीकल्चर के अन्दर कन्वर्ट कालोनियां बनी हुई हैं, लेई, आमन्द्री और नया खेड़ा, नोहरा गांव, यह बिलकुल नजदीक होते हुए भी इनको पेरिफैरी से दूर रखा। मैंने जवाब मांगा तो उसमें उन्होंने यह कहा कि यह नेशनल हाइवे 8 और नेशनल हाइवे 32 से दूर पड़ता है। मगर यह सरासर बिलकुल झूठ उत्तर दिया।

मैंने वापस प्रश्न लगाया है। अब उसका क्या उत्तर आता है। यहां पर ये अधिकारी हमारे को क्या कहते हैं, इसके बारे में तो अब मैं मंत्री महोदय से यही जानूंगा कि इसके बारे में कुछ ऐसा सोचें और गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सवीना, जो शहर के नजदीक है और पेरिफेरी में आती है, इसके अन्दर आज दिन तक बी.पी.एल. परिवारों में से सिर्फ 9 परिवारों को आवास का फायदा मिला है, क्योंकि इनको पट्टा नहीं देते हैं, न तो यू.आई.टी. देती है और न कोई पंचायत देती है। अगर किसी के वहां पर बसा हुआ गरीब परिवार, उसके दो बेटे हैं और उसको एक मकान और बनाना है तो उसको न तो लाइट कनेक्शन मिलता है, न उसको मकान बनाने के लिए कोई लोन की सुविधा होती है। जब जाते हैं लोन के लिए तो यह उत्तर मिलता है कि या तो पटवारी की लिखी हुई लाओ या पट्टा बताओ। तो उनके पास न तो पटवारी की लिखी हुई है, न उनके पास पट्टा है।

(श्री फूलसिंह मीणा)

अध्यक्ष महोदय, यह यू.आई.टी. में इन्होंने जो प्लान बनाया, उसमें वेस्टेज पानी जाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा। एग्रीकल्चर लैण्ड है, वह आगे खेती कर रहे हैं, इधर यू.आई.टी. कालोनियां बन गई हैं। ऐसा ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। आज भी वह तालाब की तरह भरे हुए खेतों में पानी है। वह मच्छरों से बीमारियां होती हैं। आगे किसान उसको जमीन नहीं दे रहे हैं। यू.आई.टी. के अधिकारियों को मौका बताया। वे कहते हैं कि अगर ये कन्वर्ट करें तो हम 40 परसेंट के हिसाब से इनको कन्वर्ट करके रिजर्व लेन में नाला निकाल सकते हैं। इसके लिए कालोनी बनाने से पहले हमारे ऐसी सुविधा का ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री महोदय जनता को राहत दिलाने की कृपा करावें।

साथ में आवासन मण्डल के लिए मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल के मकानों की कालाबाजारी, मण्डल की सम्पत्ति से ही कमा रहे हैं भवन-भूमि दलाल। पता नहीं, कब से चल रहा है मकानों के आबंटन में लाटरी का घपला; जिसको भी शामिल करना चाहें, आवासन मण्डल लाटरी में शामिल करके मकान दिला देते हैं। सन् 1970 में आवासन मण्डल राजस्थान में स्थापित हुआ। उद्देश्य, पात्र व्यक्तियों को उनकी आय के अनुसार, पात्रता की शर्तों के अनुसार किश्तों पर सस्ते सुन्दर व्यवस्थित मकान उपलब्ध कराना। सन् 1980 के बाद आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की भवन दलालों ने कालाबाजारी प्रारम्भ कर दी। हर दूसरा मकान, अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक मकान आबंटित होते ही बिक जाते हैं और उनके मूल्य से अधिक उन पर ब्लैक कमाया जाता है। उदाहरण, एक मकान, पहले मकानों की योजना शुरू होते ही भूमि-भवन दलाल अपने परिवारजन, रिश्तेदारों, विश्वासपात्र मित्रों के नाम से पंजीकरण कराते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरी कर लीजिये, बात अपनी पूरी कर लीजिये, लेकिन पहली बार नहीं, कई बार बोलते हैं आप तो। अपनी बात पूरी कर लीजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): लाटरी में नम्बर निकलवा कर मकान आबंटित करवा लेते हैं और खुलते ही दोगुने-चौगुने दामों पर उसे पैसे वालों या जरूरतमंदों को बेच देते हैं। जो लाभ पात्र आवासहीन गरीबों को मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिलता। आवासन मण्डल का मकान है, मालिक

(श्री फूलसिंह मीणा)

आवासन मण्डल है, बीच में बिना पूरी किश्त, कीमत चुकाये उसका विक्रय अनुबन्ध दलाल कर रहे हैं। पात्रता नहीं है, उसे मकान मिल रहा है। आवासन मण्डल की सरकारी सम्पत्ति की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। लाखों रुपये की ब्लैक, दलाली, बिना धन लगाये कमा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड आबंटन के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी को विक्रय अनुबन्ध के आधार पर रजिस्ट्री कर देता है।

वास्तव में, आवासन मण्डल के कालाबाजारी कार्य को रोकने के लिए यह नियम बनाना जरूरी है कि किसी के भी आबंटित मकान को कम से कम दस वर्षों तक नहीं बेच सकेगा। साथ ही, क्रेता की भी यही पात्रता रखना जरूरी है जो कि आबंटी की थी। अर्थात उसे पूर्व में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकान आबंटित नहीं किया हुआ हो; उसकी आय, मकान का वर्ग आबंटी के समान हो। जब तक मकान आवासन मण्डल का है, उसका पूरा पैसा जमा न हो, तब तक कोई विक्रय अनुबन्ध, पावर आफ अटार्नी हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिए मान्य नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मालिक तो आवासन मण्डल है, न कि आबंटी। इस प्रकार यह कालाबाजारी समाप्त की जा सकती है।

लाटरी काण्ड, 2010 में आवासन मण्डल के मकानों की लाटरी-घपले का मामला सामने है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ए.सी.बी. ने संयुक्त निदेशक पर अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। संयुक्त निदेशक, एनेलिस्ट अनुज माथुर को लाटरी में फर्जीवाड़े के लिए दोषी माना है। वे अपने लैपटाप पर पहले ही आबंटियों की सूची डालकर उन्हीं की लाटरी निकालते थे।

मेरा निवेदन है कि निकली हुई लाटरियों की जांच की जाए और वे आबंटन रद्द कर दिये जाएं ताकि भविष्य में ऐसे दलाल या आबंटी भी गलत कालाबाजारी न करें। योजना बंद या निरस्त कर दें।

राजस्थान आवासन मण्डल ने स्ववित्त घोषित योजना...

श्री अध्यक्ष: बस, अब आप समाप्त कर दें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: दो नहीं, एक मिनट ले लो। अब समाप्त कीजिये। बहुत समय लिया है आपने।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): टेबल पर रख दूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट और।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैंने यू.आई.टी. के अधिकारियों से पूछा कि यह विकास में गति कम क्यों आ रही है। गति नहीं आ रही है। उन्होंने मेरे को बताया, लम्बा-चौड़ा है, मैं टेबल कर रहा हूं।

हमारी उदयपुर यू.आई.टी. के अन्दर स्टाफ बहुत कम है। तो उनके खाली स्थानों को भरा जाए और तुरन्त प्रभाव से अधिकारियों को भी लगाया जाएं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दीजिएगा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी कालाबाजारी, और हमारे यू.आई.टी. के लिए गांवों में पेरिफेरी एरिया में पट्टा दिलाने की ऐसी योजना बनाएं जिससे हमारे गरीब परिवार मकान बना सकें और अपना जीवन-यापन कर सकें। धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आ जाए, मांग पारित हो जाए, तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सब की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

हां, गुप्ताजी, आप जरा शार्ट ही बोलें तो ठीक रहे। बहुत आ चुका, जयपुर के बारे में बहुत आ चुका है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संडे है, संडे को शार्ट बोलना ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: हां, संडे को शार्ट बोलना चाहिए। सबको पिकनिक पर जाना है संडे की।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेयर बोल चुके हैं। अब क्या बचा है बोलने के लिए?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इनके मित्र हैं नहीं वे आज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पता है, मोहनलालजी; माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहनलालजी का रिकार्ड रहा है कि इनको रोकना पड़ता था हमें। यह पहले के दस साल का रिकार्ड तो मेरे पास है। इनको रोकना पड़ता था, रुकते नहीं थे कभी।

श्री अध्यक्ष: मैं रोकूंगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कालीचरणजी भी नहीं हैं आज, इनके मित्र।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 'बड़ी देर भई नन्दलाला, तेरी राह तके बृजवाला।' बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आपने टोक दिया। अब क्या करूं?

श्री अध्यक्ष: विराज जाओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बैठ जाओ आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप कहते हो तो विराजें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह ठीक है। बोलिये। बोलिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह कह रहे हैं कि आपके मित्र नहीं हैं; आप कह रहे हैं कि कम बोलो, वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब यह मेरे मित्र तो सोने गये हुए हैं, सो कर आएंगे जब ही बोलूं?

श्री अध्यक्ष: सभी आपके मित्र हैं, आप तो बोलिये, चालू कीजिये लेकिन ध्यान रखिये समय का।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कालीचरणजी, अगर वे सुन रहे हों, चैम्बर में हों, तो आ जाएं।

श्री अध्यक्ष: ले लो, रिकार्ड पर ले लो। हां, टेबल कर दो।

(माननीय सदस्य श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) द्वारा मांग संख्या-29 व 20 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 29 व 20 पर विचार

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कालूलालजी आ गये क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आज यह नगरीय विकास की मांग पर चर्चा हो रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है जिसमें 185

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

नगरपालिकाएं, यू.आई.टीज. और नगर निगम और उसके साथ-साथ जे.डी.ए. और विभिन्न प्रकार की डवलपमेंट अथोरिटीज के बारे में चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को अधिकार दिये गये हैं और इनको स्वायत्तशासी संस्थाएं माना गया है। उनको कुछ कर्तव्य और अधिकार भी दिये गये हैं।

एक बेसिक और मौलिक बात यह है कि जब इलेक्टेड बोडीज शहरों में हैं, जब नगर निगम हैं, नगरपालिकाएं हैं, तो यू.आई.टीज. क्यों हैं? फिर अथोरिटीज क्यों हैं? डवलपमेंट अथोरिटीज क्यों हैं? एक शहर में विकास की दो संस्थाएं क्यों हैं? यह एक बेसिक प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है और इसी के कारण हमारी इन संस्थाओं की दुर्गति भी हो रही है। एक तरफ यू.आई.टीज. के पास, डवलपमेंट अथोरिटीज के पास पैसा बहुत है; दूसरी तरफ, नगर पालिका, नगर निगमों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। यू.आई.टीज., डवलपमेंट अथोरिटीज जमीन बेच देती है और उसके बाद में कालोनीज को डवलपमेंट करने के बाद में या अधूरा डवलपमेंट करके कालोनीज को नगर-निगम को, या इनको छोड़ देती हैं। अब उनके पास में रोजाना के काम, सफाई, बिजली, पानी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, सड़कों का पुनर्निर्माण, सीवर लाइन, इन सबके मेनटिनेंस का काम है और वे संस्थाएं सरकार के ऊपर, डवलपमेंट अथोरिटीज के ऊपर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऊपर आधारित हो जाती हैं कि हमको पैसा दें; बारबार चक्कर खाती हैं कि कभी जे.डी.ए. पैसा दे दें, कभी यू.डी.एच. पैसा दे दें; यू.आई.टी. भी पैसा दे दे, सरकार पैसा दे दे। एक तारीख को उनको पेमेंट करना पड़ता है कर्मचारियों को, बिजली का भी पेमेंट करना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है।

मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में यह मौलिक चिंतन है आपका, जैसा कि आपका है, आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न नगरों में, विभिन्न जगहों पर भाषण भी देते हैं, मौलिक चिंतन यह है कि इन नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए? उसके तहत जो भी पैसा इनका जे.डी.ए. से, इम्प्रूवमेंट अथोरिटीज से या अन्य संस्थाओं से, हाउसिंग बोर्ड से, कहीं से भी पैसा बकाया हो, तो निश्चित टाइमफ्रेम में उनको मिल जाए, इस बात की व्यवस्था करें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

साथ ही साथ, हम सब जो नगर निगम के सदस्य हैं, एम.एल.एज. भी हैं, उन सबको और सदस्यों को इस बात के लिए ट्रेन करें कि पे एड यूज के आधार पर सर्विसेज दें और सर्विसेज पर टैक्स भी लगाएं। आक्ट्राय खतम हो गयी, अब नगरीय विकास कर लगा हुआ है, प्रोपर्टी पर टैक्स लगाया हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि पे एण्ड यूज की सर्विसेज के आधार पर आप टैक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से जनता देगी।

स्थानीय नागरिक समिति के माध्यम से इन संस्थाओं में किस प्रकार से हम आय के साधन उत्पन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस बारे में निश्चित रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन संस्थाओं की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं में..., कालूलाल जी, जरा इधर पधारें। कालूलाल जी। बोल-बोल कर डिस्टर्ब कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपका काम नहीं है। आपसी चर्चा नहीं करें। आपसी चर्चा नहीं करें। हां, आप बोलो, आप इधर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इनको अच्छा नहीं लगे तो मैं बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष: आपको तो अध्यक्ष को एड्रेस करना है। हां, उधर देखें ही मत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, आपको ही निवेदन करना चाहता था मैं।

श्री अध्यक्ष: आप उधर देखिए ही मत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इतनी जोर-जोर से बोल रहे हैं कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोर-जोर से मत बोलिए। बोलिए ही मत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पहली बात तो इन्होंने मेरा नम्बर 14-15 कर दिया और फिर अब सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अध्यक्ष को सुनाइए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको तो अध्यक्ष महोदय को करना है। आपको सम्बोधित आसन को करना है, या कालूलालजी को करना है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय को कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो करो न फिर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सुन लो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप इधर-उधर देखते ही क्यों हो? सामने देखो न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इन संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, इनमें लगे हुए अधिकारी, इन सबका व्यवहार कैसा हो, इसके बारे में भी निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। हम एम.एल.एज. के नाते पार्षदों को, मेयर्स को और विभिन्न कमेटियों के चेयरमेन को और अधिकारियों को यह बातें सिखाएं कि वे अपने मुंह में मिश्री रखें, पैरों में चकरी रखें और सिर पर बर्फ रखकर काम करें। मीठा बोलना, मुंह में मिश्री, जनता के व्यक्ति से अधिकारी भी मुंह में मिश्री रखकर बोलें। मीठा बोलकर हम जनता की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। मां मीठा बोलती है, मेयर नगर पिता होता है, मां मीठा बोलती है तो बच्चा डांट भी सुन लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे मीठा बोलें, मुंह में मिश्री रखकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्रीजी क्या रखते हैं मुंह में?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब यह आप देखो, तय करो। (व्यवधान) यह आप समझ गये क्या?

पैरों में चकरी, घूमते रहें, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। अधिकारी वह नहीं होना चाहिए जो कुर्सी पर बैठकर समस्याओं का समाधान करें; वह जाए और जाकर देखे कि गली-नाली में क्या समस्याएं हैं, शहर में क्या समस्याएं हैं। मुंह में मिश्री, पैरों में चकरी, सिर पर बर्फ, ठंडा, आपकी जैसे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह नया ही आया है क्या नुस्खा?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, नया लाया हूं, आज ही लाया हूं, इम्पोर्ट करके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे आप पहाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुंह में मिश्री...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कमर में घघरी वाला और रह गया। बस बाकी सब ठीक है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में माननीय सोमनाथजी चटर्जी पधारे थे ट्रेनिंग देने के लिए, तो उन्होंने तीन शब्द बताये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, विराजें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): पूर्व स्पीकर, लोक सभा।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सिर पर बर्फ। अब हमारे यहां शहर में मिश्री मिलती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये अगर तीन सिद्धांत हमारे अधिकारियों ने और हमारे जन-प्रतिनिधियों ने अपना लिए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर नगर निगमों में, नगरपालिकाओं में फाइलें बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं। कभी यहां से फाइल, एक फाइल...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक घंटे सुन लेना, अगर एक भी सार निकल जाए, तो। मेरी गारंटी है। इनकी बात का अर्थ है; नथिंग। मैं बहुत बार सुन चुका। ये क्या कहना चाहते हैं? हाथ में चकरी, हाथ में फकड़ी, क्या लेना-देना है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कहां इशारा है आपका? कहां इशारा है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप क्या कहना चाहते हैं, वह बताओ न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चलो, कोई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे तो। राजेन्द्रजी समझ गये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सीख लो, श्रवणजी, काम आएंगे जिंदगी में। (व्यवधान) यह जिदंगी में काम आएंगे आपके, कुछ सीख लो। ये व्याख्यान काम आएंगे जिदंगी में।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): समझने वाले समझ गये, ना समझे वह अनाड़ी। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय विधायक, आपकी समझ के बाहर है यह, जो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां नगर निगमों में, जे.डी.ए. में और विभिन्न स्वायत्तशासी, हाउसिंग बोर्ड में, सभी फाइलें टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम के तहत क्लीयर नहीं होती हैं। मेरा यह निवेदन है कि इन संस्थाओं को ठीक करना है, तो एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम हो। माननीय मंत्री महोदय एक आर्डर निकालें, जिस भी अधिकारी के पास तीन दिन से ज्यादा समय तक फाइल रही, उस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाह, क्या बात है। क्या बात है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आ गयी समझ में?

क्यों नहीं जांच होती है? पांच-पांच दिन तक, दस-दस दिन तक, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक, महीने भर तक, पांच-पांच, छह-छह महीने फाइलें पड़ी रहती हैं, और फिर क्या करते हैं, कृपया चर्चा करें। फिर डाल दी फाइल। फिर चर्चा करने के लिए बोलते हैं अधिकारी, भाई जाकर चर्चा कर लो; साहब, वे बुलायेंगे, तब चर्चा करूंगा; मैं गया था, वह मिले नहीं। इस प्रकार से कुर्सी पर बैठने वाले आपस में चर्चा करने में भी बड़ी दिक्कत होती है।

एक आर्डर निकालिये कि किसी भी व्यक्ति के यहां कोई भी फाइल तीन दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहेगी। फाइल का तुरन्त क्लीयरेंस होगा। माननीय श्रवण कुमारजी, समझ गये क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अधिकारी ऐसा नमूना देखकर जाते हैं, तब ही तो अपनी सुनते नहीं हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का एक वातावरण है इन शहरी संस्थाओं का, इन शहरी संस्थाओं में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आई.ए.एस. आफिसर लगे हुए हैं, आर.ए.एस. आफिसर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन शहरी संस्थाओं के कौन से आफिसर्स लगे हुए हैं? कोई एक्सपर्ट हैं क्या? कोई सिटी मैनेजर्स की सेवाएं ली जा रही हैं क्या? हमें निश्चित रूप से इन सिटी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैनेजर्स की सेवाओं को अडाप्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट लोगों की सेवाओं को अडाप्ट करना चाहिए। आई.ए.एस. आते हैं, आर.ए.एस. आते हैं, पर वे म्यूनिसिपेलिटी में लगना नहीं चाहते हैं। आज सीनियर मोस्ट आई.ए.एस. को आप लगाइये, वह कहेंगे, कहां मुझे आपने यहां इसमें लगा दिया, यह मेरा काम नहीं है। तो किसका काम है? उन आई ए एस आफिसर्स में से, उन आर ए एस आफिसर्स को, ऐसे लोगों को छांटकर, ऐसे योग्य-सुयोग्य व्यक्तियों को जो काम करने के इच्छुक हों, जिस व्यक्ति ने बदसूरत की सूरत को बदल दिया, जिस व्यक्ति ने शहर के बरामदों को तोड़ दिया, इस प्रकार के लोगों को लगाना चाहिए जो काम कर सकें, काम करने की इच्छा-शक्ति हो; इच्छा शक्ति हो, योग्य व्यक्तियों को। जो लगना नहीं चाहते, उनको काहे को लगाते हो आप? जो लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ऐसे सिटी मैनेजर्स को आप लगाइये। उन सिटी मैनेजर्स की एसोसिएशन के माध्यम से चर्चाएं करके, बाहर के शहरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि वे सिटीज को कहते हैं, कि इस सिटी को कौनसा मैनेजर डवलप कर सकता है, कौनसा आफिसर चाहता है कि मैं इस सिटी को ठीक कर दूंगा। वह अपनी तनख्वाह बताता है, वह कहता है मेरे को इतनी तनख्वाह दीजिये, मैं सिटी की इस प्राब्लम को साल्व कर दूंगा। साल्व करने के लिए तैयार रहता है। आज सिटीज की प्राब्लम को साल्व करना एक बहुत टेड़ी खीर है। इसलिये इस प्रकार के एक्सपर्ट लोगों को निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, परनामी का सातवां नम्बर आया था, इनका कौनसा नम्बर आया था, यह बता दो। वे कह रहे थे, मेरा राजस्थान में सातवां नम्बर आया था सफाई के मामले में हिन्दुस्तान में। इनका कौनसा नम्बर आया था? ये सब रहे हुए आदमी, कुछ कर नहीं पाये। उस समय तो इनके हाथ-पैर फूल गये, अब ये भाषण करते हैं। अब कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाओ। बताओ, मंत्री कौन बनाये? मैडम हैं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने आपको नहीं कहा है।

श्री हीरालाल (निवाई): ये जयपुर के पहले मेयर रह चुके हैं, माननीय सदस्यजी। पहले मेयर हैं जयपुर के।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): और आप कभी जयपुर के मेयर हो नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: हां, गुप्ताजी, बोलिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन सिटी मैनेजर्स के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, आपका टाइम पूरा हो रहा है, सूत्रों में बात करो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन सिटी मैनेजर्स के माध्यम से..., आपका आशीर्वाद चाहिये, सर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी पार्टी के सदस्यों का समय दे दो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जैसे आप नई-नई बातें बताते हो न, वैसे बताऊंगा। बहुत उपयोगी हैं। चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। मुझे क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष: मुझे पहाड़ पर मत चढ़ाओ। आप तो जो सूत्र हैं, वे बोलो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहूंगा कि सिटी मैनेजर्स के माध्यम से इन संस्थाओं का निश्चित रूप से हमें विकास करना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग ने और राजस्थान सरकार ने टाइम बाउण्ड डिलिवरी आफ सर्विसेज एक्ट, उसके लिए अपनी विधान सभा में पास किया है और स्वायत्त शासन विभाग ने भी नागरिक अधिकार पत्र दिया है। इस नागरिक अधिकार पत्र में और टाइम बाउण्ड डिलिवरी आफ सर्विसेज एक्ट में जो-जो अधिकार दिये गये हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनको आप इम्प्लीमेंट करा दीजिये, you will be the most successful Minister. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सुनिये-सुनिये, ये राजेन्द्रजी तो नोट करते हैं, ये दिमाग में नोट करते हैं। राजेन्द्रजी नोट करके और उस पी.ए. को दे देते हैं; ये दिमाग में नोट करके अधिकारी को बोलेंगे। चिन्ता मत करो आप। ये नोट नहीं करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कम्प्यूटर है इनका दिमाग।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, कम्प्यूटर है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यह जो नागरिक अधिकार पत्र है और यह जो एक्ट है, वह हमें अधिकार देता है, एम एल ए को भी देता है, नागरिकों को भी देता है, पार्षदों को भी देता है और लोगों को इस बात के लिए

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जागरूक करने की आवश्यकता है कि आपका अधिकार क्या है। प्रत्येक नगर पालिका में एक हेल्पलाइन होगी। 185 नगरपालिकाओं में हेल्पलाइन है क्या? है नहीं, यह लिखा है। प्रत्येक निकाय में हेल्पलाइन की व्यवस्था होगी, जिस पर निकास से सम्बन्धित समस्याओं को पंजीकृत किया जाकर उनके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। कुछ ही जगहों पर है। खड्डों को भरने के लिए एक दिन का, खड्ढे जो भरेंगे, उनके लिये एक दिन, टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत 15 दिन में, सड़कों पर रूकावट एक दिन में, मैनहॉल के ढक्कन एक दिन में; मालिक द्वारा सार्वजनिक स्थल से मलबा हटाने के लिये 48 घंटे के भीतर नोटिस जारी होगा, यानी सीवरेज नालियों को एक दिन में साफ करेंगे; टूटी-फूटी सीवर लाइनों की मरम्मत उसी दिन हो जाएगी; सफाई से सम्बन्धित, नक्शों से सम्बन्धित, 24 घंटे में अवैध कब्जे हट जाएंगे। (व्यवधान) हट जाएंगे 24 घंटे में। मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से जो यह बात आई है, यह जो नागरिक अधिकार पत्र दिया गया है, और यह बताऊं आपको, जो टाइम बाउण्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट है, उसमें भी यह सब बातें हैं। यह सब बातें, सामुदायिक भवन, उद्यान में क्या होगा।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के समाज कल्याण के काम और यह जो काम इस नागरिक अधिकार पत्र में दिये हैं, यह पानी, सड़कों की सफाई, रात्रिकालीन व्यवस्था, मृत पशुओं को हटाना, स्वास्थ्य शिक्षा, आवारा कुत्तों को पकड़ना, इन सब बातों के लिए टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है। यदि हमारे नागरिक और हमारे एम एल एज अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं तो उनकी तनख्वाह में से पैसा कट सकता है। यह पैसा, आपको यह अधिकार दिया गया है कि अमुक अधिकारी ने खड्डा इतने दिन में नहीं भरा, वह म्यूनिसिपेलिटी में जाकर अपनी एप्लीकेशन लगाये, उस बात को सिद्ध करे कि खड्डा नहीं भरा, या सफाई नहीं हुई, या लाइट ठीक नहीं हुई, तो वह पैसा उस अधिकारी की जेब में से कटेगा। यह इस प्रकार की जिम्मेदारी इस एक्ट में दी गयी है। हम क्यों नहीं उसका उपयोग कर सकते हैं? हमारा स्वायत्त शासन विभाग इस बात के लिए क्यों नहीं प्रेरित करता है? माननीय मंत्री महोदय, इस बात का प्रचार-प्रसार कीजिये कि इस प्रकार की बातें सब लोगों को मालूम हो और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सफाई के सम्बन्ध में एक जो विचार है, हमारी इन नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मिनिस्टर ने दी है और प्राइम मिनिस्टर ने अपना अभियान चालू किया है स्वच्छ टायलेट्स और स्वच्छ भारत अभियान के रूप में। बहुत बड़ी बात है। आज तक जितनी भी सरकारें आईं, जितने भी प्रधान मंत्री आये, उनका आशीर्वाद इन नगरीय संस्थाओं को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमें ऐसा प्रधान मंत्री प्राप्त हुआ है, जिसने नगरीय संस्थाओं को आशीर्वाद प्रदान किया है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको पैसा भी मिलने वाला है पैसा मिल भी रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा मुख्य मंत्री भी मिला है जो सफाई के प्रति बहुत सेंसिटिव है। एक बार शहर में मुख्य मंत्रीजी शहर में जा रही थीं, मैं कार में बैठा हुआ था, उनके पीछे; चौड़ा रास्ते में कचरा देखते ही उनका माथा ठनका और कहा सी.ई.ओ. नगर निगम कहां है? यह चौड़ा रास्ते में कचरा कैसे है? आगे गयीं, हास्पिटल के सामने कचरा कैसे है? आगे गयीं, एक दीवार पर पोस्टर लगा हुआ था, पुलिस कमिश्नर को घर पर बुला लिया कि मिस्टर, यह पोस्टर कैसे लगा हुआ है? इस प्रकार की हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं। उनकी संवेदनशीलता को हमको निश्चित रूप से पहचानना चाहिये और उनके इस कार्यक्रम को, प्रधान मंत्रीजी के, मुख्य मंत्रीजी के कार्यक्रम को हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम भी अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार की सफाई की व्यवस्था रखें और इस प्रकार का काम करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दो मिनट।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूं लेकिन आपका समय कम है।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में बोल दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारा समय दे दो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह हमारा समय दे रहे हैं, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं, किसी का समय किसी को नहीं जाएगा। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, आपका आशीर्वाद है तो बोलूं?

श्री अध्यक्ष: मेरी व्यवस्था है। (व्यवधान) विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, आपका ही समय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हुजूर, यहां तो आप ही का वक्त है। हम तो आपकी रियाया हैं यहां तो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप दो मिनट बोल दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आपकी इजाजत है तो बोल दूं, सर?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने कब रोका?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यस, सर। तो मैं सफाई के सम्बन्ध में बोल रहा था...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान विधान सभा में बोलना। इतनी देर तो हाउस आफ कामंस में बोल रहे थे, अब दो मिनट राजस्थान की विधान सभा में बोल लें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यहीं बोल रहा हूं। अब आपका दिमाग अगर हाउस आफ कामंस में रहे, तो उसका तो मैं क्या करूं, सुन लो।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब मत करो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं क्या आपको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको मत बताओ, मुझे बताओ आप तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने अभी बात की थी कि अधिकारियों को डाल दिया। आपके पुराने मेयर साहब क्या कर रहे थे? वे जाते नहीं जेल में? बच गये। आपके मुख्य मंत्रीजी ने बचा दिया। बहुत सारी उनके खिलाफ ए.सी.बी. में शिकायतें हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तो भ्रष्ट अधिकारी को जेल में भी डाल दिया। आपके मुख्य मंत्री ने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री श्रवण कुमार।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। बीच में बोलोगे, कि सुनोगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप विराजिये। अब विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट। एक मिनट। अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले समय में, इन्हीं की बात का, केवल दो बात का जवाब दे रहा हूं,...

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट में।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, दो। दो, प्लीज। बहुत सारी बातें थीं, रह गयीं।

श्री अध्यक्ष: अब आप अपना समय खुद बरबाद करते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पिछले समय में डी.एल.बी. का मतलब था, देओ, लेओ और भागो। सारी म्यूनिसिपेलिटीज के लोग यहां आते थे अपनी फाइलों को क्लीयर करवाने के लिए। आज हमारे नगरीय विकास मंत्री जी ने कह दिया कि सारे पावर्स म्यूनिसिपेलिटीज को दे दिये जाएंगे, कोई भी आने की जरूरत नहीं है। सारा बजट पास कर दिया। देने-लेने में भागने की जरूरत नहीं है, अपना काम स्वयं करो। उनको अधिकार दे दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन म्यूनिसिपेलिटीज को और भी अधिकार दे दें, सरकार के पास में आने की जरूरत नहीं। स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इनको निश्चित रूप से अधिकार मिलना चाहिए, अपने स्व-विवेक से निर्णय लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बस, हो गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और कहना चाहूंगा।

माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी को सम्बोधित करके कह रहा हूं, सरकारी कर्मचारी तो कहते हैं 'आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, प्यारे, नौकरी करनी है वर्षों।' हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है 'काल करे सो आज कर। आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरि करेगो कब।'

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, विराजो। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तुरन्त निर्णय लीजिए, तुरन्त काम कीजिए, जल्दी काम कीजिए, शीघ्र काम कीजिए, जनता को आराम पहुंचाइये।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भंवरी की बात कह रहे थे, भंवरी तो कइयों को पागल कर गयी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): भंवरी तो आप लोगों का काल बन आयी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास एवं मांग संख्या 20-आवास पर चर्चा हो रही है, सुबह से लम्बी-चौड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं पर किसी का यह मूंड तो है नहीं कि इसका सुधार कैसे किया जाए।

नगरपालिकाओं में, नगर निगम में, सभी में आपने एक बात देखी होगी कि आज से बीस वर्ष पहले कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसके बाद आज तक कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई। अभी बंसलजी बोल रहे थे, सभी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी महती आवश्यकता है सफाई कर्मचारियों की। आज भी, मैं बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी हैं, पिछली सरकार भी काफी प्रयत्नशील रही, पर नहीं हुआ। (व्यवधान) बहुत कम। उसके बाद आज भी इतनी महती आवश्यकता है कि ठेके के ऊपर काम किया जा रहा है और जहां ठेके का काम शुरू हो जाता है वहां भ्रष्टाचार की बदबू अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी तो यह है कि सभी नगरपालिका, नगर निगमों में, जे.डी.ए. में, सभी जगह, जे.डी.ए. में तो कर्मचारी खूब होंगे पर इनमें कर्मचारियों की कोई कमी है, चाहे कोई नगरपालिका में जाओ, चाहे नगर निगम में जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले तो आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें।

दूसरी बात, जब कालोनियां काटी जाती हैं तो कालोनियां के कोई टारगेट्स होते हैं कि 60 प्रतिशत में मकान बनेंगे, 40 प्रतिशत में सुविधाएं। सुविधा नाम की कोई चीज नहीं, न कोई गार्डन हैं। किसी को अगर शादी भी करनी है तो गेस्ट हाउस में जाकर करेगा। न कोई गेस्ट हाउस है। रास्ते 30 फीट के करने चाहिए, उसकी जगह 20 फीट के रास्ते करते हैं, कागजों में 30 फीट दिखाते हैं। साहब, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप शहरों में जाकर देखें, 20 फीट के ही रास्ते हैं। जब तक इसमें सख्त कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक उस पर पूरी ढंग से अमल नहीं किया जाएगा।

अभी महरियाजी जो बात बता रहे थे, चाहे थोड़ी बात बतायी हो लेकिन उन्होंने बहुत सही बात बतायी कि शहरों में जाकर देखें कि आज नगर पालिकाओं में सफाई के नाम पर कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, नरक बना

(श्री श्रवण कुमार)

हुआ है। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज जोधपुर में सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी से सड़ रहा है, तो गांवों के आदमी शहरों में आकर आवास करना चाहते हैं पेट पालने के लिए। अब शहरों की हालत यह है, तब गांवों की हालत क्या हो सकती है? मैं सबसे पहले माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शहरों में सफाई की व्यवस्था और आवासीय कालोनियों के अन्दर जिस प्रकार से बसे हुए हैं, उनके बसने का ढंग, व्यवस्था ठीक करें।

आपने बताया, पट्टों का, शहरों-के-संग अभियान चला, पट्टे बनाये। पट्टों की स्थिति यह है कि जमीन किसी की है और पट्टा किसी को दे दिया। आनन-फानन में काम किया और उसकी कोई सुध नहीं ली कि जमीन किस की है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे सूरजगढ़ नगरपालिका में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति को पट्टे दे दिया जिसका जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। यहां के हमारे जे.डी.ए. के कमिश्नर वहां के लोग बड़े ईमानदार और निष्ठावान हैं, उन्होंने जांच की, जांच में वो प्योरली फर्जी पाया गया। लेकिन उससे पहले वह रजिस्ट्रेशन करवा चुका था, तो वो नगरपालिका तो उसको कैंसिल नहीं कर सकती कोर्ट में जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी नीयत ठीक थी, उन्होंने जांच सही की और उसमें पाया गया कि प्रार्थी का वहां कोई लेना-देना नहीं। पैसा तो जमा करा दिया, पट्टा भी ले लिया जमीन किसी की है और पट्टा कोई ले रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अगर अपन सुदृढ़ ढंग से काम में नहीं लेंगे, सख्ती से नहीं लेंगे, तो गरीब व्यक्ति रह जाएगा और बड़ा आदमी उससे फायदा उठा जाएगा।

हमारे जे.डी.ए. की स्थिति यह है कि अतिक्रमी अतिक्रमण कर लेता है उसके बाद उसको नोटिस दिया जाता है। सालों तक कोर्ट में प्रार्थी घूमता रहता है। जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च किया, वह कोर्ट में घूम रहा है और जिस व्यक्ति का पैसा नहीं लगा, वह उसका मजा ले रहा है। इसमें कोई भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। एक दल ऐसा होना चाहिए कि तत्काल जाए, उसको तोड़ दे और तोड़ने के बाद उसका पैसा जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया था, उसके चार्ज लगना चाहिए। अपन तोड़ कर आ जाते हैं, उसको क्या हो गया? दस साल तक उसने मजा ले लिया। जो दल जाएगा, उसका जो भी खर्चा हुआ है वह खर्चा उस पर लगना चाहिए। तब अगले को यह मालूम होगा कि मैंने गलती

(श्री श्रवण कुमार)

की है। तो दूसरा उसको देखकर गलती नहीं करेगा। अपन क्या करते हैं, दल गया और तोड़ कर आ गया; दस साल बाद दूसरा तोड़ने का नम्बर आया।

तो आपको यह व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ेंगी, पहले वाला ढर्रा है उसको खतम करना पड़ेगा क्योंकि पहले अतिक्रमी थे कम अब अतिक्रमी हो गये ज्यादा, आम नागरिक अतिक्रमी हो गया। नगरपालिकाओं की हालत यह है कि 20 फीट का रास्ता था घर के आगे, बाथरूम लैट्रिन बना लिया, उधर से उसने बना लिया और 10 फीट का रास्ता हो गया, गाड़ियां नहीं जा सकती। अब बढ़ती जनसंख्या में तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए, सुविधाएं ज्यादा होनी चाहिए, अब रास्ते कंजस्टेड और होते जा रहे हैं।

आपको मंत्री मैडम ने इसलिए बनाया कि आप यंग हो, शहर में रहने वाले व्यक्ति हो; गांव का व्यक्ति तो नहीं कर सकता, आप तो शहर में ही जनमे हो, शहर में ही रह हो, तो शहर की व्यवस्था को तो आप जानते ही हो। हमारे सुरेन्द्रजी गांव के रहने वाले आदमी हैं, इनको पंचायत राज मंत्री बनाया। आपका सोच तो ठीक था लेकिन आप पान खाते रहोगे, हंसते रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो फायदा क्या होगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको पान खाने से क्या तकलीफ होती है बार-बार?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी खाते हों।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए समर्थन में आ गये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शहरों में अभी एक टैक्स लगाया है सफाई टैक्स, यह अच्छी बात है। इसमें होटलों में उसकी रेट अलग है, छोटी दुकान की अलग रेट है, छोटे घर की, 300 वर्ग गज की अलग रेट है, यह अच्छी बात भी है लेकिन इसको लागू करना है। यह नहीं, आपने तय कर लिया, लागू नहीं करें। उससे फायदा नहीं मिलेगा। जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक इसमें फायदा नहीं मिलेगा।

शहरों में हालत यह है कि आप कोई रोड़ पर जाएंगे तो गाडियां खड़ी मिलेंगी। दुबई में, हांगकांग में या विदेशों में आप कहीं भी जाओ, कोई भी गाड़ी आपको रोड पर नहीं मिलेगी। वहां 4-4, 5-5 मंजिल की पार्किंग बना रखी है। उन पार्किंगों में गाड़ी जायेगी तो अपने आप गेट खुलेगा, पैसा डालो, टोकन डालो, गेट खुल जायेगा। पैसा नहीं डालोगे तो गेट नहीं खुलेगा। यह व्यवस्था आज नहीं, 2 साल बाद जयपुर में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ियां इतनी हो

(श्री श्रवण कुमार)
गयी हैं कि लोगों को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इसलिए कम से कम जयपुर, जोधपुर, यह 3-4 जो बड़े शहर हैं, इनमें तो व्यवस्था आपको मंजिलों में करनी ही पड़ेगी पार्किंग की।

आज पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही कंजस्टेड है। शहर में जाने का लोगों का मन ही नहीं करता है। आप कुछ नया काम करके जाओ। जैसे मैंने परनामीजी को कहा, मोहनलालजी को कहा कि आप महापौर रहे, कोई ऐसा काम भी किया कि जनता उसको याद करे?

'जब तुम दुनिया में आये थे तो दुनिया हंस रही थी मगर तुम रो रहे थे।

ऐसे करम कर चलो कि दुनिया रोये मगर तुम हंसते चले जाओ'।।

करोगो ऐसे काम?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपका तो टाइम हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कहां हो गया? टाइम तो आपका भी हो गया।

एक माननीय सदस्य: हमारे मंत्रीजी जाएंगे तो सारे काम करके जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज मैं सीवरेज की बात करना चाहता हूं। महरियाजी बता रहे थे कि सीवरेज लगाने के लिए लाइन तोड़ दी, 5-5, 10-10 वर्ष तक उसको ठीक नहीं करते हैं। उससे फायदा क्या मिलेगा? आपने जो सीवरेज को लागू किया, वह 10 साल तक तो बना ही नहीं। उसकी सड़कें तोड़ दी। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, चाहे जे डी ए में हो, चाहे यू आई टी में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे कहीं हो, यह मास्टर प्लान आपका सही नहीं है। आज आपने सड़क डाली है, परसों आपको पाइपलाइन डालनी है, 3 दिन बाद में के बिल डालनी है, 15 दिन बाद में उसको तोड़कर के दुबारा बनानी है; एक ही सड़क को 2 साल में 5 बार तोड़ देते हैं। आप जो काम करते हो उसके लिए पहले मास्टर प्लान बनाओ कि यहां सड़क भी पड़ेगी; सड़क से पहले पाइप लाइन डलेगी, उसके अन्दर सीवरेज भी डलेगी, के बिल भी डलेगी। सब काम सिस्टेमेटिकली करने के बाद रोड बननी चाहिए। एक रोड को 5 बार एक साल में तोड़ दिया। चाहे जे डी ए का पैसा हो, चाहे नगरपालिका का हो, पैसा तो खर्च हो रहा है। उसमें काम सही हो नहीं पा रहा है और दुनिया भर के

(श्री श्रवण कुमार)

खर्चे हो रहे हैं। इस खर्चे को कम करने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। विदेशों में हम गये हैं तो जाकर के देखा है कि वहां एक काम करते हैं, उससे पहले सारे काम कम्प्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में सड़क डालते हैं। यहां कोई सड़क डालने का काम ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि एक ही परिवार को 32 मकान दे दिये, एक व्यक्ति वेट कर रहा है। आज हाउसिंग बोर्ड की हालत यह है कि जो मकान बनाये हैं, वह मकान 2 साल में अपने आप टूट जाते हैं, उसकी दीवारों में से पानी आता है। इतनी घटिया सामग्री है जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। जब तक वह कालोनियां बनाकर के लोगों को अलाटमेंट करते हैं तो वे टूट जाते हैं। लोग इसलिए लेते हैं कि वह जमीन का ही पैसा आता है। मकान का पैसा व्यर्थ लगता है। जब तक घटिया सामग्री के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, ठेकेदार प्रथा को ठीक नहीं किया जाएगा, सबसे मूलभूत आवश्यकता इस समय भ्रष्टाचार को कम करने की है। जब तक यह भ्रष्टाचार होगा, जब तक कमीशनखोरी होगी, तब तक यह ठीक नहीं हो सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, चाहे नगरपालिका की हो, चाहे जे डी ए की हो, सभी अधिकारियों को और सभी राजनेताओं को एक बात की कसम खानी पड़ेगी कि क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार करना पड़ेगा। जब तक यह सुधार नहीं होगा तब तक भाषणबाजी सुनते-सुनते 35 साल हो गई, साहब, मुझे। थर्टी फाइव यीअर्स।

श्री अध्यक्ष: आप भी देते रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 35 साल में भाषण ही सुनता हूं। कभी उधर बैठ जाता हूं, कभी इधर बैठ जाता हूं, कभी उधर बैठ जाता हूं; भाषण सुनता हूं। इम्प्लीमेंट करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। इच्छा तो सबकी है, लेकिन इच्छाशक्ति नहीं है। जब तक मानव की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक उसका काम नहीं हो सकता। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए-

सदियों बाद उतरे हैं गहरे पानी में,
वतन की प्यास बुझाकर रहेंगे।
जो सिर झुके नहीं थे, झुकाये गये थे,
उन सिरों को ऊंचा उठाकर रहेंगे’।

(श्री श्रवण कुमार)

जाति और धर्म का जो जहर फैलाया,
उस जहर को मिटाकर रहेंगे।
जिन घरों में सदियों से अंधेरा था
वहां चिराग जलाकर रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत सुंदर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह हमारी इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हर व्यक्ति एक ही बात करता है, करूंगा, देखूंगा। अब मैं 20 दिन से सुन रहा हूं कि डी पी आर कर रहे हैं, यह बी जे पी सरकार तो डेढ़ साल से डी पी आर ही तैयार कर रही है अभी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक डिपार्टमेंट ने बोला है, सब थोड़े ही बोले हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हैं? सबसे महती आवश्यकता पानी की है। पानी वाले बोल ही रहे हैं। और क्या बोलेंगे?

आज 66 वर्ष के बाद भी हिन्दुस्तान की आजादी का पैगाम गरीब को कुछ नहीं मिला है। गरीब को केवल मात्र बेगार मिली है। पानी के लिए तरस रहा है। शुद्ध पानी नहीं पी सकता; शुद्ध हवा नहीं ले सकता; शुद्ध वातावरण नहीं तैयार किया। उसके बाद हम सोचते हैं, जब वोटों में जाते हैं तो हजारों बातें करते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बड़ी दयनीय स्थिति जो है, वह गांवों की हालत खराब है। इसलिए मैं कहता हूं कि शुद्ध पानी, शुद्ध वायु जब तक नहीं दे पाते हैं, तब तक देश की आजादी का कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कहता हूं कि -

पीर पर्वत से भारी हो गयी है
एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए।
मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है
मेरा मकसद व्यवस्था में सुधार करना है।

श्री अध्यक्ष: श्री जय नारायण पूनियां। वेरी गुड।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर शहर जो करीब 35 हजार से अधिक आबादी का कस्बा है और उसमें 25 वार्ड हैं, इसके अन्दर 15 वार्ड हर साल जब भी बारिश होती है तो डूब जाते हैं। इसके अन्दर अम्बेडकर सर्किल से लेकर नगरपालिका पार्क तक, वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 का पानी आदर्श नगर बाल मंदिर स्कूल के पास इकट्ठा होता है; वार्ड नम्बर 18, 21, 23 और 25 का पानी सरावगी धर्मशाला के पास इकट्ठा होता है। वार्ड नम्बर 4, 5, 6, 7, 8 में ज्यादा पानी इकट्ठा होता है; वार्ड नम्बर 16 और 19 का पानी चौधरी महाविद्यालय के पास में इकट्ठा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जगह-जगह पोकेट बन जाते हैं। इसकी बसावट है कटोरी नुमा, पानी की बाहर निकासी का कोई भी मार्ग नहीं है। चाहे शहर में यूज्ड पानी हो, वह नालियों में बहकर के कहीं न कहीं इकट्ठा रहता है। बारिश का पानी हो, चाहे थोड़ी बारिश हो, सब जगह लबालब पानी भर जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। इसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। हर प्रकार से इसके बारे में आग्रह भी किया गया है। 'सरकार-आपके-द्वार' कार्यक्रम में भी हमने जब यह समस्या रखी तो उस वक्त कहा गया कि 25 लाख रुपया आपको देंगे।

इसको दोनों तरह से किया जा सकता है, फ्लो लेवल से भी इसका मार्ग निकाला जा सकता है, सीवर लाइन भी बनाई जा सकती है; दूसरा, इसके अन्दर पंपिंग स्टेशन बना-बनाकर के पानी भेजा जा सकता है, लेकिन नजदीक से पाइंट नहीं है जिसके अन्दर पानी ले जाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी निकासी की भयंकर समस्या होने से मैं जनाब से अर्ज करता हूं कि यहां ऐसी हालत है कि ज्यों ही बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो लोग खड़े हो जाते हैं कि कहीं भारी बारिश हो गई तो हम सब डूबेंगे। हमेशा वे इतने भयभीत रहते हैं। जगह-जगह जाते हैं उस इलाके के अन्दर, तो यही समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर बताई जाती है।

सब लोगों का भय निकालने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि इसके अन्दर पैसा देकर के यह स्कीम बनाने की कोशिश करें। बाहर पानी निकासी के बगैर वह सारी जनता भयभीत है, एक अदृश्य भय रहता है जिसके कारण से वे लोग सही ढंग से नींद भी नहीं ले पाते हैं। उसमें भी दखलंदाजी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं ज्यादा नहीं बोलना

(श्री जय नारायण पूनियां)

चाहता। इस एक पाइंट पर बात करने के लिए आपसे समय लेकर के मैंने आपसे यह आग्रह किया है कि इस समस्या का हल करें, इस साल बारिश आये उससे पहले-पहले। बारिश तो कभी भी आ सकती है लेकिन समस्या हल करें। इसमें डूब के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में सरकारी भवन आये हैं। चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कों का हो, चाहे लड़कियों का हो, चाहे वह पुलिस थाना हो, नगरपालिका हो, विश्राम गृह हो, पोस्ट आफिस हो, गोस्वामी बस्ती हो, जो पुराने बस स्टैंड के आसपास का बाजार हो, मेन रोड से गुजरने वाले वाहन वहां फंस जाते हैं। उनकी वहां पर न तो भीतर एंट्री हो सकती है शहर के और न ही बाहर निकल सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इतने खतरे को देखते हुए और इतनी सारी संस्थाओं में नुकसान होने के कारण से, पानी भर जाता है गलियों में 4-4, 5-5 फीट और उस पानी के प्रेशर से इन संस्थाओं की दीवारें भी गिर जाती हैं, उनके अन्दर भी पानी भर जाता है, कमरों में पानी घुस जाता है। यह हर साल का किस्सा है। इसलिए यह गम्भीर समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चालू बजट के अन्दर ही ड्रेनेज योजना के लिए कुछ न कुछ रियायत बरती जाए, वरना तो यह बहुत बड़े खतरे की चीज है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है।

मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि मेरी छोटी-सी इस स्कीम को बहुत ही सही ढंग से सुलझाकर के, तारानगर की जनता को बहुत बड़ी राहत देकर, आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

शहरी क्षेत्रों में मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरी आधारभूत सुविधा, माननीय मोदीजी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 से 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत उसको सफल करने के लिए, शहर में फैली गन्दगी से निजात पाने के लिए, ठोस कचरा प्रबन्धन हो, सीवरेज लाइनों का विकास हो तथा अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा दूषित गन्दे

(श्री रामपाल)

पानी का सदुपयोग कर कृषि कार्यों में लगाया जाए। इससे निकायों को आय भी होगी और स्वच्छ भारत का सपना भी साकार होगा।

मेरे बारां शहर में पुरानी कालोनियां हैं जिनकी आज दिन तक किसी ने सुध नहीं ली। कांग्रेस सरकार के शासन में तो विकास के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर विकास हुआ। शहर के बीच में बरसों से खाली पड़े भूखण्डों में इतना जल और मलबा इकट्ठा हो चुका है कि वे भूखण्ड नहीं, छोटे पोखर और तलाइयों का रूप धारण कर चुके हैं। अभी गत वर्ष एक बालक उसमें डूब कर भी मर गया पर आज दिन तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शहर की पुरानी कालोनियों के बीच के भूखण्ड जो बरसों से खाली पड़े हैं उनको या तो पुन: आबंटन कर दिया जाए, या लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु सामुदायिक भवन खोले जाएं, या उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाकर उनका सदुपयोग किया जाए ताकि सुन्दरता भी बढ़ेगी और जन कल्याण के कार्यों में भी वह भूखण्ड आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बारां शहर के बीचोंबीच में से एक रेलवे लाइन गुजरती है और बारां झालावाड़ मेगा हाइवे भी उसी से गुजरता है। हरेक घण्टे में रेल का आना-जाना होता है, तो बार-बार फाटक का बन्द-खुलना होता है। ऐसी स्थिति में, यातायात के दबाव के कारण जाम की स्थिति रोज बनी रहती है। जिला मुख्यालय होने के कारण किसान, विद्यार्थी, मण्डी, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, सभी का केन्द्र होने के कारण भारी दबाव रहता है। ऐसी स्थिति में, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं कि यदि झालावाड़ रोड पर आर ओ बी का निर्माण होता है तो इस समस्या का समाधान हो सकेगा और जनता को काफी राहत महसूस होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां शहर में बरसों से लोगों की मांग चली आ रही है बाढ़ की। हर साल लाखों-लाख रुपये का बजट बाढ़ प्रबन्धन के नाम पर खर्च कर दिया जाता था। कांग्रेस के शासन में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं दिया गया। परन्तु ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा 60 दिवसीय कार्य योजना में 56 करोड़ रुपये की डाइवर्जन चैनल के रूप में घोषणा कर शहर को बहुत बड़ी बाढ़ की समस्या से निजात दिलाई। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री रामपाल)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने बारां शहर के लिए फ्लोराइड-मुक्त शुद्ध पेयजल के लिए जल परिशोधन संयंत्र हेतु भी 31 करोड़ रुपये की सहायता दी, जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है और शीघ्र ही इसका लोगों को लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में जो जल की पाइपलाइनें हैं, जो अस्त-व्यस्त हैं उनका भी सुचारु रूप से विकास कर अच्छी व्यवस्था फरमाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां नगर परिषद में आसपास के 11 गांवों को सम्मिलित किया गया है। लगभग 6-7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नगर परिषद का तो कोई लाभ मिला ही नहीं और न ही मास्टर प्लान तैयार हुआ, बल्कि पंचायत से जो सुविधाएं मिलती थीं, उससे भी वे लोग वंचित हो गये और आज वे लोग बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि उन 11 गांवों की मूलभूत सुविधाओं हेतु अलग से पैकेज की घोषणा करें ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां शहर के आसपास जो कच्ची बस्तियां हैं, आज दिन तक किसी भी प्रकार का मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ और बस्तियों की स्थिति ऐसी है कि उनका जीना दूभर हो रहा है। न वहां सी सी रोड है और न वहां नालियों का कोई निर्माण है और न कोई वहां सीवरेज की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कच्ची बस्तियों का मास्टर प्लान तैयार कर उनके सही प्रबन्धन की व्यवस्था करें और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर विद्युत तारों का जाल बिछा हुआ है और आये दिन लोगों को लाइट के अभाव में, कभी जाती है, कभी आती है, इस समस्या से गुजरना पड़ता है। विद्युत तंत्र स्थापित कर विद्युत का सही संचालन करवाया जाए।

शहर में बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।

गत सरकार में ढाई वर्ष रहे मंत्रीजी द्वारा ऐसा कौनसा मास्टर प्लान तैयार किया गया था? बारां शहर के मध्य में दीनदयाल पार्क है, उस पार्क में बरसों से लोग दूर-दूर से आते और दोपहर के समय विश्राम किया करते थे परन्तु उसका सारा स्वरूप बदलकर एक छोटा-सा पार्क रखा केवल; केवल, और

(श्री रामपाल)

केवल, उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए। वह भी उनका भूखण्ड आ रहा था, भूखण्ड के सामने रास्ता निकाल लिया और उस पार्क को छोटा कर दिया। आज उस पार्क में केवल दो कंटीली झाड़ियां उगी हुई हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उस पार्क का विकास करवाया जाए।

शहर के मध्य में यातायात का भारी दबाव रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सुविधा के लिए कि शहर में यातायात के माध्यम से जाम न लगे, इस स्थिति में कोटा रोड से मांगरोल रोड पर बाइपास सड़क का निर्माण हो जाए, तो शहर में जाम की इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है।

डोल मेला ग्राउण्ड में बीचोंबीच एक तालाब है, बरसों से वह आकर्षण का केन्द्र भी है, परन्तु उस तालाब पर आज तक कोई निर्माण, कोई डवलपमेंट का कार्य नहीं करवाया गया है। उस तालाब का सौन्दर्यीकरण हो जाए, बीचोंबीच बगरू धाम जो लोगों की आस्था का एक केन्द्र है उसका भी विकास हो, तो शहर की सुन्दरता अलग से हासिल होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर में आवारा पशुओं का खूब जमावड़ा रहता है। बरसों से श्रीकृष्ण गौशाला के नाम से बहुत अच्छी जगह नगर परिषद को मिली हुई है। उस गौशाला का विकास हो जाए और आवारा पशुओं के लिए वहां सुरक्षित स्थान हो जाए, विकास हो जाए, तो शहर को बहुत बड़ी निजात मिलेगी, आवारा पशुओं से मुक्ति मिलेगी।

बारां शहर में कचरा प्लांट बनकर तैयार हो चुका है और लगभग दो साल हो चुके हैं, परन्तु अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस कारण शहर में बराबर उस कचरे का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसका शुभारम्भ हो ताकि शहर में स्वच्छता आ सके।

गरीब निर्धन परिवार, मण्डी माल श्रमिकों के लिए आवासीय कालोनी का निर्माण हो ताकि वे लोग जो मकानों से वंचित हैं, उनको उस सुविधा का लाभ मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां शहर के बीच में बड़े-बड़े नाले गुजरते हैं, बाणगंगा है, फोरेस्ट नाला है, पाटेड़ा नाला है, नल का नाला है, उनमें अवशिष्ट पानी बहता रहता है। उस पानी को इकट्ठा करके, सीवरेज ट्रीटमेंट द्वारा जल के पुन:चक्रण के माध्यम से यदि उस पानी का सदुपयोग कर किसानों को सिंचाई के लिए दे दिया जाय तो परिषद को लाभ भी होगा और हजारों-हजार

(श्री रामपाल)

किसानों को उसका फायदा भी मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्लांट के ऊपर भी माननीय मंत्रीजी ध्यान दें।

इसी के साथ, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: कितने मिनट? आप यह बताओ। कितने मिनट बोलोगे आप? 10 मिनट में।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह देख रहा था कि सभी माननीय सदस्यों के साथ जो उनकी समयसीमा थी, उस पर आप बड़े उदारमन: रहे हैं। तो यह मेहरबानी मुझ पर भी फरमाएं। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप चालू कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं तब से देख रहा था, हर जगह मैंने देखा...

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आपने लड्डू जीमा या नहीं? आपने अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर लड्डू नहीं जीमा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत-बहुत मुबारक हो, अध्यक्ष महोदय। वही उदार मन मेरे पर रखें।

श्री अध्यक्ष: अब वक्तव्य चालू करो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं गांव, ढाणी, किसान, अधिकतर उनकी बात करता रहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप शहर की बात करो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह शहरों का विषय है। मैं सीधे तौर पर, मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरे तीन बिन्दु हैं जो जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण को कमाऊ पूत भी कहा जाता है, यह आम चर्चा की बात है। वह अलग बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में आजकल जे डी ए की वेबसाइट पर दो स्कीमें नई फ्लैश हो रही हैं। एक स्कीम जो फ्लैश हो रही है, वह है- Setting up of golf course, convention centre/ exhibition space and hotel and resort in village Achrol on the Jaipur-Delhi Highway. जो स्कीम प्रस्तावित है वह स्कीम यह कहती है कि कुल 590 बीघा जमीन में यह पूरी स्कीम प्रस्तावित है, जिसमें 240 बीघा में गोल्फ कोर्स

(श्री नवीन पिलानिया)

बनाया जाएगा, 350 बीघा में एक्जीबिशन स्पेस, कन्वेंशन सेंटर, होटल एण्ड रिसोर्ट और उसके साथ-साथ विला एण्ड अपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब स्कीम को देखा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अचरोल गांव की जो डी एल सी है, यह जमीन मेन रोड पर है, वहां की डी एल सी रेट जो 1.10.2014 से लागू है वह मैन रोड पर है 68 लाख 09 हजार। मान लेते हैं मेन रोड से 500 मीटर अन्दर तक की रेट, वह 63 लाख 40 हजार डी एल सी रेट है। जरा गौर फरमाएं माननीय मंत्री महोदय, 63 लाख की जो डी एल सी रेट है मार्केट रेट उससे तीन या चार गुना ज्यादा होती है। अगर तीन गुना ही पकड़ते हैं तो वहां एक बीघा जमीन की कीमत एक करोड़ 90 लाख रुपये है। यह सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। कुल 590 बीघा में यह स्कीम आ रही है। मार्केट वैल्यू एक करोड़ 90 लाख रुपये बीघा के हिसाब से 1,121 करोड़ रुपये मार्केट वैल्यू की यह जमीन है। सोचकर तो देखिए, अध्यक्ष महोदय, वह किस चीज के लिए आ रही है वह किस काम के लिए आ रही है। 1,121 करोड़ रुपये की मार्केट वेल्यू। गोल्फ कोर्स बनेगा 240 बीघा में, जिसकी मार्केट वेल्यू बनती है 456 करोड़ रुपये। 456 करोड़ रुपये जिसकी मार्केट वेल्यू हो, वह सिर्फ गोल्फ के लिए, 18 होल गोल्फ कोर्स।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसमें एक और प्रावधान है, जो विला और अपार्टमेंट बनेंगे उनकी संख्या 700 से लेकर 1,000 तक प्रपोज्ड है। यह तकरीबन-तकरीबन जो औसत निकलता है, उसमें यह 90 बीघा में बनेगा, 590 में से। उसमें शर्त यह रखी है- "The land for villas/apartments be disposed of through auction for a lease period of 99 years.'' 590 में से 90 बीघा को तो जे डी ए ऑक्शन करेगा। अब इसके आगे सुनिए, क्या कहानी है। कमाल की कहानी है। फिर कहते हैं- "The land for all other facilities be disposed of on the basis of annual rental for a period of 60 years with a clause that this part of the land and everything built on it would be reverted back to JDA after 60 years." इस 500 बीघा जमीन को किराये पर देंगे। 500 बीघा जो बिना आक्शन के बच जाएगी, उस 500 बीघा जमीन की एक करोड़ 90 लाख रुपये बीघा के हिसाब से जो कीमत बनती है, वह 950 करोड़ रुपये आती है। माननीय मंत्री महोदय, 950 करोड़ रुपये की जो बेशकीमती जमीन है मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेरे गांव की, उसे आप किराये पर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 950 करोड़ का सालाना ब्याज अगर 10 प्रतिशत से भी निकाला जाय,

(श्री नवीन पिलानिया)

तो 95 करोड़ उसका साल का इंटरेस्ट आता है। क्या आवश्यकता बन रही है, साहब? मजा देखिए, “The annual rental on this part of the land may be increased by 10% every year.” इच्छा हो तो बढाएंगे, नहीं तो नहीं। “...may be increased upto 20 years.”

मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? जरा आप मुझे यह तो समझाएं। मैं रोज सेंट्रल पार्क में जाता हूं, वहां बगल में गोल्फ कोर्स है, वहां लिमिटेड आदमी हैं, जो उनके मैम्बर हैं, वे खेल पाते हैं। मेरे ही इलाके में आप चले जाइए दौलतपुरा के पास एक्सप्रेस हाइवे पर, अप्पू घर को आपने जमीन दे दी थी दुनिया भर की जमीन दी है। वहां गोल्फ कोर्स बना हुआ तैयार पडा है। मैंने वहां खेलता हुआ कोई आदमी नहीं देखा। वहां बन चुका है। वहां भी अप्पू घर को जमीन दी है, वे भी विला बनाएंगे और बेचेंगे।

18 होल गोल्फ कोर्स की इतनी बेशकीमती जमीन, 950 करोड़ की जमीन को किराये पर देने का औचित्य मुझे समझा दीजिएगा। जरूरत क्या पड़ रही है? किसने मांग की है? कौनसी जनता की मांग है? कितने एम.एल.ए. ने मांग कर ली? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानक किसी को सनक ही यह है कि 18 होल का गोल्फ कोर्स बनाना ही है तो कोई बात नहीं, खेल के प्रति मुझे बहुत शौक है, बनाना ही है तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में जहां 5 लाख रुपये डी.एल.सी. रेट है, वहां पर क्यों नहीं बनाते हो? वहां पर जमीन लेकर बनाओ, उसे डवलप करो ताकि आस-पास का एरिया भी डवलप होगा। यह बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का क्या अर्थ है, यह मुझे समझ में नहीं बैठ रहा, अध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है।

फिर होटल और रिसोर्ट बनेगा साहब, 500 से 800 रूम। जे.डी.ए. के पास होटल के कमरे बनाने का काम है? मेरे गांव-ढाणियों में जाकर देखिये, वे सारे आपके अधीन आते हैं और वहां सड़क ही नहीं है। जयपुर के अन्दर होटल कैपेसिटी से एक्सेस होटल के कमरे हैं, वे खाली ही पड़े रहते हैं और यहां और बनाने की बात हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय, you are a very forward-looking minister. You have a rational approach towards everything. We are so proud of it. पर यह चीज जनता को समझ में तो आए। जनता को मैं समझाऊं क्या? लोगों को

(श्री नवीन पिलानिया)

जाकर समझाएं कि यह हो क्या रहा है। जो आप बेचेंगे न, जो आप आक्शन करेंगे 90 बीघा का, उसी में आपका सारा गोल्फ कोर्स तैयार हो जाएगा, तो रखिये न जे.डी.ए. के नाम पर।

यह सरकारी जमीन है, अध्यक्ष महोदय। सरकार की जमीन का मतलब यह है कि यह गांव की गोचर जमीन है, चरागाह जमीन है, सिवाय चक जमीन है। यह जनता की जमीन है और इस तरीके से करने का कोई अधिकार नहीं है। बेचना है तो आक्शन करिये, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उससे रेवेन्यू मिलेगा वह हमारे गांव में लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे बिन्दु पर आता हूं लेकिन इसका जवाब जरूर चाहूंगा कि यह है क्या चीज, और मेरे समझ से परे है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा बिन्दु बोलिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आता हूं, आ रहा हूं। दूसरा बिन्दु भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय आपसे प्रभावित हो गये हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, नहीं, मुझ पर कृपा करते रहें, मुझे थोड़ा समय दे दिया करें और मैं फालतू बात बिलकुल नहीं करूंगा।

दूसरा बिन्दु जो है उससे भी मैं प्रभावित हूं। मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र की जनता प्रभावित होने जा रही है, वह है रिंग रोड। इधर वाली तो ले ली गई, किस तरीके से ली गई उस पर मैं नहीं कहना चाहता, कई सालों की जद्दोजहद के बाद में हुआ। माननीय मंत्री महोदय, एक लेन की सड़क की जो चौड़ाई होती है वह 3.5 मीटर होती है; पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री आपके साथ में विराजमान हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप उसको 10 लेन बना दीजिये, साहब और 10 लेन से ज्यादा तो नोएडा एक्सप्रेस हाइवे नहीं बना हुआ है दिल्ली के अन्दर। मैं कह रहा हूं कि आप 10 लेन बना दो तो 35 मीटर ही हुआ न, मंत्री महोदय? जिसमें 6 लेन ऊपर बना दी और नीचे दो-दो लेन बना दी। तो 10 लेन से ज्यादा की तो कोई यहां आवश्यकता, मुझे नहीं लगता, की है; जब नोएडा एक्सप्रेस वे में नहीं है। आपको 10 लेन सड़क के लिए कितनी चौड़ाई जमीन की जरूरत हुई, 35 मीटर हुई। माननीय मंत्री महोदय, जिस 35 मीटर में 10 लेन बननी थी, उतनी ही 35 मीटर इधर और ले लीजिये और उसके साथ में 35 मीटर इधर और ले लीजिये, तो जाकर 105 मीटर ही हुई। आप 360

(श्री नवीन पिलानिया)

मीटर चौड़ाई ले रहे हो! ले क्यों रहे हो, यह मुझे गणित तो समझा दो जिससे मैं गांव वालों को जाकर समझा दूं। मतलब जितने में 10 लेन बन सकती है, उसकी तिगुनी ले लो, उतनी ही इधर ले लो, उतनी ही उधर ले लो। अगर आप 105 मीटर ही ले लेते हो, आप किसानों को उसी सड़क में उसी जगह पर 40 से 50 प्रतिशत जमीन दे दोगे, पर मेरे साथ आप बैठो तो सही। लेकिन अन्याय क्यों कर रहे हो, साहब। 360 मीटर की चौड़ाई जबकि जरूरत पूरी हो रही है 35 मीटर में, और उसका भी तिगुना ले लो। पर और फिर क्या चाहोगे?

माननीय मंत्री महोदय, मैं बताता हूं कि हर जगह पानी घटता जा रहा है, यह मेरा क्षेत्र है जहां मल्टी क्रॉप्ड इर्रिगेटेड लैण्ड है जिसको आप लेने जा रहे हो। यह अन्याय मत करना वरना यह अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं इतना और निवेदन करूं कि जो स्टेट हाइवे का आंकड़ा है, मंत्री महोदय साथ में विराजमान हैं, एक किलोमीटर की लागत साढ़े तीन मीटर चौड़ाई की 50 लाख रुपये आती है और 10 लेन बना रहे हैं तो एक किलोमीटर बनाने के लिए आपके 5 करोड़ रुपये ही खर्च हो रहे हैं। मेरे इलाके में जो प्रस्तावित है, वह 35 किलोमीटर के करीब है। मतलब, 175 करोड़ की लागत आएगी, अगर आप 35 किलोमीटर में 10 लेन सड़क निकालोगे। वह तो मेरे यहां आस-पास अचरोल की जिस जमीन की बात कर रहे हो, इसकी अगर आपने 100 बीघा भी आक्शन कर दी तो सारी बन जाएगी, टोल फ्री। और किसी महकमे को देने की जरूरत नहीं है, आपके बगल में जो मंत्री महोदय विराजमान हैं ये ही बनाकर छोड़ देंगे और किसान को वहां 40-50 प्रतिशत जमीन मिल जाएगी। यह जुल्म मत करिएगा, इस पर आपसे निवेदन है।

अब तीसरे बिन्दु पर आ जाता हूं। मैं बिलकुल बिन्दु पर बिन्दु चल रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: बस, तीसरा बिन्दु शार्ट कर दीजिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): तीसरा बिलकुल शार्ट करता हूं।

मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 पंचायतें हैं और उनमें से 5 को छोड़ दें तो सारी जे.डी.ए. में आ गईं और तकरीबन 180 गांव आ गये। सबसे ज्यादा गांव और सबसे ज्यादा पंचायतें मेरी हैं। अचम्भा इस बात का है अभी मैंने वेबसाइट को देखा, इसको खोल रहा था तब यह भी खुल गई, 6 नई स्कीम अभी लांच हो गईं, मार्च में उनकी लाटरी भी हो गई लगती है। तारीख पता नहीं, निकल गई, या होगी। माननीय मंत्री महोदय, आप जितनी भी स्कीम

(श्री नवीन पिलानिया)

काटते हैं, वे गांवों की पंचायतों की गोचर और चरागाह भूमि पर काटते हो। मुझे बताइये कि अभी आपने ये 6 स्कीम और लांच कर दीं। मेरे इलाके में 10-10 साल पुरानी स्वप्न लोक, आनन्द लोक फेज 1, फेज 2, एकांत विहार, ऐसी दुनिया भर की स्कीमें हैं और उनमें रेजिडेंशल आक्यूपेंसी तो मुझे बताइये। वहां पर 10 परसेंट आदमी भी रिहायश नहीं करते हैं, उनके बिजली के खम्बों में तार ही नहीं हैं, तार काटकर ले जा चुके, जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वे खाली नीचे पड़े हुए हैं। जब 10 साल पुरानी उन स्कीम में कोई रहता ही नहीं है और आप रोज नई-नई स्कीम काटते हो। वह हमारे गांव के किसानों की जमीन है, उनके लिए एक इंच जमीन नहीं बच रही है।

माननीय मंत्री महोदय, आज हालात ये हैं कि उस गांव में आप सड़क कहीं से भी लाकर बना सकते हों, आप पानी की व्यवस्था कर सकते हों, आप बिजली लगा सकते हों, कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर ला सकते हों, लेकिन जमीन तो वहीं की वहीं काम में आएगी न। हमारे लिए आबादी विस्तार के लिए जमीन नहीं है क्योंकि हर चीज जे.डी.ए. में गई। अब आबादी 20 साल में कितनी बढ़ गई है, एक इंच जमीन जे.डी.ए. ने गांवों को, पंचायतों को, हर साल कैम्प लगते हैं, इतनी ढेर में फाइलें जमा हो जाती हैं पर निस्तारण नहीं होता। जब गांवों की जमीन आपने ले ली तो आबादी की जमीन तो उसको दोगे न? किसी भी चीज के लिए, गोचर के लिए कोई जमीन नहीं है, कोई गौशाला बनाना चाहे तो जमीन ही बची हुई नहीं है। खेल मैदान के लिए नहीं है। किसी चीज के लिए जमीन उन गांवों में नहीं है। यह जमीन जे.डी.ए. की नहीं थी और न ही जे.डी.ए. ने कमायी है। ये जमीनें पुश्तैनी तौर पर राजस्व ग्राम की जमीन थी, पंचायत की जमीन थी, जिसको बाई स्ट्रोक आफ वन लॉ, सारी चीजों को जे.डी.ए. ने अपने अधीन कर लिया। उनको जितनी जमीन चाहिए, वह तो उनको देनी पड़ेगी, या नहीं? वे कहां से ला सकते हैं? वे ला ही नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि मेरे 180 से ज्यादा गांव इस बात के लिए परेशान हैं और वे कुछ कर ही नहीं सकते, सरपंच कुछ कर ही नहीं सकता है। उसकी आबादी फुल हो चुकी, लोग-बाग़ जा-जाकर गोचर में बसते हैं। बसेंगे ही; और कहां जाएंगे? और फिर जे.डी.ए. के अधिकारी जाते हैं, या थाने वाले जाते हैं, उठाकर उनको हटा देते हैं। जब आप जमीन दोगे नहीं, जो पंचायत की जमीन थी वह आपने ले ली, तो कहां से लायेंगे हम? हर पंचायत में गौशाला है। अचम्भा यह है कि उप-तहसील स्वीकृत हो रखी है पर

(श्री नवीन पिलानिया)

उप-तहसील के लिए जे.डी.ए. से जमीन मिलने में डेढ़ साल का समय लग गया। 21 लाख रुपये मांगे हैं उस विभाग से और तब शायद 1,100 गज, या कुछ जमीन मिली है। अब गरीब जो गांव में रहता है तो उसके पास विकल्प क्या हैं? कोई और विकल्प हो तो मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि जरूर बताएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फालतू वक्त आपका जाया नहीं करता। मेरे तीन मुख्य बिन्दु थे, वे मैंने रख दिये।

श्री अध्यक्ष: तीनों आ गये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): पुन: आपको जन्म दिन की बधाई देता हूं और आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। कृपा करके मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

(18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बहस समाप्त हुई। श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वाद-विवाद का जवाब देंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर नहीं मिला। आपकी अनुमति हो तो मैं अपना भाषण टेबल कर दूं? आपकी अनुमति हो तो?

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दो।

(माननीय सदस्य डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) द्वारा के मांग संख्या-29 व 20 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अनुमति चाहूं मैं भी। टेबल कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल कर दो। टेबल कर दो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको जन्म दिन की और गणगौर की बहुत-बहुत बधाई।

मेरा एक अनुरोध है, साहब, मंत्रीजी से कि मेरे यहां एक दमकल जरूर दे दें। और कुछ दें या नहीं दें, दमकल दे दें। इतनी बड़ी संसद में भी आग लग गई तो गांव में जरूर लगेगी।

श्री अध्यक्ष: बधाई-बधाई। बधाई स्वीकार है। अब आप विराजो। अब आप अपना भाषण टेबल कर दो।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दो। यस। यह पार्ट एण्ड पार्सल हो जायेगा रिकार्ड में। आप रख दो। श्री राजपाल सिंह। ये दोनों का ले लीजिये माननीय विधायकों का। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब आपको आग लगानी ही नहीं चाहिये। आप आग लगाने का काम क्यों करते हों?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आग लगाते ही क्यों हों जो बुझाने की जरूरत पड़े?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): संसद में किसने लगा दी, संसद में? बहुत वी आई पी जगह है।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तलाजी, बैठिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आग लगाओ ही मत ना, फिर बुझाने की जरूरत नहीं पड़े।

श्री अध्यक्ष: आमने-सामने नहीं। अध्यक्ष को एड्रेस कीजिये।

हां, माननीय मंत्री महोदय।

ले लो। आप ले लो।

(अन्य माननीय सदस्यों द्वारा मांग संख्या 29 व 20 के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखे गये वक्तव्यों के लिए

कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इन दोनों मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया। इससे मेरा निश्चित रूप से ज्ञानवर्द्धन हुआ है। जिस प्रकार का इनपुट यहां सदन के माननीय सदस्यों से मुझे मिला है, इस इनपुट का मैं आने वाले समय में जनता की भलाई में इस्तेमाल करने का प्रयास करूंगा।

मैं चाहता था कि जितने माननीय सदस्यों ने जितने भी सवाल उठाये हैं, जितने भी संदेह उठाये हैं, उनका सबका मैं जवाब दे पाता, लेकिन, मैं सोचता हूं, जितने सवाल आप सब लोगों ने यहां उठाये हैं, संदेह के आधार पर उठाये हों, या तथ्यों के आधार पर उठाये हों, या अनुमानों के आधार पर उठाये हों, उन सबका रिप्लाई रिटन के अन्दर हम अपने विभाग से भेजने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अन्दर अरबनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सारी इकोनोमीज कभी न कभी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एग्रीकल्चर बेस्ड सोसायटी रही हैं। जब मानव सभ्यता ने विकास किया, खास तौर से जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि गये 20-30 साल के अन्दर, श्रवणजी कह रहे थे, बहुत तेजी के साथ में शहरीकरण हो रहा है, यह सही है।

श्री अध्यक्ष: नाम बोला था, उस समय ये थीं नहीं। अब आपको ओलमा दे रही हैं। बैठो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी इकोनोमी जब एग्रेरियन इकोनोमी से अरबन इकोनोमी में कन्वर्ट होती है तो उसका मतलब, वह देश तेजी से विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया का शहरीकरण हो रहा है, भारत का भी हो रहा है और भारत का शहरीकरण हो रहा है, इसमें हिन्दुस्तान के विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज 31 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुस्तान के अन्दर शहरों में रहती है लेकिन हिन्दुस्तान की जी डी पी का 60 प्रतिशत हिस्सा अगर कहीं से आता है तो इस 31 प्रतिशत जनसंख्या से आता है और यह जी डी पी का हिस्सा जो आता है, उसी के हिस्से में यह गांवों में जाता है, जहां हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, नरेगा की बात करते हैं, ग्रामीण सड़कों की बात करते हैं। जिस गति से शहरीकरण बढ़ रहा है, आने वाले 15 साल के अन्दर हिन्दुस्तान की जी डी पी का 75 प्रतिशत शहरों से आयेगा। 2050 में 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनसंख्या शहरी होगी।

यही कहानी हमारे राजस्थान की भी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे यहां 25 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है, जिसके बढ़ने की रफ्तार 29 प्रतिशत है। राजस्थान में 29 प्रतिशत की दर से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या के बढ़ने की दर 19 प्रतिशत है। यह ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि में और शहरी जनसंख्या की वृद्धि में 10 प्रतिशत का जो अंतर है, यह इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। यह शहरीकरण हो क्यों रहा है? हम जमीन को बना नहीं सकते। हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की वृद्धि जनसंख्या में हो रही है, लगातार जोत में कमी आ रही है और यदि जोत में कमी आ रही है तो आदमी रोजगार की तलाश में शहर की ओर आता है। शिक्षा की तलाश में शहर की ओर आता है; चिकित्सा की तलाश में शहर की ओर आता है, अपनी जरूरतों को और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए शहर में आता है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और इसीलिए शहर तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं।

मैं बचपन में जयपुर शहर में पढ़ने के लिए आया था, मुझे मेरे माता-पिता ने जयपुर भेजा था तो शहर का इलाका केवल वाल्ड सिटी था; थोड़ा सी-स्कीम और बनीपार्क के इलाके के अलावा, जयपुर शहर नहीं हुआ करता था। आज हम सब लोग किसी न किसी रूप में जयपुर शहर में रहते हैं, लेकिन जयपुर शहर के ओर-छोर का पता लगाना इतना मुश्किल है कि आप किसी एक इलाके में कभी गये हों और कई दिनों बाद दुबारा जाते हों, तो लगता है कि पूरी दुनिया बदली हुई है। यह इस बात का संकेत है कि बहुत तेजी के साथ में सिटी का एक्सपांशन हो रहा है और लोग अपने शहर के अन्दर आ रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को लेकर, एक उम्मीद को लेकर; अपने विकास के लिए और अपने विकास के द्वारा देश की इकोनोमी के अन्दर गति देने के लिए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार एक ऐसा इलाका जहां बहुत जबरदस्त स्ट्रेस है, स्ट्रेस जोन है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाह रहा हूं कि जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो सवाल उठता है कि जिस तरह का शहरीकरण बढ़ रहा है, उस शहरीकरण का दबाव क्या हमारे शहर झेल पायेंगे? जिस आकांक्षा के साथ में आदमी गांव से उठकर शहर में आ रहा है, क्या हमारा शहर उसकी उस आकांक्षा को पूरा कर सकता है? इस शहर को उस बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी सहना है और न केवल जनसंख्या का दबाव सहना है, बल्कि जिस उम्मीद के साथ में आदमी गांव से शहर की ओर आया है, उस उम्मीद पर खरा भी उतरना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, यह कोई नई बात नहीं है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद, तब भी पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा था। हो सकता है, शहरीकरण होने की दर उन दिनों थोड़ी कम थी, लेकिन हमको पता था कि शहरीकरण बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि शहरों में दिक्कत है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की दिक्कत है, जगह-जगह सोसाइटीज ने मकान बना लिये हैं। छोटे-छोटे गांवों में, मेरे पचार जैसे गांव की तरफ प्लाट कट रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। बेतरतीब शहर का बढ़ावा हुआ है। यह ग्रोथ तो हुई है लेकिन कैंसेरियन ग्रोथ हुई है, कैंसर की तरह की ग्रोथ हुई है। यह हुई क्यों? इसके लिए जिम्मेदार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कौन है? इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आज माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसके लिए टाउन प्लानिंग जिम्मेदार है। टाउन प्लानिंग तो एक हिस्सा है। हमें तो आजादी के बाद ही, जब राज हमारे पास आया था, अंग्रेज चले गये थे, हमारे हाथ में राज आया था, तभी हमें समझ लेना चाहिये था कि इस देश को विकसित करना चाहते हैं, इस देश को मजबूत देश के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शहरीकरण होगा, तेजी के साथ शहरीकरण होगा, लोग गांवों से शहरों की ओर आयेंगे, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आयेंगे, अपनी नीड की पूर्ति करने के लिए आयेंगे; उनको सुविधाएं देनी होंगी; उनको मकान देना होगा; लेकिन उसको हम समझ नहीं पाये।

राजस्थान की बात करें तो हाउसिंग बोर्ड 1962 में जाकर बनाया है। हमारी यू आई टीज, यू एल बीज., हमारी नगरपालिकाएं और आज बने हुए नगर निगम, कितने मकान बनाकर दिये हैं? कितने प्लाट दिये हैं? जब से हाउसिंग बोर्ड रहा है, तब से लेकर आज तक पूछ रहे हैं कि कितने मकान बनाये हैं? राजस्थान की जितनी भी यू एल बी हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आज तक, जब से वे यू एल बी पैदा हुई, तब से लेकर आज तक कितने प्लाट क्रीएट किये हैं? जनसंख्या की नोर्मल वृद्धि दर को देख लें तो पता लग जायेगा कि शहरों के अन्दर हिन्दुस्तान के और राजस्थान के बढ़ते हुए शहरों में हाउसिंग की एक्यूट प्रोब्लम होने वाली है। लेकिन इसकी ओर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। न दिल्ली की सरकार ने ध्यान दिया, न राजस्थान की सरकार ने ध्यान दिया। जिस समस्या की ज्यादातर चर्चाएं आज लोगों ने की हैं, उस समस्या का कोई जनक था तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उस समस्या की जनक थी।

जिस प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं, जिस इंटीग्रेटेड प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं और आज जब कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिये, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिये, लोंग टर्म प्लानिंग होनी चाहिये, तो किसकी जिम्मेदारी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय? आज हमारी सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, आज किसी न किसी हद तक मेरी जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन गये 60 साल में राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का, गैर-जिम्मेदार पालिसीज का परिणाम आज शहर भुगत रहा है, शहर की जनता भुगत रही है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं इससे बचना नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कहकर बचना नहीं चाहता। आज भी, जब जगे तभी सवेरा है। ये नहीं जग पाये, हम जग रहे हैं। हमारा मानना है, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह का शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत शहर में रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए, शहरों पर दबाव को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक लोंग टर्म विजन की जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय। शहरीकरण, शहरों का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। जयसिंहजी ने जयपुर बसाया था तब, जयपुर आज भी बढ़ रहा है, आज भी बस रहा है। इस चीज के लिए लोंग टर्म विजन और मल्टी-डाइमेंशनल वीजन, एक-आयामी दृष्टिकोण नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहु-आयामी दृष्टिकोण, हमें सोचना होगा, देखना होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं पहली बार इस राजस्थान विधान सभा के अन्दर सदस्य बनकर 1990 में आया था, उस जमाने के अन्दर हैदराबाद के अन्दर, बैंगलोर के अन्दर आई टी, आई टी फैल रही थी। मैंने तब भी इस विधान सभा में कहा था कि अगर हम राजस्थान को विकसित करना चाहते हैं; हमारे यहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रोज पढ़ते हैं, एक प्रतिशत पानी, एक प्रतिशत पानी है। जब एक प्रतिशत पानी है, अभी पिलानियाजी कह रहे थे कि मेरे इलाके में तो पानी नहीं है, एक प्रतिशत पानी है, टू-थर्ड इलाका एरिड है, सेमी-एरिड है एग्रीकल्चर का, कितना बढ़ जाएंगे आप? पानी नहीं है, इसलिए बिजली नहीं है, बिजली है तो महंगी है। जब बिजली या तो है नहीं, या है तो महंगी है, पानी नहीं है; तो खेती नहीं है? तो बढ़ेंगे कैसे? ट्यूरिज्म के भरोसे, या किस के बल पर, या ह्यूमन रिसोर्स के बल पर? मैंने तब भी निवेदन किया था कि जिस तरह हैदराबाद आई टी की दिशा में बढ़ रहा है, बैंगलोर बढ़ रहा है, इस राजस्थान को भी हम आई टी का हब बना सकते हैं। हमने तैयारी भी की थी, हमारी सरकार ने, लेकिन जब तैयारी शुरू की तो हम चले गये और जाने के बाद वे ही लोग आ गये जिनका इस राजस्थान को विकसित करने के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जब मैं लोंग टर्म प्लानिंग की बात करता हूं, शहरीकरण की बात करता हूं, सस्टेनेबल डवलपमेंट की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज है मास्टर प्लान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हिन्दुस्तान का राजस्थान पहला प्रदेश

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है जहां लगभग सारी यू एल बीज के मास्टर प्लान हमने तैयार कर लिये हैं। दो या तीन जगह बच गई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हम मास्टर प्लान तैयार नहीं कर पाये। मास्टर प्लान तो पहले भी तैयार हुए थे कुछ इलाकों के, पूरे इलाके के तो नहीं हो पाये, कुछ इलाके के तैयार किये थे, लेकिन गत सरकार में हमारे जयपुर का जो मास्टर प्लान था, उस समय तो रोज ही बदलाव होते थे। जे डी ए में मीटिंगें ही इसलिए होती थीं कि अब मास्टर प्लान में बदलाव करना है। ऐसा मास्टर प्लान जिसमें अनवरत बदलाव करना पड़े, अखण्ड बदलाव करना पड़े, सतत बदलाव करना पड़े, वह प्लान कहां है जो टुकडे-टुकड़े होकर बिखर जाए?

इसलिए मास्टर प्लान बनाना इम्पोर्टेंट है, वायबल मास्टर प्लान, सस्टेनेबल मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी। अगर उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं कितना ही अच्छा प्लान बना लूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका फल जनता को नहीं मिलने वाला। हम पहली बार इस दृष्टि के साथ मास्टर प्लान पूरे राजस्थान के यू एल बीज के बना रहे हैं और इसके साथ ही मास्टर प्लान के साथ हम ऐसी स्ट्रेटेजी इवाल्व करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके जरिये हम मास्टर प्लान को जेन्यूइली इम्प्लीमेंट जमीन पर कर सकें। ये मास्टर प्लान मौटे तौर पर लैण्ड यूज को बताता है, टोपोग्राफी को बताता है।

जब शहर की बात करते हैं तो हमने यहां पहली बार राजस्थान के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल मास्टर प्लान बनाये हैं, उस मास्टर प्लान के साथ में हमने सिटी डवलपमेंट प्लान शुरू किया है। सारे के सारे, राजस्थान के सारे यू एल बीज के अन्दर हम सिटी डवलपमेंट प्लान, ये शहर बनेगा, आने वाले समय में शहर बनेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां-कहां क्या होना चाहिए; कहां आर ओ बी होना चाहिए, कहां फ्लाईओवर होना चाहिए, कहां क्या जरूरत कल पड़ेगी, आज न पड़े। जितनी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कितने संसाधनों की जरूरत होगी, उन संसाधनों को कहां से लाया जा सकता है। पहली बार यह सोच पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, माननीय वसुंधरा राजे के राज में कि हम पर्सपेक्टिव डवलपमेंट कर रहे हैं और इस सोच के साथ कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या संसाधन चाहिए और उन संसाधनों का इंतजाम किस प्रकार से किया जाए। इसकी चिंता भी करना चाह रहे हैं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई लोग कहते हैं कंजेशन बढ़ रहा है; लोग मांग करते हैं, आर ओ बी होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, जहां मांग पैदा हो। यानी, मांग पहले पैदा हो जाए, जनता भुगतना शुरू कर दे, भुगतने के बाद चिल्लाना शुरू कर दे और चिल्लाने के बाद हम कृपा करके एक आर ओ बी बना दे, एक फ्लाईओवर बना दे। हमें पहले क्यों नहीं मालूम पड़ता कि हां, हमको आज के दस साल बाद एक आर ओ बी की जरूरत पड़ सकती है? आज के तेरह साल बाद मुझे यहां एलीवेटेड रोड की जरूरत हो सकती है? इसलिए कि हमारे यहां काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान हमने बनाया ही नहीं। एक बार बनाया जयपुर, जोधपुर में, क्योंकि मेट्रो चलानी थी, मेट्रो जस्टिफाई करनी थी। काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने का मन नहीं था। मैट्रो जयपुर में लाकर के ताली बजवाये, शायद वोट पड़ जाए, इसलिए झूठा काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया। आज वह बट्टे खाते में चला गया, केवल झूठे डैटा क्रीएट किये मैट्रो की वायेबिलिटी दिखाने के लिए, मैट्रो की जरूरत दिखाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह पूरा का पूरा आप्सोलीट हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का भी आब्सोलीट हो गया है और जयपुर का भी आप्सोलीट हो गया है। हम सारे डिविजनल हैडक्वार्टर्स के अन्दर काम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करेंगे और जयपुर और जोधपुर के माबिलिटी प्लान का हम रिव्यू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सीवरेज की बड़ी चर्चा की। किसी ने कहा सीवरेज होना चाहिए; किसी ने कहा मेरा सीवरेज का प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। डोटासरा साहब, बड़े नाराज हैं, हम प्रोजेक्ट लेकर के आये थे, आपने उसके टेण्डर खारिज कर दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 को, मुझे अच्छी तरह याद है, जयपुर की जनता और पूरे राजस्थान की जनता सीवरेज के नाम को जानती नहीं थी। जयपुर में वाल्ड सिटी में जयपुर हिज हायनेस का बनाया हुआ थोड़ा-सा सीवरेज का इलाका हुआ करता था, जो खुलता जाकर ओपन सीवरेज में, जिसे कहते थे स्वेज फार्म, जहां आज बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं जे डी ए ने आक्शन करके। मुख्य मंत्री के निवास में और गवर्नर साहब के निवास के ऊपर भी सीवरेज नहीं हुआ करती था माननीय अध्यक्ष महोदय। यह भारतीय जनता पार्टी का राज था जिसने 1998 की अपनी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पहली बार ए डी बी के साथ बात करके राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए आर यू आई डी पी नाम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की चीज को पैदा किया। यह हम लोग थे। आज बच्चे-बच्चे की जुबान में, राजस्थान में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं, सीवरेज लाओ; मेरे यहां सीवरेज लेट क्यों हो गई; मेरे यहां सीवरेज आ क्यों नहीं रही है। इस सीवरेज की अवेयरनेस लाने वाला कौन है? इस सीवरेज की अवेयरनेस लाये तो हम लाये हैं और हम फिर कह रहे हैं इस सीवरेज की अवेयरनेस के साथ हमको लगा कि न केवल डवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, न केवल मास्टर प्लान बनना चाहिए, न केवल मोबिलिटी प्लान बनना चाहिए; इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम जयपुर शहर के अलावा पूरे राजस्थान के शहरों के अन्दर सेनिटेशन प्लान भी बनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिटी सेनिटेशन प्लान, सिटी सेनिटेशन इंटीग्रेटेड प्लान फार कम्प्लीट सेनिटेशन आफ सिटी। ड्रेनेज, सीवरेज, सालिड वेस्ट कलेक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिस्पोजल, और 24 शहरों में हमने सिटी सेनिटेशन प्लान बनाना शुरू कर दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कहता हूं, हमें राज में आये हुए कोई बहुत लम्बा समय नहीं हुआ है। हम राज में पहले थे, जितना किया वह चौपट पांच साल में हो गया। अब स्क्रैच से शुरू करना है। हम बनाते हैं मिट्टी से सोना; माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें मिट्टी से शुरू करना है लेकिन सोना बनाना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सिटी सेनिटेशन प्लान बनाया है, 24 शहरों के लिए आलरैडी प्रोसेस में है और राजस्थान की किसी भी सिटी को इस चीज से नहीं छोड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेनिटेशन की बात हुई तो अभी हमारे मोहनजी ने चर्चा की कि हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी स्वच्छता के बारे में बड़े कंसर्न्ड हैं, बड़े कांशियस हैं, होना भी चाहिए। कई चीज़ें बड़ी छोटी दिखती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और छोटी दिखती है, इसलिए हम कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन छोटी दिखने वाली हमेशा कम महत्वपूर्ण हो, उसका प्रभाव नहीं हो, उसका असर नहीं हो, कई बार छोटी-सी चीज का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए भारत के प्रधान मंत्रीजी ने और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने स्वच्छता पर जोर दिया है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गये साल से स्वच्छ भारत मिशन के नाम से एक मिशन के रूप में इसको लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में बहुत से देश हैं, हमसे छोटे-छोटे देश हैं, हमसे बाद में आजाद हुए लोग हैं, हम 1947 में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आजाद हुए, हमसे दो साल पहले 1945 में जापान-छोटा-सा देश, राजस्थान के बराबर, चार टुकड़ों में बंटा हुआ है, सीस्मिक जोन, भूकम्प आता है; सेकण्ड वर्ल्ड वार की लड़ाई में उसके दो बड़े-बड़े शहरों को एटम बम से तबाह कर दिया गया; लोग कहते थे जापान केवल नक्शे में दिखेगा। लेकिन आज जापान विकसित है, आज जापान हमसे कई गुना आगे है। आज जापान के आदमी की आयु क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 84.60 यीअर्स। छोटे-छोटे देश के लोगों की एवरेज है 82 साल, 83 साल, 84 साल और मेरे हिन्दुस्तान का आदमी मर जाता है 65 साल में। क्या पाप किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय? हमारे आदमी ने ऐसा क्या पाप किया है जो 65 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? और स्विटजरलैंड के, जापान के, सिंगापुर के, इटली के लोगों ने क्या पुण्य किया है जो 84 साल तक जीते हैं? इसके कई कारण हैं लेकिन एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह है, सेनिटेशन, स्वच्छता, हाईजीन। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाइजीन बड़ा इम्पोर्टेंट एलीमेंट है।

इसलिए मैं कहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई का अभियान नहीं है, केवल दिखावे का अभियान नहीं है, कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम नहीं है। ये सफाई दिखने में अच्छी लगती है, होनी भी चाहिए। इसके कई आयाम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 2014 के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने अभियान दिया है, वह अभियान हमारी सड़कों को ही नहीं चमकायेगा, शहरों को ही नहीं चमकायेगा, वरन् हिन्दुस्तान के आदमियों की जिन्दगी को भी चमकायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके दो मोटे-मोटे रूप हैं। मैं उनको क्लासिफाई करना चाहता हूं। फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम फार आल टाउन्स जिसकी चर्चा मैं अभी सिटी सेनिटेशन प्लान में कर रहा था। कचरा, अभी शहर के लिए श्रवण जी कह रहे थे, इंपोज करो। हमारे प्रथम महापौर कह रहे थे, सर्विस; क्यों, गुप्ता साहब? दाम दो और सर्विस लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आपको मोहन लालजी गुप्ता साहब की बात समझ में आ गई, यह भी बहुत बड़ी बात है। वह मिश्री वाला, गगरी वाला और चकरी वाला भी जवाब दे देना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल। ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। खास तौर से हिन्दुस्तान में जहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या का दबाव है; जहां जनसंख्या का दबाव है और प्लानिंग के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि जब तक घर पर जाकर हम कलेक्शन नहीं करेंगे, कचरे का, घंटी दबा कर, तब तक कचरे का कलेक्शन होना पासिबल नहीं है सड़कों पर ही मिलेगा। कोई आठ बजे कचरा फेंकता है, कोई नौ बजे फेंकता है, कोई ग्यारह बजे फेंकता है, कन्वीनिएंस से फेंकता है। आठ बजे सफाई कर दी, नौ बजे कोई कचरा डाल गया; नौ बजे सफाई करवा दो तो दस बजे, कोई कचरा डाल गया; और जब मुख्य मंत्री साहिबा सड़क पर गुजरती हैं ग्यारह-बारह बजे तो उनको कचरा दिख जाता है। सफाई सुबह की होती है और डांट मुझको पड़ती है। इसका एक ही तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, डोर-टू-डोर कलेक्शन और डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद उसका हम ट्रांसपोर्टेशन करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, उसका डिस्पोजल करें, जिससे एक तरफ हाईजीन पैदा हो, स्वच्छता पैदा हो और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट पर उसका कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं हो, मिनिमम नेगेटिव इम्पेक्ट हो। इसलिए हमने राजस्थान के 184 निकायों को 111 क्लस्टर में बांटा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और 111 क्लस्टर में बांट कर निविदाएं मांगी हैं जो 30 मार्च को प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम सोचते हैं, इसका मिशन के रूप में काम करके, पूरे राजस्थान में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक ले जाने के साथ इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा एलीमेंट है ओपन डेफिकेशन-फ्री। हिन्दुस्तान की आजादी के 67-68 साल बाद भी, अभी श्रवणजी बड़ी चिन्ता कर रहे थे, गरीब तक चीज नहीं पहुंची। यह सच है। गरीबी हटाओ की बात करने वाले लोग खुद तो हट गये, पर गरीबी नहीं हटी। ये देश के लिए शर्म की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे प्रदेश में 7.84 लाख लोग हैं जिनके पास एप्रोप्रिएट शौचालय नहीं हैं। 7 लाख 84 परिवार हिन्दुस्तान की आजादी के 67 साल बाद भी स्वच्छ शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। 4.49 लाख परिवारों के पास तो शौचालय हैं ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 88 लाख के पास में स्वच्छ शौचालय हैं, नाम के अस्वच्छकारी और 2.20 के पास में पिट शौचालय हैं। हम बात करते हैं मंगल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पर जाने की, हम मंगल पर जा रहे हैं; हम खुश होते हैं इस बात से कि हमारा जी डी पी की ग्रोथ रेट क्या है। देश का ग्रोथ और उस गरीब की ग्रोथ रेट, ये जो अन्तर है इस अन्तर को पाटना पड़ेगा। इसलिए इस अभियान के तहत हमने कहा है कि ओपन डेफिकेशन-फ्री, जो, खुले में शौच है, उसको बिलकुल खतम करे दें, इरेडिकेट कर दें, समाप्त कर दें। इसलिए हमने इन 7.84 लाख परिवारों को टायलेट देने के लिए बीड़ा उठाया है और 2015-16, इसी बजट ईयर के अन्दर हम राजस्थान में 2 लाख परिवारों को फ्लश टायलेट उपलब्ध करायेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, और तीन सौ ऐसे सामुदायिक शौचालय बनायेंगे जिनका उपयोग वे सब लोग कर सकें, बाकी लोग भी कर सकें और वे लोग भी कर सकें जिनके पास स्वच्छ शौचालय नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार बात कर रहा हूं हिन्दुस्तान की आजादी के इतने लम्बे समय की। हम सबके लिए पीड़ा का विषय है, आज जो यह अखबारों में पढ़ता हूं कि रैन बसेरों की जरूरत है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान का आदमी शरणार्थी है। शरण ढूंढने के लिए घूमे, उसे हम 67 साल में कोई छत नहीं दिला पाए। ये क्या अफसोस की बात नहीं है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट हमें कहता है कि एक लाख की आबादी पर एक रैन बसेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेल्टर फार आल होमलेस, हमने राजस्थान में अभी 169 स्थायी और 127 अस्थायी, कुल 296 रैन बसेरे इस बार काम में लिये हैं और इसी के साथ 28 का काम जारी है और 35 की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। इस प्रकार 232 स्थायी शहरी इलाके में और 127 अस्थायी, कुल 359 रैन बसेरे हो जाएंगे और राजस्थान हिन्दुस्तान के सबसे आगे, पायोनीयर स्टेट में होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि एक लाख पर एक; हमारी शहरी आबादी तो केवल पच्चीस प्रतिशत है, पूरे राजस्थान की, उससे हम एक्सीड करेंगे। लेकिन इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोने की व्यवस्था की है, गर्म खाने की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था की है, औरतों के और आदमियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हम लगातार इस बात की बात कर रहे थे, और आपकी सरकार ने भी थोड़ी-थोड़ी चिन्ता की थी, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी लाये थे 2009 में और कहा था कि एक लाख मकान हर साल बनायेंगे। पांच लाख लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं, पांच लाख परिवार। दस लाख परिवार जो एल आई जी और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के हैं, लोअर इनकम ग्रुप और इकोनोमिकली वीकर सेक्शन उनके पास मकान नहीं हैं। 2022 तक हम अगर एस्टिमेट करें, केलकुलेट करें, प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्टेडली 2022 तक साढ़े सतरह लाख परिवार होंगे अगर हमने मकान नहीं दिये, तो उनको जरूरत होगी और अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, 2009 तो काम कर नहीं पाई। एक साल में एक लाख मकान बनाने वाले पांच साल में केवल पैंतालीस हजार मकान बना पाये। हमने यह तय किया है कि हम सबको मकान देंगे 2022 तक और इसीलिए हमने देखा कि यह अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, 2009 जो फेल हो चुकी है, जो कम्पीटेंट पालिसी नहीं है, इफेक्टिव पालिसी नहीं है, रिजल्ट ओरियेंटेड पालिसी नहीं है, इसलिए हम नयी स्थिति में बदलाव कर रहे हैं और मुख्य मंत्री जन आवास योजना बनाने पर चिन्तन हो रहा है, मंथन हो रहा है, काम हो रहा है। इस मुख्य मंत्री जन आवास योजना के आधार पर आने वाले समय में बड़ी फास्टट्रेक अप्रूवल्स करेंगे और किसी ने अगर गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए कोई नक्शा पेश किया तो हम तीन वर्किंग डेज में अप्रूवल कर देंगे, प्रोवाइडेड एम्पैनल्ड हमारे कंसल्टेंट से प्लान बनाया हुआ हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये बहुत चिन्ता कर रहे थे कि कृषि की जमीन घट रही है; यह सही है; घटनी नहीं चाहिए। क्या करें? वर्टिकल ग्रोथ एकमात्र इलाज। ये मकान भी, हम उसको प्रमोट करें, जहां वर्टिकल ग्रोथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्टिकल ग्रोथ, तीन दिन में क्लीयरेंस, प्रोवाइडेड वह एम्पेनल्ड कंसलटेंट का प्लान हो और फास्टट्रैक अप्रूवल और इस सबकी मानिटरिंग; हम घोषणा करके सो नहीं जाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में घोषणा करके कि एक लाख मकान बनायेंगे एक साल में; हम उसकी कांस्टेंट मानिटरिंग करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बनाये कितने थे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पैंतालीस हजार।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बस !

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इतने बन गये, वह ही काफी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल बड़ी चर्चा है...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पांच लाख की घोषणा की थी इन्होंने। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, पांच साल रहना था न।

श्री रमेश (सपोटरा): जे डी सी बात मानेगा क्या आपकी?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात तो अच्छे-अच्छे मानते हैं, रमेशजी, पता है आपको और जो नहीं मानता उससे मनवाना आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल कई चर्चाएं हैं एनर्जी के बारे में। आइंस्टीन कहा करते थे माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया के अन्दर एनर्जी का लेवल, एनर्जी कांस्टेंट है; न ये क्रीयेट की जा सकती, न यह डेस्ट्रोय की जा सकती है; यह कन्वर्ट की जा सकती है। Total amount of energy in the world and the the universe is constant. जब वह कांस्टेंट है तो उसका अनुकूलतम उपयोग, अधिकतम उपयोग कैसे हो और खास तौर से ऐसे देश में जो एनर्जी डेफिशिएंट हो, और खास तौर से ऐसे स्टेट में, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, जहां बिजली पैदा करना मुश्किल हो, वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी कैसे पैदा की जाए, इसकी चिन्ता भी हम सबको करनी चाहिए। इसकी चिन्ता हिन्दुस्तान की सरकार ने भी की और राजस्थान की सरकार भी कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि एनर्जी की ये LED लाइट्स, जो कम बिजली खाती है, इस LED लाइट्स का शहरों में किस प्रकार से उपयोग हो। इस साल हम जयपुर शहर में 70 हजार लाइटों को बदलेंगे; जो ज्यादा बिजली खाने वाली लाइटें हैं उनको घर भेज देंगे और उनकी जगह पर LED लाइट लायेंगे, जिससे इतनी बिजली बचेगी कि हम जो सैस लगाते हैं जिसके कारण बिजली का बिल चुकाते हैं, बिजली का बिल चुकाने के बाद उससे ही इतना पैसा बचेगा कि यू एल बी को पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो कम्पनियां हैं, जो हमसे एग्रीमेंट कर रही है, अभी 15 सिटीज के लिए और आने वाले समय में 45 सिटीज के लिए एम ओ यू साइन किया है एनर्जी एफीशिएंसी सोर्सेज लिमिटेड, यह पब्लिक अंडरटेकिंग कम्पनी है गवर्नमेंट आफ इंडिया की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में इस एक हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान को हम जगमगा देंगे और जगमगाने के साथ में राजस्थान के इस सेक्टर में काम करने की इस एनर्जी डेफिशिएंसी को घटा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन 15 सिटी का नाम भी बता दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निकालकर बताऊंगा; आपका चूरू शामिल हो जायेगा, चिंता मत करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। कमिटमेंट का लेवल अलग हो सकता है, एफिशिएंसी का लेवल अलग हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये शहरीकरण की बात कर रहे थे। दिल्ली को बड़ी चिंता हुई, 1962 में ही हो गई थी कि दिल्ली बड़ा शहर है, पूरे हिन्दुस्तान से लोग आयेंगे, दिल्ली को बढ़ायेंगे, फिर दिल्ली सस्टेन नहीं कर पायेगी। तो उन्होंने एक इलाका बनाया नेशनल कैपिटल रीजन और कहा कि दिल्ली जैसी सुविधाएं अगर इस पूरे रीजन में हम दे देंगे तो जो कोर दिल्ली इलाका है, उस कोर दिल्ली इलाके में लोग नहीं आना चाहेंगे। इसलिए एन सी आर बनाई। अगर एन सी आर में किसी प्रदेश का सबसे ज्यादा हिस्सा आता है तो वह राजस्थान का आता है। एन सी आर के हम सब-रीजन हैं और सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। एन सी आर में हमारा 34.29 परसेंट इलाका आता है। इसके अलावा, दो शहरों को उन्होंने काउंटर-मैगनेट सिटी डिक्लेयर किया, जयपुर को और कोटा को। यानी लगभग 35 प्रतिशत, जो अधिकतम है, और दो शहर कोटा और जयपुर काउंटर-मैगनेट सिटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सोफ्ट लोन देते हैं डवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए; आर ओ बी के लिए दे देंगे, सीवरेज के लिए दे देंगे, ड्रेनेज के लिए दे देंगे; बहुत अच्छा लोन है, सोफ्ट लोन, हमें उसका उपयोग करना चाहिये था। इस पैसे का उपयोग करने के लिए, इसका प्लान बनाने के लिए, इसको मोनिटर करने के लिये, इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में राजस्थान में एक कमेटी है, Steering Committee to monitor, planning and infrastructure development for Rajasthan sub-region. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पहली मीटिंग हुई 7 मार्च, 2008 को और 2008 की मीटिंग के बाद सरकार सो गई। पूरे पांच साल तक इस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और इसीलिए राजस्थान को केवल 36 प्रोजेक्ट मिले। डी पी आर ही नहीं बना पाये, भेज ही नहीं पाये, और हमको केवल 844 करोड़ रुपये मिला। हरियाणा को 188 प्रोजेक्ट भेजे और 14,329 करोड रुपये की सैंक्शन है। इससे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल किसी सरकार की इनएफिशिएंसी का नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इलाका हमारा, दो काउंटर-मैगनेट सिटी हमारी और आपके यहां पांच-पांच साल तक मानिटरिंग कमेटी की, प्लानिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सरकार में आये और सरकार में आने के बाद हमने मीटिंग की और जो सब-रीजनल प्लान, जिसके बनाने का वर्क आर्डर 2009 में दिया गया था और जो हमारी सरकार के आने तक नहीं बना था, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग करने के बाद, यह सब-रीजनल प्लान हमने 16.09.2014 को बना दिया। प्लान बना लिया, उसकी आपत्ति मांग ली, सुझाव मांग लिये और 6 फरवरी, 2015 को एन सी आर बोर्ड में भेज दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एन सी आर का एक प्रोजेक्ट है रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम, वह लेना चाहते हैं कनेक्टिविटी के लिए। इस कोरिडोर का अलाइनमेंट 2006 से अधूरा पड़ा था, अलाइनमेंट निर्धारित करना था। पूरे पांच साल आप सोते रहे, अलाइनमेंट आपका तो बिगड गया, पर यह अलाइनमेंट आप निर्धारित नहीं कर पाये। हमने दुबारा अलाइनमेंट निर्धारित किया और 26 फरवरी, 2015 को एन सी आर बोर्ड को भिजवा दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एन सी आर के इलाके के कारण ही हमने 208 करोड की लागत से अलवर जिले के पांच शहर, अलवर, राजगढ़, तिजारा, बहरोड़, भिवाड़ी इनकी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति करवाई है, टेंडर करवाया है और अनुमोदन प्रगति पर है। इसी एन सी आर जोन में 2015-16 से भिवाड़ी शहर में सीवरेज, स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज, ठोस कचरा निष्पादन का काम हम करवायेंगे। अलवर के तिजारा, खैरथल, खैरली व भरतपुर के कामां, डीग, नगर और नदबई में सीवरेज का काम करवायेंगे।

भरतपुर शहर में बाढ़ आती है। भरतपुर शहर में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण जल निस्तारण योजना पर हम काम करेंगे।

शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़ में 25 अगस्त, 2011 को जो विकास की रोक इनके राज ने लगा दी थी और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को बढावा दिया जा रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की एक योजना है, जिसमें जापान असिस्ट कर रहा है, बड़ा एम्बीशियस प्रोजेक्ट है, अगर इसको ढंग से विजन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाय तो यह फोर्च्यून चेंजर हो सकता है। इस डी एम आई सी कोरिडोर का नीमराना, शाहपुरा, शाहजहांपुर, बहरोड़ का जो इलाका है, यह हमारा इन्वेस्टमेंट जोन है, इन्वेस्टमेंट हब है। यहां हमने विकास की रोक लगा दी, कोई प्लान नहीं बना पाये। विकास हम तो करायेंगे नहीं और आपको करने देंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त, 2011 को जो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इन्होंने विकास के कामों पर रोक लगाई थी, उसको 3 मार्च, 2015 को हमने अनुमति प्रदान कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहानी केवल एन सी आर की नहीं है। इस राजस्थान को बहुत ढंग से बरबाद किया है; सोते-सोते राज किया है। दिल्ली के दो और प्रोजेक्ट हैं, सी एस एस। खास तौर से, एक ही प्रोजेक्ट है, दूसरा तो उसका पार्ट था, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन, नेहरूजी के नाम पर। एम्बीशिअस मिशन था, पूरे हिन्दुस्तान के शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, आग्मेंट करने का। दिल्ली की सरकार खुले दिल से पैसा देना चाहती थी। गुजरात ने 82 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये, आंध्र प्रदेश ने 52 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये, महाराष्ट्र ने 90 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये, उत्तर प्रदेश ने 33 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये, वैस्ट बंगाल ने 70 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये, हमने 12 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाये और पूरे किये केवल 4! जहां लोगों ने हजारों करोड़ रुपये लिये, वहां हमने यूज किये, 10 साल में 541 करोड रुपये ही मिले हमको। पूरे 10 साल में 541 करोड़ रुपया राजस्थान को, जहां लोग हजारों करोड़ रुपये ले सकते थे। हमने यह मौका खो दिया। इसको हम क्या कहें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इनकाम्पीटेंस?

श्री अध्यक्ष: दोनों का मिक्सचर।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट था छोटे शहरों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने का, जिसके तहत डोटासरा साहब नाराज हो रहे थे, कल राजकुमार जी नाराज हो रहे थे, हमारा सीवरेज क्यों बंद कर दिया? आपको तो पूरा टाइम मिला था सीवरेज का प्रोजेक्ट ढंग से बनाते। कौन रोक रहा था? पैसा देने को दिल्ली की, सरकार का, यू आई डी एस एस एम डी का प्रोग्राम था, 2013 में ही क्यों बनाई? 2011 -12 में कौन रहा था? और 2013 में बनाई तो रातों रात क्यों बनाई, दिन में बना लेते। बिना सैंक्शन के 27 प्रोजेक्टों की टेंडर लगा दी। अब मुझसे पूछते हैं कि यह टेंडर कैंसिल कैसे हो गये। काकाजी, जिनका पैसा ही नहीं आया, उनका टेंडर तो कैंसिल होना ही था, सारा का सारा एक साथ कर दिया, 27 के 27 टेंडर; जेब में दाम हो या नहीं हो, कैंसिल होने ही थे। फिर कहते हैं, चलो, चलो, वह तो कैंसिल हो गये, दुबारा क्यों कर दिये? काकाजी, ढंग से दिन में डी पी आर बनाते तो ढंग की बनती। रातों की डी पी आर तो ऐसे ही जाती है गंगाजी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यू आई डी एस एस एम डी के अन्दर जो प्रोजेक्ट फिर भी सैंक्शन हुए हैं ...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय मंत्री महोदय, ये काका जी कौन हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काका जी कल से चल रहे हैं। कल तो ये थे उनके काका जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरे से ज्यादा उम्र खाने के बाद भी अगर देवनानी जी नहीं बता पाये काका जी कौन हैं। (व्यवधान) मेरे वाले काकाजी ये बैठे। आप वाले का पता नहीं मेरे को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यू आई डी एस एस एम डी के प्रोजेक्ट के अन्दर भी हम कोई एचीवमेंट नहीं कर पाये। मध्य प्रदेश के अन्दर 137 सिटीज के 201 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं कोई राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा, राजनीति मेरी कप-आफ-टी भी नहीं है, पर विजिटर हूं, जब तक रहूंगा, विजिट का पीरियड मुझे पता नहीं, मैं कभी भी जा सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब तक मैं रहूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ, सोते हुए नहीं जगते हुए काम करने की कोशिश करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काकाजी के भतीजाजी आज तो कान कतर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भतीजा तो हमेशा ही कान कतरता है, काका ठीक हो, तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के 201 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए; महाराष्ट्र के 121 प्रोजेक्ट सैंक्शन; तमिलनाडु के 136 प्रोजेक्ट सैंक्शन; किसी के 84, किसी के 62, किसी के 74, हमारे हुए; हमारे नम्बर आफ प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए 22 और नंबर आफ प्रोजेक्ट सैंक्शन 64 । 64 में से कई तो कुलामांडी खा गये, जो मैं बता ही रहा था आपको। जो सैंक्शन करवाकर लाये उनको आपने कुलामांडी खिला दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको पूरे यू आई डी एस एस एम डी के अन्दर, टोटल ऐसी हैं जो रिलीज हुईं ,वह हुईं केवल 544 करोड़ रुपये की।

इससे आप अंदाजा लगा ले कि राजस्थान की जनता के लिए संसाधन पैदा करने की जिन्होंने चिंता नहीं की, बिना संचालन, कोई भाटे से भाटा भिड़ाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों की इनएफिशिएंसी के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं, सारी सरकार के माथे पड़ी हैं। हम पीछे नहीं हटना चाहते।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं बात करना चाहता हूं, आर यू आई डी पी, यह प्रोजेक्ट हमारा है। यह अभी लोन है ए डी बी से, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार हमने ए डी बी के साथ बात की। हमको लगा, राजस्थान के शहरों का विकास नहीं, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमने फेज वन शुरू किया। हम चले गये लेकिन फेज आपकी किस्मत में मिला। ए डी बी का पैसा सैंक्शन हो गया था, हमारा एग्रीमेंट हो गया था। तो फर्स्ट फेज को हमने पूरा प्लान कर लिया था, अध्यक्ष महोदय। हमने प्लान किया, पैसे की व्यवस्था की, ए डी बी से बात की; उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, उसका प्लान चाक आउट किया, रोडमैप चाक आउट किया। हम तो चले गये लेकिन आर यू आई डी पी के पहले फेज को लोग आज भी याद करते हैं।

यह आर यू आई डी पी का पहला फेज इतना सक्सेसफुल था, इसी से प्रमोट होकर हमने फेज-टू शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, फेज-वन टाइम पर पूरा हो गया, 1,586 करोड़ का बजट था; हम दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आये 1,645 करोड़ का, 15 शहरो के लिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, 15 शहर, टुकड़े कर दिये; पता नहीं, कितने ट्रोशेंज कर दिए। देखना पड़ेगा कितने कर दिये, 113, 15 शहर में काम करने के लिए। सीवरेज का काम एक राजपाल सिंहजी को दे दिया फ्रंट; लैटरल दे दिया राठौड़ साहब को; एस टी पी दे दिया चतुर्वेदी साहब को। चतुर्वेदी साहब ने एस टी पी बना दिया, मैंने लैटरल नहीं बनाया; मैंने अमेंडमेंट ट्रंक नहीं बनाया। मैंने ट्रंक और एस टी बी बना दिया, इन्होंने लैटरल नहीं बनाया। तो आर यू आई डी पी का फेज गडम गड्ड हो गया।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर यू आई डी पी फेज-टू के अन्दर जो काम एक साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, वे अगले साल पूरे होंगे। हमने आने के बाद यह देखा, इसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद, मैं सोचता हूं, आपने जून में पूरा करने का एक्स्टेंशन लिया था, उसका 90 परसेंट काम तो इस साल के अंत में हम पूरा कर देंगे।

आर यू आई डी पी का फेज-थ्री मैंने शुरू किया है लेकिन आर यू आई डी पी फेज-टू में जो गलतियां आपसे हुईं, उनसे सीख लेकर हमने आर यू आई डी पी फेज-थ्री, जो कि 500 मिलियन डालर का बजट है, उस फेज को पूरा करने के लिए हमने एक अलग ढंग की स्ट्रेटेजी इवाल्व की है। हम ठेकेदारों

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की कोई भीड़ नहीं करेंगे टुकड़े कर करके; हम इंटीग्रेटेड करेंगे। जैसे लादूराम, बोदूराम नाम के ठेकेदार नहीं आयें, लार्सन एंड टूबरो जैसी कम्पनियां आयें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो आर यू आई डी पी की बात आप कर रहे हो, जिन शहरों में आर यू आई डी पी के माध्यम से जो वर्क हो रहे हैं, बिलकुल निम्न क्वालिटी, घटिया पूअर एंड..

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं बता रहा हूं आपको। अब देख लें, पहले भी देख लें, जब से शुरू हो रहे हैं। अब भी देख लें। कहीं पर भी, जहां काम छोड़ा है, सड़क की पोजिशन है, एज-इट-इज पोजिशन में होना चाहिए; जहां सीमेंट रोड थी वहां सीमेंट रोड बननी चाहिए, जहां बिटुमिन रोड थी, वह एज-इट-इज काम होना चाहिए। वहां पर इन्होंने काम्पेक से नहीं किया, रोड को यूं ही छोड़ दिया। पुराने शहरों का जो स्वरूप था, उसको बिलकुल बिगाड़ दिया आर यू आई डी पी ने।

दूसरा निवेदन है, इनका जो पाइप का है, चाहे सीवरेज प्लांट की आप बात कर रहे हैं, चाहे वाटर पाइपलाइन की बात करें, इनके पाइप के डाया को आप देंखे, स्टील इसकी कितनी घटिया क्वालिटी की है। सेकण्ड, मैं आपको बताता हूं, इनके ऊपर जो गुनाइटिंग का वर्क होता है, वह भी घटिया क्वालिटी का है।

तो जितने भी शहरों में वर्क हो रहे हैं, उनको आप चेक करा लें, आपको पता लग जाएगा कि यह कितना घटिया काम हो रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात की ताईद की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सपोटरा से।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माफी चाहता हूं, सपोटरा से। उन्होंने मेरी बात की ताईद की। उन्होंने कहा आर यू आई डी पी फेज-टू में जैसा काम हुआ है, न भूतो न भविष्यति:। भ्रष्टाचार का अड्डा, इनएफिशिएंसी का अड्डा। उसको जितना हम ठीक कर पाएंगे, मैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपको एश्योर करना चाहता हूं, जितना इसमें सम्भव ठीक होगा, आर यू आई डी पी फेज-थ्री को हम ठीक करेंगे। आपने समय एक्सटेंशन लिया, उससे पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे।

आर यू आई डी पी फेज-थ्री जो हम फोरमुलेट कर रहे हैं, उसके अन्दर कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, जो आर यू आई डी पी फेज-टू के अन्दर हमसे हुई थी। इस प्रकार से हम राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जेन्यूइनली स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके अन्दर हमने ओ एंड एम शामिल किया है, जिसके लिए मैं तीन दिन पहले निवेदन कर रहा था। हम वोटों के लिए सीवरेज नहीं बना रहे, वोटों के पानी नहीं भेज रहे; हमारी चिंता वोटों के लिए सीवरेज भेजने की नहीं है, हमारी चिंता है कि सस्टेनेबल सीवरेज सालों-साल वहां चले, संस्टेनेबल वाटर, पानी पहुंचे। इसलिए दस साल के ओ एंड एम को हमने इसमें शामिल कर लिया। इतना सारा हमने काम किया, इसका परिणाम कहीं न कहीं तो पड़ा ही होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

लोग आज बड़ा कह रहे थे, जे डी ए में यह हो गया, 'जोडा' में यह हो गया, 'जोडा' घाटे में, जोधपुर मुख्य मंत्रीजी वाली; राजधानी व जे डी ए घाटे में; जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हालत खराब; जोधपुर के अन्दर बंटाढार। राजस्थान के किसी भी यू एल बी को ले लें आप, उठा लें, जिस दिन राज मिला था, किसी की बेलेंस शीट उठा लें; जयपुर डवलपमेंट अथारिटी जिसके लिए आप कह रहे थे कि कमाऊ पूत है, कौन कह रहा था, मैंने सुना नहीं; पूत तो कमाऊ ही होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी यह चिंता कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, सारी बातें सही नहीं हैं, 80 परसेंट असत्य हैं। आप चिंता नहीं करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम सरकार में आये तो जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के पास 29 करोड़ रुपया था, आर यू आई डी पी पैसा मांगती थी 33 करोड़ रुपया, मतलब 7 करोड़ का नुकसान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज के पांच साल में जे डी ए में टोटल राजस्व का अर्जन हुआ 3 हजार 439, आपको आपके पूत ने कमाकर दिये पांच साल में 3 हजार 439 करोड़ रुपये। हमारे 15 महीने के शासनकाल में जे डी ए ने, इनका राजस्व अर्जन हुआ 2 हजार 396 करोड़ रुपये। जो आपने 5 साल में अर्जन किया, उसका 70 परसेंट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तो हमने 15 महीने में ही कर दिया। आपने जनता के कल्याण के बहुत काम किए हैं, विकास के काम भी किए हैं। आपने पूरे 5 साल में खर्चा किया जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के नाम पर 3,651 करोड़ रुपये का । अध्यक्ष महोदय, 15 महीने में हमने खर्चा किया 2,003 करोड़ का। जितना आपने पांच साल में किया, उसका 55 परसेंट तो हम कर चुके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे ही करते रहना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद। मान तो लिया। करते रहेंगे अपन ही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन्होंने पांच साल में राजस्व अर्जन किया 3,439 करोड़ रुपये और हम आने वाले पांच साल में राजस्व का अर्जन करेंगे 10 हजार करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के मसीहाओं ने पांच साल में भूखण्डों का सृजन किया, आम आदमी के लिए, 21,602 का, पांच साल में जे डी ए से; माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 15 महीने में भूखण्डों का सृजन किया 25 हजार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं बात कर रहा था कि हम हाउसिंग-टू-आल, उसकी दिशा में जे.डी.ए. का भी कंट्रिब्यूशन होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल कई चीजें चल रही हैं, आजकल आई.टी. के बिना काम नहीं चल रहा, हरेक के हाथ में मोबाइल है। लोग कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, होनी चाहिए; मैं तो इसका बहुत बड़ा हिमायती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हमने जयपुर के अन्दर एक ई-आक्शन की सुविधा शुरू की है, ट्रांसपेरेंसी, और 25 हजार बीघा से ज्यादा का लैंड बैंक गूगल-अर्थ पर हमने डिस्प्ले किया है, लोड किया है।

पहले लोग बेटी के ब्याह के लिए सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग कराने के लिए जे.डी.ए. में लाइन में खड़े होते थे। लाइन में खड़े हो, किसी को दान-दक्षिणा दो, तब बेटी की शादी के लिए कोई कम्यूनिटी सेंटर की बुकिंग होने की सम्भावना पैदा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसको भी आन-लाइन कर दिया है।

आने वाले समय में हम भू-आबंटन, उप-विभाजन, पुनर्गठन, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, भू-आबंटन की प्रक्रिया, सारी की सारी को आन-लाइन कर देंगे।

अब रिंग रोड परियोजना की बात नहीं करें। रिंग रोड परियोजना, वह हिस्सा दूसरा है, वह वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिंग रोड परियोजना के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लिए आपने तो एम.पी. साहब को भेजा था। आज मुझे कह रहे थे कि पुलिस वालों से जमीन का कब्जा ले लिया, आप कब्जा क्यों नहीं ले पाये? मेम्बर आफ पार्लियामेंट को टास्क देकर भेजा था आपने। आपके तो मेम्बर आफ पार्लियामेंट गली-गली, कूचे-कूचे गये थे। मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्पेशल एन्वाय तय किया था। क्या हुआ, किसानों ने माना नहीं। किसानों को आप पर विश्वास नहीं। आप बनते हैं किसानों के नेता, एक किसान ने विश्वास नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद, 27 जनवरी, 2015 को हमने एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस ली; 20 फरवरी, 2015 को हमने कन्सेंट-टू-एस्टेब्लिश प्राप्त कर ली। कांग्रेस तो कागज पर भी एप्रूवल नहीं ले पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमने रिंग रोड की अपाइंटी डेट भी तय कर ली है, जो 18 जनवरी, 2015 है और 20 महीने के अन्दर-अन्दर जयपुर की जनता को हम रिंग रोड समर्पित कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ए.पी. कोरिडोर के डवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हम पूरा कर रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

अभी आपने चर्चा की पृथ्वीराज नगर की। यह सही है, पृथ्वीराज नगर की समस्या कांग्रेस की दी हुई है। 1997-98 के आसपास जमीन को एक्वायर किया, हजारों बीघा जमीन को एक्वायर किया। बिना कोई प्लान, बिना कोई आब्जेक्ट, और लगातार उनकी प्राब्लम को काम्प्लीकेट करते गये, कम्पाउंड करते गये, वोटों का खेल करते गये। नियमितीकरण की लालीपाप दिखाकर सालों-साल लेकर आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद, हमने न केवल इस समस्या का सम्मानजनक और जनहित के अन्दर समाधान किया है, पाँच हजार लोगों को पट्टा दे दिया और दस हजार से ज्यादा लोगों को पट्टा इस साल देंगे। पृथ्वीराज नगर का विकास हम ऐसे नहीं कराएंगे, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। बीस फीट की रोड है, कैरिएज पैसेज नहीं है। आग लग जाए तो अग्निशमन का वाहन नहीं जा सकता; बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती। जिस इंटीग्रेटेड डवलपमेंट की बात लम्बी-चौड़ी ये कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड डवलपमेंट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए; माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने टाटा, प्रेस्टिजियस, हिन्दुस्तान की वन आफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कम्पनी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को हमने पृथ्वीराज नगर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दे दिया।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो गई बार सरकार थी, तो दुर्गापुरा में पहली बार राजस्थान की जनता के लिए हम एलीवेटेड रोड लेकर आये थे। हमने काम शुरू किया, आपके टाइम बंद हो गया; जग लग गया। अब हमने दुर्गापुरा के एलीवेटेड रोड पर काम को शुरू करवाया है और अक्टूबर, 2015 तक हम जनता को समर्पित कर देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अमानीशाह का नाला कोई जमाने में द्रव्यवती नदी हुआ करती थी। कांग्रेस का राज खा गई अमानीशाह का नाला बनाकर। अब यह नाला है गंदा नाला। पोल्यूटेड वाटर, सीवरेज का पानी, एन्क्रोचमेंट्स। इसको हम बिलकुल साबरमती के तट से भी बेहतरीन तट बनाना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसके काम की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी प्रेस्टिजियस टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को काम दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल बड़ी चर्चा है, जैसा मैं कह रहा था, डिजिटाइजेशन, हाई-फाई, वाई-फाई...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): टाटा, अडानी, अम्बानी, इनके अलावा कोई गरीब को भी दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम तो डोटासराजी को भी दे दें। डोटासराजी यह काम करवा सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति डोटासराजी से नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जयपुर के कई इलाकों में वाई-फाई की सुविधा देंगे। इन स्थान, जो वसुन्धराजी ने घोषित किये हैं, इनके अलावा जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय, जे.के. लोन अस्पताल, अल्बर्ट हाल, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण में, वहां भी हम वाई-फाई की सुविधा जयपुर की जनता को देंगे। न केवल वाई-फाई की सुविधा देंगे, पर इन-इन स्थानों पर इंफार्मेशन कनेक्टिविटी कियोस्क की स्थापना की जाएगी, जिससे पर्यटक और आमजन को सम्बन्धित स्थानों की सूचना के अतिरिक्त विभिन्न आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गई बार जब हमारा राज था तो हमने कहा था, भू-खण्डों को फ्री-होल्ड कैसे बनाया जा सकता है; 99 साल की लीज पर देते हैं, इनको फ्री-होल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका रास्ता हमने खोला।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लेकिन पांच साल के अन्दर आप इसके नियम नहीं बना पाये। इसके नियम नहीं बना पाये। इसलिए हम अब राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 को वर्तमान परिस्थितियों में तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे और साथ के अन्दर, भू-खण्डों को किस प्रकार से फ्री-होल्ड भू-खण्ड में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसका काम करने की हम कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ट्रैफिक के कंजेशन की बड़ी चर्चा हुई है। हर शहर के अन्दर, आप लन्दन में चले जाओ, वहां भी ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे। इसलिए जितने भी दुनिया के शहर हैं, उन शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के बारे में बहुत काम हो रहा है। हम जयपुर शहर के अन्दर भी रोड सेफ्टी के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वह मोबिलिटी प्लान को हम रिव्यू कर रहे हैं। उसके साथ ही हम बाकी चीजों को भी एम.एन.आई.टी. के साथ में, या किसी और बड़े संस्थान, जिसके साथ हमें इस काम को पूरा करने में मदद मिलेगी, उस संस्थान के साथ में एक काम्प्रीहेंसिव सर्वे करवायेंगे, स्टडी करवायेंगे। स्टडी के आधार के ऊपर हम इन सब चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मोबिलिटी प्लान की बात मैं कर रहा था, उस काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान को भी हम इंटीग्रेटेड काम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के रूप में जयपुर में शामिल करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। इस इंटीग्रेटेड काम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान बनने के बाद यह चीज बड़ी स्पष्ट हो जाएगी, मोटे तौर पर, कि कहां तो एलिवेटेड रोड बना सकते हैं, कहां फ्लाई-ओवर बनाना चाहिए, कहां आर.ओ.बी. बनाना चाहिए, कहां फुट ओवर-ब्रिज बनाना चाहिए, कहां रेलवे अण्डर-ब्रिज बनाना चाहिए। इस प्रकार से आने वाले जयपुर की और भावी जयपुर की एक तस्वीर हर किसी की आँख के सामने बिलकुल साफ हो जायेगी कि जयपुर की यह जरूरत है, जयपुर की यह चीज चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के राज में हम सब लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में अभी नक्शों की बातें की हैं। यह सही है, जयपुर के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद बिल्डिंग बाई-लाज पहली बार बने हैं 1976 में, फिर बने हैं 1989 में, फिर बने हैं 1996 में, फिर बने हैं 2000 में और फिर बने हैं 2010 में। उसके बाद हमने 2011 में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अमेंडमेंट किया, 2012 में अमेंडमेंट किया, 2013 में अमेंडमेंट किया। मुझे लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है और मेरे समझ में कम आया है। जनता मेरे जैसी है। जैसे मुझे समझ में कम आया है, वैसे उनको भी समझ में कम आयेगा। इसको किस प्रकार से ज्यादा रेशनल और नान-डिस्क्रिमिनेटरी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, हम बिल्डिंग बाई-लाज को रिव्यू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के अन्दर हमने कई काम करने की कोशिश की है। पहले जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी का पैसा करण्ट अकाउंट में रहता था, इंटरेस्ट नहीं मिलता था। हमने सेविंग अकाउंट के अन्दर इस पैसे को डाला है और आथोराइजेशन कर दिया हमने आई.सी.आई.सी.आई. की सारी ब्रांचों को, कहीं पर भी जे.डी.ए. के लिए जमा कराओ। जयपुर में मर्जी आये जयपुर में कराओ, जोधपुर में मर्जी आये जोधपुर में कराओ, गोविन्दगढ़ में मर्जी आये गोविन्दगढ़ में कराओ और चौमूं में मर्जी आये तो चौमूं में कराओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब आपकी परफार्मेंस एकटक देख रहे हैं। कहीं नजर नहीं लग जाए आपको।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ओ हो। मेरे बड़े भाई हैं, लगातार ही मेरी परफार्मेंस को इवेल्यूएट करते रहे हैं। मेरे ख्याल से 25-30 साल से तो कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चाचाजी हैं कि बड़े भाई हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): काकाजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां। काकाजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये तो देख रहे हैं, लेकिन आपके क्या लेना-देना इस परफार्मेंस से?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): काकाजी को अपने भतीजे की परफार्मेंस को इवेल्यूएट करने का राइट है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने रेजिडेंशल स्कीम्स को भी आन-लाइन कर दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आन-लाइन के माध्यम से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक आदमी जे.डी.ए. की एक से अधिक स्कीमों में प्लाट लेना चाहता है तो उसी से आन-लाइन के जरिये कर सकता है। उसको रिफंड लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिफंड लेगा तो सात दिन के अन्दर-अन्दर पैसे उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जे.डी.ए. में जा करके लाइन में खड़े होकर अपने पैसे की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है।

अभी कई जगह पर आवाज थी, मोहनजी गुप्ता को बड़ी चिन्ता थी

(19.00 बजे)

क्वालिटी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जयपुर के प्रथम महापौर जानते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया से काम मिलता है और काम्पीटिशन में कई बार लोग बी.एस.आर. से नीचे की रेट भी कोट कर देते हैं। अब बी.एस.आर. के नीचे की रेट जिसने कोट कर दी, वह कैसे सड़क बनाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमने मेकेनिज्म इवाल्व किया कि कोई 'जी' शिड्यूल से नीचे की रेट पर कोट करता है तो मार्जिन के पैसे को उसको जमा करवाना पड़ेगा।

इसके बाद में, हमने, आजकल वह ठेकेदार है, हार्टिकल्चर का ठेका भी वही ले रहा है, बिजली का भी वह ही ले रहा है, सीवरेज का भी वह ही ले रहा है, सड़क का भी वह ही ले रहा है। तो हमने कहा कि जो ठेकेदार जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, हार्टिकल्चर के ठेकेदार अलग, सिविल काम के अलग ठेकेदार, सड़क बनाने के अलग ठेकेदार हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ दिनों पहले एक सवाल उठाया था क्वालिटी के बारे में, तब भी मैंने सदन के माध्यम से उनको एश्योर किया था कि हम जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के कैम्पस से बाहर एन.ए.बी.एल., इनेबल्ड लेबोरेटरी बनाएंगे जिसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्रोपरली हो पाए और उसके आधार के ऊपर क्वालिटी की ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसकी क्वालिटी? खुद की या कोई माल की?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खुद की क्वालिटी का भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता रहना चाहिए। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं थोड़ी-बहुत,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ज्यादा लम्बी चर्चा बात नहीं करके, 'जोडा' के बारे में, जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी के बारे में, जहां से मुख्य मंत्री साहब पधारते हैं और जिनके लिए आज जोगारामजी फरमा रहे थे...(व्यवधान) हां, पूर्व मुख्य मंत्री। जोगारामजी फरमा रहे थे कि एक ही विधान सभा क्षेत्र में सारी सैंक्शन हो गयीं, ए एंड एफ। मानो, आपके वह एक विधान सभा जीती, जैसे कोई जोधपुर हो। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह एक ही जीती है, साहब। एक ही जीती।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सालों में जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी ने 1,951 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं और जब वे छोड़कर गये राज, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी पर 1,232 करोड़ रुपये का बकाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमें 190 के भुगतान करने हैं और 329 करोड़ की एडमिस्ट्रेटिव सैंक्शंस को विथड्रा करने के बावजूद भी आज की तारीख में 630 करोड़ की देनदारियां जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी के माथे पर हैं। इतना कुछ होकर भी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, फलाना हुआ हुआ है ढिकाना, गये कहां?

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1951 करोड़ की स्वीकृति देने के बाद भी जोधपुर की सड़कों का गड्ढा अगर नहीं भरा, 1,951 करोड़ की स्वीकृति देने के बाद भी वहां पर नाली नहीं बनी, सफाई नहीं हुई, लाइट नहीं जली, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद ही पूछना चाहता हूं कि ये पैसे कहां गये? सड़क में गये, या गंगाजी गये?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गंगाजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सारा पैसा खाय गये। मेरा इलजाम ही नहीं है, मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि सारा पैसा खाय गये। मैं प्रूफ के, जोधपुर में अच्छी भाषा बोलते हैं इसको अरोग गये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह जोधपुर की हालत है, 150 बना दिये और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जो काम करवाया, वह सारा बह गया और बिल ले लिये, 100 रुपये वर्ग फुट वाला कोई 1,000 रुपये वर्ग फुट से सप्लाई किया, और वह एक ही लोगों ने, आस-पास के लोगों ने मिलकर कर लिया। वहां के चेयरमैन थे, उसमें उनका हाथ था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गांधीवादी सरकार पर आरोप लगा रहे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वह जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी की फिस्कल हैल्थ को इम्प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 करोड़ रुपये हम हाउसिंग बोर्ड को जमीन देकर, 150 करोड़ रुपया हाउसिंग बोर्ड से लेंगे; कृषि उपज मंडी को जमीन देकर 36 करोड़ रुपया लेंगे; रीको से पैसा लेंगे और इस प्रकार से इस पैसे की व्यवस्था करके, किसी न किसी प्रकार से, जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं एक बात कहता हूं राजपाल सिंहजी को कि यह होने के बाद में आपने 15 सड़कें ठीक कर दी हैं और अच्छी बना दी हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि हाउसिंग बोर्ड के बनने से लेकर मकान कितने बने अभी तक; तो मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड 1961 में बना; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गलती से कह दिया था 1962, 1961 में बना, और 54 साल के अन्दर पूरे राजस्थान में केवल 2 लाख 33 हजार मकान ही हम कम्प्लीट कर पाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो इस साल, इस अकेले साल में 10,225 मकान दिये हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के क्रियाकलाप को रिव्यू कर सकते हैं, उनके काम करने के तरीकों को किस प्रकार से देख सकते हैं, दुबारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड गरीबों के लिए और आम अवाम के लिए, बाजार के अन्दर एक वाइटल स्टाक क्रीएट कर दें मकानों का। इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से हाउसिंग बोर्ड मकान बना रहा है, उस रफ्तार से तो हम वहां पहुंच ही नहीं सकते, जहां पर पहुंचने की सोच रहे हैं। इसलिए हाउसिंग बोर्ड का उस काम के अन्दर प्रोपर कंट्रिब्यूशन हो, इस दृष्टि से और हाउसिंग बोर्ड के काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे; पूरा रद्दोबदल करके

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उसको स्टाक क्रीएटिंग ओरिएंटेड आर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हम, माननीय अध्यक्ष महोदय, करेंगे।

मेट्रो की बड़ी चर्चा है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि 1990-91, 1992 के आस-पास मैंने ही विधान सभा के अन्दर जयपुर में मेट्रो होनी चाहिए, यह मांग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से की थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरों सिंहजी शेखावत ने 'राइट्स' नाम की कम्पनी से असेसमेंट करवाया था और 'राइट्स' ने, जो इनके कंसल्टेंट हैं अभी और गवर्नमेंट आफ इंडिया की कम्पनी है रेलवे की, उसने तब कहा था कि 2025 तक जयपुर में मेट्रो चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नई चीज दिखानी है और ऐसा छोटा रूट लो जो हमारे टाइम में ही पूरा हो जाए; चले या नहीं चले, पर पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने सबसे खराब, उसका कोई रेशनल नहीं, जिस रूट की कोई रेशनल नहीं है, उन्होंने एक छोटा-सा रास्ता पकड़ा और उसके भी टुकड़े कर दिये, दो टुकड़े कर दिये, फेज-वन और फेज-टू। फेज-वन 9 किलोमीटर का और फेज-टू 2 किलोमीटर का। यह 2 किलोमीटर में कितना फर्क था? एक साथ ही कर देते। इसलिए छोड़ दिया न कि फेज-वन दो हजार करोड़ का था और 9 किलोमीटर बनता था, और यह 2 किलोमीटर ही 1,150 करोड़ का बनता है। इसलिए छोड़ दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह खासा कोठी वाले फ्लाई-ओवर के लिए भी बताइए। खासा-कोठी वाले फ्लाई-ओवर के लिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको सब बताऊंगा, चिंता मत करो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फेज-वन जो आज तक तैयार नहीं हुआ; गहलोत साहब कब बैठे थे मेट्रो में? गहलोत साहब तो मोजी खा कर चले गये...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): परमानेंट ही गये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और 15 महीने बाद भी जयपुर की जनता मेट्रो को छू भी नहीं पायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट और इतना कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होने के बाद भी इस प्रकार के रूट पर, जिसकी कोई वायेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई फीजिबिलिटी नहीं है, उस प्रोजेक्ट को हाथ में लेना एक तरह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का अपराध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध उनका और फल मिलेगा हमको। उसके इतने सीवियर आपरेशन लासेस हैं कि अगर हम फेज-वन 'बी' का काम शुरू नहीं करते तो आपरेशन लासेस और बढ़ जाएंगे। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सांप-छंछूँदर जैसी स्थिति हो गयी, निगले तो मरे और खाए तो मरे। झक मारकर, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई मांग नहीं है, उसके बावजूद 1,126 करोड़ रुपये का फेज-वन भी शुरू किया, फेज-वन 'ए' के अन्दर भी पैसा लगाया, फेज-वन में भी पैसा लगाया। इस साल महारानी साहिबा ने 560 करोड़ का बजट में प्रोविजन किया है मेट्रो के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानते हुए कि पाप किसी का और माथे हमारे आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब इस बुरे काम को कैसे ठीक करें? तो हमने कहा कि आपकी डी.पी.आर. जो फेअर मैट्रिक्स दिखा रही है, उस पर यह चलनी नहीं कभी। जो फेअर मैट्रिक्स, आपके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो रेवेन्यू कलेक्शन की आपने बात की थी, उससे तो बिलकुल ही नहीं चलेगी। तो हमने फेअर मैट्रिक्स, हिन्दुस्तान का सबसे बेहतरीन फेयर मैट्रिक्स इस्तेमाल किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच रुपये में तीन, दो स्टेशन; जहां से बैठो, अगला और अगले से अगला, पांच रुपये में; अगले तीन स्टेशन फिर पांच रुपये में, दस रुपये; अगले तीन स्टेशन, फिर पांच रुपये। यानी, वह आटो रिक्शा से भी थोड़ा नीचे है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस मेट्रो को फिर भी हम चलाना चाहते हैं। गरीब जनता का जो पैसा लग गया, गरीब जनता का जो 3,150 करोड़ रुपया लगा है, उस गरीब जनता के किसी न किसी रूप में काम आये, इसका प्रयास करने में हम लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गयी बार जब हमारी सरकार आई थी तो हमने किया था 'रिसर्जेंट राजस्थान।' हम राजस्थान को तेजी से अगर विकसित करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमें मैसिव कैपिटल इंफ्यूजन की जरूरत है इकोनोमी में। अकेले सरकार का यह बस का नहीं है, इतना कैपिटल इंफ्यूजन करना। जब तक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, हम पहले ही अंदाजा लगा चुके थे, बहुत पहले ही हमें इस बात का अंदाजा लग चुका था कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना राजस्थान के विकास के अन्दर बोएंसी क्रीएट करना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सम्भव नहीं है और इसलिए हमारे राज में 'रिसर्जेंट राजस्थान' किया, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लाखों में, एक लाख कुछ; कितना राजेन्द्र जी? हां, एम.ओ.यू. साइन हुए। (व्यवधान) जिनके साइन से हम एम ओ यू करा गये, उनमें यह कन्वर्जन नहीं करा पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये अब फिर हम 'रिसर्जेंट राजस्थान' पर, और राजस्थान में किस प्रकार से हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आये, मैसिव इन्वेस्टमेंट आये और उस मैसिव इन्वेस्टमेंट के जरिये राजस्थान के अन्दर विकास को गति मिले।

आपने सबने हमारा विजन डाक्यूमेंट देखा होगा, महारानी साहिबा का, 12 परसेंट की ग्रोथ रेट लाना चाहते हैं इकोनोमी में। अब 12 परसेंट की इकोनोमिक ग्रोथ लाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा सेक्टर अछूता नहीं रहना चाहिये, जिसके माध्यम से राजस्थान की इकोनोमी को गति न मिल सके। रियल एस्टेट भी एक एरिया है। इसलिए राजस्थान में लैण्ड बैंक की बातें तो की होंगी, लेकिन पहली बार हमने गम्भीरता के साथ में लैण्ड बैंक बनाने की कोशिश की है और लैण्ड बैंक बनाकर उसको नेट पर डालेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि यू.आई.टीज, राजस्थान की यू.आई.टीज के पास में, जिसमें डवलपमेंट अथोरिटी भी शामिल हैं, हमने अभी तक जो लैण्ड बैंक बनाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 लाख 50 हजार बीघा के आस-पास है। 4 लाख 50 हजार बीघा का लैण्ड बैंक हमने तैयार किया है। उसकी डैटा की फीडिंग कर रहे हैं। कई जगह पर तो डेटा फीड हो गये हैं, कहीं अब डैटा फीड होंगे। इसको अपलोड हम गूगल अर्थ पर कर रहे हैं जी.आई.एस. सिस्टम के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय। और नगरीय निकायों के अन्दर भी लैण्ड बैंक को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 8,217 एकड़ जमीन का लैण्ड बैंक लोकल बाडीज ने तैयार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से राजस्थान को तेज गति से विकास देने में यू डी एच डिपार्टमेंट का भी योगदान हो सके। इसकी चिन्ता हम करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जमीन के पारखी तो हो ही।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, सरकार। जमीन की पारखी तो है ही। पहले भी...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जमीन से पैदा हुई सरकार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2003 से 2008 तक भी जमीनों का काम किया था। तो जमीन के पारखी तो हो ही।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई मजे-मजे में, 47 में राज नहीं आया हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी चर्चा है स्मार्ट सिटी की...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आपके जीजाजी को है। जीजाजी जोधपुर सम्भाग में पधारे (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जीजाजी। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी की बड़ी चर्चा है और सब देखना चाहते हैं, कैसा होगा स्मार्ट सिटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिटी स्मार्ट ही होने चाहिये और सिटी स्मार्ट ही होते, अगर हमने सही ढंग से नगरों की परिकल्पना की होती। चूंकि हम परिकल्पना करने में चूक गये, इसलिए इन सिटी को कैसे स्मार्ट बनाया जाए और कुछ नये सिटी, स्मार्ट सिटी कैसे पैदा किये जाएं, तो दोनों काम हमने साथ-साथ शुरू किये, माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो जो सिटी हैं, उनको स्मार्ट डायरेक्शन में कैसे भेजा जाए। इसके जितने भी यू.एल.बीज. हैं, हमारे गांव, छोटे-छोटे यू.एल.बीज. जोबनेर, वहां पर हमने स्मार्ट राज प्रोजेक्ट शुरू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 183 करोड़ की लागत से तीन वर्ष में चरणबद्ध रूप से इस योजना का हम क्रियान्वयन करेंगे और प्रथम चरण में इस योजना को 7 नगर निगम और 25 नगर परिषद में शामिल करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके माध्यम से सामान्य नागरिक को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति आनलाइन, आनलाइन भुगतान की सुविधा, ट्रेड लाइसेंस जारी करना, चालान जारी करना, सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारण्टी एक्ट, एन.ओ.सी. जारी करना, ऐसी कई सेवाओं को हम छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी नगरपालिका को भी हम स्मार्ट नगर पालिका में तब्दील करना चाहते हैं।

इसी के साथ जयपुर के अन्दर हम एक स्मार्ट काल सेंटर बनाना चाहते हैं। अभी मोहन लालजी कह रहे थे कि समस्याओं का निदान टाइम-बाउंड होना चाहिए, इसकी दिशा में हम कोशिश करेंगे, माननीय अध्यक्ष

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

महोदय, लेकिन समस्या का समाधान होना एक बात है और समस्या आप तक पहुंचे, यह दूसरी बात है। अभी तक तो सरकार के बीच में और जनता के बीच में समस्या पहुंचने का मेकेनिज्म ही नहीं है। जब तक सही समय पर समस्या नहीं पहुंचेगी, समाधान का सवाल उठता ही नहीं है। इसलिए पहले समस्या सही जगह पर किस प्रकार से पहुंचे, इसके लिये स्मार्ट राज काल सेंटर हम शुरू कर रहे हैं। यह स्मार्ट राज काल सेंटर इसी महीने हम शुरू कर देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसी दिशा में हम काम करने की कोशिश करेंगे।

हमने कहा स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए पूरी दुनिया में, पूरे हिन्दुस्तान में चर्चा चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अब किस प्रकार से एक काम्पीटिटिव सस्टेनेबल सिटी पैदा कर सकें; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पढ़ता तो लोग कहा करते थे कि कोई देश कितना विकसित है, यह कैसे मालूम होता है? तो लोग कहते थे कि जिस देश के अन्दर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हो, वह उतना ही विकसित देश है। हम यही सुनते-सुनते बड़े हुए। जब हम पढ़ने लगे और थोड़े-थोड़े पढ़ने का प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि यह इंडेक्स नहीं है डवलपमेंट का। डवलपमेंट का इंडेक्स है क्वालिटी आफ लाइफ क्या है वहां पर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब पढ़ाने लग गये, इतना ज्ञान हो गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए क्वालिटी आफ लाइफ क्या है, वह क्वालिटी आफ लाइफ, जिस क्वालिटी आफ लाइफ को हम कहते हैं डवलपमेंट के इंडेक्स के अन्दर, जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रेडिएंट है, वह जिस शहर में मिलेगा, वही शहर स्मार्ट सिटी है।

शहर में आते ही क्यों हैं लोग? शहर इकोनोमिक हब होना चाहिये, ग्रोथ सेंटर होना चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें इनबिल्ट कोम्पीटेटिवनेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिये, इतनी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिये माननीय अध्यक्ष महोदय, और एक गवर्नेन्स के अन्दर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, डिजिटेलाइजेशन, आनलाइन। आई टी इनेबल्ड सिटी और जिसकी मैंने चर्चा की है न, कि सिटी डवलपमेंट प्लान होना चाहिये, सेनिटेशन प्लान होना चाहिये, मोबिलिटी प्लान होना चाहिये, सोलिड वेस्ट मैंनेजमेंट होना चाहिये, इंटरनेट होना चाहिये। यह जिन-जिन में होगा,अन्नदाता, वह स्मार्ट बन जाएगा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दिल्ली की सरकार ने जरूर स्मार्ट सिटी के रूप में अभी अजमेर का चयन तो कर लिया है। लेकिन बाकी स्मार्ट सिटी के शहरों का चयन करना अभी बाकी है, जिसके लिए हमने राजस्थान की 11 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिन स्मार्ट सिटी को हम अजमेर के साथ डवलप करेंगे, उनके अलावा भी राजस्थान की बाकी सिटीज को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे ले जायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन सवाल आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये थे और कह रहे थे कि अचरोल की जमीन बड़ी महंगी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कई चीजें होती हैं जिनको फिस्कल पैरामीटर्स से नहीं देख सकते। मेरे बीमार पड़ने पर इलाज की कीमत क्या होगी, उसको रुपये से नहीं तौल सकते। जिस स्मार्ट सिटी की चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है, उस स्मार्ट सिटी के इनग्रेडिएंट का यह भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, फैसिलिटीज क्या हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्या हैं, हैल्थ की फैसिलिटीज क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है। अचरोल तो फिर भी डेढ़-दो करोड़ रुपये बीघा होगा, जहां अभी गोल्फ सेंटर है; कल को, पिलानियाजी यह आइडिया कैसा लगेगा कि रामबाग गोल्फ कोर्स को बेच दें, तो। मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ से कम तो क्या होगी एक बीघा जमीन। बेच दें? रामबाग गोल्फ कोर्स की जमीन आज सैकड़ों करोड़ रुपये बीघा होगी, और वहां गोल्फ खेल रहे हैं कुछ लोग; जिन्हें गोल्फ खेलना आता है, वे लोग। उनके लिए, इतना रुपया! बेच क्यों नहीं देते? क्या इस आधार पर हम शहरों का विकास करना चाहते हैं? क्या हम इस आधार पर शहरों में संसाधन पैदा करना चाहते हैं? हमें सिटी के डवलपमेंट के वाइडर पर्सपेक्टिव को भी दिमाग में लेना पड़ेगा और उसको इकोनोमिक स्केल पर मापा नहीं जा सकता। उससे सिटी की वर्थ कितनी पैदा होगी, आपने नहीं देखा। मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा इवेल्यूट नहीं किया है, इसलिए मैं फर्स्ट-हैण्ड कुछ कह सकता हूं, बाकी डिटेल में नहीं कह सकता। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं नहीं जानता, कितने डिटेल में आपने इस प्रोजेक्ट को देखा है। मेरा बिन्दु बिलकुल साफ था। यह आप भी मानते हैं, जो आंकड़े मैंने बताये हैं, मार्केट वेल्यू वही है। मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर जयपुर में 18 होल का गोल्फ कोर्स नहीं होगा तो जयपुर स्मार्ट सिटी नहीं रह जाएगा? कितने प्रतिशत, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं, जो गोल्फ खेलते हैं? अगर आप

(श्री नवीन पिलानिया)

कहीं से यह आंकड़ा पकड़ लेंगे ना, तो आप उसको कभी स्वीकृति ही नहीं देंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर 18 होल का गोल्फ कोर्स इतनी बेशकीमती जमीन पर नहीं खुलेगा, तो जयपुर कैसे पिछड़ जाएगा, माननीय मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं जयपुर के पिछड़ने की बात नहीं कह रहा, जयपुर को विकास के आसमान पर ले जाने की बात कर रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आसमान पर कैसे पहुंच जाएगा?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी जहां है उससे कई किलोमीटर आगे भी चले जाएं तो पढ़ने वाले लोग पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सिटी को वहां शिफ्ट कर दें? यूनिवर्सिटी की जमीन को बेच दें? पंडित नेहरू ने जब भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर की शुरुआत की थी तो लोग हंसे थे। जब उन्होंने राकेट छोड़ा था साइकिल पर ले जाकर, तो लोग सोचते ही नहीं थे कि हम मंगल पर पहुंचेंगे। जब तक कोई बड़े सपने देख नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता। क्या नेहरू का बार खोलने का निर्णय गलत था? क्या नेहरू का साइकिल पर ले जाकर राकेट चलाने का निर्णय गलत था? यह कब तक सम्भव होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जमीन महंगी हो जाए तो उसको बेच दें, यह उसके आगे भेज दें?

यह विकास की संकल्पनाएं केवल अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं होतीं। यह कोई क्रोनीक कैपिटलिज्म नहीं है, वेलफेयर गवर्नमेंट है। अब पूछें कि एटम बम पर कितने लोग, कितने साइंटिस्ट काम करते थे? उस जमाने में न्यूक्लीयर फिजिक्स में कितने विद्यार्थी काम करते थे? उन दिनों स्पेस पर कितने विद्यार्थी हिन्दुस्तान में काम करते थे? उस वक्त तो नहीं करते थे। इसके आधार पर देश की संरचना का निर्माण, इस देश के आधार पर ऊपर देश के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता।

मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने चूंकि मुद्दा उठाया है, मैंने उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा नहीं, इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्यूरियस एंगल से एग्जामिन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्राइमा फेसाई मुझे इस प्रोजेक्ट के अन्दर किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर नहीं आती।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे इसके अन्दर कोई अर्थ निकलता हुआ समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक मेरा निवेदन है, आपको अगर यह जिद ही है कि 18 होल का गोल्फ कोर्स जयपुर में बनाना ही है तो बिलकुल बनाइयेगा, अचरोल में बनाइयेगा लेकिन किसी ऐसी संस्था को किराये पर मत दीजिएगा। जमीन जनता की है, जमीन सरकार की है। 240 बीघा में गोल्फ कोर्स बनाइये अचरोल में लेकिन खुद जे.डी.ए. अपने पास रखे और जनता के लिए खुला रहे। किसी को किराये पर देने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? यह जानना चाहता हूं। और कहां गोल्फ कोर्स की बात है और कहां आप उसे एटोमिक एनर्जी पर ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, वेलफेयर स्टेट की बात की, because it should be a welfare State. That is the reason we are concerned about the amount, about the value of land which is involved, for a very trivial purpose. This is not a welfare proposal for the people. This is what I want to object to, and I want to say.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने सोशल वेलफेयर की परिभाषा को केवल 'नरेगा' तक सीमित रखा है, जिन्होंने सोशल वेलफेयर की परिभाषा को साड़ियां बांटने तक सीमित रखा है, जिन्होंने सोशल वेलफेयर की परिभाषा में किसी चीज को फोकट में बांटने तक सीमित रखा है, उन्होंने देश की बहुत बड़ी जनता को पैरासाइट में तब्दील किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर स्टेट और सोशल वेलफेयर को बहुत बड़े डाइमेन्शन में देखना होगा।

मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरिली इस प्रोजेक्ट को देखने में मुझे इस प्रकार की कोई चीज नजर नहीं आती, कोई आपत्ति नजर नहीं आती, जो किसी भी राजस्थान-लविंग आदमी को हो सकती है।

आपने रिंग रोड की ...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे अचम्भा है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया। नहीं, बैठिये। माननीय विधायक, बैठिये। (व्यवधान) रनिंग कमेंट्री नहीं। नो रनिंग कमेंट्री। बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गणगौर है आज, सब को घर जाना है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता व्यक्त की थी रिंग रोड़ के बारे में और कहा था कि जे.डी.ए. को इतनी जमीन क्यों चाहिए? यह जे.डी.ए. का प्रोजेक्ट नहीं है, यह नेशनल हाई-वे अथोरिटी आफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो एन.एच.डी.पी. सेवन्थ के तहत कराया जाना प्रस्तावित है। जे.डी.ए. का काम तो केवल अलाइनमेंट पर आब्जेक्शन था। जे.डी.ए. ने कहा उनको, अरलियर अलाइनमेंट नाहरगढ़ अभयारण्य से और कानोता बांध से गुजरता था, उन्होंने कहा कि भाई, कानोता बांध के यहां से और अभयारण्य से अलाइनमेंट नहीं गुजरे। इसलिए दूसरा अलाइनमेंट तय किया गया। यहां तक कन्फाइन्ड है जे.डी.ए. का। न तो प्रोजेक्ट क्या होगा, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यह नेशनल हाई-वे अथोरिटी आफ इंडिया का निर्णय होगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या रिंग रोड के बारे में बताएंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, प्लीज। आमेर से आने वाले विधायक, नो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, यह रिंग रोड के लिए, यह किस चीज के लिए बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, ये जो भी बोलें। आप बैठिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, रिंग रोड के लिए बता रहे थे क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठो आप। कृपया बैठो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मंत्री महोदय, यह आप रिंग रोड के लिए बता रहे थे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) कृपया आप बैठिये।(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, साहब, मैं समझ नहीं पाया। मैं तो सिर्फ यह जान रहा हूं कि यह आप रिंग रोड की बात कर रहे थे क्या? आप कोई और बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: फिर समझ लेना आप इनसे। इनसे फिर समझ लेना। बार-बार डिस्टर्बेंस नहीं। मंत्रीजी को वक्तव्य देने दीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी रिंग रोड की चर्चा कर रहा हूं, जिस रिंग रोड की चर्चा माननीय पिलानियाजी कर रहे थे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मास्टर ड्रेनेज प्लान की चर्चा हमारे आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य और हमारी पार्टी के अध्यक्ष परनामीजी ने की थी। यह सही है कि मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया था और मास्टर ड्रेनेज प्लान की डी.पी.आर. तैयार करने का काम दिया था, 200 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार करने का काम दिया था, लेकिन यह काम जे एन एन यू आर एम में होने के कारण बंद कर दिया, अब बंद हो गया, अब योजना बंद हो गयी है, पहले जे एन एन यू आर एम का वह पैसा कहीं और जगह खर्च कर दिया गया। यह बात आपकी सही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूरे ड्रेनेज प्लान को जगह-जगह पर, अभी जयपुर के अन्दर जे.डी.ए. कुछ इलाके के अन्दर वहां की सड़कों का, वहां नाला निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको इंटीग्रेटेड फार्म में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी हम चिंता कर रहे हैं और चिंता करने के साथ ही हम इस दिशा में निश्चित रूप से काम आगे बढ़ाएंगे।

विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड के ऊपर अभी भू-खण्ड आबंटित नहीं किये गये; 3,458 भू-खण्ड प्लान किये गये हैं, उनमें से 1,346 भू-खण्ड आबंटित कर दिये गये हैं और बाकी में लिटिगेशन है और लिटिगेशन के खतम होने के साथ ही निश्चित रूप से बाकी लोगों को भू-खण्ड दे देंगे। हमने 129 करोड़ रुपये की स्वीकृति की है जिसमें से 39 करोड़ रुपये का व्यय हो गया, जो उस योजना के अन्दर डवलपमेंटल और आग्मेंनटेशनल काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचा है। वहां बीसलपुर का पानी किस प्रकार से पहुंचे इसके लिए रिंग रोड के पी.ए.पी. कोरिडोर के अन्दर 24 एम.एल.डी. पानी बीसलपुर से उपलब्ध कराने के लिए जे.डी.ए. ने 96 करोड़ रुपये पी.एच.ई.डी. को दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में बीसलपुर का पानी उपलब्ध करने के लिए जो 240 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वह राशि भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्दी ही पी.एच.ई.डी. को उपलब्ध करा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कई माननीय सदस्यों के कई प्रकार के प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता था। जैसे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो आर यू आई डी पी के तहत कोटा के अन्दर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पानी का काम पूरा हो गया है, वह किस प्रकार से पी.एच.ई.डी. को जल्दी से जल्दी स्थानान्तरित हो, इस बारे में मैं माननीय मंत्रीजी से मिलकर जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कराने की कोशिश करूंगा। जल मंदिर के इलाके के अन्दर भी जिस प्रकार के रोप-वे की उन्होंने चर्चा की है, उस रोप-वे की फीजिबिलिटी को हम एग्जामिन कराने की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर साल हम लीज मनी पर छूट देते हैं जो आम तौर पर 31 मार्च के आसपास देते हैं, 31 मार्च तक खतम करते हैं। इस बार पूर्व की समस्त बकाया जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर सुधार न्यासों एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भू-खण्ड, भवन जो लीज पर आबंटित किये गये हों, उन पर 31.05.2015 तक पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी, और पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षों के लिए एक-मुश्त लीज राशि जमा कराने जाने पर लीज-होल्डर्स को बकाया लीज राशि के पूरे ब्याज पर छूट दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर को और शहर के गरीब को अपने साथ लेते हुए, विकास में भागीदार बनाते हुए, साथ में रखते हुए, जिस प्रकार की कल्पना के साथ काम कर रही है, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा सदन दोनों मांगों के अन्दर जो प्रस्ताव बजट में दिये गये हैं, उनका समर्थन करेगा, उन्हें स्वीकार करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या-29 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,71,53,22,000/- (सैंतीस अरब इकहत्तर करोड़ तिरेपन लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,56,43,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ छप्पन लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.30 बजे सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की विभिन्न कालोनियों में बनी नालियों के पानी को भू-गर्भ में डालने की योजना तैयार नहीं करने के उपरान्त भी देय अनुदान में औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

2. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की चिड़ावा नगरपालिका व पिलानी नगरपालिका में सिवरेज नहीं बनाने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

3. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना एवं समदड़ी ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर) :

4. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा वसूले गये विकास शुल्क की राशि में से पी.एच.ई.डी. को पेयजल लाइन बिछाने हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कृषि भूमि पर आवासीय पट्टे जारी किये जाने के पश्चात् मूलभूत सुविधाओं का विकास न किये जाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
6. अलवर नगर परिषद में वर्ष 2014 में की गई 329 सफाई कर्मियों की लाटरी द्वारा भर्ती को निरस्त किये जाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. अलवर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा डाली जा रही सीवरेज लाइनों से टूटी सड़कों को पुन: ठीक नहीं करने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

8. अलवर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा पिछले 15 वर्ष से नई आवासीय योजना विकसित नहीं करने से आमजन को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

9. विधान सभा क्षेत्र कोटा (उत्तर) में नाली निर्माण एवं वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

10. जैसलमेर शहर में सीवरेज का कार्य पूर्ण नहीं करने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

11. जैसलमेर में नई कालोनियों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

12. जैसलमेर शहर में वर्षा के पानी की निकासी के लिये नालियों का निर्माण नहीं कराने पर भी देय अनुदान में औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

13. विधान सभा क्षेत्र महुवा के महुवा में नगरपालिका नहीं खोलने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

14. सवाई माधोपुर शहर में सीवरेज का कार्य पूर्ण नहीं करने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

15. डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर नगर में सीवरेज व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. नगर परिषद डूंगरपुर में स्थित गेफ सागर झील की रिंग रोड स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर टैक्सी स्टैण्ड रेती स्टैण्ड, ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. डूंगरपुर नगरपालिका का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. डूंगरपुर नगर की गेफ सागर झील का गहराईकरण व सौन्दर्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

20. अलवर शहर में यात्री भार को देखते हुए बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. बहरोड़ नगरपालिका क्षेत्र के विकास के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में यात्री भार को देखते हुए बाइपास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. भिवाड़ी नगरपरिषद में टाऊन प्लानिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. बहरोड़ एवं नीमराना को मिलाकर नई यू.आई.टी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

25. सोजत शहर में पूर्व में लागू मास्टर प्लान का पुन: नये सिरे से सर्वे करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

26. बाड़मेर में नगर सुधार न्यास की घोषणा के बाद मूलभूत कार्य योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

27. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की नई कच्ची बस्तियों में सी.सी. रोड, नाली व पेयजल की व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

28. दौसा शहर में रोड लाइट, सड़क, नाली सीवर लाइन के कार्य नहीं कराने के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी की जोधपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत

सांगरिया, कूड़ी, नान्दड़ा कला, नांदड़ी, झालामण्ड पाल, बोरानाडा चोखा को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने एवं उपरोक्त ग्राम पंचायतों में जेडीए द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने एवं पुरानी सीवरेज लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

30. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की सांगोद नगरपालिका में सफाई व अन्य कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की सांगोद नगरपालिका में आधारभूत विकास नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद में नगरवासियों के मनोरंजन हेतु पार्क विकसित नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद में सामुदायिक शौचालय नहीं बनाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद के किनारे गुजर रही उजाड़ नदी को स्वच्छ बनाने हेतु आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से सीवरेज लाइन नहीं डालने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

35. जयपुर शहर में जेडीए की प्रस्तावित सीवर परियोजना के तहत वर्ष 2013-14 में सीवरेज के टेण्डर किये गये थे जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था, पुन: टेण्डर जारी कर सीवरेज लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की ढाणी कुमावतान में सरकारी जमीन पर मास्टर प्लान में सेण्ट्रल पार्क बनाने के प्रावधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

37. बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में बने सूर्यसागर तालाब का सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. नगरपालिका बड़ी सादड़ी में सभी श्रेणी के रिक्त पद नहीं भरने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

39. नगरपालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में समस्त सड़कों के खराब हालात देखते हुए देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. नगरपालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में सामुदायिक शौचालय निर्माण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

41. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम को टाऊन प्लानिंग में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

42. भीण्डर नगरपालिका में बाइपास निर्माण की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र के कमलवाला तालाब की साफ-सफाई एवं उसको भरने वाली नहरों व नालों के रख-रखाव नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. भीण्डर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित जलाशयों की सफाई नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. छोटी नगरपालिकाओं को खसरा की जगह छोटे टुकड़ों का कनवर्जन करने की स्वीकृति नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

46. बांदीकुई शहर में नालियों की सफाई नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

47. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में टोंक रोड पर बसी हुई पूर्ण विकसित कालोनियों को आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित के उपरान्त भी अग्रेत्तर विकास हेतु अवाप्ति से मुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

48. विधान सभा क्षेत्र चाकसू मुख्यालय (नगरपालिका क्षेत्र) कस्बे में सीवर लाइन नहीं डलवाने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

49. नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में सीवरेज लाइन नहीं डाले जाने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

50. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गरीब शहरी लोगों को आवास उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ नगरपालिका में सीवर लाइन नहीं डालने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में आवारा बन्दरों को पकड़कर वन क्षेत्र में छुड़वाने की समुचित कार्यवाही नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की नगरपालिका राजगढ़ में सफाई कर्मचारियों की पेन्डिंग भर्ती को तुरन्त नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ नगरपालिका में बस स्टैण्ड पार्किंग ठेका नियम विरूद्ध छोड़ने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

55. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र में भविष्य को देखते हुए बड़े नाले का निर्माण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर नगर के मध्य में स्थित तालाब की रिंग रोड नहीं बनाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

57. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के मतशका खेड़ा पंचायत में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. की कालोनी के पास वार्ड 31 में खाली पड़ी जमीन एवं खाली प्लाटों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

59. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड में दर्ज जांजरिया तालाब का सौन्दर्यकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

60. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर नगर में सार्वजनिक शौचालय एवं व्यक्तिगत शौचालय होने के उपरान्त भी खुले में शौच की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर नगर में मास्टर प्लान पर अमल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की विराटनगर नगरपालिका का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की विराटननगर नगरपालिका के कई वार्डों में सड़क नाली न होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

64. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आधुनिक तकनीक से कचरे का निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में नगर निगम एवं नगर विकास न्यास के भवन निर्माण स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण नहीं करने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

66. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका चौमूं में नगर नियोजक नहीं लगाने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका चौमूं द्वारा पट्टे जारी करने के लिए अभियान चलाकर समस्त ग्रामवासियों को पट्टा नहीं देने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका चौमूं में बरामदों के पट्टे दुकान मालिकों को नहीं दिलाने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

69. प्रदेश में आवासीय भूखण्डों की कीमतों में भारी वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए बहुमंजिला इमारतों की निर्माण स्वीकृति में सरलता का प्रावधान करने एवं इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. पाली शहर स्थित जूनी कचहरी जो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है को महाराणा प्रताप का स्मारक बनाने की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. पाली शहर के भीड़ भरे इलाके में स्थित पशु चिकित्सालय, एफ.सी.आई. व आर.एफ.सी. गोदाम एवं पैकेज कालोनी स्थित बहुत ही पुराने क्षतिग्रस्त क्वाटर्स अन्यत्र बनाकर उक्त भूमि नगर परिषद पाली को हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. पाली शहर की राजीव विहार आवासीय योजना हेतु आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा स्वीकृत ऋण की बकाया राशि नगर परिषद पाली को दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. पाली शहर में बाडी नदी के क्षेत्र रामलीला मैदान ई.एस. अस्पताल मंडिया रोड के पीछे चादर वाले बालाजी के सामने नाले के पास बसे गरीब परिवारों को शहीद भगसिंह आवासीय योजना में रियायती दर पर आवास आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनियां (तारानगर) :

74. विधान सभा क्षेत्र तारानगर कस्बा तारानगर (चूरू) में गन्दे एवं बरसाती पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं करने पर देय अनुदान में औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

75. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में की जा रही अनियमितता से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नगरपालिका में सीवरेज निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अनियमितताएं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र भादरा के नगरपालिका में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने के फलस्वरूप शहर में फैली गन्दगी से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

78. भादरा शहर के कई वार्डों में पानी की निकासी नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नगरपालिका में कर्मचारियों के रिक्त पद शीघ्र नहीं भरने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

80. आगरा रोड जयपुर में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमन में इकोलोजीकल जोन की आ रही बाधा को हटाने के लिए विशेष योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में फर्जी फाइल इम्पलान्ट कर कालोनी नियमन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में की जा रही लीपापोथी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्र में टूटी सड़कों की मरम्मत करने जनपथ व सेन्ट जेवियर स्कूल के पास कई बार नालियां बनाने के बाबजूद अभियन्ताओं की लापरवाही से वर्षा में भरने वाले पानी व जनपथ पर करोड़ों रुपये खर्च कर बनाये जा रहे फुटपाद में घटिया कार्य की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना आनन्दलोक सीकर रोड जयपुर में प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क पर बेरियर लगाकर टोल बसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. नगर निगम जयपुर के क्षेत्र में चौकड़ी पुरानी बस्ती की सड़कों को नया बनाने एवं निगम द्वारा घटिया स्तर की सामग्री से पेच वर्क व सड़क मरम्मत के कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

85. विधान सभा क्षेत्र नगर के नगर शहर में सार्वजनिक शौचालय की कमी से बाजार आने वाले ग्रामीणों को होने वाली समस्या के उपरान्त भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर कस्बे में नया बाइपास रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र नगर की नगरपालिका में स्वास्थ्य निरीक्षक व सफाई निरीक्षक का पद रिक्त होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र नगर में कचरा इकठ्ठा कर उसका निस्तारण नहीं करने के बाबजूद भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र नगर में सेनिटेशन का कार्य न होने से शहर में जगह-जगह गंदा पानी भरे रहने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

90. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर व रामगढ़ शेखावाटी में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

91. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
92. विधान सभा क्षेत्र जायल में सफाई की व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
93. विधान सभा क्षेत्र जायल में बी.पी.एल. परिवारों की गलियों में सफाई नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
94. विधान सभा क्षेत्र जायल में प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

95. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में वर्ष 2013-14 में गरीब परिवारों को आवास सुविधा हेतु देशनोक नगरपालिका द्वारा राशि गरीब परिवारों को आज तक नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
96. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका देशनोक में विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 व 2013-14 में स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
97. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की देशनोक नगरपालिका में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से नगर का विकास कार्य अवरूद्व होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

98. विधान सभा क्षेत्र भीम के नगर भीम को नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

99. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में सांचौर मुख्यालय पर आवासन मण्डल की कालोनी विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

100. नगर परिषद टोंक को एल.ई.डी. लाइट योजना से नहीं जोड़ने पर देय अनुदान के आचित्य पर चर्चा के लिये।
101. विधान सभा क्षेत्र टोंक के नगर परिषद टोंक में साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं होने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
102. नगर परिषद टोंक में साफ-सफाई हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
103. नगर परिषद टोंक में रिक्त पदों की भर्ती नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
104. नगर परिषद टोंक में सड़कों एवं नालों के निर्माण हेतु पर्याप्त बजट राशि का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

105. जोधपुर शहर के विकास हेतु प्रस्तावित मास्टर प्लान की आपत्तियों का ठोस निराकरण कर मास्टर प्लान लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
106. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ऐतिहासिक एवं जन आस्था के प्रतीक गंगलाव तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
107. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सीवरेज लाइनों से वंचित क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
108. जोधपुर में भारी यातायात दबाव वाले चौराहों पर फ्लाई-ओवर, अन्डरपास और पैदल ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

109. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ में स्थित सार्वजनिक विश्राम गृह में सुविधाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
110. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ नगरपालिका में गंदे पानी व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
111. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला को तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना को नगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

113. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति निरस्त करने एवं आरयूआईडीपी द्वारा स्वीकृति पुन: जारी नहीं किये जाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की नगरपालिका नवलगढ़ एवं नगरपालिका मुकुंदगढ़ के वर्ष 2004 से 2009 तक तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्षों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बावजूद भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ एवं मुकुंदगढ़ शहरों में कचरा निस्तारण की कार्यवाही नहीं करने के बावजूद भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

116. जयपुर स्थित मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय बिहार योजना का नियमन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित आवासों में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण के बावजूद भी अवैध कब्जा खाली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

118. बीकानेर शहर के महात्मा गांधी रोड पर सार्दुल सिंहजी की स्टेच्यू से सीधे एलिवेटेड रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

119. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर, बंगला नगर, सुजानदेसर एवं करमीसर में सड़क, नाली, सीवरेज आदि कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बीकानेर यू.आई.टी. क्षेत्र में गत वर्षों में हुये अवैध आबंटन एवं पट्टे जारी करने की प्रवृति पर

रोकथाम एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में मुरलीधर व्यास नगर में डिवाइडर एवं सर्कल चौराहा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

122. किशनगढ़-रेनवाल, साम्भर एवं फुलेरा नगरपालिकाओं के नये भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न नगरपालिकाओं में सफाई व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न नगरपालिकाओं में रिक्त पदों को शीघ्र नहीं भरने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

125. नगरपालिका क्षेत्र निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में नगर नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आरक्षित भूमि का भू उपयोग परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. नगरपालिका निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत निर्माण किये गये कार्यों व विशेषकर निर्मित पेयजल उच्च जलाशय को नलकूप से नहीं जोड़कर उसे चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

127. बांदीकुई शहर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. बांदीकुई शहर में होने वाले अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. बांदीकुई शहर में स्वच्छता हेतु अतिरिक्त बजट दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बाहर एवं बस स्टैण्ड पर पेड पार्किंग निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द बैरवा (दूदू) :

131. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामों में मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल.

आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को आबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों में कीचड़ फैलने से उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिये नालियों का निर्माण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र दूदू में आधारभूत एवं शहरी सुविधा यथा नालियां, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र दूदू की सरकारी भूमि का लैण्ड बैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने व सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल पंचायतों के स्तर तक पहुंचाने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अब तक की उपलब्धि व प्रयासों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

136. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.) के स्वीकृत हुए तृतीय चरण में शामिल 14 शहरों के साथ-साथ किशनगढ़ (अजमेर) शहर की डी.पी.आर. बनाकर अतिरिक्त स्वीकृति में शामिल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में मझेला रोड पर स्थित नगर परिषद की भूमि पर नवीन टाउन हाल निर्माण की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित जयपुर रोड इन्द्रानगर आवासीय योजना में स्टेडियम निर्माण कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) में सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती नहीं कराने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

140. नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) के कार्यालय हेतु नये भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

141. नगरपालिका क्षेत्र कपासन में स्टेडियम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. नगरपालिका क्षेत्र कपासन में गन्दे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइनों का निर्माण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

143. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के नगर में सफाई व्यवस्था नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के नगर में नालियों के सुदृढ़ीकरण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के नगर का सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के गोतचक्र मेन चौराहे पर डी.पी. से होने वाली दुर्घटनाएं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

147. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की ग्राम पंचायतों सुमेल, विजयपुरा व बगराना में सडकें निर्मित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के आगरा रोड पर बसी हुई कालोनियों को इकोलोजिकल जोन से मुक्त कराकर विकास कार्य व मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने तथा सरकारी भूमि की चारदीवारी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की सड़कों के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती के पीछे स्थित भूमि पर सुनियोजित रूप से पुर्नवास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

152. जालौर नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

153. लालसोट नगरपालिका क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण नहीं करने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

154. नगरपालिका खेतड़ी में सी.सी.टी.वी. व कैमरे लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. नगरपालिका खेतड़ी में भोपालगढ़ के किले का जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. नगरपालिका खेतड़ी में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. नगरपालिका खेतड़ी में नाला निर्माण नहीं करवाये जाने पर भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी में पन्नासर तालाब का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

159. जिला सीकर के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. पर्यटन नीति 2007 के तहत सीकर जिले के ग्राम कुहरसी में पट्टा दिये जाने के बावजूद आयोजना विभाग द्वारा निर्माण स्वीकृति की टी.एस. जारी नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

161. सूरतगढ़ शहर में गन्दे पानी की निकासी करवाने के लिए प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. सूरतगढ़ नगरपालिका में बड़ी दमकल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

163. टोंक नगर परिषद के माध्यम से गरीबों (बीपीएल) के लिए बनायी जा

रही कालोनियों की तरह उनियारा एवं देवली में भी बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

164. सीकर नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए विशेष राशि की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. सीकर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

166. सीकर शहर में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं लगाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

167. सीकर नगर परिषद क्षेत्र में एल.ई.डी. लाइट की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. सीकर शहर में सीवरेज की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

169. कोटा नगर विकास न्यास की अफोरडेबल आवासीय योजना को शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

170. झुन्झुनूं शहर में चल रहे सीवरेज कार्य को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

171. जयपुर मेट्रो परियोजना का संचालन एवं किराया निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. राज्य में आवासन मण्डल द्वारा पंजीयनों में निर्धारित प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितताएं एवं राशि के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. राज्य की कच्ची बस्तियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. जयपुर शहर में बीआरटीएस सड़कों के क्रासिंग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. धावास स्थित जेडीए की आवास योजना हेतु सेक्टर रोड सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

176. सभापति, नगर परिषद नागौर द्वारा किये जा रहे भ्रष्ट कारनामों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

177. जयपुर शहर के अन्तर्गत मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय विहार का नियमन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

178. केकड़ी व नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र में सभी मुख्य मार्गों पर सौन्दर्यकरण एवं विद्युतीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सार्वजनिक रंगमंच के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रिक्त चल रहे कार्मिकों के पदों को भरने एवं सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

182. केकड़ी नगरपालिका के कार्यालय का नवीन भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

183. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जे.डी.ए. की प्रस्तावित रिंग रोड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जे.डी.ए. द्वारा गांवों कि चरागाह/गौचर भूमि बरबाद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम अचरोल में प्रस्तावित जे.डी.ए. के गोल्फ कोर्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

186. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की नगरपालिका रानी खुर्द में विगत तीन वर्षों में निर्माण की गई सीमेन्ट सड़कों की गुणवत्ता एवं मोटाई कि जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की नगरपालिका रानी खुर्द में विगत वर्षों में नालियों के ऊपर बनायी गई लौह की जालियों के तोल की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रानी नगरपालिका में लाइट खरीद में हुए घोटालों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

190. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नगर निगम कोटा व नगर विकास न्यास की सीमा के अन्तर्गत 6 वर्षों में भू-रूपान्तरण में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में भू-रूपान्तरण किये बिना भूमाफियों द्वारा काटी गई कालोनियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की नगरपालिका एवं नगर निगम क्षेत्र आंगनबाड़ी हेतु जमीन आबंटन हेतु नियमानुसार प्रक्रिया के प्रावधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नगरपालिका एवं नगर निगम की सीमा में बसी कालोनियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

194. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की तहसील कोटकासिम के शेष रहे ग्रामों को यू.आई.टी. भिवाड़ी में सम्मिलित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़ बास राष्ट्रीय राजधानी परियोजना परिक्षेत्र में होते हुए भी अतिरिक्त विकास न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की नगरपालिका किशनगढ़ बास में पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की नगरपालिका खैरथल एवं

नवगठित नगरपालिका किशनगढ़ बास में सीवरेज लाइन स्वीकृत नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की नवगठित नगरपालिका किशनगढ़ बास का मास्टर प्लान एवं बजट आबंटन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

199. विधान सभा क्षेत्र लूणी में जोधपुर विकास प्राधिकरण की अपूर्ण सड़कें बनाने एवं गारन्टी पीरियड में खराब हुई सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. जोधपुर नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में पिछले 5-6 वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

201. कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के अनुसार सड़कों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत सीवर लाइन का निर्माण कार्य चालू नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

203. सुमेरपुर व तखतगढ़ (जिला पाली) की नई बस्तियों से जल निकासी हेतु नाले निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 20-आवास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-20 मुख्य शीर्षक आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सुमेरपुर व तख्तगढ़ नगरों में, भवन विहीन नागरिकों के लिए पक्के मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

2. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भीमगोड़ा में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

3. अलवर शहर में लम्बे समय से आवासीय योजना विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. अलवर शहर में काला कुआं हाउसिंग बोर्ड एवं शिवाजी पार्क में सीवरेज लाइन अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

5. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में आवासन मण्डल को नये आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

6. जैसलमेर शहर में आवास विकास संस्थान द्वारा बनाये गये मकानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. जैसलमेर शहर में नगर परिषद (यू.आई.टी.) द्वारा नई कालोनियां बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

8. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के आवास विहीन परिवारों को आवास देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बन रहे सहरिया आवास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

10. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजस्थान आवासन मण्डल डूंगरपुर की नवीन आवासीय कालोनियों में बिजली व पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के व्यक्तियों को मकान आबंटन में 45 प्रतिशत आरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. डूंगरपुर जिले में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जनसंख्या के अनुपात में मकानों का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

13. राजस्थान प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत निर्मित फ्लैट/मकानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. जिला अलवर में बी.पी.एल. के लिए राज्य सरकार द्वारा चालू की गई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आवासन मण्डल की योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना में आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

17. राजीव गांधी शहरी आवास योजना में नगर परिषद बाड़मेर में किश्तों का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना में बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में किश्तों का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

19. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम पंचायत कूडी, सांगरिया, चोखा, पाल, केरू में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नई आवासीय योजना बनाने एवं ग्राम पंचायत कूडी में पूर्व में बसी आवासीय कालोनी कूडी हाउसिंग बोर्ड के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

20. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में भवन विहीन परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

21. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में भवन विहीन गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में जोलपा रोड एवं अन्ता रोड स्थित भूमि पर आवासन मण्डल द्वारा कालोनी काट कर गरीब लोगों को मकान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

23. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

24. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में इन्दिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना की अपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

25. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी सामुदायिक भवनों का सर्वे कराकर उनका जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, असहाय, विकलांग व्यक्तियों का सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बी.पी.एल. परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गरीब व असहाय व्यक्तियों को आवास आबंटित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नि:शक्तजन, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवास आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अन्त्योदय परिवार व एस.बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ए.पी.एल. परिवार में भी कमजोर वर्ग व आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमजोर वर्ग को आवास देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

33. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आवास विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर शहर में आवास विहीन व्यक्तियों को भूखण्ड न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र विराटननगर के गांव खेलना में आवासन मण्डल के लिए आरक्षित भूमि पर आवास नहीं बनने तथा स्कीम के आगे न बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. वर्ष 2009 से 2013 के मध्य के विधायक रहे लोगों की आवास आबंटन की प्रक्रिया को जानबूझकर विधान सभा चुनाव, 2013 में जारी रखकर, विधायक से समयावृद्धि न कराकर ब्याज वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आवासन मण्डल स्कीम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

38. राज्य के गरीब तबके के व्यक्तियों के लिये विशेष आवासीय योजना आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

39. प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये बहुमंजिला आवासों के निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश में बनने वाले सभी आवासों में वर्षाजल संग्रहण बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों को बिना लाभ-हानि के आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

43. पाली शहर में नई आवासीय योजना बनाकर मकान आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. पाली शहर के आवासन मण्डल में प्रतीक्षा सूची में ऐसे लम्बित आवेदक जिनकी राशि लम्बे समय तक आवासन मण्डल में जमा रही उन्हें भविष्य में प्राथमिकता से आवास आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

45. राज्य के शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में पक्के आवास की सुविधा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र बायतू के भवनों का समुचित रख-रखाव करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

47. राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार राज्य कर्मचारियों को फ्लैट के लिये इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर में जमीन आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में घटिया सामग्री प्रयुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा तय समय सीमा में मकान नहीं बनाने से इनकी लागत में वृद्धि हो जाने पर चर्चा के लिये।

50. राजस्थान आवासन मण्डल में आवासों की लाटरी निकालने में अनियमितता करने वालों पर जांच के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम वाटिका, चौमूं, अजमेर रोड जयपुर में नई आवासीय कालोनी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

52. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बे नगर में जमीन रहित बी.पी.एल. को आवास के लिए राशि आबंटित होने पर भी बिना आवास के रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र नगर में गांव व शहरों में इंदिरा गांधी आवास व

शहरों में नगरपालिका में बी.पी.एल. को आवास योजना में राशि समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

54. विधान सभा क्षेत्र जायल में इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र जायल में बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को बी.एस.आर. के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

56. प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

57. विधान सभा क्षेत्र भीम की देवगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में गरीब एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

58. आवासन मण्डल टोंक में स्थित सामुदायिक भवन की पर्याप्त देख-रेख के अभाव में हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. राजस्थान आवासन मण्डल टोंक की कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र टोंक में ग्राम सेवारामपुरा में आवासन मण्डल की नई कालोनी विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. राजस्थान आवासन मण्डल कालोनी टोंक की नगर परिषद टोंक में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. राजस्थान आवासन मण्डल टोंक की कालोनियों में स्थित सार्वजनिक पार्कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

63. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना में बनी सब्जी मण्डी को चालू करवाने हेतु ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना में महिला पुलिस थाना, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय होम्यापैथी औषधालय, राजकीय आयुर्वेद औषधालय हेतु भूमि आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जोधपुर के चौखा क्षेत्र में वर्ष 2013 में लांच की गई अफोर्डेबल आवासीय योजना के आबंटन पत्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान बजट में घोषित मुख्यमंत्री आवासीय योजना अन्तर्गत नई योजना बनाकर लांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

67. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अफोर्डेबल हाउसेज की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. नगर विकास न्यास अलवर द्वारा पिछले 15 वर्षों में नई आवासीय कालोनी विकसित नहीं किये जाने से आमजन को हो रही समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

69. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ व मुकुंदगढ़ शहरों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजना विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

70. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ताप्रसाद नगर में आवासन मण्डल द्वारा सड़कों, नालियों, पार्क सौंदर्यकरण, नवीनीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं के कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. बीकानेर में आवासन मण्डल द्वारा निर्माणाधीन मकानों में घटिया सामग्री लगाने एवं उसमें हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. बीकानेर में आवासन मण्डल द्वारा निर्माणाधीन मकानों के कार्य को पूर्ण न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. बीकानेर में आवासन मण्डल की जमीनों पर निरन्तर हो रहे कब्जों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

74. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में आवासन मण्डल की नई योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

75. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में आवासन मण्डल की विभिन्न कालोनियां विशेषकर अटल नगर में सड़कों के डामरीकरण व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में राजस्थान आवासन मण्डल की घरौंदा योजना के अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों के लिए नई आवासीय योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

78. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उप खण्ड बिजोलियां पर गेंग रूट के स्थान पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

79. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

80. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों जैसे मार्बल कटर, गेंगसा पावरलूम, टैक्सटाइल आदि में कार्यरत श्रमिकों के आवास हेतु हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से मकान दिलाने की प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

81. नगरपालिका क्षेत्र कपासन में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा)

82. विधान सभा क्षेत्र सागवाडा के डाक बंगला में अतिरिक्त कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

83. विधान सभा क्षेत्र जालौर के जालौर मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड आवासीय कालोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)

84. नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में हाउसिंग बोर्ड द्वारा चयनित स्थान पर आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में गरीबों हेतु आवास आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

86. नगरपालिका खेतड़ी में गरीब व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. नगरपालिका खेतड़ी में कम कीमत के मकान उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

88. जिला सीकर में वर्ष 2015-16 में नये आवासों का निर्माण कर वंचितों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

89. सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सभी वर्ग के शहरवासियों के लिये आवासीय कालोनियों विकसित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

90. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आवासन मण्डल द्वारा वरीयता का उल्लंघन करने से भू-खण्ड एवं भवन आबंटन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी)

91. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान/प्लाट आबंटित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में आबंटित खाली पड़े प्लाटों में नियमानुसार समय पर मकान का निर्माण नहीं करने पर आबंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में विस्थापित उड़िया बस्ती के आवास आबंटन में हुई गड़बड़ी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के नगर निगम क्षेत्र में आवासों के ऊपर लगे मोबाइल टावरों के हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अजय आहूजा नगर में विस्थापित उड़िया बस्ती को पुनर्वास में मिले आवासों का कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

96. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के सम्पूर्ण क्षेत्र में गरीबों, जरूरतमंदों व बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

97. प्रदेश में आवास सुविधा हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

98. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सिंचाई विभाग रावतसर के सरकारी आवास व सर्किट हाउस की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

99. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के नगरपालिका क्षेत्र केकड़ी में गरीबों के लिए ग्रुप हाउसिंग कालोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र मे नवीन हाउसिंग बोर्ड योजनान्तर्गत आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र में नवीन हाउसिंग बोर्ड योजनान्तर्गत आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

102. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रानी नगरपालिका में बिना स्वीकृति बन रहे बहुमंजिला इमारतों से रानी नगरपालिका एवं अध्यक्ष द्वारा मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार करके नगरपालिका को आर्थिक हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

103. विधान सभा क्षेत्र सोजत नगरपालिका शहर में वर्षों से निवास करने वाले नागरिकों को स्टेट ग्रांट के तहत नि:शुल्क या न्यूनतम दर पर आवास आबंटित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

104. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के उपखण्ड कोटकासिम मुख्यालय पर राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय कार्यालय एवं आवास की जीर्ण-शीर्ण हालत होने पर भी मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

106. नगरपालिका क्षेत्र कोटपूतली में हाउसिंग बोर्ड द्वारा नई आवासीय कालोनी बसाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गरीबों व निम्न आर्य वर्ग के व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास तथा मांग संख्या 20-आवास पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

योजना बंद करना या निरस्त कर देना :- राजस्थान आवासन मण्डल ने स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2013 पानेरियो की मादड़ी उदयपुर में उच्च आय वर्ग (डुप्लेक्स) आवासों हेतु 16.09.2013 को प्रारम्भ की, जिसके आवेदन पत्र कीमत 500/- प्रति फार्म, फार्म कम्पलीट करना लगभग 200 रु. खर्च, प्रोससिंग फीस 2,000/-, डिमांड ड्राफ्ट लगभग पांच लाख उन्नतीस हजार पांच सौ (5,29,500), डी.डी. एक्सचेंज लगभग 1,000/- प्रति ड्राफ्ट थे एवं लगभग 194 आवेदक थे। अर्थात् लगभग 10-11 करोड़ राशि जनता से आवासन मण्डल ने एकत्र की। लगभग 1 लाख के फार्म बेचे, 3,88,000 की प्रोसेसिंग फीस हड़पी, 2 लाख का D.D का एक्सचेंज आवेदकों से बैंक को दिलाया और 6-7 माह बाद आवासन मंडल ने आवेदकों को जवाब दिया कि यह योजना अपरिहार्य कारणों (भूमि अवाप्ति कब्जों में गड़बड़ी के कारण) से निरस्त की जाती है। यह जनता के साथ कैसा मजाक है। आवेदन पत्र में आवासन मण्डल में नक्शा बनाकर जगह (भूमि) प्रदर्शित करते हैं। प्लाट नक्शा सब जनता को दिखाने, जनता किन परिस्थितियों कहां-कहां से उधार लाकर धन इकट्ठा करके आपके पास जमा कराती है, अपना धन समय बरबाद करती है और आवासन मण्डल ने क्षण भर में जवाब दे दिया कि योजना निरस्त। यह जनता के साथ छलावा है, धोखाधड़ी है। जब आपके पास जमीन ही नहीं थी तो बुकिंग क्यों की? फार्म में नक्शा दिखाया, जनता से झूठ बोला, जनता का नुकसान किया है। जब जनता अपना पैसा हाउसिंग बोर्ड को नहीं दे पाती तो आप 24 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। जब जनता का पैसा आपने बिना वजह अपने पास रख धोखा दिया तो प्रोसेसिंग फीस 2,000/- आवेदन पत्र शुल्क 500/-, D.D. एक्सचेंज 1000/- काटकर या नुकसान देकर 6 प्रतिशत ब्याज देकर पैसा वापस दे रहे हैं। यह कौनसा न्याय है?

अत: मेरा निवेदन है कि या तो उन्हीं आवेदकों को मकान आबंटित करें या समस्त शुल्क देकर 24 प्रतिशत ब्याज देकर पैसा लौटावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सबीना ग्रामीण में जो बी.पी.एल परिवार हैं, उनके मुख्यमंत्री आवास केवल 5 मकान बने हैं। वर्षों से रह रहे हैं, सूची में नाम हैं, मगर पट्टे नहीं हैं। उन गरीबों को यह फायदा नहीं मिल रहा है। मकान के पैसे देने से पहले पट्टा मांगते हैं, जो नहीं हैं। यही नहीं,

यदि एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, अलग मकान बनाता है और उसमें लाइट का कनेक्शन के लिए फार्म भरता है तो उसको यह कहकर मना कर देते हैं कि आपके नाम का पट्टा या पटवारी की रिपोर्ट लाओ, तब कनेक्शन होगा। यदि उसके पास नहीं है, तो गरीब बेचारा, अन्धेरे में ही रहना उसकी मजबूरी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकारी भवन भी नहीं बना सकते, जब तक यू.आई.टी. पट्टा नहीं देती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, पंचायत द्वारा या यू.आई.टी. द्वारा ऐसी योजना हो जिससे परिवारों को आराम से अपना हक मिले। यह पेरिफेरी में जितने गांव पंचायतें हैं, उनकी सभी की यही समस्या है।

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दे

1- नगर विकास प्रन्यास एवं नगरपालिकाओं में मंत्रालयिक कर्मचारियों, कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक जो कि गत वर्षो में सेवानिवृत्त हुए हैं उनके पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं तथा इन पदों पर कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि नगर विकास प्रन्यास के कार्यक्षेत्र की सीमा में पूर्व के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है।

2- न्यास की प्लान शाखा में बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के 4 महत्वपूर्ण पद हैं जो विगत लम्बे समय से रिक्त हैं। क्योंकि प्रन्यास का कार्यक्षेत्र बढ़ने से प्लान शाखा के कार्य में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है अत: बिल्डिंग इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र की जावे।

3- विगत वर्षों में कुछ नगर विकास न्यासों को प्राधिकरण में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही शेष न्यासों में नये मास्टर प्लान लागू होने से उनके क्षेत्राधिकार में काफी नये गांव जुड़ गये हैं। ऐसे सभी गांवों की बिलानाम/राजकीय भूमि के चिह्नीकरण तथा निजी खातेदारों के आवेदन पर आवेदकों के समयबद्ध रूपान्तरण हेतु सभी न्यासों में अमीन के 2 पद व पटवारियों के 3 पद अतिरिक्त सृजित किये जावें जिससे कि न्यासों में समुचित लैण्ड बैंक तैयार किया जाकर वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इसी क्रम में यह उल्लेख है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के कार्यक्षेत्र में मास्टर प्लान के अनुरूप 130 ग्राम सम्मिलित हैं जबकि पटवारियों के केवल 3 पद ही सृजित हैं।

4- प्रत्येक नगर विकास प्रन्यास में कम्प्यूटराइजेशन हेतु कम से कम 1 असिस्टेन्ट कम्प्यूटर प्रोग्रामर पदस्थापित किया जावे एवं 2 इन्फोर्मेशन असिस्टेन्ट के पद सृजित कर पदस्थापित किये जावें जिससे कि न्यास में जनसाधारण के प्रतिदिन होने वाले कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित किया जा सके तथा इन कार्यों

को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान की जा सके। वर्तमान में कम्प्यूटराइजेशन हेतु कोई भी स्थाई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

5- राजकीय भूमि पर बसी घनी बस्तियों/आबादी को नियमानुसार पट्टे दिये जाने के लिये अभियान प्रारम्भ किया जावे।

6- नगर विकास प्रन्यास के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारों की भूमि रूपान्तरण के पश्चात् विकास कार्यों जैसे सड़क, ड्रेनेज, इत्यादि की मांग की जाती है। चूंकि भूमि रूपान्तरण निजी खातेदारों के आवेदन अनुसार आंशिक क्षेत्र में ही हो पाता है, ऐसी स्थिति में ड्रेनेज के पूर्ण निस्तारण स्थल तक के मध्य निजी खातेदार की गैर रूपान्तरित भूमि आने से ड्रेनेज हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने से गंदे पानी के भरने की समस्या बनी रहती है। अत: सम्भावित निस्तारण स्थल के मध्य नाले एवं गन्दे पानी के बहाव को निजी खातेदारी में से भी अनुमत करने हेतु 60:40 अनुसार प्रस्तावित ड्रेनेज निर्माण के अन्तर्गत आने वाली भूमि को 40 प्रतिशत भाग के सुविधा क्षेत्र में समायोजित करने हेतु अनुमत किया जावे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास तथा आवास से सम्बन्धित निम्न सुझाव हैं :—

1. विराटनगर नगरपालिका में स्वयं का भवन नहीं होने से कर्मचारी एवं जनता को असुविधा रहती है। भवन बाबत इसी बजट में आबंटन किया जावे।
2. विराटनगर के वार्ड नं. 1, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में सड़क एवं नालियां नहीं हैं। विशेष बजट आबंटन किया जावे।
3. पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगर है जहां पर चार धर्मो एवं दो विशेष स्थल हैं। इन तक पहुंचने के लिए सड़कों का अभाव है तथा पवित्र स्थल आपस में भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे भठोड़ भैरव, गणेश मंदिर से बौद्ध स्तूप तक।
4. नोबल पुरस्कार विजेता का कार्यक्षेत्र का बाल आश्रम तथा 52 शक्तिपीठ में से दो राजस्थान में हैं। उनमें से भी एक अम्बिका माता, (मनसा माता) का स्थल विराटनगर है, परन्तु शक्तिपीठ तक जाने के लिए रास्ता कच्चा है। इसे शीघ्र पक्का रास्ता बनाया जावे। साथ ही, अम्बिका माता से जैन नसियां तथा मुगल गेट जाने के लिए भी कच्चा रास्ता है। इसे पक्का करने के लिए बजट आबंटित किया जावे।
5. तेवड़ी गणेशजी की सड़क से बूजा तक जाने का कच्चा रास्ता है, जिसे पक्का किया जावे, जिससे वार्ड 14 से होकर अलवर रोड से सीधा सम्पर्क हो सके तथा मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव कम हो सके।

6. नगर के मध्य से गंदे पानी का नाला बहता है। उसे पक्का करने के लिए राशि आबंटित की जावे।
7. विराटनगर के व्यवस्थित विकास के लिए राजस्थान आवासन मण्डल के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनवाई जावे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत)

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं 20 आवास के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा:—

बीकानेर शहर में 1977 व 1984 में पुराना शहर में सीवरेज लाइन डाली गई थी जो जर्जर अवस्था में है। इस सीवरेज लाइन को बदला जाये। साथ ही शहर के शिवबाडी घडसीसर, गंगाशहर, भीनासर, तिलकनगर, अम्बेडकर कालोनी सहित 18 कच्ची बस्तियों समेत बड़ा क्षेत्र सीवरेज से आज भी वंचित है। सीवरेज से वंचित क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने की मांग करता हूं। वहीं शहर की 22 कच्ची बस्तियों में पानी, बिजली, सड़क, नाली आदि सुविधाएं की व्यवस्था की जाये। शहरी क्षेत्र में जो लोग वर्षों से रह रहे हैं उनको 300 वर्ग गज तक का नियम का प्रावधान है। इस नियम में संशोधन कर 600 वर्ग गज तक के मकानों का नियमन किया जाये। बीकानेर शहर की बडी समस्या कोटगेट व सांखला रेलवे फाटक की है। यह फाटक शहर के बीचोंबीच है तथा 24 घंटे में 22 बार बंद होता है। भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। यहां रोजना जाम लग जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। शहर का आम आदमी इस समस्या से पीड़ित है। कृपया मंत्रीजी यहां आरयूबी/आरओबी अथवा एलीवेटेड रोड या बाइपास बनाकर इस समस्या का समाधान करवायें।

अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों में नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में पिछली सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई थी जिसमें गरीब व बीपीएल परिवारों को पक्का मकान बनाने का प्रावधान था। यह योजनार पुन: चालू कर बीकानेर व देशनोक क्षेत्र के आवासहीन गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर नगर विकास न्यास ने वर्ष 2012-13 में बीकानेर शहर के 13 समाजों को रियायती दर पर छात्रावास एवं शमशान हेतु भूमि आबंटित की गयी थी जिसमें मुख्य अल्पसंख्यक, रैगर, नायक, माली, गुर्जर, रांकावत, राजपुरोहित, शाकद्विपीय ब्राह्मण, गुर्जर गौड, पुष्करणा व सेन समाज तथा राजपूत समाज, चारण समाज व इसाई समाज को यह आबंटन किया गया है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले आबंटनों की भूमि पर निर्माण आदि की इजाजत देने में समीक्षा के नाम पर रोक लगा रखी है। यह रोक हटाकर इन समाजों के छात्र-छात्राओं को छात्रावास हेतु

जगह मिल सके। वही बीकानेर नगर के मास्टर प्लान में संशोधन कर शहरी क्षेत्र की सीमा को बढ़ाया जाये। महोदय, बीकानेर नगर की जनसंख्या 7,50,000 है तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या मात्र 1200 है जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी है। शहर की जनसंख्या के अनुपात में नगर निगम बीकानेर में तीन हजार सफाई कर्मचारी लगाने की व्यवस्था मंत्री महोदय करवायें। हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जिसमें लोगों के शिविर में ही काम किये गये तथा हजारों लोगों के जो कृषि भूमि पर बसे थे, के आवासीय पट्टे बनवाये गये। लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 15 महीनों में एक भी पट्टा नहीं बनाया। अभी भी हजारों लोग कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन उनके पट्टे नहीं बन पाये। मंत्री महोदय, बीकानेर शहर में कृषि भूमि पर बसे लोगों के पट्टे बनाने का अभियान शुरू किया जाये जिससे लोगों को राहत मिल सके। नगर निगम बीकानेर, नगर पालिका देशनोक में आवारा पशुओं की समस्या है, अतः इन पशुओं के लिए गौ-शाला बनाकर समाधान करवायें तथा इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब है, संसाधनों की कमी है। अत: राज्य सरकार इन निकायों में जेसीबी, ट्रैक्टर, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए राज्य सरकार बजट देवे।

अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल के द्वारा बीकानेर में बनाई गयी मुक्ता प्रसाद कालोनी, दक्षिण विस्तार कालोनी में सड़क, नाली, सीवरेज आदि सुविधाओं में रखरखाव का अभाव है तथा शिव बाडी आवासीय योजना जो मण्डल द्वारा करीब 22 सौ बीघा में बनने जा रही है। इस आवासीय योजना को शीघ्र शुरू कर अच्छी व सुविधाजनक कालोनी का निर्माण कर स्थानीय जनता को आवास सुविधा उपलब्ध करावे। नागणेचीजी मंदिर, लक्ष्मीनाथजी मंदिर, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, रविन्द्र रंगमंच का निर्माण आदि कार्यों के लिए विशेष बजट आबंटित कर विकास करने की वर्ष 2014 की बजट घोषणा में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की लेकिन इस संबंध में आप एक वर्ष में एक कदम भी नहीं चल पाये हो। जोधपुर से जैसलमेर को जोड़ने वाले राजमार्ग को पूरा कर रिंग रोड निर्माण किया जाये जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा एवं प्रदूषण नियंत्रण होगा।

अध्यक्ष महोदय, देशनोक नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा करीब 1200 गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रति परिवार सत्तर हजार रुपये की राशि आबंटित की गई, लेकिन उक्त गरीब परिवारों को आज तक पक्का मकान बनाने हेतु राशि नहीं दी गयी। यह सारी धनराशि नगरपालिका देशनोक में जमा है। मंत्री महोदय, कृपया इन गरीब लोगों को आवास सहायता की राशि नगर पालिका से निकालकर इनके खातों में हस्तान्तरित करने की

कृपा करें। देशनोक में करणीमाता का विख्यात मंदिर है। यहां हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक रोजाना आते हैं। नगरपालिका देशनोक को विशेष आर्थिक पैकेज देकर इस कस्बे का विकास करवायें। देशनोक नगरपालिका में पिछले 3 वर्षों में करवाये गये कार्यों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है, जिससे पालिका का विकास रुक गया है। इस जांच को अति शीघ्र पूर्ण कर बोर्ड में जमा धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में करवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नोखा के वार्ड नं. 29 के बीच में ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाने हेतु खड्डा खोदकर शहर का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे इस वार्ड के लोगों का यहां रहना मुश्किल हो गया है। अत: मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि वार्ड नं. 29 के इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को नोखा शहर से पांच किलोमीटर दूर बनाकर शहर के लोगों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़)

1. अनूपगढ़ नगरपालिका को बने लगभग 60 वर्ष हो गये हैं परन्तु गंदे पानी व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है।
2. कच्ची बस्ती के पट्टों का नियमन किया जाए। प्रेमनगर में पट्टे नहीं होने से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं।
3. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी के स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये। धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए।
4. R.C.P. कालोनी अनूपगढ़ में क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं। इनको नगरपालिका के अधीन कर मरम्मत करवाई जाए व नये आवासों का निर्माण किया जाए।
5. घडसाना को नगरपालिका बनाया जाए।
6. सार्वजनिक विश्राम गृह में सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20-आवास और मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने के लिए आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी सामुदायिक भवन बने हुए हैं उनकी एक बार बनने के बाद रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं होती है इसलिए इनका सर्वे कराकर इनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है और इनके रख-रखाव हेतु अलग से बजट रखना भी आवश्यक है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीब व्यक्ति, असहाय,

विकलांग, बी.पी.एल., ए.पी.एल., एस.सी., एस.टी. जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है उनका सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना सरकार को बनानी चाहिए ताकि लोगों को उनकी खुद की छत मिले।

अजमेर जिले में राजस्थान आवासन मण्डल एवं अजमेर विकास प्राधिकरण की कालोनियों में स्थित सार्वजनिक पार्कों की दशा बहुत खराब है, उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है इसलिए इनके रख-रखाव के लिए अलग से वित्तीय प्रबन्ध करके वहां गार्डनिंग करने, पौधों के लिए पानी हेतु बोरिंग, बिजली की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए झूले इत्यादि बनाये जाने चाहिए। साथ ही उक्त पार्कों में स्थायी रूप से चौकीदार की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं होने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत सीवरेज लाइन का कार्य अतिशीघ्र शुरू कराने की कृपा करें ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड रूपनगढ़ व पुष्कर मुख्यालय पर राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उनको रहने की समस्या होती है इसलिए इनके लिए आवास बनाने की व्यवस्था करें ताकि उनको राहत मिले।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में स्थित रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, गेगल, रूपनगढ़ व अजमेर जिले की अन्य औद्योगिक इकाइयां जैसे मार्बल कटर, गैंगसा, पावरलूम, टैक्सटाइल, कपड़ा फैक्ट्री, बच्चों के खिलौने बनाने की फैक्ट्री, मिनरल फैक्ट्री आदि में कार्यरत श्रमिकों के आवास हेतु आवासन मण्डल के माध्यम से मकान मिले इसके लिए योजना बनायी जानी चाहिए।

पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा के दौरान गन्दा पानी तीर्थराज पुष्कर के सरोवर में जाता है जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचनेके साथ ही पुष्कर का गंदा पानी सरोवर में जाता है जिससे सरोवर का पानी दूषित होता है। अत: कोई वैकल्पिक नाला बनाकर इस गन्दे पानी को पुष्कर से बाहर निकालने की योजना बनाना आवश्यक है।

पुष्कर नगरपालिका, जिसमें बूढा पुष्कर, मध्य पुष्कर, सुधा भाई व पुष्कर नगरपालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है, इनका समुचित विकास कैसे हो इसकी एक डी.पी.आर. बनाकर प्रभावी योजना बनायें ताकि उक्त क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास हो।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका पुष्कर में आवारा बन्दरों का बड़ा आतंक है, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं धार्मिक श्रद्धालुओं को आये दिन काटने की घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा भी आतंक मचाकर क्षेत्रीय जनता को भी परेशान करते हैं इसलिए इनको पकड़कर सुदूर वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए प्रयास किये जाएं जिससे जनता राहत महसूस करे।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण की बड़ी समस्या है इसलिए आधुनिक तकनीक से कचरे का निस्तारण हो इसकी समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है।

अजमेर जिले में भूखण्ड खरीदना आम आदमी के वश की बात नहीं है इसलिए आवासीय भूखण्डों की कीमतों में भारी वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल द्वारा नई-नई योजनाएं विकसित करनी चाहिए तथा उनमें सस्ती दर पर भूखण्ड दिए जाने चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिले। इसके साथ ही बहुमंजिला इमारतों (फ्लैट्स) के निर्माण की स्वीकृति में भी सरलीकरण किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों को रहने के लिए सस्ती दर पर छत मिल सके।

अजमेर शहर में भारी यातायात दबाव के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है, जाम लगा रहता है जिससे आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है इसलिए भारी यातायात गुजरने वाले चौराहों पर फ्लाई ओवर, अण्डरपास, पैदल ओवरब्रिज इत्यादि वैकल्पिक मार्ग बनाने की आवश्यकता है जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सके।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

सिवाना समदड़ी को नगरपालिका का दर्जा :- आय व्यय अनुमान वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर कटौती प्रस्ताव के तहत विधान सभा में मांग है सिवाना क्षेत्र की दो बड़ी ग्राम पंचायतें जो पूर्व में नगरपालिकाएं घोषित की गई थीं, कुछ समय का कार्यकाल रहने के बाद वर्तमान समय में दोनों ही ग्राम पंचायतें सिवाना एवं समदड़ी पंचायतें ही हैं। हां, समदड़ी को नया पंचायत समिति मुख्यालय का दर्जा पंचायत पुर्नगठन में दिया गया है।

सिवाना बहुत बड़ी पंचायत है जिसमें लगभग 50,000 की आबादी है, 22,000 मतदाता निवास करते हैं। इसमें अन्य कोई भी रेवेन्यू विलेज भी नही है। तीन पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं। पूर्व में नगरपालिका रह चुकी दोनों ही पंचायतें नगरपालिका का दर्जा दिये जाने हेतु ठीक रहेंगी।

क्षेत्र के विकास एवं शहरीकरण होने के कारण कस्बे में सौन्दर्यीकरण, सड़कें, लाइटें, सफाई आदि व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों से नहीं बन पा रही हैं। क्षेत्रफल एवं आबादी विस्तार को देखते हुए, सिवाना एवं समदड़ी ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा दिये जाने की मांग रखता हूं।